भारतीय विद्रोह

अथवा

राऊलेट कमिटी की रिपोर्ट

(प्रथम भाग)

अनुवादक—
श्री० ठाकुर मनजीतसिंह राठौर, बी० ए०
भूतपूर्व एम० एल० सी० इत्यादि

प्रकाशक—
नरेन्द्र पब्लिशिङ्ग हाउस
रैन बसेरा :: देहरादून

संशोधित संस्करण]   मार्च, १९३४   [मूल्य १।।) रु०

प्रकाशक—
नरेन्द्र पब्लिशिङ्ग हाऊस
रैन बसेरा—देहरादून

मुद्रक—
शारदा प्रसाद खरे,
हिन्दी-साहित्य प्रेस, प्रयाग

विषय सूची

दूसरा अध्याय

(बङ्गाल में विप्लववाद का प्रादुर्भाव)

तीसरा अध्याय

(बङ्गाल में विप्लववादी काण्ड)

चौथा अध्याय

(बङ्गाल में क्रान्तिकारी काण्ड १९०७—१९०८)

पाचवाँ अध्याय

(बङ्गाल में क्रान्तिकारी संस्थाओं का सङ्गठन और उनका पारस्परिक सम्बन्ध)

छठवाँ अध्याय

(बङ्गाल के स्कूलों और कॉलिजों में क्रान्तिकारी दल द्वारा युवकों की भर्ती)

सातवाँ अध्याय

(जर्मन षड़यन्त्र)

सूचना

इस रिपोर्ट का

दूसरा भाग

भी शीघ्र ही प्रकाशित करने का प्रबन्ध हो रहा है। जिन पाठकों को ज़रूरत हो शीघ्र ही अपना ऑर्डर नोट करा दें। दूसरा भाग पहले उन्हीं ग्राहकों को भेजा जायगा, जो पहिला भाग मँगा चुके हैं, क्योंकि इसके बिना उनका अध्ययन अधूरा रह जायगा।

नरेन्द्र पब्लिशिङ्ग हाऊस
रैन बसेरा :: देहरादून

PRESS OPINION

The *Leader*

It is a Hindi translation of that interesting and sensational report on the existence of revolutionary conspiracies in India since the year 1897, which was written by what is popularly known as Rowlatt Committee. As a result of the sensational findings of the Committee and the recommendations made, that unmerited blot on the Indian statute book, the notorious Rowlatt Bill was enacted into law. What directly followed the enactment of the un-popular measure is now a matter of history. The unprecedented Satyagrah agitation, the Punjab "Rebellion" and the present non-co-operation movement were the direct results of the unhappy nostrum prescribed by the Committee presided over by Mr. Justice Rowlatt of the King's Bench, London. To appreciate fully why the Government of Lord Cholmsford considered it necessary to enact the measure, it is necessary to glean through the red record of violent and anarchical activities launched in by revolutionaries in India and abroad—men like Lala Har Dayal and Shyam Ji krishna Verma, Barindra Krishna Ghosh and the Savarkar brothers to name but a few.

In our opinion Thakur Manjeet Singh Rathore has done well in translating the Rowlatt report in easy and fluent Hindi. Those who read the first part will, in all liklihood await the publication of the next.

तुरन्त ऑर्डर भेजिए ! तुरन्त ऑर्डर भेजिए !!

भारतीय विद्रोह

(दूसरा भाग)

जिन लोगों ने प्रस्तुत पुस्तक पढ़ी है, यदि वे इस रिपोर्ट का दूसरा भाग न पढ़ें, तो निश्चय ही उनका अध्ययन अधूरा रह जायगा, क्योंकि बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियाँ पाठकों को इस पुस्तक के दूसरे भाग में ही मिलेंगी, इसी भाग में पाठकों को उन सिफ़ारिशों का पता भी चलेगा, जो कमिटी ने की थीं और जिनके फल-स्वरूप "राऊलेट-एक्ट" की शृष्टि हुई थी। इस दूसरे भाग की विषय-सूची इस प्रकार है :—

आठवाँ अध्याय

(बिहार में क्रान्तिकारी उपद्रवों का वीजारोपण)

(१) बिहार और उड़ीसा प्रान्त (२) बिहार में क्रान्तिकारी आन्दोलन का वीजारोपण (३) निमेज़ की हत्याएँ (४) अन्य क्रान्तिकारी दुर्घटनाएँ (५) बिहार और उड़ीसा सम्बन्धी कमिटी के निष्कर्ष।

नवाँ अध्याय

(संयुक्त-प्रान्त में क्रान्तिकारी आन्दोलन का वीजारोपण)

(१) बनारस षड़यन्त्र केस के पहिले का संयुक्त प्रान्त, (२) बनारस षड़यन्त्र केस (३) हरनाम सिंह का मामला (४) 'युगान्तर' के पर्चे तथा (५) अन्य काण्डों का विवरण।

दसवाँ अध्याय

(मध्य-प्रान्त से क्रान्तिकारी आन्दोलन का सम्बन्ध)

(१) नागपूर (१९०७-०८ में) (२) सन् १९१५ के काण्ड

ग्यारहवाँ अध्याय

(पञ्जाब का क्रान्तिकारी आन्दोलन)

(१) सन् १९०७ के काण्ड (२) सन् १९२९ के काण्ड (३) देहली षड्यन्त्र केस (४) मुसलमानों की उदासीनता (५) ला० हरदयाल और ग़दर आन्दोलन (६) बजबज की बग़ावत (७) रोक-थाम के उपाय (८) एक भीषण परिस्थित की सम्भावना (९) पञ्जाब गवर्न्मेंएट की वास्तविक स्थिति (१०) परिस्थिति की विशेष गम्भीरता (११) लाहौर षड़यन्त्र (१२) पञ्जाब गवर्न्मेन्ट की अन्य सिफ़ारिशें (१३) डिफ़ेन्स ऑफ़ इण्डिया ऐक्ट (भारत-रक्षक क़ानून) का पास होना और परिस्थिति में परिवर्तन का होना (१४) कुछ अन्य काण्डों का विवरण (१५) परिस्थिति का पूरी तरह क़ाबू में आना (१६) लाहौर षड़यन्त्र केस (१७) भारत-रक्षक क़ानून का उपयोग में लाया जाना तथा (१८) कमिटी का निर्णय।

बारहवाँ अध्याय

(मद्रास में क्रान्तिकारी आन्दोलन)

(१) सन् १९१७ में श्री० विपिनचन्द्र पाल का व्याख्यान-पर्यटन (२) क्रान्ति आन्दोलन की बाढ़ (३) "इण्डिया" और उसके कर्मचारी (४) हत्याओं की सुखद-कल्पनाएँ (५) श्री० ऐश का खून (६) पेरिस के क्रान्तिकारियों से सम्बन्ध और (७) कमिटी का निर्णय।

तेरहवाँ अध्याय

(बर्मा में क्रान्तिकारी आन्दोलन)

(१) बर्मा की विशेषताएँ (२) षड़यन्त्र की आमद (३) "जहाने-इस्लाम" (४) टर्की से कूट-प्रबन्ध (५) एक गुप्त सोसाइटी (६) उपद्रव-निर्माण के लिए ग़दर की चेष्टाएँ।

चौदहवाँ अध्याय

(मुस्लिम मनोवृत्ति)

(१) मुसल्मान तथा १९१४ का युद्ध (२) हिन्दोस्तानी मुल्लापन (३) लाहौर के विद्यार्थियों की उड़ान (४) 'रेशमी पत्र' तथा (५) कमिटी का निर्णय।

पन्द्रहवाँ अध्याय

(कमिटी के निर्णयों का सारांश)

(१) सब षड़यन्त्रों का रुख़, तथा—उनकी विफलताएँ आदि, आदि,

इसके बाद कमिटी की विभिन्न सिफ़ारिशों का बड़ा ही विचारपूर्ण उल्लेख है अर्थात् कैसे क़ानून बनाए जाएँ, उनका किस प्रकार उपयोग किया जाए, अदालतें किस प्रकार की निर्माण हों, अभियुक्तों की पेशी कैसे स्थानों पर हुआ करे आदि आदि बातों पर विस्तृत रूप में प्रकाश डाला गया है और अन्त में उन व्यक्तियों का विस्तृत परिचय भी दिया गया है, जिन्हें सजाएँ मिलीं अथवा जो सन्दिग्ध समझे गए।

अनुवादक के दो शब्द

यह बड़ी प्रसन्नता की बात है, कि हिन्दी के राजनैतिक साहित्य में सामयिकता लाने के लिए हिन्दी के सुयोग्य लेखक एवं प्रकाशक बड़े मनोयोग से प्रयत्नशील हैं। इधर कुछ दिनों से केवल अङ्गरेज़ी में ही प्रकाशित होने वाले राजनैतिक साहित्य का हिन्दी अनुवाद भी प्रकाशित होने लगा है। हिन्दी के कुछ प्रकाशक इस बात का बड़ा सराहनीय प्रयत्न कर रहे हैं, कि केवल हिन्दी भाषा-भाषी देशवासियों को देश की राजनैतिक प्रगति से लाभ उठाने का पूर्ण अवसर दिया जाय। यह एक ऐसा स्तुत्य कार्य्य है, जिसमें सहयोग देना प्रत्येक विचारशील भारतवासी का कर्तव्य है। अस्तु

राऊलेट कमिटी की रिपोर्ट भारतीय इतिहास के विद्यार्थियों के लिए एक ऐसी महत्वपूर्ण सामग्री है, जिसकी उपेक्षा करना उनके अध्ययन को अपूर्ण रखना था, पर संयोगवश इस ओर संभवतः किसी भी सुलेखक का ध्यान आकर्षित नहीं हुआ; यही कारण है, कि मुझे यह अनधिकार चेष्टा करनी पड़ी। जिस रिपोर्ट में गवर्नमेण्ट की ओर से अमेरिका की 'ग़दर पार्टी' के विभिन्न प्रयत्नों का, लाला हरदयाल तथा राजा महेन्द्र प्रताप के जर्मनी से मिलने का, वारीन्द्र घोष और रासबिहारी बोस के

विप्लववादी षड़यन्त्रों का, बङ्गाल के विप्लववादियों की साज़िशों-जैसे रोमाञ्चकारी विषयों पर प्रकाश डाला गया हो; तथा जिस रिपोर्ट में सन्, १८८७ से क्रान्तिकारी आन्दोलन के विभिन्न पहलुओं पर कमिटी के इतने विद्वान सदस्यों द्वारा प्रकाश डाला गया हो; भला एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय की उपेक्षा कैसे की जा सकती है ? बड़े-बड़े एवं सुप्रसिद्ध विद्वानों एवं नेताओं का मत है, कि वर्तमान असहयोग आन्दोलन के जन्म का कारण इसी कमिटी की रिपोर्ट तथा उसकी सिफ़ारिशें थीं, जिसे "राऊलेट एक्ट" के नाम से क़ानूनी जामा पहनाया गया था। लिबरल पार्टी के सुप्रसिद्ध पत्र 'लीडर' तक की यही सम्मति है, जो अन्यत्र उद्धृत की गई है, विप्लववादी आन्दोलन को दबाने के लिए एक भारतीय गवर्नमेण्ट को इसके कारणों पर बड़े मनोयोग से विचार करना पड़ा और वर्तमान रिपोर्ट गवर्नमेण्ट की उसी जाँच का परिणाम है।

१० दिसम्बर, सन् १९१७ के गज़ट ऑफ़ इण्डिया में इस आशय की घोषणा प्रकाशित हुई, कि गवर्नमेण्ट ऑफ़ इण्डिया ने सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट की स्वीकृति प्राप्त करके एक ऐसी कमिटी के निर्माण करने का निश्चय किया है, जो देश की राजनैतिक परिस्थिति का भली भाँति अध्ययन कर, इन आतङ्कवादी प्रयत्नों पर पूर्णतः प्रकाश डाले और इस बात की सलाह भी दे, कि भविष्य में किन-किन उपायों एवं साधनों द्वारा इन क्रान्तिकारी आन्दोलनों पर विजय प्राप्त की जा सकती है। सौभाग्य से गवर्नमेण्ट

ऑफ़ इण्डिया को कई प्रसिद्ध एवं विद्वान कर्मचारियों का सहयोग प्राप्त हो सका, जिन्होंने कमिटी के सदस्य तथा पदाधिकारी होने की स्वीकृति दे दी। उनके शुभ नाम तथा परिचय इस प्रकार हैं:-

प्रधान

ऑनरेबुल मि० जस्टिस एस० ए० टी राऊलेट, जज किङ्गस बेञ्च डिवीज़न ऑफ़ हिज़ मेजेस्टीज़ हाईकोर्ट ऑफ़ जस्टिस

सदस्य

१—ऑनरेबुल सर बेसिल स्कॉट [नाइट] चीफ़ जस्टिस बम्बई हाईकोर्ट

२—ऑनरेबुल दीवान बहादुर सी० वी० कुमारास्वामी शास्त्री, जज मद्रास हाईकोर्ट

३—ऑनरेबुल सर वर्ने लोवेट के० सी० एस० आई; मेम्बर बोर्ड ऑफ़ रेवेन्यू, यू० पी०

४—ऑनरेबुल मि० पी० सी० मित्तर, एडिशनल मेम्बर बङ्गाल लेजिस्लेटिव काउंसिल

मन्त्री

मि० जे० डी० वी० हॉज, इण्डियन सिविल सर्विस, बङ्गाल

उपर्युक्त सज्जनों के अतिरिक्त, कमिटी को सौभाग्य से इण्डियन सिविल सर्विस के मि० सी० टिण्डल तथा मि० जे० सी० निक्सन का सहयोग भी प्राप्त था। कमिटी की बैठक कलकत्ता में जनवरी, सन् १९१८ से आरम्भ हुई और १५

एप्रिल, सन १९१८ तक इसकी कार्यवाही जारी रही। इस अवधि में कमिटी को पञ्जाब का दौरा भी करना पड़ा। सब से महत्वपूर्ण बात तो यह है, कि कमिटी के सामने बङ्गाल, बम्बई, मद्रास, बिहार-उड़ीसा, मध्यप्रान्त, बर्मा तथा यू० पी० की गवर्नमेण्टों ने ही नहीं, बल्कि गवर्नमेण्ट ऑफ़ इण्डिया तक ने गवाहियाँ देने का कष्ट स्वीकार किया। इसके अतिरिक्त अनेक प्रतिष्ठित भारतवासियों को भी यह कष्ट स्वीकार करना पड़ा और इस कष्ट के लिए प्रत्येक शान्ति-प्रिय भारतवासी को इन सज्जनों का कृतज्ञ होना चाहिये।

पुस्तक के पहिले संस्करण में कई भद्दी अशुद्धियाँ रह गई थीं, जिन्हें इस संस्करण में सुधारने का यथाशक्ति प्रयत्न किया गया है। यदि हिन्दी जानने वाले देशवासियों को इस रिपोर्ट द्वारा देश की राजनैतिक परिस्थिति का कुछ भी ज्ञान हो सका, तो मेरा सन्तुष्ट होना स्वाभाविक ही है।

— मनजीतसिंह राठौर

रिपोर्ट की भूमिका

ब्रिटिश साम्राज्य के स्थापित होने से पहिले भारत में आधुनिक ढङ्ग की प्रजातांत्रिक अर्थात् प्रतिनिधि सत्तात्मक शासन प्रणाली को, न तो कोई जानता ही था, और न कभी इसकी इच्छा ही की गई थी। हिन्दू राज्य-काल में राज्य-व्यवस्था अन्यत्रित, अर्थात् स्वेच्छाचारी होती थी; हाँ, हिन्दू शास्त्रों के अनुसार राजा कुछ ऐसे नियम पालन करने पर वाध्य होता था, कि जिससे प्रजा का हित होता रहे। उसकी सहायता के लिये कुछ सलाहकार हुआ करते थे, जिनमें से ख़ास-ख़ास लोग ब्राह्मण होते थे। ब्राह्मणों का यह आधिपत्य बहुत पुराने समय से चला आता था, अर्थात् उस समय से, जब कि ब्राह्मण ही ज्ञान और विद्या के भण्डार होते थे; स्वभावत: ब्राह्मण लोग राज्य-व्यवस्था में विशेष-व्यक्ति होते रहे।

जिन दिनों ईस्ट इण्डिया कम्पनी पहले-पहल भारत से व्यापार करने लगी थी, देश का अधिकांश भाग मुसलमान राज-घरानों के आधीन कुछ शताब्दियों से रह चुका था; परन्तु उनके समय में भी यदा-कदा प्रधान मंत्री ब्राह्मण ही हुआ करते थे। १७ वीं सदी के बीच के दिनों में मुसल्मानों की सत्ता धीमी पड़ने लगी। महाराष्ट्र-नेता शिवाजी ने पश्चिमीय भारत के मरहठों को मुसल्मानी राज्य उखेड़ देने के लिये भड़काया; शिवाजी के पोते ने सितारे में, जो कि आजकल बम्बई प्रान्त में है, हिन्दू राज्य स्थापित कर दिया। यहाँ भी प्रधान मंत्री ब्राह्मण ही थे।

बहुत समय नहीं होने पाया, कि ब्राह्मण प्रधान मंत्री और उसकी सन्तान स्वयं दक्षिण के शासक बन बैठे और 'पेशवा' कहलाने लगे। उनका दरबार पूना में होने लगा और साम्राज्य, वाह्य और अन्तरंग में, पूर्णतया ब्राह्मण-साम्राज्य हो गया। एक अल्प-व्यस्क पेशवा के बाल्य-काल में नाना फड़नवीस बहुत दिनों तक दक्षिण का वास्तविक शासक-सा ही बना रहा। वह, और उसका अधिपति तरुण पेशवा, दोनों 'चितपावन' ब्राह्मण थे। चितपावन ब्राह्मणों का आदि-स्थान बम्बई और गोआ के बीच का समुद्र का किनारा था, इसलिए वह 'कोकणस्थ' भी कहलाते थे; दूसरा ब्राह्मणों का ख़ास समुदाय 'देशस्थ' कहलाता है। नाना फड़नवीस ने अपने शासन काल में राज्य विभागों से यथा-सम्भव 'देशस्थ' ब्राह्मणों को निकाला और उनके बदले 'चित-पावन' ब्राह्मणों को रक्खा। इसलिये १९वीं सदी के आरम्भ काल में, जब कि अङ्गरेज़ी सरकार ने महाराष्ट्र राज्य घराने को उखाड़ा, तो वास्तविक धक्का चितपावन राज्य घराने को ही लगा। अङ्गरेज़ सरकार ने ब्राह्मणों को केवल छोटी-छोटी नौकरियों पर ही रक्खा, उनकी पुरानी धाक जाती रही और स्वभावतः उनमें असन्तोष और अतीत वैभव को लौटा लाने की इच्छा बनी रही। क्रान्तिकारी आन्दोलन की पहली चिंगारियाँ पूना इलाक़े के इन ब्राह्मणों में ही हम पाते हैं।

भारतीय विद्रोह

पहिला अध्याय

बम्बई में विप्लववादी षड़यन्त्र

विप्लववाद की पहली बू

पश्चिम-भारत में विप्लववाद रूपी आँधी के पहिले झोंके दो प्रकार के वार्षिक त्योहारों के रूप में देखे गए। पहिले तो हिन्दू देवता 'गणपति' अथवा गणेश वाले उत्सवों में; दूसरे उन मेलों में, जो कि शिवाजी नामक, उस महाराष्ट्र-नेता के नाम पर किए जाते हैं, जिसने कि दक्षिणियों को मुसल्मान शासकों के विरुद्ध खड़ा कर दिया था।

सन् १८९३ में हिन्दू मुसल्मानों में बम्बई में सख़्त मार-पीट हो गई, मुसल्मानों के विरुद्ध ख़ूब जोश फैला और ऐसा मालूम होता है, कि सार्वजनिक गणपति मेले की बुनियाद यही

है। आन्दोलन के मुखिया, जिनका उल्लू हिन्दू मुसल्मानों में द्वेश भाव बढ़ाने से ही सीधा होता था, इस बात का प्रयत्न करने लगे कि बुद्धि और विजय के देवता गणेश का उत्सव पहिले से अधिक धूम धाम से सरे-बाज़ार मनाया जाए। इस बात का विचार रक्खा गया कि गणेशजी का जुलूस ऐसे ढङ्ग का निकले, कि उससे मुसल्मान लोग खूब ही चिढ़ें—जैसे कि वे मुहर्रम में हसन-हुसैन की अर्थी के स्मारक में ताज़ियों को करबले में दफ़न करने ले जाते हैं, ठीक उसी ढङ्ग पर गणेशजी की मूर्ति को अन्तिम विश्राम के लिए जल-प्रवाह कराया जाए।

उन दिनों पुलिस-क़ायदे के अनुसार मुसल्मानों को यह हक़ था, कि जब मसजिदों के पास कोई जुलूस गुज़रे तो गाना-बजाना बन्द कर दिया जाय। सितम्बर, सन् १८९४ में, जब कि गणपति उत्सव के दिन आए, तो आन्दोलनकारियों ने उत्सव को सार्वजनिक मेले के ढङ्ग पर मनाया। पहिले तो उत्सव घरों पर ही किया जाता था; परन्तु अब ऐसी जगहों पर किया गया, जहाँ कि खूब लोग जमा हो सकें। गणेश की मूर्ति के साथ साथ पटेबाज़ी, कुश्ती और अखाड़े का आयोजन भी किया गया। त्योहार के दस दिनों में नवयुवकों के गिरोह पूने की सड़कों में गश्त करते और ऐसे ऐसे गीत गाया करते, जिन से कि जनता में सरकार और मुसल्मानों के विरुद्ध जोश फैले! साथ ही साथ स्कूलों के लड़के ऐसे पर्चे खुल्लम-खुल्ला बाँटते, जिनका मतलब यह था, कि जैसे शिवाजी के समय में मरहट्टे खड़े हुए, वैसे ही हिन्दुओं

को अब हथियार उठा लेना चाहिये। परतंत्रता का छुरा सब के दिलों में चुभा हुआ है, उसको निकालने अर्थात् शत्रुओं के राज्य को विध्वंस करने के लिये यह आवश्यक है कि धार्मिक बलवा शुरू किया जाय। गणपति के जुलूसों के बाद उपद्रव हो उठना मामूली बात थी, एक बार तो पुलिस और साठ सत्तर आदमियों के बीच में मुठभेड़ तक हो गई। यह भीड़ जान-बूझ कर झगड़ा करने पर उतारू थी, क्योंकि यह उस मसजिद से होकर गुजरना चाहती थी, जहाँ कि मुसलमानों की अञ्जुमन हो रही थी।

गणपति उत्सव के दिनों में लोगों का ध्यान इस बात पर गया, कि शिवाजी की समाधि बेपरवाही के कारण उजड़ती जा रही है। फिर क्या था, पूना में कोशिश होने लगी, कि शिवाजी का जन्म-दिन और राज्याभिषेक मनाया जाय और इस प्रकार उनकी स्मृति जनता में पुनः जाग्रत की जाय। पहिली बार राज्याभिषेक सन् १८९५ की जून में मनाया गया और फिर यह एक वार्षिक त्योहार बन गया। इसमें भड़काने वाले व्याख्यान दिये जाने लगे और लोगों को शिवाजी, उनका वैभव तथा आतङ्क और मुसलमानों की नीचता एवं क्षुद्रता का स्मरण दिलाया जाने लगा।

इन दिनों पूना के 'चितपावन' ब्राह्मण दामोदर और बालकृष्ण छप्पेकर ने एक सभा स्थापित की, जिसका नाम "हिन्दू धर्म संरक्षणी सभा" रक्खा गया और जिसका उद्देश्य शारीरिक

तथा सैनिक शिक्षा देना था। छप्पेकर-बन्धुओं ने नीचे लिखे हुए आशय के श्लोक शिवाजी और गणपति त्योहारों में गाये, जिनसे स्पष्ट प्रगट होता है, कि उनमें किस ढङ्ग का जोश था :—

शिवाजी श्लोक

शिवाजी की कथाओं को नव्वाबों की तरह पर कह जाने से ही स्वतन्त्रता नहीं मिल सकती; आवश्यकता इस बात की है, कि शीघ्र ही शिवाजी और बाजीराव की तरह मुस्तैदी और बहादुरी के कार्य किये जाएँ। ऐ भले-लोगों! समझो और अब तो ढाल तलवार लेकर खड़े हो जाओ! हम शत्रुओं के असंख्य सिर काट डालेंगे! सुनो!! हम राष्ट्रीय युद्ध के रणक्षेत्र में अपने जीवन का बलिदान कर देंगे; हम उन शत्रुओं के ख़ून से, जो हमारे धर्म पर आघात करते हैं, धरती को रँग देंगे, हम मार कर ही मरेंगे, परन्तु तुम तो केवल औरतों की तरह बात सुनते ही रह जाओगे!!!

गणपति श्लोक

अहा! तुम्हें लज्जा नहीं आती कि तुम पराधीन हो? क्यों आत्म-हत्या नहीं कर डालते? दुःख की बात है कि बदमाश लोग अपने पाशविक अत्याचार में गायों और बछड़ों को क़त्ल करते हैं, आओ! गऊ माता को उसके सङ्कट से मुक्त करें; मरो, परन्तु अङ्गरेज़ों को मारो! निरुद्यमी बन कर संसार पर भार मत बनो!

हमारा देश तो हिन्दुस्तान कहलाता है, यहाँ अङ्गरेज़ क्यों राज्य करने पाते हैं ? ×

सन्, १८९७ की पूना की घटनाएँ, रैण्ड का क़त्ल, 'केसरी' और बा० गं० तिलक का पहिला अभियोग

सन् १८९७ में प्लेग बड़े ज़ोरों से फैला, घर-घर तलाशी लेना ज़रूरी हो गया और उन घरों को, जहाँ प्लेग का ज़रा भी सन्देह था, ज़बरदस्ती ख़ाली करवाना पड़ा। फल यह हुआ, कि लोगों में भय और असन्तोष फैल गया। ४थी मई को चितपावान-ब्राह्मण बालगंगाधर तिलक ने अपने 'केसरी' समाचार पत्र में, जो कि पश्चिमी भारत में मराठी पत्रों में सब से अधिक प्रभावशाली है, एक लेख लिखा; जिसमें, न केवल छोटे अफ़सरों पर यह दोष मढ़ा गया, कि वे जान-बूझ कर प्रजा को तङ्ग करते हैं, बल्कि ऐसा सङ्केत किया गया, कि स्वयं सरकार की ही इच्छा ऐसी है ! मि० रैण्ड, जो कि प्लेग के काम पर कमिश्नर तैनात किये गये हैं, अत्याचारी हैं और सरकार अत्याचार कर रही है—ऐसा उन्होंने लिखा। भारत सरकार से प्रार्थना करना व्यर्थ है, क्योंकि जो भी अत्याचार हो रहा, सब उसकी अनुमति से हो रहा है।

१५ जून, सन् १८९७ के 'केसरी' में शिवाजी के राज्याभिषेक उत्सव का, जो कि १२ जून को मनाया गया था, समाचार छपा। साथ ही कुछ कवित्त छपे, जिनका शीर्षक 'शिवाजी का भाषण'

× दामोदर छप्पेकर की आत्म-कहानी

था। उत्सव में एक व्याख्यानदाता ने कहा × "प्रत्येक हिन्दू, प्रत्येक मरहठे को—चाहे वह किसी भी दल का हो, शिवाजी के मेले को देखकर प्रसन्न होना चाहिए। हम सब अपनी खोई हुई स्वाधीनता को पाने के लिये प्रयत्न कर रहे हैं और यह भारी बोझ सब मिल जुल कर ही उठा सकते हैं। यह कभी उचित नहीं कि हम किसी ऐसे व्यक्ति के सामने रोड़ा अटकावें, जो कि सच्चे दिल से इस बोझ को उठाने की कोशिश करने में अपनी बुद्धि के अनुसार कार्य कर रहा हो। हमारे आपस के झगड़े हमारी उन्नति में बाधा डालते हैं। यदि कोई देश पर ऊपर से ज्यादतियाँ कर रहा है, तो उसे साफ़ कर डालो, परन्तु दूसरों के कार्य में बाधा न डालो × × × ऐसे सब अवसर, जो कि सारे देश को ऐक्य के सूत्र में बाँधते हैं, धन्य हैं" दूसरे वक्ता ने कहा "वे लोग, जिन्होंने फ़्रान्स की क्रान्ति में भाग लिया था, कभी नहीं कहते थे, कि उन्होंने ख़ून किए, वे तो कहते थे, कि हम अपने मार्ग से काँटा हटा रहे हैं! महाराष्ट्र के लिये भी यही तर्क क्यों न लागू किया जाय?" उत्सव के प्रधान ने, जो कि स्वयं तिलक ही थे, कहा "क्या शिवाजी ने, जब कि उन्होंने मुसल्मानों के सेनापति अफ़ज़ल ख़ाँ को मारा था, कोई पाप कर्म किया था या नहीं? इस प्रश्न का उत्तर स्वयं महाभारत देता है। श्री कृष्णजी की गीता में शिक्षा है, कि और तो क्या, स्वयं गुरू और सम्बन्धियों को भी मारने से न चूको, निष्काम कर्म करने वाले अपनी बुराइयों के लिए

× मराठी से, अनुवादित

भी दोषी नहीं होते। श्रीशिवाजी ने अपना पेट भरने के लिए तो कुछ नहीं किया, दूसरों की भलाई के लिए ही उन्होंने अफ़ज़ल खाँ के खून से अपने हाथ रँगे। यदि हमारे घरों में चोर आ घुसें और हम में इतनी शक्ति न हो कि हम उन्हें मार कर भगादें, तो हमें निसङ्कोच अपने घर-द्वार में आग लगाकर उन्हें भस्म कर देना चाहिये! भगवान ने भारत का राज्य विदेशियों को क्या ताम्र-पत्र पर लिख कर सौंप डाला है? महाराज शिवाजी ने उन्हें अपनी जन्म-भूमि से निकाल भगाने की चेष्टा की, उन्होंने पराई सम्पत्ति हथयाने का पाप नहीं किया; कुएँ के मेंढक की भाँति अपनी दृष्टि को परिमित मत बनाओ; पिनल-कोड (भारतीय दण्ड विधान) की चहार-दीवारी से बाहर निकलो और भगवद्-गीता के भव्य वायुमंडल में प्रवेश करके महापुरुषों के कर्तव्यों पर विचार करो।"

"शिवाजी का भाषण" नामक कविता में शिवा जी निद्रा से जगने पर स्वदेश में होने वाले अत्याचारों को देखकर उन पर आँसू बहाते हैं!

२२ जून को महारानी विक्टोरिया का ६० वाँ राज्याभिषेक दिवस मनाने का अवसर था, इसी रात को, जब कि मि० रैन्ड और लैफ़्टिनेण्ट एयर्स्ट उत्सव के बाद गणेश कुँण्ड (पूना) से आ रहे थे, छप्पेकर-बन्धुओं द्वारा क़त्ल कर दिये गये! इसमें सन्देह नहीं कि वास्तविक हमला मि० रैन्ड पर ही किया गया था, क्योंकि प्लेग-सम्बन्धी उनके कार्यों से लोग उन से बहुत असन्तुष्ट

थे। यह स्पष्ट है लैफ़्टिनेण्ट एयर्स्ट का ख़ून केवल संयोगवश ही हो गया! दामोदर छप्पेकर पर मुक़दमा चला और वह २२, जून वाले डबल ख़ून के जुर्म का दोषी ठहराया गया। जिन दिनों वह क़ैद में था, उसने एक लम्बी-चौड़ी आत्म-कहानी लिखी और उसमें यह भी लिखा कि उसने और उसके भाई ने ही महारानी विक्टोरिया की बम्बई वाली मूर्ति पर तारकोल की कालिख, इस लिये फेरी थी, कि "हमारे आर्य बन्धु प्रसन्न हों, अँग्रेज़ों को मानसिक विषाद हो और हम स्वयं राजविद्रोही होने का तिलक अपने माथे पर लगावें!"

फ़रवरी, सन् १८९९ में छप्पेकर-सङ्घ के अनुयाईयों ने एक पुलिस के सिपाही पर दो बार आक्रमण किया, परन्तु सफल नहीं हुए, बाद में उन्होंने उन दो भाइयों को मार डाला, जिनको कि सरकार ने दामोदर छप्पेकर के पकड़ने में सहायता देने के कारण इनाम दिया था! इन जुर्मों का यह फल हुआ, कि छप्पेकर सङ्घ के ४ सभ्यों को तो फाँसी लगाई गई और एक को दस वर्ष की कड़ी क़ैद की सज़ा मिली। इस बात में सन्देह नहीं, कि छप्पेकर सङ्घ एक घृणित षड़यंत्र था, जिसका सम्बन्ध हिन्दुस्तान की विप्लववादी हलचल से था।

१५ जून, सन् १८९७ के 'केसरी' के कारण उसके मालिक बालगङ्गाधर तिलक पर अभियोग चला और तिलक राज-विद्रोही ठहराए गए। तिलक का यह कहना था, कि राजनैतिक मार-काट और साधारण ख़ून में नैतिक भेद है। आगे चल कर यह पता

लगेगा कि जब कि नौजवान लोग खुल्लमखुल्ला लोगों को राजनैतिक मार-काट के लिये भड़काने लगे, तब भी तिलक अपनी इस बात पर ही अड़े रहे !

सन् ९७ के बाद पूना के पत्र

पूना के बृटिश-विरुद्ध पत्रों के कटाक्ष तिलक की सज़ा के बाद भी बराबर जारी रहे। सन्, १८९८ में शिवराम महादेव पराञ्जपे ने पूना से एक सप्ताहिक मराठी पत्र निकाला। पराञ्जपे भी चितपावन ब्राह्मण हैं; इस सप्ताहिक की विद्रोहपूर्ण नीति के कारण पराञ्जपे को १८९९ में चेतावनी दी गई और १९००, १९०४, १९०५ तथा १९०७ में उस पर मुकदमा चलाने के प्रश्न पर विशेष तौर से विचार किया गया। अन्त में जून, सन् १९०८ में उस पर अभियोग चलाया गया और उसे १९ मास का कारावास दण्ड मिला। जिस लेख के लिये अभियोग चलाया गया था, उसका ज़िक्र हम फिर उस अवसर पर करेंगे, जब कि उस वर्ष के मुक़दमों का वर्णन किया जायगा।

"बिहारी" नाम का एक और पत्र था, जिसको पूना के चितपावन ब्राह्मण निकालते थे। १९०६, १९०७ और १९०८ में लगातार इसके तीन सम्पादकों पर विद्रोहपूर्ण लेख लिखने के लिए फ़ौजदारी कारवाई की गई और उन्हें दण्ड मिला। सन्, १८९८ से १९०६ के भीतर 'केसरी' ने अनुचित कटाक्ष नहीं किए और वह ख़ूब फूला-फला और सर्व-प्रिय और प्रभावशाली बन गया।

सन् १९०७ में इसकी प्रति सप्ताह २०,००० प्रतियाँ बिकने लगीं। उन दिनों इसके स्तम्भों में अधिकतर इस तरह के लेख रहा करते थे, कि राजकार्य रूसी ढङ्ग पर होने लगा है, इसलिये प्रजा को भी रूसी ढङ्ग पर ही आन्दोलन करना चाहिए !

विलायत में श्यामजीकृष्ण वर्मा के कारनामें

गणपति और शिवाजी त्योहारों से राजनैतिक लाभ उठाया जाता रहा। अब यह आवश्यक है कि कमिश्नर-रैन्ड के क़त्ल और फिर दुबारा बम्बई प्रान्त में राजनैतिक जुर्मों के आरम्भ होने के बीच के समय में इङ्गलिस्तान में क्या क्या हुआ, इसका वर्णन किया जाए। हमने देख लिया, कि सन्, १८९७ में रैन्ड के क़त्ल का फल यह हुआ कि हत्यारों को सज़ा मिली और उसी साल के 'केसरी' की १५ जून की संख्या का यह फल हुआ, कि उसके मालिक तिलक को सजा हुई। इसके अतिरिक्त सन्, १८२७ के विशेष दण्डाधिकार की २५ वीं धारा के अनुसार पूना के दो प्रसिद्ध नागरिकों को, जो कि 'नाटू' घराने के थे, देश-निकाले का दण्ड हुआ; कारण यह था, कि उस साल के पूना के उपद्रवों से उनका सम्बन्ध था।

थोड़े दिनों बाद पश्चिमीय भारत की काठियावाड़ रियासत का एक व्यक्ति, जिसका नाम श्यामजीकृष्ण वर्मा था, बम्बई से लन्दन के लिए रवाना हुआ। उसने बाद में एक समाचार पत्र प्रकाशित किया और उसमें यह छापा कि उसके विलायत जाने के कारणों

का सम्बन्ध रैन्ड हत्या की पकड़-धकड़ से भी था ! कुछ समय तक कृष्ण वर्मा चुप चाप रहा; पर सन् , १९०५ की जनवरी में उसने लन्दन में भारत स्वराज सभा (India Home Rule Society) स्थापित की. अपने आप उसका प्रधान बना और सभा की मुख्य पत्रिका 'इण्डियन सोशियोलोजिस्ट' निकाली जिसका मूल्य एक आना मासिक रक्खा। उस पत्रिका में सभा एवं अपने पत्र का उद्देश्य वर्णन करते हुए उसने लिखा "भारत के लिये स्वराज्य प्राप्त करना, और यथा-सम्भव हर प्रकार से विलायत में वास्तविक भारतीय प्रचार करना।" दिसम्बर, सन् १९०५ में कृष्ण वर्मा ने ऐलान किया, कि उसकी इच्छा है कि एक एक हज़ार के ६ वज़ीफ़े योग्य भारतीयों को विदेश-भ्रमण के लिये देवे, जिससे कि लेखक सम्पादक इत्यादि अमेरिका और योरोप देखकर इस योग्य हो जायँ, कि हिन्दुस्तान में स्वतन्त्र और राष्ट्रीय एकता के विचार फैला सकें। उसने एक और पत्र प्रकाशित किया, जिसका लेखक पैरिस का एक हिन्दुस्तानी एस० आर० राना था। इसने दो दो हज़ार की तीन वृत्तियाँ विदेश भ्रमण के लिए राणा प्रतापसिंह, शिवाजी और तीसरी किसी एक बड़े मुसल्मान राजा के नाम पर रख कर देने का बचन दिया।

विनायक सावरकर

इन वृत्तियों के सहारे कृष्ण वर्मा ने लन्दन में कुछ रङ्गरूट जमा कर लिए, जिनमें से एक विनायक दामोदर सावरकर था।

यह भी 'चितपावन' ब्राह्मण था और फ़रग्यूसन कॉलेज पूना से बम्बई विश्वविद्यालय का बी० ए० पास था। यह बम्बई प्रान्त के नासिक ज़िले का रहने वाला था और इसकी अवस्था इस समय २२ साल की थी। नासिक, जो कि पश्चिमीय भारत में एक तीर्थस्थान है, ब्राह्मण राजनैतिक हलचल का केन्द्र बन गया। परदेश गमन से पूर्व विनायक सावरकर सन् १९०५ के आरम्भ में उस हलचल में भाग लेने लग गया, जिसे उस व्यक्ति ने चलाया था, जो कि अपने को महात्मा श्री अगम्य गुरु परमहंस बताता था, और जो भारतवर्ष में भ्रमण करके सरकार के विरुद्ध बेधड़क व्याख्यान देता था और अपने श्रोताओं से कहता था, कि सरकार से मत डरो। इसी कार्यक्रम का एक हिस्सा समझिए, पूना में सन् १९०६ के शुरू में कुछ विद्यार्थियों ने एक सभा बनाई, सावरकर को उसका मुखिया चुना और महात्मा से मिलने के लिए उसे निमन्त्रित किया। २३ फ़र्वरी वाली सभा की एक बैठक में सावरकर आया और उसने यह प्रस्ताव पेश किया कि इस अन्दोलन के उद्देश्यों को कार्यरूप में परिणत करने के लिए नौ आदमियों की एक कमिटी बनाई जाए। ऐसा ही हुआ, इस कमिटी के क़रीब सब ही मेम्बर किसी न किसी समय में फ़रग्यूसन कॉलेज पूना से, जिसमें कि सावरकर भी पढ़ा था, सम्बन्ध रख चुके थे। इस जलसे में महात्मा ने यह सलाह दी, कि एक आना फ़ी आदमी के हिसाब से चन्दा करके सभा के लिए एक फ़ण्ड जमा किया जाय; जब यह धन काफ़ी हो जायगा, तब मैं बतलाऊँगा कि इसे

कैसे उपयोग करना चाहिये। जून, सन् १९०६ में विनायक सावरकर विलायत चला गया और ऐसा मालूम होता है कि इस सभा का भी फिर अन्त हो गया। हाँ, इसके कुछ सभ्य "तरुण भारत सभा" में शामिल हो गए। इस सभा को विनायक के भाई बड़े सावरकर ने बनाया था। गणेश के बारे में और हाल हम बाद में लिखेंगे। विलायत जाने के समय सावरकर-बन्धु 'मित्र मेला' नामक एक सभा के मुखिया थे। 'मित्र मेला' सन् १८९९ के लगभग गणपति त्योहार के सिलसिले में चलाया गया था और गणेश सावरकर नासिक में इसके सभ्यों को ड्रिल, कश्ती और पट्टेबाज़ी इत्यादि सिखलाने के काम का प्रबन्धक था।

लन्दन में भारतीय भवन

कृष्ण वर्मा का खोला हुआ 'भारतीय भवन' सन् १९०६ और १९०७ में राजविद्रोह का नामी केन्द्र बन गया और जुलाई, सन् १९०७ में इसके विषय में पार्लामेण्ट में एक प्रश्न भी हुआ और पूछा गया कि सरकार का कृष्ण वर्मा के बारे में क्या इरादा है? कुछ ही दिनों बाद, और सम्भवतः इसी पूछ-ताछ के कारण, वह लन्दन छोड़ कर पैरिस चला गया और वहीं रहने लगा। पैरिस में वह राजविद्रोह का कार्य्य और भी खुले ढङ्ग से करने लगा, लेकिन अपने पत्र "इण्डियन सोशियॉलोजिस्ट" को वह अब भी इङ्गलैण्ड में ही छपवाता रहा। प्रकाशक पर जुलाई, सन् १९०९ में मुक़दमा चलाया गया और उसे सज़ा हुई। छपाई

का भार तब दूसरे आदमी ने अपने ऊपर ले लिया, उसका भी सितम्बर, सन् १९०९ में वही हाल हुआ और उसे भी एक वर्ष का कारावास दण्ड मिला। तत् पश्चात पत्र पैरिस में प्रकाशित होने लगा। कृष्ण वर्मा पैरिस वाले एस० आर० राना द्वारा "भारतीय भवन" से सम्बन्ध रखता रहा और उसके कार्य्यक्रम को चलाता रहा, राना इस कार्य्य के लिए बराबर लन्दन आता जाता रहा। दिसम्बर, सन् १९०७ के 'इण्डियन सोशियॉलोजिस्ट' में निम्न लेख प्रकाशित हुआ:—

"ऐसा प्रतीत होता है, कि भारतवर्ष में आन्दोलन खुल्लमखुल्ला नहीं करना चाहिये—अङ्गरेज़ी सरकार को होश में लाने के लिए ज़ोर-शोर से रूसी नीति को काम में लाना चाहिए × यहाँ तक कि अङ्गरेज़ी अत्याचार ढीला हो जाए और वे देश से भाग निकलें! अभी कोई नहीं कह सकता, कि किन-किन नियमों पर चलना पड़ेगा और किसी विशेष साध्य के लिये हमारी कार्य्य प्रणाली क्या होगी, यह सब देश और काल के अनुसार ठीक करना पड़ेगा—हाँ, सम्भवतः साधारण नियम यह होगा, कि रूसी नीति पहिले अङ्गरेज़ी अफ़्सरों के लिए नहीं, बल्कि देशी अफ़्सरों के लिए काम में लाई जायगी!"

मुज़फ़्फ़रपुर हत्या सम्बन्धी लेख और तिलक पर मुक़दमा

३० अप्रैल, सन् १९०८ को बङ्गाल में मिसेज़ और मिस कैनेडी का दिल दहलाने वाला हत्याकाण्ड मुज़फ़्फ़रपुर में हुआ!

× पैरा ३७ वाँ देखो

खुदीराम बोस ने मि० किङ्गसफ़र्ड पर, जो कि एक अप्रिय कलेक्टर थे, बम गिराना चाहा। परन्तु गाड़ी के ठीक न पहिचानने के कारण मिसेज़ और मिस कैनेडी उस बम के शिकार हुए! कुछ लोग हत्यारे के इस कार्य्य को क्षम्य कहकर, हत्या के इस नए अस्त्र बम की, जो कि अप्रिय अफ़सरों पर प्रयोग हो, तारीफ़ करने लगे; उनमें से एक तिलक था। मई और जून, सन् १९०८ में मुज़फ़्फ़रपुर हत्या संम्बन्धी 'केसरी' में प्रकाशित लेखों के लिए तिलक को ६ वर्ष के लिये द्वीपान्तर बास का दण्ड मिला।

उसी साल की २२ वीं जून के 'केसरी' के एक लेख में हमें यह मिलता है :—

सन्, १८९७ के जलसे की रात वाले मिस्टर रैण्ड के ख़ून के समय से लेकर मुज़फ़्फ़रपुर बम-काण्ड के समय तक, प्रजा की ओर से कोई ऐसी ख़ास बात नहीं हुई थी, जो कि अफ़्सरों की आँख खोले। सन्. १८९७ और इस बङ्गाल के बम-काण्ड में बहुत भेद है। दिलेरी और चातुर्य्य के विचार से तो छप्पेकर-बन्धुओं का पाया बङ्गाल की बम-पार्टी से ऊँचा है; परन्तु साधन और साध्य का विचार करके बङ्गालियों ही की अधिक प्रशंसा करनी पड़ेगी। अपने ऊपर किए हुए अत्याचारों का बदला लेने के लिये, न तो छप्पेकर-बन्धुओं ने ही, और न बङ्गाली बम फेंकने वालों ने ही यह ख़ून किए। इन हत्याओं का कारण व्यक्तिगत झगड़े या पारस्परिक द्वेष नहीं, इनका रूप ही दूसरा हो जाता है; क्योंकि इनके करने वालों का यह विचार होता है कि वे

लोग एक भला कार्य कर रहे हैं। यद्यपि ऐसी हत्याओं के कारण असाधारण हुआ ही करते हैं, परन्तु इस बङ्गाली बम काण्ड के कारण तो विशेषाति विशेष हैं। सन्, १८९७ में पूना निवासियों को प्लेग के समय पीड़ित किया गया और इस अत्याचार से जो असन्तोष फैला उसका कोई राजनैतिक पहलू नहीं था। छप्पेकर-बन्धुओं के सम्मुख इस प्रकार का प्रश्न ही नहीं था, कि स्वयं शासन प्रणाली ही दूषित है और उसे बदलने के लिये इसके अतिरिक्त और कोई मार्ग ही नहीं, कि अफ़सरों को व्यक्तिगत रूप से डराया-धमकाया जाय। उनका ख़याल तो ख़ास तौर पर प्लेग सम्बन्धी अत्याचारों का था; अर्थात् कुल कार्य्य प्रणाली पर नहीं, बल्कि एक कार्य-विशेष पर। परन्तु बङ्ग-भङ्ग के कारण बङ्गाली बम फेकने वालों का दृष्टिकोण अधिक विस्तृत था—इसके अतिरिक्त बन्दूक़ और पिस्तौल जर्जर अस्त्र है, परन्तु बम तो पाश्चात्य वैज्ञानिकों का बिल्कुल ताज़ा अविष्कार है × × × पाश्चात्य विज्ञान ही ने नई नई तोप, बन्दूक़ और बारूद चलाए हैं, पाश्चात्य विज्ञान ही बम का विधाता है × × × बम किसी शासन के सैनिक-बल को विध्वंस नहीं कर सकता, बम में वह शक्ति नहीं कि फ़ौज की फ़ौज को उड़ा दे; नहीं, बम यह कर सकता है, कि सैना की शक्ति को इधर से उधर कर डाले पर यह अवश्य है, कि बम सरकार का ध्यान उस गड़बड़ की ओर आकृष्ट कर सकता है, जिस का कारण सैनिक-बल का मद है।" ×

× मराठी से अनुवादित

'कॉल' और बम बाज़ी

८ जुलाई, सन् १९०८ को पराञ्जपे को बम्बई हाईकोर्ट से अपने पत्र 'कॉल' में विद्रोहात्मक लेख छापने के कारण सज़ा हुई। लेख मुज़फ़्फ़रपुर हत्या सम्बन्धी थे। साफ़-साफ़ तो हत्याओं को अच्छा नहीं कहा गया था, पर हाँ, 'केसरी' के ही ढंग पर यह लिखा गया था, कि ऐसी हत्या एकदम बुरी भी नहीं होती। नीचे उद्धृत किए हुए वाक्य 'कॉल' के उसी लेख में से हैं:—

"अब लोग अङ्गरेज़ी राज्य के सुखों के गीत नहीं गाते; अब वह स्वराज्य के लिये सब कुछ करने को प्रस्तुत हैं। उनके दिलों में अङ्गरेज़ी सत्ता का भय नहीं रहा। अब प्रश्न केवल पाशविक बल का ही है। भारत और रूस की बम-बाज़ी में भेद है। कितने ही रूसी ऐसे हैं, जो सरकार के साथ हैं और इन बम वालों के विरुद्ध; परन्तु इस बात में सन्देह है, कि भारत में ऐसे लोग मिलेंगे, जो कि इनसे सहानुभूति न रखते हों। यदि ऐसी दशा में रूस वालों को डूमा (पार्लामेण्ट अर्थात् प्रतिनिधि सत्तात्मक शासन प्रणाली) मिल जाय, तो शक्ति-सम्पन्न हिन्दुस्तान को तो स्वराज्य मिलना निश्चित ही है। यदि इस प्रश्न को एक ओर रख दें, कि बम फेंकना न्यायोचित है या नहीं? यह तो बिल्कुल ही 'अनुचित' है कि भारतीय बम वालों को 'अनार्किस्ट' या 'आराजक' कहा जाए, क्योंकि हिन्दुस्तानी अराजकता या गड़बड़ नहीं फैलाना चाहते हैं।"

'भारतीय भवन' की कार्यवाही

सन्, १९०८ की मई में 'भारतीय भवन' में ग़दर अर्थात् सिपाही-युद्ध का स्मृति दिवस मनाया गया। निमंत्रण पत्र भेजे गए और लगभग १०० हिन्दुस्तानी विद्यार्थी, जो कि बृटिश द्वीपों के भिन्न भिन्न भागों से सफ़र करके आए थे, शामिल हुए। इसके थोड़े ही दिनों बाद भारतवर्ष में 'ऐ शहीदों!' शीर्षक एक पर्चा आया, जो उनकी याद में था, जो कि सन् १८५७ में मारे गए थे! मतलब यह, कि इस प्रकार पहली बार भारतीय स्वतन्त्रता के युद्ध का स्मारक मनाया गया। पर्चा फ़ान्सीसी टाइप में छपा था और इसमें सन्देह नहीं कि कृष्ण वर्मा की जानकारी में यह सब काम हुआ था। कुछ प्रतियाँ, जो कि मद्रास के एक कॉलेज में पाई गईं, लन्दन के दैनिक पत्र "डेली न्यूज़" में लिपटी हुई थीं; अतएव यह स्पष्ट है, कि पर्चे लन्दन से ही बाँटे गये थे। भारतीय भवन में आने वालों को इस पर्चे की और 'घोर चेतावनी' नामक एक और पुस्तिका की प्रतियाँ, यह कह कर मुफ़्त दी जाती थीं, कि वह अपने मित्रों के पास भारतवर्ष भेज दें। इस वर्ष भी मार-काट की नीति का प्रचार भारतीय भवन की रविवार की सभाओं में बराबर होता रहा।

जून, सन् १९०८ में एक हिन्दू ने, जो कि लन्दन विश्व-विद्यालय में पढ़ा करता था 'भारतीय भवन में' "बम" पर व्याख्यान दिया। उसने व्याख्यान में बम का प्रयोग करना उचित

बताया और यह भी बताया, कि बम किन-किन चीज़ों से बनाया जाता है। उसने कहा कि "जब श्रोताओं में से कोई अपने जीवन की भी परवाह न करके इसे प्रयोग करने के लिये उद्यत हो जाय, तो वह मेरे पास आवे; मैं उसे पूरा नुस्ख़ा बता दूँगा।"

सर कर्ज़न वाइली का ख़ून

सन्, १९०९ में विनायक सावरकर 'भारतीय भवन' का नेता माना जाने लगा और वहाँ यह प्रथा-सी चल गई, कि साप्ताहिक सभाओं में उसकी पुस्तक "सन् १८५७ का भारतीय स्वतन्त्रता का युद्ध—लेखक एक भारतीय राष्ट्रवादी" का पाठ हुआ करे। इस वर्ष 'भारतीय भवन' के सभासद लन्दन में एक पहाड़ी पर बन्दूक़ चलाने का अभ्यास करने लगे और पहली जुलाई, सन् १९०९ को 'भारतीय भवन' के सभासद मदन लाल धींगरा नामक युवक ने साम्राज्य विद्यालय की एक सभा में भारत-सचिव कार्यालय के राजनैतिक एडिकॉङ्ग सर कर्ज़न वाइली का ख़ून कर दिया!

नासिक में गणेश सावरकर को सज़ा

लगभग इसी समय पीनल कोड की १२ वीं धारा के अनुसार नासिक में बिनायक के बड़े भाई गणेश सावरकर को सम्राट के विरुद्ध युद्ध करने के जुर्म में सज़ा हुई। उसका विशेष अपराध यह था, कि सन् १९०८ के आरम्भ में उसकी "लघु अभिनव भारत मेला" नामक भड़काने वाली कविताएँ छपी थीं। बम्बई हाइकोर्ट के एक मराठी बोलने वाले जज ने फ़ैसला देते हुए

कविताओं के सम्बन्ध में इस प्रकार कहा था "लेखक का ख़ास उद्देश्य हिन्दुओं के देवताओं और शिवाजी इत्यादि योद्धाओं के नाम पर इस बात का प्रचार करना है, कि वर्तमान सरकार के विरुद्ध युद्ध किया जाए। यह नाम तो केवल नाम के ही लिए हैं, सीधी बात तो यह है "तलवार उठा लो, और विदेशी और अत्याचारी सरकार को विध्वंस कर डालो। लेखक का तात्पर्य और मनशा जानने के लिये यह आवश्यक नहीं है, कि भगवत्-गीता के रस और विचारों को इस कविता में ढूँढ़ा जाए—यह तो अपना अभिप्राय साफ़ प्रगट करती है और कोई भी आदमी, जो कि मराठी जानता है सिवाय इसके और कोई मतलब नहीं समझ सकता, कि अङ्गरेज़ सरकार के विरुद्ध युद्ध किया जाए"। ९ जून, सन् १९०९ को गणेश सावरकर को द्वीपान्तरवास का दण्ड मिला और नासिक से विनायक को तुरन्त तार द्वारा इसकी सूचना दी गई। 'भारतीय भवन' की रविवार की साधारण सभा में, जो कि २० जून को हुई थी, विनायक सावरकर ने असाधारण जोश और ग़ुस्से में होकर अङ्गरेज़ सरकार से बदला लेने की क़स्म खाई! यह पक्की तौर से नहीं कहा जा सकता, कि गणेश सावरकर की सज़ा और इसके बाद ही इतनी जल्दी सर कर्ज़न वाइली का ख़ून होना; क्रम के विचार से केवल आकस्मिक घटना ही थी, या इसका कुछ गुह्य उद्देश्य भी था। जब कि धींगरा पकड़ा गया तो उसकी जेब में एक काग़ज़ मिला जिस में कि उसने सर कर्ज़न के क़त्ल करने के कारणों को क़लम-बद्ध किया हुआ था। 'भारतीय

भवन' वालों ने बाद में इसे पर्चे के ढङ्ग पर छपा कर बड़ी तादाद में एक पर्चा भारतवर्ष भेजा जिसका पहिला पैरा इस प्रकार था:—

"मैंने सोच समझ कर और जान बूझ कर अङ्गरेज़ी ख़ून बहाया है, और इसलिए बहाया है कि इस तरह मैं भारतीय नवयुवकों के अमानुषिक द्वीपान्तरवास और प्राण-दण्ड के विरुद्ध अपना व्यक्तिगत प्रतिवाद प्रगट करूं।"

मि० जैक्सन की हत्या

'भारतीय भवन' में चतुर्भुज अमीन नाम का एक रसोइया था। उस साल के फ़र्वरी महीने में विनायक सावरकर ने पेरिस से बिल्कुल नई क़िस्म के स्वयं घूमने वाले बीस ब्राऊनिङ्ग पिस्तौलें मय कारतूस के मँगाईं और उन्हें चतुर्भुज अमीन के सामान के साथ उसके सन्दूक़ की तली के गुप्त ख़ाने में रख कर बम्बई भेज दिया। चतुर्भुज अमीन गणेश सावरकर के पकड़े जाने के लगभग एक सप्ताह बाद बम्बई पहुँचा। गणेश २८ फ़र्वरी को पकड़ा गया था—इसके पूर्व ही उसने अपने एक मित्र को सूचना दे दी थी कि पिस्तौलें आ रही हैं। २री मार्च को गणेश के घर की तालाशी ली गई और उन काग़ज़ पत्रों में, जो कि उसके घर के कार्निस में मिले, एक ६० पन्नों की अङ्गरेज़ी की घनी छपी हुई 'बम्ब हस्ता-मल्क' मिली जिसकी लीथो में छपी हुई नक़ल मानिकतल्ला, कलकत्ते में मिली है और जिसका ज़िक्र इस विवरण के बङ्गाल वाले अध्याय में है। सावरकर वाली प्रति मानिकतल्ला वाली

प्रति से कहीं अधिक सम्पूर्ण पुस्तक थी क्योंकि इसमें लेखों के समझाने के लिये बम सुरङ्ग और मकानों के ४५ चित्र भी थे।

नासिक के कलेक्टर मि० जैक्सन, जो कि हिन्दू रस्म-रिवाज के पण्डित थे, अपने उदार विचारों के कारण बहुत सर्वप्रिय और प्रसिद्ध थे। उन्होंने ही गणेश का मुक़दमा तय किया था। इसलिए गणेश के साथियों ने उनके ख़ून करने की ठान ली ताकि वे गणेश के दण्ड का बदला ले सकें। उनमें से किसी का भी इतना साहस न था, कि इस हत्या को स्वयं करते, इसीलिए उन्होंने औरङ्गाबाद से एक ब्राह्मण युवक को नासिक बुलाया और २१ दिसम्बर, सन् १९०९ को, जब कि उनकी विदाई में नासिक थिएटर में एक भोज दिया जा रहा था, उसने विनायक की भेजी हुई ब्राउनिङ्ग पिस्तौल से मि० जैक्सन का काम तमाम कर दिया!

इस हत्या के बाद पुलिस ने ज़ोर शोर से तहक़ीक़ात करनी आरम्भ कर दी और कितनी ही जगह तलाशियाँ और धर-पकड़ हुई। फल यह हुआ, कि एक षड़यन्त्र का पता चला, जिसका हाल गणेश सावरकर के अभियोग के दिनों किसी को मालूम न था। मि० जैक्सन की हत्या के कारण सात 'चितपावन' ब्राह्मणों पर अभियोग चला और उनमें से तीन को फाँसी लगी।

नासिक षड़यन्त्र

नासिक षड़यन्त्र में ३८ आदमियों पर, जिन में से ३७ ब्राह्मण थे और अधिकतर 'चितपावन' ब्राह्मण ही थे मुक़दमा

चलाया गया, उनमें से २७ दोषी ठहराये गये और उन्हें कारावास दण्ड मिला। इस मुक़दमे की गवाहियों से प्रतीत होता है कि विनायक सावरकर के विलायत जाने से पहिले ही 'मित्र मेला' जिसका हम पहिले ज़िक्र कर आये हैं 'तरुण भारत सङ्घ' या (यङ्ग इण्डिया सोसाइटी) बन गई थी। यह नाम मैज़िनी की 'यङ्ग इटली' से मिलता है और यह सम्भव है उसी ढङ्ग पर रक्खा गया हो। नि:सन्देह इस सभा के उद्देश्य विप्लववादी और विद्रोहात्मक थे।

उन सब गवाहों ने, जिन्होंने कि 'तरुण भारत सभा' के अन्तरङ्ग कार्यक्रम का वर्णन किया, उसके सभ्यों को जो शपथ लेनी पड़ती थी, उसका भी ज़िक्र किया है, और उन काग़ज़ पत्रों से, जो कि एक अभियुक्त के पास पाये गये थे; यह प्रमाणित होता है, कि सभा का उद्देश्य उस प्रकार के सङ्गठन को स्थापित करना था, जैसा कि रूसी क्रान्तिकारी मण्डलियों का होता है। सावरकर के सन् १९०९ में पकड़े जाने के बाद, जब उसके घर की तलाशी ली गई, तो फ़ॉस्ट की लिखी हुई "१७७६ से १८७६ वाले यूरोपीय विप्लवों की गुप्त सभाएँ" नामक पुस्तक की एक प्रति मिली जिसमें स्थान स्थान पर निशान लगे हुए थे, इस पुस्तक में लेखक ने रूसी अराजकों अर्थात् 'निहिलिस्टों' की उन गुप्त सभाओं का बयान किया है, जिनमें कि उनके सारे सभासद भी एक दूसरे को नहीं जानते। सभा उप-सभाओं में विभाजित होती थीं और उपसभा मण्डलियों में, इनमें से हर एक मण्डली के सभ्य भी एक दूसरे को न जानते थे और अपनी मण्डली के अतिरिक्त और किसी

सदस्य को पहिचानते तक भी न थे। इसी ढङ्ग पर नासिक षड़यन्त्र के लोग भी कितनी ही मण्डलियों में विभाजित हुए थे। सब एक ही शस्त्रागार से अस्त्र-शस्त्र लेते थे पर उनकी व्यक्तिगत जान-पहिचान दूसरी मण्डली के लोगों से नहीं थी। जब विनायक विलायत में था, तब उसने मैज़िनी की आत्म-कहानी का मराठी भाषानुवाद किया और अपनी भूमिका में मैज़िनी के राजनैतिक सिद्धान्तों का संक्षिप्त में सिंहावलोकन किया। उसने इसे अपने भाई गणेश के पास भेज दिया और गणेश ने अप्रैल, सन् १९०७ में इसकी २००० प्रतियाँ पूने के एक प्रेस से प्रकाशित करा डालीं।

भूमिका में यह कहा गया था, कि आवश्यकता इस बात की है, कि राजनीति को धर्म का दर्जा दिया जाय। शिवाजी के समय में महाराष्ट्र के सन्त रामदास का धर्म वही था, जो कि उन्नीसवीं शताब्दी में मैज़िनी की राजनीति थी, अन्तर केवल नाम का ही था। यह बतलाकर, कि मैज़िनी को स्वतन्त्रता प्राप्त करने में इटली के नवयुवकों का ही भरोसा था, उसने अपने प्रोग्राम का ज़िक्र किया और बतलाया कि वह युद्ध तथा प्रचार, दोनों का काम कैसे करना चाहता था। युद्ध की तय्यारी में ये बातें थीं कि अस्त्र-शस्त्र ख़रीद कर आस-पास के देशों में उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा में एकत्रित रक्खे जायँ—देश में जगह जगह पर एक दूसरे से थोड़ी थोड़ी दूर पर शस्त्र बनाने के गुप्त कार-ख़ाने खोले जायँ और गुप्त सभायें दूसरे देशों से हथियार मोल लेकर व्यापारी जहाज़ों द्वारा उन्हें मँगावे!

शहादत से यह भी पता चलता है--कि अगस्त और सितम्बर, सन् १९०८ में विनायक बम तथा अन्य भयानक अस्त्र सम्बन्धी टाइप की छपी हुई एक पुस्तक की नक़लें 'भारतीय भवन' में किया करता था। डाक द्वारा कितनी ही प्रतियाँ भारत में जगह जगह भेजी गईं। ज़िक्र किया ही जा चुका है, एक प्रति गणेश के घर की तलाशी में मिली, दूसरी हैदराबाद रियासत के रहने वाले और नासिक सभा के सदस्य तीखे नामक एक व्यक्ति के पास थी, तीसरी प्रति चञ्जेरी राव के पास से मिली, जब कि सन् १९१० में बम्बई आने पर उस की तलाशी ली गयी—इसे उसने विनायक से लन्दन में ही ली थी। विनायक ने उसे सर कर्ज़न वाइली के हत्यारे धींगरा की प्रशंसा में लिखी हुई 'बन्देमातरम्' नामक पुस्तिका भी दी थी। 'बन्देमातरम्' में सरुत शब्दों में राजनैतिक मार-काट का प्रचार किया गया था। हम इस के थोड़े से वाक्यों को नीचे उद्धृत करते हैं:—

"भारतीय और अङ्गरेज़ी अफ़सरों को डराओ। फिर क्या था, अत्याचार की मशीन जल्द ही ठण्डी पड़ जायगी। खुदीराम बोस, कन्हाईलाल दत्त और अन्य शहीदों की नीति पर डटे रहो। अङ्गरेज़ सरकार शीघ्र ही विध्वन्स हो जायगी—यह अकेले-दुकेले हत्या-काण्डों की मुहिम ही नौकरशाही को ठण्डा करने के लिए और जनता में जागृति पैदा करने के लिए सब से अच्छी है। व्यक्तिगत हत्याओं की नीति ही राजनैतिक क्रान्ति की प्रारम्भिक अवस्था में सब से श्रेष्ठ हुआ करती है।"

ग्वालियर षड़यन्त्र

पुलिस की तहक़ीक़ात से कुछ ऐसे पत्र-व्यवहार का पता चला जिसे कि गणेश सावरकर और जोशी नामक नासिक के एक और व्यक्ति ने ग्वालियर राज्य के षड़यंत्र-कारियों के साथ किया था।

ग्वालियराधिपति महाराज सिन्धिया एक बड़े मरहटे सरदार के वंशज हैं। इस खोज का यह फल हुआ, कि राज्य के इसी कार्य्य के लिये बनाए हुए एक विशेष न्यायालय में नव-भारत सभा नामक एक क्रान्तिकारी समुदाय के २२ ब्राह्मण सभ्यों पर और 'तरुण-भारत' सभा के १९ ब्राह्मण सदस्यों पर अभियोग चला। दोनों मामलों में बहुत से अभियुक्त दोषी पाये गए और उन्हें दण्ड मिला। ग्वालियर नव-भारत सभा के चौथे नियम में कहा गया है:—

"स्वतन्त्रता प्राप्ति के दो ही मार्ग हैं। शिक्षा और आन्दोलन; शिक्षा के ये अङ्ग हैं; स्वदेशी, बॉयकॉट, राष्ट्रीय-शिक्षा, मद्यपान का निषेध, धार्मिक व्यवहार, व्याख्यान, पुस्तकालय इत्यादि। आन्दोलन के अङ्ग चाँदमारी, खड्ग-विद्या, बम, डाइनामाइट बनाना, पिस्तौल जमा करना और अस्त्र-शस्त्रों का प्रयोग करना; सीखना, सिखाना। किसी प्रान्त में यदि बलवा शुरु करने का अवसर हाथ आजाय तो सबको स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिए साथ देना चाहिए। हमको पूरा विश्वास है कि आर्यावर्त फिर से अपनी खोई हुई स्वाधीनता प्राप्त कर सकता है। इस दुष्कर कार्य के करने के लिए हमें दुचन्द कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि संघर्ष

वाह्य और अन्तरङ्ग—दोनों प्रकार का होगा। आत्म-विश्वास स्वाधीनता की कुञ्जी है; हमें पूरा विश्वास है कि यदि तीस करोड़ जनता युद्ध के लिए तय्यार हो जाय, तो उन के आगे कोई खड़ा नहीं हो सकता। पहिले तो इस क़िस्म के विचार पैदा करने होंगे और तब विप्लव आरम्भ किया जायगा, स्वतन्त्रता का युद्ध साम, दाम, दण्ड, भेद की नीति के अनुसार चलाया जायगा।"

अहमदाबाद बम

बम्बई सूबे के उत्तर में गुजरात के मुख्य नगर अहमदाबाद में सन्, १९०९ की नवम्बर में एक ऐसी घटना हो गई, जिससे पता लगा कि वहाँ भी विद्रोह का केन्द्र है। जब कि वॉयसरॉय लॉर्ड मिण्टो अपनी स्त्री के साथ अहमदाबाद आये तो गाड़ियों पर सवारी में निकले, इस समय भीड़ में से किसी ने उनकी गाड़ी पर कुछ फेंका। बाद में पता चला कि वे नारियल के बने हुए दो बम थे जिस में से एक ने उस आदमी का हाथ उड़ा दिया; जिसने कि उन्हें सड़क पर पाया था।

सितारा षड्यन्त्र

सन्, १९१० में नासिक के ढङ्ग के एक और षड्यन्त्र का पता सितारा ज़िले में लगा। तीन ब्राह्मण युवकों पर, जिनमें से दो औंध के और एक कोल्हापुर का था; सम्राट् के विरुद्ध युद्ध करने का दोष लगाया गया। शहादत से पता चला, कि सन्, १९०७ में सितारे में एक सभा देश को स्वाधीन करने के लिये स्थापित हुई।

यह गुप्त सभा गणेश और विनायक सावरकर की तरुण-भारत सभा की शाख़ थी। अभियुक्तों में से एक तो बम बनाने का अभ्यास करता हुआ पकड़ा गया और दो के पास विप्लववादी साहित्य मिला। तीनों दोषी पाये गए और उन्हें क़ैद की सज़ा हुई।

पूने के पर्चे

पूना में सितम्बर, सन् १९१४ में दो आदमियों के पास, जिनमें से एक मरहठा और दूसरा ब्राह्मण था; उस छापे का सामान मिला, जिससे कि उन्होंने बहुत कुछ विद्रोही-साहित्य, जिसमें एक 'बम हस्तामलक' भी शामिल था, जिसमें कि नारियल के बम बनाने का ज़िक्र था, छापा था। साल भर से अधिक से ये लोग इन पर्चों की प्रतियाँ जगह-जगह बाँट रहे थे, जिनमें से बहुत से पूना के फ़रग्यूसन, कृषि, और साइन्स कॉलिजों में भेजे गए थे। उन्होंने ख़ूब भड़काने वाली चार 'स्वाधीनता' की पुस्तिकायें भी छापी थीं। जब कि चौथी बार वे बाँटी जाने वाली थीं, तब पुलिस को इस छापेख़ाने का पता लग गया।

एक पत्र, जिसे कि अभियुक्तों ने भेजा था, पहिली जनवरी, सन् १९१३ का, अर्थात् लॉर्ड हार्डिञ्ज के दिल्ली में बम से घायल होने के ठीक बाद का था। हस्ताक्षर के स्थान पर "बङ्गाल विप्लववादी" लिखा था और इसका नाम "महाराष्ट्र बन्धुओं का आवाहन" रक्खा गया था। इसमें यह प्रश्न किया गया था कि मरहठे चुपचाप क्यों बैठे हैं, ज्योंही महाराष्ट्र के कुछ

गणमान्य देशभक्त, दो वर्ष हुए पकड़े गये, उन्होंने भी स्वाधीनता प्राप्ति के लिये प्रयत्न करना छोड़ दिया। सारे देश की आँख महाराष्ट्र पर है और यह आशा है कि वह कोई असाधारण कार्य्य कर दिखायेगा। क्या यह आशा निराशा मात्र ही है? नङ्गा पर्वत से कन्या कुमारी तक सारा देश आश्चर्य्य-जनित हो गया है और पहिली जनवरी, १९१३ का दिन (दिल्ली बम-काण्ड दिवस) धन्य है, जब कि सारा देश एक सङ्घ के सूत्र में बँधा।

चितपावन ब्राह्मणों की स्थिति

इसके पूर्व कि हम अपने नतीजों को लिखें, हम यह उचित समझते हैं, कि कुछ शब्दों में चितपावन ब्राह्मणों की वर्तमान स्थिति का जिक्र करदें। पूना उनका केन्द्रस्थान है और उन्होंने सदा ही असाधारण विद्या-बुद्धि का परिचय दिया है। बम्बई प्रान्त के दो सब से बड़े राजनीतिशास्त्रवेत्ता रानाडे और गोखले तथा पूना-समाचार-पत्र-जगत् के अत्यन्त प्रभावशाली सम्पादक तिलक और पराञ्जपे उसी समुदाय में से हैं। पश्चिम-भारत के बहुत से योग्य अध्यापक और अफ़सर भी चितपावन ब्राह्मण ही हैं।

निस्सन्देह यह बात ठीक है, कि उस जाति के कुछ नवयुवक क्रान्तिकारी भावों से उत्तेजित हो कर राजनैतिक हत्या-काण्ड के मैदान में भी कूद पड़े; पर इस का यह अभिप्राय नहीं, कि सारी चितपावन ब्राह्मण जाति ही विद्रोही है।

हमारा निश्चय

बम्बई के ऊपर लिखे हुए विप्लववादी कार्यवाहियों को ध्यान में रखते हुए तथा इससे सम्बन्ध रखने वाले विद्रोही षडयन्त्रों के सम्बन्ध में हम इन नतीजों पर पहुँचे हैं :—

सब के सब षडयन्त्र ब्राह्मणों के, और विशेषतया चितपावन ब्राह्मणों के, थे। छप्पेकर-बन्धु और उनके सहकारी एकदम कट्टर हिन्दू थे और शायद इसी लिये मुसल्मान और अङ्गरेज़ों के विरुद्ध थे। उनके निश्चित राजनैतिक-उद्देश्य कुछ नहीं थे; केवल वे उन उपद्रवों के करने भर में बहुत दिलेर थे, जिनसे कि उन के विचार से अत्याचारी सरकार को दण्ड मिल जाय या जिनसे कि उनका अङ्गरेज़ों के विरुद्ध होना प्रमाणित हो। उनका विशेष अपराध अर्थात् रैण्ड-काण्ड उस समय अनूष्ठित हुआ, जब कि दक्षिण का सब से अधिक प्रभावशाली पत्रकार अपने पत्रों में ये बातें छाप रहा था, कि भारतीय-दण्ड विधान के परिमित क्षेत्र से निकल कर देश की स्वतन्त्रता के लिये कुछ कर निकलो! नासिक का सावरकर-षड़यन्त्र और दूसरी जगहों की छोटी छोटी बग़ावतें, वास्तव में नासिक केन्द्र से ही उठने वाले ज्वार-भाटे की लहरें थीं। इन सब का कारण भी लगभग एक-सा ही था। धार्मिक एवं जाति-विरोध की बंशी बजाने वाले पूना के चितपावन पत्रों के सरकार-विरुद्ध बिषैले लेख ही इस सब हलचल के विशेष प्रारम्भिक कारण हैं। आश्चर्य की बात तो तब होती, यदि ऐसी शिक्षाओं के प्रचार पर भी जाति के अपरिपक्क विचारवाले युवक भारत से बल-पूर्वक

पराया राज्य उखाड़ देने की चेष्टा न करते। पूना के गर्म दल का नेता तिलक था; परन्तु वे युवक, जिन्होंने कि गर्म सम्वाद-पत्रों की शिक्षा ग्रहण की, तिलक से भी दो क़दम आगे बढ़ गये थे! उन के लिये सावरकर-बन्धुओं ने उपयुक्त साहित्य की रचना कर दी और राजनैतिक मार-काट के मार्ग का दिग्दर्शन करा दिया! इस क़िस्म के अपराधियों के लिये तिलक के सम्वादपत्र साफ़-साफ़ तो उत्तेजना नहीं देते थे, परन्तु बहाना अवश्य खड़ा कर देते थे।

सावरकर-षडयन्त्र में से, यदि चितपावनों को निकाल दिया जाय, तो यह उल्लेख-योग्य भी नहीं रहता—पश्चिम-भारत के राजनैतिक अपराधों के इतिहास में शायद ही कोई और ऐसा फ़िरक़ा मिले, जिस के लोग ऐसे धन्धों में पड़े हों। इसी लिये यह षड़यन्त्र और इसके पुछल्ले सर्वथा असाध्य नहीं थे और न कोई ऐसा प्रमाण ही मिला है, कि इसका सम्बन्ध बङ्गाल या देश के अन्य भागों के विद्रोही षड़यन्त्रों से था।

१९१४ में तिलक की नीति

इस अध्याय को समाप्त करने से पहले यह आवश्यक है, कि हम अगस्त सन्, १९१४ में तिलक की, द्वीपान्तरवास दण्ड भोग चुकने के बाद प्रतिपादित की हुई घोषणा की ओर ध्यान आकर्षित करदें। इस में तिलक ने कहा है, कि राजराजेश्वर की सरकार के वरुद्ध मैं कोई शत्रुता नहीं रखता और मैं देश के भिन्न-भिन्न भागों में जो उद्दण्डता के कार्य्य हुए हैं, उन्हें बुरा समझता हूँ।

दूसरा अध्याय

बङ्गाल में विप्लववाद का प्रादुर्भाव

वारिन्द्र घोष की पहिली मुहिम

उस हलचल के कार्यक्रम और विस्तार को उचित रूप से समझने के लिए, जिसके कारण गत दस वर्षों में बङ्गाल में उद्दण्डता के काण्डों का बाज़ार गर्म रहा, यह आवश्यक है, कि हम उन प्रभावों एवं साधनों को समझें, जिनके अन्तर्गत इस आन्दोलन का सूत्रपात हुआ।

सन्, १९०२ में वारिन्द्र कुमार घोष नामक एक बङ्गाली हिन्दू युवक, जिसका जन्म सन्, १८८० में विलायत में हुआ था, परन्तु जो किशोरावस्था ही में भारतवर्ष में आ गया था, बड़ौदा से कलकत्ता आया; बड़ौदा में वह अपने बड़े भाई अरविन्द घोष के पास रहता था, जो उन दिनों गैकवाड़ कॉलिज के उप-अध्यक्ष थे। इनके स्वर्गीय पिता का नाम डा० के० डी० घोष था, जो कि एक सरकारी अफ़सर थे। अरविन्द का शिक्षण-दीक्षण प्रारम्भ ही से विलायत में हुआ था और वह केम्ब्रिज के क्लासिक्ल ट्रिपोस

की परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ था। तत्पश्चात् भारतीय सिविल सर्विस की परीक्षा में पास होने पर भी, अश्वारोहण में चतुर न होने के कारण, पास नहीं किया गया था। वारिन्द्र का बङ्गाल आने का उद्देश्य, जैसा कि उसने स्वयं बाद में लिखा, यह था कि क्रान्तिकारी आन्दोलन का सङ्गठन करके बल पूर्वक अङ्गरेज़ी राज्य को उलट दे। यह उद्देश्य तभी पूरा हो सकता था, जब कि इस कार्य के लिए प्राणपण से प्रयत्न किया जाय और इसकी प्रथम सीढ़ी गुप्त षड़यन्त्र हो। यह बहुत सम्भव है कि उसका ध्यान योरोपीय गुप्त सभाओं × के विभिन्न केन्द्रों की ओर गया हो और यह निश्चित है कि ऐसी ही सभाओं को बङ्गाल में चलाने के लिए उसने अपनी तरह अङ्गरेज़ी पढ़े 'भद्र लोगों' ही के बीच कार्य आरम्भ कर दिया। 'भद्र लोगों' में उसे कुछ ऐसी सभाएँ मिलीं, जिनका उद्देश्य शारीरिक उन्नति करना था। उसने कुछ और सभायें बनाईं और इनमें क्रान्तिकारी विचारों का प्रसार करने में कुछ हद तक कृतकार्य भी हुआ। परन्तु वह सन्, १९०३ ई० में बड़ौदा लौट गया, क्योंकि उसे अपने कार्य में

× "हरेक देश में ऐसे गुप्त स्थानों की भरमार है, जहाँ कि भली प्रकार से शस्त्र-रचना की जा सकती हैं × × × रूस में जो इतने सारे बम बने हैं और बन रहे हैं यह सब क्रान्तिकारियों के गुप्त कारख़ाने ही में बने हैं।"

—युगान्तर, १२ अगस्त, सन् १९०७

निराशा-सी ही रही। उसे यह दृढ़ विश्वास हो गया कि केवल राजनैतिक ढङ्ग के प्रचार से ही उसका काम नहीं चलेगा।

उसका कार्यक्षेत्र

बङ्गाल के भद्रलोग अर्थात् ऊँची जातियाँ शताब्दियों से शान्ति-प्रिय हो गई हैं परन्तु कलकत्ते जैसे महानगर के निकट होने के कारण यह लोग ही पाश्चात्य विद्या की महिमा को सब से पहिले समझे थे। इन लोगों में अधिक भाग हिन्दुओं का है और उनकी उन्नतिशील जातियाँ ब्राह्मण, कायस्थ और वैश्य हैं; परन्तु अङ्गरेज़ी विद्या के प्रसार के कारण और भी कितनी ही जातियों के लोग भद्र-लोगों के रहन-सहन की नक़ल करने लगे हैं। भद्र-लोग नगरों के अतिरिक्त ग्रामों में भी ख़ूब रहते हैं और इसलिए और प्रान्तों के अङ्गरेज़ी पढ़े लोगों से अधिक चारों ओर फैले हुए हैं। वे जहाँ भी रहते या बसते हैं, अपने बाल-बच्चों को अङ्गरेज़ी पढ़ा देने का प्रबन्ध कर देते हैं। इसका फल यह हुआ है कि बङ्गाल के गाँव और नगरों में ऐंग्लोवर्नाक्यूलर पाठशालाओं का, जिनमें कि बहुत सी स्वयं लोगों की अपनी खोली हुई हैं, एक जाल सा बिछ गया है। भारत में और कोई ऐसा प्रान्त नहीं है, जिसके गाँवों में अङ्गरेज़ी स्कूलों की ऐसी भरमार हो। इस का कारण एक तो यह है कि इनमें से बहुत से स्वयं भद्रलोगों के ही परिश्रम के फल हैं और दूसरे यह, कि अङ्गरेज़ी राज्य ज्यों-ज्यों बङ्गाल से उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ता गया, त्यों-त्यों पढ़े-लिखे बङ्गाली भी

बढ़ते गये। आरम्भ में तो सारे उत्तरीय-भारत के स्कूलों और दफ़्तरों में उनका ही बोल-बाला था और इसके अतिरिक्त यह और पारसी ही अपने लड़कों को बैरिस्टरी, डॉक्टरी तथा सिविल सर्विस की परीक्षा के लिये विलायत भेजने में अग्रगण्य थे। परन्तु ज्यों-ज्यों अन्य प्रान्तों की ऊँची जातियाँ अङ्गरेज़ी सीखती गईं, त्यों-त्यों इनका कार्यक्षेत्र भी परिमित होता गया। बङ्गाल में तो अब भी दफ़्तरों की क्लर्की और सरकारी राज्य-प्रबन्ध के नायब ओहदों पर 'भद्रलोगों' के अतिरिक्त और किसी की दाल नहीं गलती। वकालत, वैद्यक और शिक्षा विभागों में तो वे-ही-वे नज़र आते हैं। परन्तु इन सहूलियतों के होने पर भी और प्रान्तों में नौकरी की कमी उन्हें बहुत अखरी, क्योंकि उनकी शिक्षा अधिकतर केवल साहित्य सम्बन्धी ही होती है। भद्र-युवक लोग व्यवसाय, व्यापार और कृषि इत्यादि की ओर न जाना चाहते थे, अतएव उनकी शक्तियों के लिये नई नौकरियों के द्वार बन्द से ही पड़े रहे। जन-संख्या की वृद्धि और अत्याधिक लगान होने के कारण उनका भूमि-आधिपत्य भी कमज़ोर होता गया और इसका स्वभावतः फल यह हुआ, कि उनकी आर्थिक दशा बिगड़ती ही गई और दिनोंदिन नौकरी-पेशा लोग अधिक संख्या में मूल्य-वृद्धि के कष्टों के शिकार बनते गये। इधर तो हाल यह था, उधर पूर्व समय के धन, वैभव और समृद्धि की याद, और इसके साथ ही साथ पाश्चात्य सभ्यता के अनुसार जीवन-निर्वाह के लिए आवश्यक सुख की मात्रा से अधिक जानकारी ने उनकी बेचैनी को

और भी बढ़ा दिया और वह सोचने लगे कि बाबा! ऐसी मँहगी तो पढ़ाई और इतना थोड़ा वेतन! फल यह हुआ, कि ज्यों ज्यों अँग्रेजी पढ़े भद्र-लोगों की संख्या बढ़ती गई त्यों त्यों उनमें यह विचार दृढ़ होता गया, कि ऐसी दशा में जीवन-निर्वाह करना उचित नहीं। भारतीय राजनैतिक आन्दोलनों के सहायकों में 'भद्र-लोग' सदा से अग्रगण्य रहे हैं और उनके नेता संसार की घटनाओं का ध्यानपूर्वक अवलोकन करते रहे हैं। बङ्गाल की बहु-संख्यक जनता 'भद्रलोग' नहीं, वरन कृषक है और पूर्वीय भाग में तो विषेशतः मुसलमान ही हैं। किसान लोग खेती-बाड़ी, मुक़दमेबाजी और धार्मिक धन्धों ही में लगे रहते हैं, इसलिये, वारिन्द्र ने इनमें नहीं, प्रत्युत अपने ही समुदाय, अर्थात भद्र-लोगों में ही कार्यारम्भ किया था। जब कि सन् १९०४ में उसने पुनः कार्य उठाया, इस समुदाय के दृष्टिकोण में कई बलिष्ठ सहायक प्रभावों के कारण गहरा उलट-फेर हो चुका था।

अन्य प्रभाव

सन् १८८६ में बङ्गाली परमहँस रामकृष्ण का स्वर्गारोहण हुआ। निसन्देह वह एक अध्यात्म-रत धार्मिक व्यक्ति थे, उन्होंने दृढ़ता से हिन्दू-धर्म का मण्डन किया। परन्तु इस बात का प्रचार किया कि सब धर्म सत्य हैं, सब देवी देवता एक निराकार जगदाधार के स्वरूप मात्र हैं और ब्राह्मणों का अन्त्यजों से घृणा करना भूल है। उनके विचार में ईश्वरीय शक्ति की देवी काली है,

यद्यपि उसका दूसरा कार्य जगत का संहार भी है; काली ही उनकी जननी है और ब्रह्माण्ड की उत्पादिका है। वे कहते थे, कि मैं मूर्ति-पूजा इसलिए करता हूँ, कि मूर्ति में भी तो जगदाधार व्यापक है। उनका कहना था कि सामाजिक सेवा करो, संसार का उपकार होगा। उन्होंने सन्, १८८६ में शरीर त्याग किया और उनके बाद उनके कुछ शिष्यों ने—जिनमें कि ख़ास, एक बी० ए० पास नरेन्द्र नाथ नामक 'भद्रलोग' युवक था, उनके सिद्धान्तों का प्रचार किया। यही नरेन्द्र नाथ बाद में विवेकानन्द नाम से प्रसिद्ध हुआ। नरेन्द्र नाथ दत्त संन्यासी बन गया और शिकागो (अमेरिका) की धार्मिक महासभा में हिन्दू-धर्म का प्रतिनिधि होकर सम्मिलित हुआ, वहाँ उसने अपना प्रभाव जमा लिया और हिन्दू वेद-शास्त्रों के अध्ययन के लिये वेदान्त सभाएँ स्थापित कर दीं। वह सन्, १८९७ में कुछ थोड़े से भक्तों के साथ भारतवर्ष लौट आया और बहुत से पढ़े-लिखे हिन्दुओं ने उसे हिन्दू धर्म का रक्षक और अवतार का स्थान दिया। उसने राम-कृष्ण मिशन की देखरेख में धार्मिक और सर्वोपयोगी मठ स्थापित किये और अपने गुरु से भी आगे बढ़कर यह घोषणा करदी, कि संसार का भावी धर्म वेदान्त होगा, और यद्यपि भारत आज-कल पराधीन है तथापि उसे संसार का धार्मिक रक्षक बनना होगा।× शक्तिसागर की सहायता से भारतीय स्वतंत्रता के

× "ऐ भारत ! क्या तू इन्हीं साधनों द्वारा सभ्यता और महानता के शिखर पर चढ़ सकेगा ? क्या तू अपनी लज्जाजनक भीरुता से ही

लिये चेष्टा करनी होगी। विवेकान्द की मृत्यु सन् ,१९०२ में होगई; परन्तु उनके लेख और शिक्षाओं का अब भी प्रचार है, रामकृष्ण मिशन ने उन्हें सर्वप्रिय बनाने की चेष्टा की है और बहुत से हिन्दुओं पर उनका बड़ा प्रभाव पड़ा है। हमारे पास ऐसे बहुत से प्रमाण हैं जिससे यह स्पष्ट विदित होता है कि वारिन्द्र और उसके अनुयाइयों ने अपनी कार्य-सिद्धि के लिये इस प्रभाव को तोड़ा-मरोड़ा, यही हाल उस भगवद्गीता का हुआ, जिसका निर्माण कि जग्दीश्वर के अवतार श्री कृष्ण ने, सहस्रों वर्ष हुए, कुरुक्षेत्र की रणभूमि में किया था और जिसका वर्णन महाभारत में है।

परन्तु न तो विवेकानन्द की धार्मिक शिक्षा और न श्रीकृष्ण की भगवद्गीता की ललकार ही वारिन्द्र की ऐसी सहायक हो सकती, यदि सारा संसार—और विशेष कर एशियाई प्राच्य-जगत—जापान के रूस विजय से ऐसे समय में सजग न हो जाता, जबकि स्वयं इस देश में ही सरकार के कुछ कार्यों से एक नई अशान्ति की आधार-शिला रक्खी जा रही थी।

इस शताब्दी के आरम्भ में ही वॉयसरॉय लॉर्ड कर्जन के यूनिवर्सिटी बिल ने वादविवाद की एक आँधी चला दी थी और

उस स्वाधीनता की प्राप्ति करेगा, जिसे कि केवल योद्धा और वीर ही पाते हैं × × × ऐ शक्तिसागर ! मेरी दुर्बलता दूर कर ! मेरी नामर्दी को हटा, और मुझे वास्तविक मनुष्य बनादे !" विवेकानन्द ग्रंथावली चौथा भाग, मायावती संस्करण पृष्ठ १७०—७१

राजनीतिज्ञ लोग यह कहने लग गये थे कि बिल का वास्तविक अभिप्राय राष्ट्रीयता के वेग को रोकने के लिये भारतीयों के अङ्गरेज़ी पढ़ने में अड़चन पैदा करना है। बङ्गाल में, जैसा कि हम ऊपर लिख ही चुके हैं, अङ्गरेज़ी का बड़ा प्रचार था इसलिये वहाँ घोर प्रतिवाद हुआ और जब कि वाद-विवाद चल ही रहा था, सरकार ने बङ्ग-भङ्ग का निश्चय किया। इस आन्दोलन से पिछली कार्रवाई से उत्पन्न अशान्ति पर घृताहुति पड़ने लगी और वारिन्द्र और उसके मित्रों को एक दुष्प्राप्य अवसर हाथ लग गया।

बङ्ग-भङ्ग

उन दिनों बङ्गाल, बिहार और उड़ीसा प्रान्त, जिनकी जन-संख्या सात करोड़ अस्सी लाख है, मय कलकत्ते की राजधानी के एक ही छोटे लाट के आधीनता में थे। लॉर्ड कर्ज़न और उनके परामर्शदाताओं का यह विचार हुआ कि वर्तमान समय और उस समय में, जब कि यह सूबा बनाया गया था, बहुत भेद हो गया है; जन-संख्या में बड़ी उन्नति हो गई है। व्यापार और व्यवसाय भी खूब चमक उठा है, राजकाज भी अधिकाधिक कठिन होने लगा है, शिक्षित समुदाय भी बढ़ता ही जा रहा है और यह लोग राजनीति में पड़ने लगे हैं, साथ ही साथ सरकार निर्बल होती जा रही है। प्रान्त में उपयुक्त संख्या में कर्मचारी नहीं हैं, अङ्गरेज़ी और भारतीय कर्मचारियों को अत्याधिक परिश्रम करना

पड़ता है, धन की मात्रा प्रर्याप्त न होने से बेचारा राजविभाग भी सूखी चिनाई ही करता है तथा रेल तार और सड़कों की दशा भी शोचनीय है। ये त्रुटियाँ पूर्वीय ज़िलों में तो, जिनकी प्राकृतिक बनावट ही असाधारण है, विशेषतया उपस्थिति थीं। सन् १९१३-१४ की बङ्गाल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिसट्रेशन कमिटी ने उनका वर्णन इस तरह किया है :—

"हमारी जानकारी में सारे देश में और कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जहाँ कि रेल, तार, सड़क इत्यादि ऐसे अपर्याप्त और उनका बनाना ऐसा दुष्कर हो। यहाँ के बड़े बड़े नदी नाले, और कड़ी बरसात के कारण, यदि इस पूर्वीय प्रान्त को जल-प्रदेश कहें तो उचित होगा। पैदावार यहाँ जूट और चावल की होती है और थोड़े से छोटे-छोटे शहरों के अतिरिक्त यहाँ का असंख्य जन-समुदाय अधिकतर छोटे छोटे गाँवों में ही रहता है जो कि चारों ओर बसे हैं। ग्राम अधिकतर दलदलों के समीप या घूम-घुमैले जल-प्रवाहों के तट पर बसे होते हैं और किसी ऊँचे से स्थान पर बने हुये पाँच-चार झोपड़ों के सिवा उनमें और कुछ नहीं होता। अधिकतर घर झाड़ियों, फल-वृक्षों और झङ्खाड़ों के बीच छिपे होते हैं। बरसात में गाँव के गाँव जलमग्न हो जाते हैं, और कभी कभी वे घर, जो कि ऊँचे स्थानों पर होते हैं, चारों ओर से पानी से घिर जाने पर द्वीप-से दीखने लगते हैं और केवल बड़ी सड़कें ही शायद पानी के बाहर रह पाती हैं; किश्तियाँ चलने लगती हैं और पानी के पास-पास हाट लग जाते हैं।"

लॉर्ड कर्ज़न के राज्य-काल के अन्तिम दो वर्षों में बङ्गाल के

दो भागों में विभाजित करने के प्रस्ताव पर कड़े वाद-विवाद हुए। भारत-सरकार इस बात पर अड़ी रही कि दो भाग करना नितान्त आवश्यक है; परन्तु कलकत्ते के राजनैतिक नेता बङ्ग-भङ्ग के एक दम विरुद्ध थे। जबकि सरकार ने यह कहा, कि राज-काज को अधिक सुन्दर और सुगम बनाने के लिये ही ऐसा किया जा रहा है, तो हिन्दू राजनीतिज्ञ और समाचार पत्र, इस बात का ढिंढोरा पीटने लगे, कि यह सब तो केवल बङ्गाली राष्ट्रीयता और बङ्गाली हित के नीचे सेंध लगाने के लिये किया जा रहा है। लॉर्ड कर्ज़न पूर्वीय प्रान्त में गए, बहुत ऊँच-नीच के बाद यही स्थिर हुआ, कि यह एतराज़ भ्रम-मूलक है और बङ्गाल के टुकड़े अवश्य किये जाँय।

जुलाई, सन् १९०५ में घोषणा कर दी गई, और अक्टूबर में यह आज्ञा काम में लाई गई और बिहार-उड़ीसा, पश्चिमी-बङ्गाल और पूर्वीय-बङ्गाल व आसाम के दो सूबों ने अपनी संक्षिप्त जीवन-यात्रा में प्रवेश किया।

स्वदेशी आन्दोलन

परन्तु राजनीतिज्ञों ने निश्चय कर लिया कि आशा छोड़ देने का कोई कारण नहीं, एक वृहद् आन्दोलन सङ्गठित किया जाय, तब यह सम्भव है कि उसके ज़ोर पर यह घृणित आज्ञा रद्द हो सके। दोनों प्रान्तों में, और विशेषकर पूर्वी प्रान्त में, एक अपूर्व कटुतापूर्ण आन्दोलन रचा गया। पत्रों, पुस्तिकाओं और भाषणों

द्वारा यह घोषणा की गई कि हमारी सुविख्यात, सुजला, सुफला जन्मभूमि बङ्गाल अब नष्ट-प्राय हो गई है और उसके बच्चों के घोर प्रतिवाद करने पर भी अब उसके दो टुकड़े किये जा रहे हैं। हमें यह उचित है कि अङ्गरेज़ी वस्तुओं का वहिष्कार करदें जिससे कि विलायत वाले हमारी बातें सुनने पर वाध्य हों। हमें निश्चय ही अब अपनी वस्तुएँ आप बनानी चाहिएँ। जो लोग और ज़ोरदार थे वे और भी आगे बढ़ गये, वे बङ्गालियों के इस अनादर-सहन और रूस जापानी मामलों का मुक़ाबला करने लगे और कहने लगे कि क्या बङ्गालियों में धर्म और देशभक्ति का नाम भी नहीं रहा ? इस समय शक्ति की देवी काली का आवाहन और महाराष्ट्र वीर शिवाजी के कार्यों पर विचार करना उचित है, हमको चाहिये कि अब विदेशी सरकार से पूरा और पक्का बदला लेने के लिये विदेशी वस्तुओं का वहिष्कार करदें और स्वदेशी वस्तुएँ बनावें।

शिवाजी का मत बम्बई वालों से ग्रहण किया गया और यद्यपि स्वयं बाल गङ्गाधर तिलक कलकत्ते आये और एक शिवाजी उत्सव में यह कहा कि भारतवासियों को फिर से सफलता और महत्व के मार्ग पर आरुढ़ करने के लिये शिवाजी अवतरित होंगे, इस मत का कुछ प्रचार न हुआ। उस समय से एक बङ्गाली गीत जिसका नाम 'बन्देमातरम्' अर्थात् जै मातृभूमि था और जो कि वास्तव में एक सर्व-प्रिय बङ्गाली उपन्यास में से लिया गया था, प्रसिद्ध हो गया। यह उपन्यास वर्षों पहले लिखा जा चुका था और

अभी तक इसने कोई विशेष ढङ्ग पर जोश नहीं भड़काया था पर अब तो यह राष्ट्रीय गान बन गया। बॉयकॉट का नगरों और गाँवों में प्रचार किया गया और इसे कार्य रूप में परिणित करने के लिये विद्यार्थियों और स्कूल के लड़कों को तैनात किया गया। स्वदेशी वस्तु बनाने के लिये झट कल और कारखाने खोल दिये गये जिनमें कि बहुत से ऐसे लोग भी लग गये, जिनका राजनीति से कोई सम्बन्ध नहीं था।

यह अन्दोलन हिन्दू आन्दोलन था और इसका ज़ोर 'भद्र-लोगों' पर ही निर्भर था। मुसल्मान लोग, जो कि पूर्व बङ्गाल में बड़ी संख्या में हैं, इससे सख्त नाराज़ थे और इसलिये १९०६-१९०७ में उस प्रान्त में हिन्दू और मुसलमानों में बहुत वैमनस्य हो गया। वहिष्कार और लड़कों और विद्यार्थियों के दूकानों पर तैनात होने के कारण स्वभावतः दङ्गे-झगड़े हो उठते। दोनों बङ्गालों में यह बार बार कहा जाता, कि मुसलमानों को हिन्दुओं के विरुद्ध सरकार खड़ा कर देती है और बहुत लोग इस पर विश्वास कर लेते। फल यह हुआ, कि पढ़े-लिखे हिन्दुओं में असाधारण कटुता के भाव फैल गये।

वारिन्द्र की दूसरी मुहिम—उसके उद्देश्य

बङ्ग-भङ्ग का आन्दोलन आरम्भ हो गया था, जब कि वारिन्द्र सन्, १९०४ में फिर से अपनी मुहिम उठाने आया। वह स्वयं नौजवान था और ज़्यादातर जवानों से ही, जो कि पहले

से ही असाधारण तौर पर सार्वजनिक राजनीति में पड़कर भड़के हुये थे, अपील करता था। यही उचित है, कि उसी के मुँह से उसके उद्देश्य और कार्यक्रम का वर्णन सुना जाय। २२ मई, सन् १९०८ को उसने एक मैजिस्ट्रेट के सम्मुख बयान दिया कि—

"बड़ौदा में मैं इतिहास और राजनीति-शास्त्र का अध्ययन किया करता था। वहाँ साल भर रहने के बाद राजनैतिक मिशिनरी के तौर पर भारतीय स्वतन्त्रता के लिए मैं बङ्गाल में प्रचार करने के लिए आया और ज़िले-ज़िले घूम कर व्यायामशालायें स्थापित कराईं। वहाँ नव-युवक व्यायाम और राजनीति सीखने के लिए जुटते थे। मैं भारतीय स्वाधीनता के लिए लगभग ३२ वर्ष तक प्रचार करता रहा और इस समय में मैं क़रीब क़रीब बङ्गाल के हर एक ज़िले में हो आया। मैं भी यह कार्य्य करते करते थक गया और अध्ययन करने के लिए फिर साल भर के लिये बड़ौदा चला गया। मैं फिर बङ्गाल आया, मेरा दृढ़ विश्वास हो गया था कि केवल राजनैतिक प्रचार से ही देश का कार्य नहीं चलेगा, इसलिए जनता में धार्मिक बलिदान का मन्त्र फूँका जाय, पर मेरा विचार यह न था, कि कोई धार्मिक संस्था स्थापित की जाय। बस इन दिनों बॉयकॉट और स्वदेशी आन्दोलन भी आरम्भ हो गया। मैं ने यह विचार किया कि कुछ लोगों को स्वयं शिक्षा दूँ इसलिए मैं ने ये थोड़े से लोग जमा किए, जो कि आज पकड़े हुए हैं। अपने मित्र अविनाश भट्टाचार्य और भूपेन्द्रनाथ दत्त की सहायता से मैंने 'युगान्तर' पत्र स्थापित किया। हमने इसे लगभग डेढ़ साल चलाया

और फिर इसके वर्त्तमान सञ्चालकों को दे दिया। इसके बाद मैं फिर रिक्रूटिङ्ग के काम में लग गया; सन्, १६०७ के आरम्भ से अब तक (१६०८) मैं ने क़रीब १४,१५ नवयुवक इकट्ठा कर लिए; मैंने इन युवकों को धार्मिक और राजनैतिक शिक्षा दी। हमारा विचार सदा ही एक दूरदराज़ में होने वाले राज्य-विप्लव की ओर लगा रहता है और हम उसके लिए तैयार होना चाहते हैं। उसके वास्ते हम थोड़ा-थोड़ा करके अस्त्र-शस्त्र एकत्रित करते रहते हैं। मैंने इन दिनों में ११ पिस्तौलें, ४ राइफ़लें और एक बन्दूक़ जमा कर ली हैं, जो युवक मेरी इस मण्डली में प्रविष्ट होने के लिए आये, उनमें से एक उल्लास्कर दत्त भी था। वह कहने लगा, कि चूँकि मैं आप लोगों से मिलकर काम करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने बम तथा बारूद का बनाना सीख लिया है, मेरे घर पर एक छोटी सी प्रयोगशाला है और उसी में मैं प्रयोग किया करता हूँ, मेरा पिता भी इस बात को नहीं जानता। मैंने स्वयँ इस प्रयोगशाला को कभी नहीं देखा, केवल उसने ही इसका ज़िक्र किया था। उसकी सहायता से हम लोग मुरारीपुर रोड की नं० ३२ वाली कोठी के उद्यान-भवन में थोड़ा थोड़ा बारूदी सामान बनाने लगे, इन दिनों हमारा एक और मित्र हेमचन्द्र दास अपनी कुछ सम्पत्ति बेचकर मेकेनिक्स, और यदि सम्भव हो, तो बम तथा बारूद का काम सीखने के लिये पेरिस चला गया। जब कि वह लौट आया तो मैं उल्लास्कर दत्त के साथ बम और बारूदी सामान बनाने में लग गया परन्तु यह हमारी धारणा कभी नहीं थी, कि राजनैतिक हत्याकाण्डों से ही देश मुक्त हो जायगा। हम इन्हें केवल

इसलिए करते हैं, क्योंकि हमारा विश्वास है, कि लोगों को इसकी आवश्यकता है।"

जबकि वारिन्द्र से पूछा गया कि तुम्हारे पकड़े जाने के समय वे लोग जो तुम्हारे घर पर थे क्या कर रहे थे, उसने उत्तर दिया कि "मैं और उपेन्द्र नाथ उन्हें धार्मिक और राजनैतिक ग्रन्थों की शिक्षा दे रहे थे।"

उसके और दूसरे सहकारियों के बयानों से भी उन विचारों का पता चलता है, जिनसे उत्तेजित होकर प्रारम्भिक क्रान्तिकारी कोशिशें की गईं। उपेन्द्रनाथ बैनर्जी के बयान में यह लिखा है:—

"मेरा ख़याल यह था, कि हिन्दुस्तान में कुछ लोग ऐसे हैं, जो धर्म के नाम पर सब कुछ कर डालेंगे पर वैसे कुछ भी न करेंगे; इसलिये मैंने इस कार्य्य में साधुओं से काम लेना चाहा, साधुओं के हाथ न लगाने पर मैंने स्कूली विद्यार्थियों का सहारा लिया और उन्हें धार्मिक, राजनैतिक और सदाचार सम्बन्धी शिक्षा देना आरम्भ किया। उस समय मैं अधिकतर इसी काम में लगा रहा, कि लड़कों को स्वदेश और स्वाधीनता सम्बन्धी शिक्षा दूँ और इस बात का प्रचार करूँ, कि स्वाधीनता-प्राप्ति का एक मात्र मार्ग यही है कि गुप्त सभाएँ स्थापित करके प्रचार किया जाय और विप्लव की तैयारी पूरी न हो जाने तक हथियार एकत्रित किये जायँ। मैं जानता था कि वारिन्द्र, उलास्कर और हेमचन्द्र, हमारे कार्य्य में कण्टक रूप अप्रिय सरकारी अफ़सरों को, जैसे कि छोटे लाट और मि० किंग्सफ़र्ड को उड़ा देने के लिये बम रचना में तन्मय थे।"

११ मई, १९०८ को ऋषीकेश काँजीलाल ने कहा "मैं अध्यापक

हूँ × × चन्द्रनगर के उपेन्द्र ने मुझे 'युगान्तर' की कुछ प्रतियाँ दिखाई और मैंने उन्हें पढ़ा, मैंने निश्चय कर लिया कि देश को अवश्य स्वाधीन करना चाहिये, मैंने उपेन्द्र से कहा कि 'युगान्तर' कार्यालय में जाकर पता लगाओ कि क्या कलकत्ते में वास्तव में ऐसा कोई सङ्गठन है, जिसका उद्देश्य देश को विदेशियों के पञ्जे से मुक्त करना हो। अगले दिन मैं 'छत्र' चला गया और मैंने यह स्थिर कर लिया कि शिक्षा विभाग में कार्य्य करूँगा जिससे कि मैं लड़कों में इस बात का प्रचार कर सकूँ कि अङ्गरेज़ों ने हमारे देश को सरासर मिथ्या और दुरङ्गी चाल के सहारे से ही जीत रक्खा है। मुझे भद्रेश्वर अङ्गरेज़ी हाई स्कूल में स्थान भी मिल गया।"

एक दूसरे सहयोगी ने कहा :—

"जब कि सरकार ने बङ्ग-भङ्ग के समय हमारी अर्ज़ी-मिन्नतों को न सुना तो हमने स्वतन्त्रता प्राप्ति की चेष्टा आरम्भ कर दी, मेरा दिल तो 'युगान्तर' पत्र पढ़कर सहम उठा था।"

इस बात का ध्यान रखना चाहिये, कि जो वाक्य हमने उद्धृत किये हैं, वे उन बयानों में से किये हैं, जिनके सम्बन्ध में बङ्गाल के मुख्य विचारपति ने यह कहा है, कि इन बयानों की प्राप्ति में 'किसी प्रकार के अनुचित दबाव अथवा प्रभाव के प्रयोग का सन्देह तक भी नहीं हो सकता' इसलिये हम साफ़ इस निश्चय पर पहुँचते हैं, कि वारिन्द्र और उसके सहकारियों का उद्देश्य यह था, कि बङ्गाल के अङ्गरेज़ी-पढ़े युवकों के दिल में यह बात जमादें, कि अङ्गरेज़ी राज्य की बुनियाद धोखेबाज़ी और

अत्याचार पर क़ायम है, और धर्म तथा इतिहास यही बताता है कि इसे उखाड़ फेंका जाय। अङ्गरेज़ों को आख़िरकार देश से निकाल भगाना ही चाहिये; परन्तु अभी तो धार्मिक, शारीरिक और शिक्षा सम्बन्धी कठिन नियमों पर चलाने वाला एक ऐसा कट्टर सङ्गठन बना देना चाहिये जो कि अफ़सरों को प्राण दण्ड दे और अपना काम हिन्दुस्तानियों को ही लूटकर चलावे। बेचारे शान्त-प्रकृति हिन्दुस्तानियों को लूटना नितान्त आवश्यक है, यह भी बड़े-बड़े, परन्तु असन्तोषजनक तर्कों से सिद्ध किया गया।

यह बात स्पष्ट है कि एक ऐसे देश में, जहाँ कि पुत्र पिता ही के व्यवसाय की ओर झुकता है, यह बहुत ही दुष्कर था कि वकीलों, व्यापारियों, अध्यापकों और क्लर्कों के लड़कों को हत्यारों की मण्डलियों में शामिल कर लिया जाय, यह भी स्पष्ट है कि इतना घोरतम परिवर्तन केवल यही कहने से न हो जायगा, कि अजी हम ख़ूने नाहक़ थोड़े ही करते हैं, हम तो वीरतापूर्ण शोणित काण्डों के कर्त्ता हैं। नहीं, यह कह देना बस होगा, कि वह शान्त और न्यायप्रिय जनता, जो कि कुछ ही वर्ष हुए विप्लववादियों की बातों का एकदम जवाब भी न देती थी, अब एकाएक अफ़सरों के ख़ून की प्यासी हो गई है। मनोवाञ्छित कार्य्य सम्पादन करने के लिये यह अनिवार्य था, कि सन्तोष के साथ निरन्तर असाधारण ढङ्गों से कार्य्य किया गया हो। हम अगले बयान में दिखलायँगे कि इसी प्रकार के ढङ्ग कार्य्य में लाये गए।

सार्वजनिक विचारों को बदलने के ढङ्ग

सहयोगियों ने शिक्षोन्नति के लिये एक 'अनुशीलन समिति' नामक संस्था स्थापित की। शीघ्र ही एक सभा पश्चिमीय और पूर्वीय बङ्गाल की राजधानी कलकत्ते और ढाके में सङ्गठित हो गई। उनकी शाखा प्रतिशाखा चारों ओर फैल गई। एक समय में तो ढाका अनुशीलन समिति की गावों और नगरों में पाँच सौ उप-सभाएँ हो गईं। इन सभाओं के अतिरिक्त और भी छोटे मोटे कई समूह बन गये, परन्तु सब के सब एक ही विद्रोही उद्देश्यों पर चलते थे और मिलकर इस बात का प्रयत्न करते थे कि कैसे उनके सहायक बढ़ें और उनका काम सहज में ही चल निकले। विद्रोही वायुमण्डल के बनाने के लिये जनता में समाचार पत्रों, गीतों, गुप्त सभाओं और साहित्य-प्रचार द्वारा नवीन लोकमत का सङ्गठन किया जाता था। "अशान्ति ख़ूब फैलानी चाहिये इसलिये धन्य अशान्ति! धन्य असन्तोष! तेरा ही ऐतिहासिक नाम बलवा है।" × दुर्दैव से पहिले ही बङ्गाल के दोनों भागों में सार्वजनिक अशान्ति की कमी न थी, परन्तु वारिन्द्र और उसके सहकारियों को और भी उद्दण्ड और चिरस्थाई असन्तोष की आवश्यकता थी। अरविन्द घोष उसकी सहायता

× ११ अप्रैल, १९०७ के 'युगान्तर' में "अशान्ति! तेरा स्वागत है" शीर्षक लेख देखो। अलीपुर षड्यन्त्र अभियोग के हाईकोर्ट के फ़ैसले में इसका ज़िक्र है।

के लिए बड़ौदा से आ ही पहुँचा था, सो घोष-बन्धु और उनके अन्तरङ्ग सहयोगियों ने कितने ही समाचार-पत्र निकालने शुरू कर दिये जिनमें सब से अधिक सर्व-प्रिय और सरल बङ्गला भाषा में निकलने वाला पत्र 'युगान्तर' अर्थात् 'नवयुग' था। मार्च, सन् १९०६ में इस पत्र ने जातीय द्वेष फैलाना आरम्भ कर दिया, सन् १९०७ में इसकी ग्राहक संख्या ७००० हो गई और तुरन्त ही यह और भी टाँगें फैलाने लगा। आख़िरकार सन्, १९०८ में नव-प्रचलित समाचार-पत्र-कानून के द्वारा बन्द किया गया। इस समय बङ्गाल के मुख्य न्यायमूर्ति सर लॉरेन्स जैनकिन्स ने इसकी विवेचना करते हुए, जो अलीपुर मैजिस्ट्रेट के निम्न लिखत वाक्य उद्धृत किये हैं, वह निश्चय ही उसकी शिक्षा और शैली के सम्बन्ध में सोलहों आना सत्य है :—

उन शिक्षाओं में अङ्गरेजों के प्रति भयानक घृणा भरी है, उनकी प्रत्येक पंक्ति रेवोल्युशन अर्थात् राज्यक्रान्ति के रङ्ग से रँगी है; वह बताती है कि राष्ट्र-विप्लव किस प्रकार से किया जा सकता है, कोई भी ऐसी मक्कारी और दोष नहीं था, जिनके द्वारा देश के लोग, या कम समझ नौ-उम्र लड़के भड़क जायँ, जिसकी शरण न ली गई हो।" हम यहाँ उस समय के 'युगान्तर' से दो वाक्य उद्धृत करते हैं जबकि यह अपनी जीवन-लीला के मध्याह्न-काल में पहुँच चुका था और जिनमें कि यह अपने सहस्रों पाठकों को यह बताता था कि विप्लववादी क्रान्ति किस प्रकार कर डालना चाहिये। पहला लेख १२ अगस्त, सन् १९०७ में प्रकाशित हुआ

था। इसमें पहले तो खुलासा तौर पर यह लिखा गया कि पूर्णतया गुप्त रीति से कार्य किया जाय तो इन इन तरीक़ों पर अस्त्र-शस्त्र तैयार किये जा सकते हैं और बम बनाये जा सकते हैं, "परन्तु सैनिक-बल-संग्रह की एक और अच्छी रीति है—रूस की राज्य-क्रान्ति में स्वयं ज़ार की सेना में बहुत से क्रान्तिकारियों के सहकारी हैं, यह षड़यन्त्री सेनायें, ज्योंही विप्लव आरम्भ होगा, क्रान्तिकारियों से मिल जायँगी। फ्रान्स की क्रान्ति में भी यह कार्य प्रणाली ख़ूब ही सफल हुई। जबकि शासक विदेशी हों, तब तो क्रान्तिकारियों को और भी आराम है; क्योंकि शासकों की अधिक सेना शासितों में से ही होती है। यदि विप्लववादी इन देशी सिपाहियों में गुप्त रीति से स्वतन्त्रता का मन्त्र फूक दें तो बड़ा काम हो सकता है। शासकों से खुल्लम-खुल्ला युद्ध करने का समय आ जाने पर यही नहीं, कि केवल इतने सैनिक सहायता को मिल जायँगे, वरन् वे अस्त्र-शस्त्र भी हाथ लग जाते हैं, जिनसे कि शासकों ने उन्हें सुसज्जित किया था। इसके अतिरिक्त यदि अङ्गरेज़ों के दिल पर पूरी तौर पर यह दहशत जमा दी जाय तो उनका सारा जोश और हिम्मत ठण्डा पड़ जायगा।" दूसरा लेख उसी महीने की २६ वीं तारीख़ को निकला था। यह एक 'मस्ताने योगी' का लिखा हुआ पत्र है, जिसकी नक़ल नीचे दी जाती है :—

"सम्पादक महोदय !

मैंने सुना है कि आपके पत्र की प्रतियाँ हज़ारों की संख्या में बाज़ार में बिकती हैं। यदि १२००० प्रतियाँ भी शाया होती हों, तो

लगभग ६०,००० लोग उन्हें पढ़ते होंगे, मैं इन साठ हज़ार लोगों को अपनी बात सुनाने की प्रबल इच्छा को नहीं रोक सकता, इसलिये मैं अपनी लेखनी को समय से पूर्व ही कष्ट देता हूँ × × × × मैं मतवाला हूँ, पागल हो गया हूँ और जोश का उपासक हूँ। मेरे आनन्द की सीमा नहीं रहती, जब कि मैं चारों ओर जोश और अशान्ति का साम्राज्य पाता हूँ—सो अब असम्भव है कि मैं गूँगों और बहरों के समान चुपचाप बैठा रहूँ, लूट की ख़बरें मुझे हर तरफ़ से मिल रही हैं और मैं ऐसा स्वप्न देखता हूँ, कि यह मामूली छोटी-मोटी डकैती नहीं, बल्कि भावी युद्ध की आधार-शिला है और गौरिल्ला मण्डलियाँ लूट मचा रही हैं × × × × × ऐ डकैती! आज मैं तेरा उपासक बन गया हूँ। हमारी सहायता कर, अभी तक तो तू टिड्डियों की तरह भारतीय पुष्पोद्यान में घुसकर, छिप-छिप कर ही इसका सार निगला करती थी, अब खुले-मैदान दर्शन दे और हमारी गई हुई सैनिक-शक्ति को फिर से उभाड़ × × तूने उस दिन मुझे वचन दिया था, कि जब हम भारतीय तेरे अनुग्रह से तुझे स्मरण करेंगे और तेरे उपासक बनेंगे तो फिर तू हमें धन और सैनिक बल देगी; यही कारण है कि आज मैं तेरी पूजा करता हूँ।"

क्रान्तिकारियों का मुख पत्र केवल 'युगान्तर' ही न था—उनके और बहुत से पत्र थे, जैसे 'सन्ध्या' जो कि साफ़ घोषणा करती थी कि "हमें पूरी स्वाधीनता चाहिये; देश का कल्याण होना तब तक नितान्त असम्भव है, जब तक कि 'फ़िरङ्गियों' के आधिपत्य का सर्वनाश न हो जाय। हमारे लिए स्वदेशी और

बॉयकॉट बेमाने हैं, यदि उनसे हमें पूरी स्वाधीनता की प्राप्ति में सहायता नहीं मिलती × × × उन सुधारों पर, जिन्हें कि फ़िरङ्गी हमें कृपा करके दान देंगे—हम थूकेंगे भी नहीं, हमतो अपनी स्वतन्त्रता के विधाता स्वयं बनेंगे।

क्रान्तिकारी नवसैनिकों की मानसिक शिक्षा

षड़यन्त्रियों ने अपने रङ्गरूटों के लिये अजीब क़िस्म की पाठ्य पुस्तकें निर्माण कीं; भगवद्गीता, विवेकानन्द के ग्रन्थ, मेज़िनी और गेरीबाल्डी की जीवनी पाठ्यक्रम में थीं और मि० जस्टिस मुकर्जी ने तो यह कहा है कि "ऐसे ऐसे धार्मिक सिद्धान्तों का जैसे कि "होनहार राम रच राखा, जो जस करै सो तस फल चाखा" धूर्त और स्वार्थी लोगों ने तुच्छ बुद्धि वालों पर प्रभाव डालने के लिए प्रयोग किया और उनसे ऐसे पाशविक कार्य्य करा लिए, जिनका कि नाम सुन कर ही उनके रोंगटे खड़े हो जाते।" × ऐसी तीन पुस्तकों की ओर, जिनका कि मामला

× पूरा वाक्य इस प्रकार है "इस के अलावा इस शोचनीय बात को भी हम नहीं भुला सकते, कि क्रान्तिकारी-साहित्य, जो कि इस तथा पहिले मामलों में मिला है, यह प्रगट करता है कि ऐसे-ऐसे धार्मिक सिद्धान्तों का धूर्त और स्वार्थी लोगों ने प्रयोग किया, जैसे कि "होनहार राम रच राखा × × ×" इत्यादि और जिन सिद्धान्तों का किसी धर्म-विशेष से कोई सम्बन्ध नहीं था। इन लोगों ने मन्द-बुद्धि

ख़ास करके जनता में उत्तेजना फैलाने वाला था, हमारा ध्यान आकर्षित हुआ है :—

"भवानी मन्दिर" में काली अथवा भवानी को शक्ति देवी का विशेष स्वरूप अर्थात् अवतार माना गया है। हिन्दुस्तानियों को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियों का संग्रह करते हुए जापानी ढङ्ग का अनुकरण करना चाहिए। उन्हें अपना शक्ति-श्रोत धर्म बनाना चाहिए। यह सब कैसे हो सकता है, इसका वर्णन इस पुस्तक में उत्तेजक भाषा में किया गया है। धार्मिक सिद्धान्तों को किस प्रकार राजनैतिक कार्य्यों के सम्पादन में तोड़ा-मरोड़ा जा सकता है, यह पुस्तक इस बात का ज्वलन्त उदाहरण है।

"वर्तमान रणनीति" अर्थात् आधुनिक युद्धकला, इस बात की शिक्षा देती है, कि जब अत्याचार और किसी तरह से नहीं रोका जा सकता तब युद्ध अनिवार्य है। सम्पत्ति और सुख का मार्ग कर्म ही है और इसी कर्म की स्थापना के लिये हिन्दुओं ने 'शक्ति' की पूजा चलाई है। आवश्यकता कार्य की है × × देश के युवकों का बल छोटे-मोटे युद्ध में लगाना चाहिये तब ही वे शस्त्र प्रयोग में चतुर और निर्द्वन्द बन सकेंगे। इन्हें वीरत्व प्राप्ति के लिये भयानक तथा वीभत्स काण्ड करने चाहियें।

लोगों से इन सिद्धान्तों की सहायता से ऐसे कार्य्य करा लिए, कि जिनके ख़्याल से भी इनकी रोंगटे खड़े हो जाते"

कलकत्ता वीकली नोट्स भाग २१, पृष्ठ ६१८, देखो, भारत सम्राट बनाम अमृतलाल हाज़रा।

तीसरी पुस्तक का नाम है 'मुक्ति कौन पथे' यानी मुक्ति का मार्ग कौन है। यह अपने ढँग की निराली है, क्योंकि इसमें डकैतियों द्वारा अपने देशवासियों को ही लूट कर धन एकत्र करने का उपाय बताया गया है और यह कहा गया है कि यह कार्य सर्वथा उचित है। सम्पूर्ण पुस्तक, जो कि युगान्तर के चुने हुए लेखों का संग्रह मात्र है, साफ़ शब्दों में उस कार्य्य प्रणाली का ज़िक्र करती है, जो कि वास्तव में काम में लाई गई। आरम्भ ही में उसमें नेशनलकाँग्रेस के उद्देश्यों को "तुच्छ और छोटा" कह कर लथाड़ा गया है, इस में यह भी बताया गया है कि क्रान्तिकारी नव सैनिकों की सामयिक आन्दोलनों की ओर कैसी नीति होनी उचित है। "ऐसे ऐसे सामयिक आन्दोलनों में, जिनमें कि देश के वर्तमान नेता सदा हमारी सहायता चाहते हैं, मण्डलियाँ निश्चय ही साथ दें; परन्तु यह बात सदा ध्यान में रहना चाहिए कि केवल उन्हीं कार्य्यों में सब से बढ़ कर लगे रहने की जी-जान से कोशिश करनी चाहिए जो कि सार्वदेशिक हों और जिनके कारण लोगों में स्वतन्त्रता की चाह फैले × × × × देश की वर्तमान स्थिति में ऐसे मामलों और हलचलों की कोई कमी नहीं और ईश्वर की कृपा से बङ्गालियों में सब ही जगह देश-प्रेम और स्वाधीनता प्राप्ति की दृढ़ इच्छा जड़ पकड़ती जा रही है। इसलिए ऐसे कामों से भी बिलकुल हाथ न खींचिए; परन्तु यदि इन आन्दोलनों में स्वाधीनता की प्रबल इच्छा हुए बिना पड़ा जायगा, तो इससे वास्तविक शक्ति और शिक्षा कभी नहीं मिल सकेगी इसलिए इस मण्डली

के सदस्यों का, जहाँ यह कर्तव्य है, कि वे इस के क्षेत्र को बढ़ाने में प्राण भी समर्पण करने के लिये प्रस्तुत रहें, यह भी उनको चाहिये कि वे इस बात की लगातार कोशिश करते रहें, कि देश में आन्दोलनों द्वारा अशान्ति फैली रहे !"

इस पुस्तक में आगे यह लिखा है कि "अङ्गरेजों को मार डालने के लिये आदमी को चार हाथ नहीं चाहिए—यदि पक्का इरादा हो तो हथियार भी मिल सकते हैं और अस्त्र रचना भी गुप्त स्थानों में गुप्त रीति से की जा सकती है। विदेशों में जाकर भारतीय युवक हथियार बनाना सीख सकते हैं—देशी पलटनों से भी मदद लेनी चाहिये, उनमें देश की दरिद्रता व दुर्दशा का सन्देशा फैलाना चाहिये, शिवाजी की वीरता की याद दिलानी चाहिये। जब तक कि विप्लववादी कार्य तरुणावस्था में रहे, चन्दे से कार्य हो सकता है; परन्तु जब कार्य बढ़ जाय तब बलपूर्वक समाज से धन लेना उचित है। यदि क्रान्ति इस लिए की जा रही है कि उससे जनता का लाभ हो तो यह भी नितान्त न्याय-संगत है, कि इस कार्य के लिए धन भी जनता से ही एकत्रित किया जाय। यह माना गया है कि चोरी और डकैती, इसलिए दण्डनीय हैं, कि उनके द्वारा समाज की भलाई के सिद्धान्त को धक्का पहुँचता है; परन्तु राजनैतिक डाकू तो सर्वसाधारण की भलाई को ही लक्ष्य करके कार्य करते हैं। इसलिए व्यक्तिगत लाभ को सामाजिक लाभ की वेदी पर निछावर करने में कोई पाप नहीं प्रत्युत सरासर पुण्य ही है। इसलिए यदि विप्लववादी मक्खीचूस

और ऐयाश लोगों को बलपूर्वक लूट कर धन जमा करें तो बिल्कुल ही न्याय-संगत है।"

इस किताब में पाठकों से फिर कहा गया है कि "हिन्दुस्तानी पल्टनों से सहायता लो × × × निस्सन्देह यह सैनिक अपने पेट के लिए ही तो सरकारी नमक खाते हैं, परन्तु आख़िर ये भी मास और मज्जा के बने हुए मनुष्य ही तो हैं और बुद्धि से सोच सकते हैं, जब विप्लववादी उन्हें देश की दुर्दशा सुनायेंगे तो अवसर आने पर अवश्य ही वे सरकारी अस्त्र-शस्त्र सहित उनका साथ देंगे × × × यही तो कारण है, कि सरकार चालाक बङ्गालियों को पल्टन में नहीं लेती क्योंकि इस तरह से सिपाहियों को विद्रोही बना देना सम्भव है × × × विदेशी सरकारों की सहायता से छिप छिपाकर अस्त्र-शस्त्र भी मिल सकते हैं।"

सारांश

हम बङ्गाल व्यापी विप्लववादी वायुमण्डल के कारणों और प्रारम्भिक अवस्था का वर्णन कर चुके हैं, हम यह भी दिखा चुके कि पहिले-पहल तो वारिन्द्र की चेष्टायें निष्फल ही रहीं, परन्तु अधिक अनुकूल समय में उसने नए जोशो-ख़रोश से कार्य किया। हमने इस बारे में इतना काफ़ी लिख दिया है कि इसमें कोई सन्देह नहीं कि क्रान्तिकारियों की मनशा हिन्दुस्तान से अङ्गरेज़ी राज्य को बलपूर्वक उखाड़ देने की थी; परन्तु आरम्भ में उनका इरादा यह था कि सरकारी अफ़सरों को क़तल करें,

देशी फ़ौजों से यथा सम्भव सहायता लें और अपने कार्य के लिए हिन्दुस्तानियों को ही लूट कर धन जमा करें। हमने उनके कार्य-क्रम, सङ्गठन और प्रचार का वर्णन कर दिया है जिनके द्वारा वे इन विचारों को कार्य रूप में परिणित करना चाहते थे। आगामी पन्नों में हम उन बयानों का ज़िक्र करेंगे, जो कि हमें मिल सके हैं; उन काण्डों का यथाक्रम वर्णन करेंगे, जिनमें कि क्रान्तिकारियों ने बम प्रयोग किया, असहाय लोगों को दूर दराज़ गाँवों में लूटा, मारा और पुलिस के कर्म्मचारियों का केवल इस लिये खून किया, कि वे अपनी राजभक्ति में दृढ़-प्रतिज्ञ और दिलेर थे!

अन्त में हम उनके उस सङ्गठन और कार्य-क्रम का भी पूरा वर्णन करेंगे, जिनसे हम इस निर्णय पर पहुँचे हैं। ये सब काण्ड केवल उसी एक सार्वदैशिक हलचल के फल-स्वरूप थे, जोकि उलटे धर्म और अन्धी देश-भक्ति के कारण चलाए गए थे।

तीसरा अध्याय

बङ्गाल में विप्लववादी काण्ड

हमारे साधारण नतीजों की बुनियाद

पूर्व इसके, कि वर्णन आगे चलाया जाय, यह उचित होगा कि हम उन प्रमाणों का भी वर्णन करदें, जिनके सहारे हमने केवल क्रान्तिकारी काण्डों को अलहदा ही नहीं छोड़ दिया, बल्कि इन काण्डों की ओट में कैसे और कितने बड़े-बड़े षड़यन्त्र थे, इस सम्बन्ध में भी अपने नतीजे निकाले। हमने इस बात को ध्यान में रखने की चेष्टा की है, कि हमारा कर्त्तव्य यह नहीं था, कि इस पर विचार करें कि किसी एक मामले में कितने सारे छोटे छोटे मामले और खड़े हो गये, बल्कि इस बात को साफ़ साफ़ बताने की चेष्टा करें, कि समस्त स्थिति की क्या विशेषतायें हैं। इसलिये निःसन्देह हमें बहुत से पृथक-पृथक अभियोगों की शहादतों पर विचार करना पड़ा है लेकिन इस अन्वेषण से हमारा विशेष मतलब इतना ही रहा है, कि यह पता लगाएँ, कि इनका सारांश आखिर क्या निकलता है ?

काण्ड और उनके नायकों की विशेषता

जिन काण्डों का वर्णन हमने किया है, पहिली बात तो यह है कि वे राजनैतिक काण्ड हैं, और उनमें से बहुत से तो राजनैतिक ही नहीं, डङ्के की चोट विप्लववादी भी हैं; जैसे कि बम द्वारा की गई हत्याएँ। इसी तरह मैजिस्ट्रेटों, पुलीस अफ़सरों और वास्तविक या संदिग्ध भेदियों की हत्या या हत्या की चेष्टाएँ। यही नहीं, साधारण डकैतियों या लूट मार सम्बन्धी हत्याओं में भी यदि कुछ ऐसी विशेषताएँ पाई जाएँ, जोकि बराबर कुछ और डकैतियों में भी मिलने लगें, तो निश्चय ही है, कि इन सब डकैतियों और साधारण चोर डाकुओं की डकैतियों में बड़ा अन्तर है और पहली क़िस्म की सब डकैतियों का आपस में सम्बन्ध है। परन्तु इसका तात्पर्य्य यह नहीं, कि सब की सब विशेषताएँ हर एक ऐसी डकैती में पायी जायँ, और न यही ज़रूरी है, कि कोई एक ही ऐसी मुख्य बात हो, जो कि प्रत्येक काण्ड में पाई जाय, परन्तु बात यह है कि ये विशेषताएँ इन काण्डों में पृथक रूप से नहीं, वरन् समष्टि रूप से अवश्य होंगी; कुछ विशेषताएँ इन डकैतियों में तो कुछ और दूसरी डकैतियों में, इत्यादि!

इन काण्डों के नायक साधारणतया 'भद्रलोग' श्रेणी के नवयुवक थे। बार बार यह देखा गया कि वे या तो अङ्गरेज़ी में बातचीत करते थे या अगर भाषा में बोलते थे, तो उनकी भाषा भद्रलोगों की-सी भाषा होती थी। कभी तो वे लोग ख़ाकी क़मीज़ों

में और मय सिपाहियाना झोलों को पहने होते थे और कभी कभी एक ढङ्ग के लाल या सफ़ेद चेहरे लगाये होते थे। उन आदमियों की आयु, वर्ण और व्यवसाय के व्योरे का ख़ुलासा, जो कि विद्रोही काण्डों के करने में मरे या पकड़े गये, उपसंहार नम्बर २ में दिया गया है। यह बात निश्चय ही बड़ी आश्चर्य-जनक है और बहुत से देशों में तो कठिनाई से ही इस पर विश्वास किया जायगा, कि भले घरों के युवक, स्कूलों और कॉलिजों के विद्यार्थी डाके और ख़ून के अपराधी हों—हम यह नहीं कहते, कि चूँकि कई लूटमार भद्र लोगों ने किया है, इसलिये वे अवश्य ही विप्लववादी हैं—यह तो केवल एक बात ठहरी। इसके विपरीत कभी कभी यह भी देखा गया है, कि कोई क्रान्ति-कारी पकड़ा तो एक मामले में गया है, पर वह अपने बयान में किसी ऐसे मामले का ज़िक्र करता है जिसका सरकारी भेदिया विभाग को पता भी नहीं। यह कहता है कि फ़लाँ-फ़लाँ जगह और समय पर विप्लववादियों ने लूट-मार की थी और जासूसी विभाग को यह ख़बर भी नहीं, कि ऐसी कोई कार्रवाई उस जगह और उस समय विप्लववादियों ने की, मगर जब स्थानीय पुलीस के रोज़नामचे की पड़ताल की जाती है तो यह मालूम होता है कि ऐसी ऐसी काररवाई हुई तो अवश्य, परन्तु ऐसा कोई सबूत न मिला, कि जिससे यह प्रमाणित हो कि यह करतूत भलेमानसों की ही थी। इसके अलावा कितनी ही बार डाकू लोग अपने हथियार-औज़ार भी छोड़ भागे हैं और हमने इनका निरीक्षण

किया है। बहुत सी डकैतियों में बड़े बड़े हथौड़े काम में लाये गये थे और चार मामलों का हमें पता है, जबकि वे एक ही साँचे के बने थे। रेती का भी प्रयोग किया गया, पहिली २ डकैतियों में तो बाँस के दस्तों की ही रेतियाँ काम में लाई गईं, बाद में उनका दस्ता मज़बूत तार का होता था, और हाल के मामलों में मोड़े हुए स्पात का। इसी तरह, सन् १९१२ तक तो रोशनी के लिए देशी मशालें होती थीं यानी मट्टी के तेल भिगोकर चिथड़े को बाँस में लगाकर उससे काम लेते थे, सन्, १९१४-१५ में एसिटिलीन लैम्प यानी गैस की रोशनी से काम लिया जाने लगा और कभी कभी ख़ास बने हुए टीन के बत्तीदार लैम्प काम में लाए गए। सब क़िस्म के औज़ार और हथियार, जो कि लूट-मार के बाद मिले थे, सुरक्षित रक्खे गये हैं, और हमने उनका निरीक्षण किया है। बाज़ ढङ्ग की चीज़ें तो बराबर ही काम में लाई गई हैं।

और देखिये, कार्य्य प्रणाली में भी कैसी असाधारण समानता है; बहुत बार घटनास्थल से कई मील दूर पर तार काट दिये गये हैं या डाकू कितनी ही पार्टियों में विभक्त हो गये हैं—कुछ तो रखवाले बने हैं, कुछ घर वालों को डराने धमकाने में लगे हैं और कुछ ख़ज़ाना तोड़ने में लगे हैं और इस ढङ्ग पर काम बाँट कर किया है। कलकत्ते की कुछ हाल की घटनाओं में तो मोटरकार से भी काम लिया गया है—साधारण डकैतियों के, जिनकी पुलिस को ख़बर है, ऐसे लक्षण नहीं होते। एक यही बात, कि गोली-

बारूद से काम लिया गया, इन डकैतियों और साधारण डकैतियों में फ़र्क़ करने के लिये काफ़ी है; क्योंकि आर्म्स-ऐक्ट अर्थात् अस्त्र-आइन के कारण बिना वृहत् सङ्गठन के अस्त्र-शस्त्र हाथ लगना कठिन है क्योंकि लाइसेन्स केवल लगान पर ही निर्भर नहीं होता, वरन विशेष आज्ञा पर। इसलिये यह बात साधारण अपराधियों की शक्ति के बाहर है कि वे बन्दूक़ पिस्तौल रख सकें। अङ्क-निरीक्षण से भी पता चलता है कि बङ्गाल की साधारण डकैतियों में गोली-बारूद की विशेषता, कभी नहीं रही। पुलिस के रोज़नामचों से भी पता चलता है कि सन् १९१३ तक बङ्गाल में ऐसा मामला एक ही हुआ (जो राजनैतिक न हो) जिसमें पिस्तौल से काम लिया गया था और दूसरे बारूदी अस्त्र केवल नौ घटनाओं में ही प्रयोग किये गये थे।

एक दूसरा, और इससे भी दृढ़ प्रमाण यह है, कि केवल यही नहीं, कि बारूदी अस्त्र प्रयोग किये गये और वे एक ही बनावट के थे, बल्कि साफ़ प्रमाणों से यह सिद्ध हुआ है, कि ये सब एक ही स्थान से मँगाये गये थे। इस बात से यह स्पष्ट है कि इस प्रकार की लूट-मार, हत्याओं और डकैतियों में पारस्परिक सम्बन्ध है और यह सब कार्य्य पारस्परिक सङ्गठन और सहायता से होता है। इस विषय पर हमने खुलासा तौर पर उस जगह लिखा है, जहाँ हमने सङ्गठन का ज़िक्र करते हुये भिन्न-भिन्न स्थानों की मण्डलियों का पारस्परिक सम्बन्ध बतलाया है। यहाँ तो हमने इसका ज़िक्र केवल इस लिये किया है, कि यह ज़ाहिर

हो जाय कि इन काण्डों को हमने एक साथ क्यों रक्खा। यहाँ पर यह भी लिख देना चाहिये, कि अपराध स्वीकार करते हुये १५० में से केवल ५ व्यक्ति ही ऐसे निकले, जिन्होंने कहा कि डाकुओं में कार्य्य करने का कारण उनकी व्यक्तिगत धन की लालसा थी, और पाँच में तीन लोग मोटर चलाने वाले थे। हमने अपने नतीजे केवल इन घटनाओं पर ही सोच-विचार कर नहीं बना लिये, बल्कि हमारे नतीजों की बुनियाद इस प्रकार थी:—

बयानात

हमारे सम्मुख बहुत से बयानात भी रक्खे गये हैं। कुछ तो इन में से शरणागत अभियुक्तों के हैं और बहुत से ऐसे हैं, जोकि उन क़ैदियों ने दिये हैं, जोकि अपराध मानने को तैयार नहीं थे। कुछ थोड़े से ऐसे भी बयान हैं, जिन्हें कि पुलिस वालों और सर्वसाधारण जनता ने दिए हैं,परन्तु अधिकतर उन अभियुक्तों के ही हैं, जो कि अपराध स्वीकार नहीं करते और इनके सम्बन्ध में थोड़ी सी समालोचना आवश्यक है। अफ़सोस है कि इनमें से बहुत ऐसे नहीं हैं, जिन्हें कि हम यहाँ पर साफ़ तौर से उल्लेख कर सकें, क्योंकि ये बयान गुप्त ही हैं। इण्डियन-एविडेन्स-एक्ट के अनुसार वह शहादत, जिसे कि अभियुक्त पुलिस की निगरानी में रहते हुए देता है, यदि वह किसी मैजिस्ट्रेट के सम्मुख न दी गई हो तो, उसको दोषित ठहराने के लिए उपयुक्त नहीं है। और मैजिस्ट्रेट के सामने देते समय भी फ़ौजदारी क़ानून के अनुसार

कुछ विशेष बातों का ध्यान में रखना आवश्यक है। पुलिस के सामने दिया हुआ बयान तब तक उपयुक्त नहीं समझा जाता, जब तक कि उसमें साफ़-साफ़ शब्दों में किसी ऐसी बात का ज़िक्र न हो, जो कि उसे अपराधी साबित करदे। यही वजह है, कि पुलिस को बयान देने में लोग अब बहुत चतुर हो गए हैं, परन्तु यदि हम इन गुप्त बयानों को खोल देवें तो हमारी धारणा है कि यह एक ऐसी शर्त्त के तोड़ने का अपराध होगा, जो कि बयान देने वालों से साफ़ साफ़ तो नहीं की गई, परन्तु दोनों फ़रीक़ समझते थे कि न तो ऐसा करना उचित ही है और न ऐसा किया ही जायगा। परन्तु इन बयानों को न खोलने का हमारा सब से बड़ा कारण यह है कि यदि हम उन्हें साफ़ साफ़ लिख डालें तो बेचारे बयान देने-वालों को अपने साथियों की क्रोधाग्नि और बदले का शिकार होना पड़ेगा। हम अपने नतीजों को, जिन्हें कि हमने इस रिपोर्ट में दिया है, पूर्ण रूप से प्रमाणों और युक्तियों सहित नहीं दे सके, इसके उपरोक्त ही कारण हैं। इसी विचार से, न तो हम ख़ास ख़ास शहादत देने वालों के नाम ले सकते हैं और न हम यह बता सकते हैं कि उसकी जानकारी का सिलसिला कौन सा है, और किन-किन हालतों और मौक़ों पर ये शहादतें दी गई हैं। परन्तु हमने इन बयानों में से कुछ वाक्य जगह जगह पर उद्धृत कर दिये हैं और इस बात का ध्यान रक्खा है कि जिन जिन साक्षियों के नाम गुप्त रखना आवश्यक है, उनका नाम प्रकट न होने पावे।

ये शहादतें सन्, १९०७ से अब कमिटी के बैठने तक जगह जगह पर दी गई हैं। हाल के दिनों में तो शहादतों और गवाहियों की भरमार सी हो गई, क्योंकि भारत-रक्षा क़ानून की सहायता से पुलिस ने षड़यन्त्रियों की रूह काफ़ूर कर दी। आज-कल इनके नेता बहुत दिनों भागते-छिपते रहने के बाद जब पकड़े जाते हैं, अधिकतर दिल खोल कर अपनी आत्म-कहानी बयान कर देते हैं, कुछ इस दुःख के कारण झुँझला कर अपनी करतूतें वर्णन करते हैं, कि उनका सारा करा-धरा पानी में मिल गया—कुछ ऐसे होते हैं, जो कि अपनी अन्तर-आत्मा की आवाज़ का आदर करके उगल डालते हैं, कुछ यह समझ कर, कि आख़िर इस चोर डाकुओं के से जीवन का अन्त हुआ, अपने दिल के भार को कह कर हलका कर डालते हैं और बहुत ऐसे होते हैं, जोकि इस बात पर ख़ूब सोच-विचार कर ही भण्डाफोड़ करते हैं, कि अया उनका यह काम उचित और धर्मानुकूल है या नहीं। हमने इस बात का ध्यान रक्खा है, कि इस प्रकार की दी हुई सूचना पर, और विशेषतया हिन्दुस्तान में, एकाएक विश्वास नहीं किया जा सकता, परन्तु हमने ख़ूब अच्छी तरह से इनकी जाँच की है। एक बात यह ज़रूर है कि शहादतें इतनी अधिक संख्या में हैं; फिर कोई आज की दी हुई है तो कोई दस वर्ष पहिले की, और इतने बड़े देश की दूर दूर जगहों की दी हुई हैं—इसलिए उनके जाँचने का पूरा मौक़ा है, अगर वे थोड़ी होतीं या आस-पास की ही और एक ही समय की दी हुई होतीं तब

तो उनमें मुक़ाबिला करने का ऐसा अच्छा मौक़ा न होता और इसके अतिरिक्त एक बात यह भी है कि बहुत बार साक्षी उन उन बातों, व्यक्तियों और क्रान्तिकारियों के केन्द्र वर्णन करता है जिनका अभी तक पता भी न था या जिन पर सन्देह तक भी न किया गया था। जब जाँच जारी की गई तो उन मामलों का भी पता चल गया, विप्लववादियों के मठों की तलाशियाँ ली गईं और सन्दिग्ध व्यक्ति पकड़े गये और उन्होंने भी ऐसे ऐसे लोगों और मामलों का हाल बताया जिनकी फिर जाँच-पड़ताल आरम्भ की गई। इस प्रकार की खोज सन् १९१६—१७ में विशेष तौर पर सफल हुई और यह पता लगा कि विद्रोहियों ने विप्लव का ख़ासा जाल बिछा रक्खा था, हम इन सब का ज़िक्र आगे चलकर करेंगे। यह भेद जो कि मिले, ऐसे सीधे और सच्चे थे कि भागे हुए और छिपे हुए क्रान्तिकारियों की जान पर बन आई। जनवरी, सन् १९१८ में एक पत्र पकड़ा गया जो कि उसी साल की दूसरी जनवरी का लिखा हुआ था। इसका लेखक स्वयं एक क्रान्तिवादी और हत्यारा था जो कि अब पकड़ा जा चुका है। "जो कोई भी पकड़ा जाता है, और दस के नाम उगल देता है और जब वे पकड़ लिए जाते हैं वे भी कुछ न कुछ कह निकलते हैं, इस ढङ्ग से हम एक दम शक्तिहीन होते जा रहे हैं। सच तो यह है कि स्वयं दुश्मनों का भी यह ख़याल हो गया है कि वे, जो अब भी पकड़े नहीं गये, वास्तव में इस योग्य हैं भी नहीं, कि उनके लिए कष्ट उठाया जाय।"

पैरा १७० में दो मामले नमूने के तौर बयान किये गये हैं, ये जाँच के इतिहास में से हैं और यह ज़ाहिर करते हैं कि किस किस ढङ्ग से षड़यन्त्रकारियों की सुराग़ लगाई गई और कैसे उनके कार्यक्रम का पता चला। इनसे यह भी पता चलता है कि उनके सङ्गठन की कहाँ तक पहुँच थी और वे कैसे थे ?

चौथा अध्याय

बङ्गाल में क्रान्तिकारी काण्ड

१९०६ से १९०८ तक, बङ्गाल में क्रान्तिकारी कार्यक्रम की वृद्धि

अब हम क्रमानुसार क्रान्तिकारियों द्वारा बङ्गाल में किये उपद्रवों का विवरण आरम्भ करते हैं। इस विचार से कि विवरण संक्षिप्त रहे और उसमें अनावश्यक विस्तार न आने पावे, हम स्थान-स्थान पर इस विवरण में नक़्शे लगा रहे हैं, ताकि पाठकों को सम्पूर्ण-स्थिति सहज ही में मालूम हो सके। प्रसङ्ग-वश हम उन घटनाओं का और उन क़ानूनों का भी उल्लेख करते जाएँगे, जिनसे कि क्रान्तिकारी उपद्रवों का सम्बन्ध है।

प्रारम्भ में क्रान्तिकारियों ने अपने प्रत्येक कार्य में अनिश्चितता एवं दुर्बल सङ्कल्प का परिचय दिया। उदाहरणार्थ, सन् १९०६ के अगस्त में रङ्गपुर ज़िले में एक विधवा स्त्री के घर पर उन्होंने डाका डालने का निश्चय किया था, परन्तु जब वे निर्दिष्ट स्थान पर पहुँचे तो केवल यह सुन कर, कि गाँव में एक

पुलिस का दारोग़ा है, वे भाग गए। इसी प्रकार अगले ही महीने में शेख़र नगर नामक स्थान पर कई सशस्त्र क्रान्तिकारी पहुँचकर, केवल इस लिये वापिस हो गये, कि धन एक मज़बूत लोहे के बक्स में था जिसे कि वे न तो तोड़ सकते थे और न ले ही जा सकते थे। अगले साल मई के महीने में ९, १० व्यक्ति अरसुलिया नामक स्थान के निकट जूट के कारख़ाने में पहुँचे परन्तु यह मालूम करके, कि वहाँ एक दुनली बन्दूक़ मौजूद है, डाकू भाग गए। उसी साल अगस्त के महीने में डाकुओं ने बाँकुरा ज़िले में एक डकैती करने का निश्चय किया था, परन्तु चूँकि उनका पथ-प्रदर्शक घटना के समय शराब के नशे से चूर था, इसलिये यह धावा भी उन्हें स्थगित करना पड़ा। इन असफल मनसूबों का उल्लेख इस विवरण में किसी भी कोष्टक में नहीं किया गया है, कारण स्पष्ट है। यहाँ इनकी चर्चा केवल इस लिये की गई है, कि पाठक यह बात जान लें कि क्रान्तिकारी उपद्रवों का वृक्ष कितने साधारण और छोटे बीज से पैदा हुआ और बढ़ा और कई ऐसे व्यक्ति, जो कि इन दुर्घटनाओं में सम्मिलित होने वाले थे, समय और अवसर पाकर भीषण काण्डों में भाग लेने के कारण दण्डित हुए। यह केवल उद्दण्ड प्रचार का ही फल था।

अधिक गम्भीर दुर्घटनाएँ शीघ्र आरम्भ हो गईं। इस बात के लिए विश्वस्त प्रमाण है, कि अक्तूबर सन्, १९०७ में दो षड्यन्त्र बङ्गाल के छोटे लाट की गाड़ी को बम द्वारा उड़ा देने के

लिए किए गए और ६ दिसम्बर, १९०७ को उस ट्रेन को, जिसमें कि लाट साहब सफ़र कर रहे थे, मिदनापुर के निकट बम द्वारा उड़ाने का प्रयत्न किया गया; जिसका फल यह हुआ कि ज़मीन में पाँच फ़ीट लम्बा चौड़ा और ५ फ़ीट गहरा गढ़ा बन गया और गाड़ी पटरी से उतर गई। अक्टूबर, सन् १९०७ में ढाका ज़िले के निताईगञ्ज नामक स्थान में क्रान्तिकारियों ने एक व्यक्ति पर छुरों से हमला किया और उसके रुपयों से भरे थैले को लूट लिया। उसी वर्ष २३ दिसम्बर को ढाका के भूतपूर्व कलक्टर मिस्टर ऐलन पर फ़रीदपुर ज़िले के एक रेलवे स्टेशन पर गोली से वार किया गया। गोली मिस्टर ऐलन के पीठ पर लगी, परन्तु घातक सिद्ध न हुई। ३ अप्रेल, १९०८ को कलकत्ते के निकट शिवपुर में ७ व्यक्तियों ने, जो कि छुरों और पिस्तौलों से सुसज्जित थे, एक मकान पर धावा मारा और गृह-स्वामी को उसकी लड़की को मार डालने का भय दिखा कर ४००) रु० के गहने देने पर बाधित किया। सुदृढ़ प्रमाण न मिलने के कारण किसी पर अभियोग न चलाया जा सका, परन्तु हमें विश्वास है कि यह डकैती अवश्य हुई और हाल में एक सुप्रसिद्ध क्रान्तिकारी ने यह स्वीकार भी किया है कि वह इस घटना में सम्मिलित था।

११ अप्रेल, १९०८ को चन्द्रनगर नामक कलकत्ते के निकट स्थित फ़्रान्सीसी नगर में उस राज्य के मेयर के घर पर क्रान्तिकारियों ने बम फेंका, जिसका विस्फोटन अवश्य हुआ, परन्तु किसी को चोट न लगी। हुगली के किनारे पर स्थित इस

६

फ़्रान्सीसी नगर को क्रान्तिकारियों ने अस्त्र-शस्त्र मँगाने और संग्रह करने का एक अनियमित अड्डा बना रक्खा था। फ़्रान्सीसी मेयर ने एक नया क़ानून पास करके इस अनियमित अस्त्र-शस्त्र विक्रय को बन्द करने की चेष्टा की थी और इस बम-दुर्घटना का यही कारण था। कई प्रसिद्ध क्रान्तिकारियों ने इस घटना में भाग लेना हाल में ही स्वीकार भी किया है।

मुज़फ्फरपुर हत्याकाण्ड

३० अप्रैल को क्रान्तिकारियों ने मुज़फ्फ़रपुर नामक नगर में उस ज़िले के जज मिस्टर किङ्गस्फ़र्ड की हत्या करने का प्रयत्न किया। जज साहब पहले कलकत्ते में चीफ़ प्रेज़िडेन्सी मैजिस्ट्रेट थे और वहाँ गार्डनरीच नामक स्थान में रहा करते थे। क्रान्तिकारियों ने एक बम जज साहब की कोठी के सामने गुज़रती हुई एक गाड़ी पर फेंका परन्तु उस गाड़ी में मिस्टर किङ्गस्फ़र्ड नहीं थे, बल्कि दो अङ्गरेज़ महिलाएँ—मिसेज़ व मिस केनेडी बैठी थीं और यह दोनों इस दुर्घटना में मारी गई! क्रान्तिकारियों ने मिस्टर किङ्गस्फ़र्ड के पास विस्फोटक चीज़ें कलकत्ता से बिहार स्थित मुज़फ्फ़रपुर जैसे दूर स्थान पर भेजा था; परन्तु पुलिस को इस दुर्घटना की पूर्व सूचना १० दिन पहिले ही मिल चुकी थी और बाद में एक क्रान्तिकारी ने बन्दी-गृह में यह सब हाल बतलाया, कि किस तरह मिस्टर किङ्गस्फ़र्ड के पास उनको मारने के लिए डाक द्वारा पार्सल में एक बम भेजा गया था! इस सूचना

के अनुसार जब मिस्टर किङ्गस्फ़ोर्ड के मकान पर इस पार्सल की तलाश की गई, तो यह मालूम हुआ कि एक पार्सल अवश्य आया था, परन्तु जज साहब ने यह समझ कर, कि इसमें कोई किताब थी, पार्सल को नहीं खोला। जब यह पार्सल खोला गया तो इसमें किताब ही निकली; परन्तु उसके बीच के पन्ने इस सफ़ाई से काटे गये थे और उनके स्थान में एक बम का गोला खटके सहित इस तरह से रक्खा गया था, कि किताब एक छोटा सा डिब्बा मालूम होता था और खोले जाने पर गोले का फूटना अवश्यम्भावी था।

उपरोक्त दो स्त्रियों की हत्या के दो दिन के अन्दर ही दो युवक गिरफ़्तार किये गए जिनमें से कि एक विद्यार्थी था। उसने अदालत में अपना अभियोग स्वीकार किया और उसे फाँसी दी गई और दूसरे ने गिरफ़्तार होते समय आत्म-हत्या कर ली। वह पुलिस दारोग़ा, जिसने कि यह गिरफ़्तारियाँ की थीं, स्वयं ९ नवम्बर को कलकत्ते की सरपेण्टाईन लेन में क्रान्तिकारियों की गोलियों का शिकार बना।

अलीपुर षड्यन्त्र और हत्याकाण्ड

इस बीच में दूसरी मई को कलकत्ते में मानिकतल्ला के एक उद्यान में एक पिछली दुर्घटना के सम्बन्ध में तलाशियाँ और धर-पकड़ हुईं और कई बम, डाइनामाइट, कारतूस और सन्दिग्ध पत्रादि हाथ लगे। ३४ व्यक्तियों पर षड्यन्त्र का

अभियोग चलाया गया। इनमें एक, जिसका नाम नरेन्द्र गुसाईं था, सरकारी गवाह बन गया। मुक़दमे के अन्त में १५ व्यक्तियों पर यह अपराध सिद्ध हुआ, कि उन्होंने सम्राट् के विरुद्ध युद्ध करने का षड़यन्त्र रचा था और उन्हें दण्डित किया गया। वारिन्द्रकुमार घोष, जिसका उल्लेख पहिले किया जा चुका है और जो कि बङ्गाल में विप्लववाद आन्दोलन के जन्मदाताओं में एक प्रमुख व्यक्ति था और हेमचन्द्र दास, जिसने कि वह गोला बनाया था, जिसने कि मिस और मिसेज़ केनेडी की जान मुज़फ़्फ़रपुर में ली थी, और वह क्रान्तिकारी जिसने कि जेल में यह स्वीकार किया था कि मिस्टर किङ्ग्स्फ़र्ड के पास पार्सल-रूपी पुस्तकाकार बम भेजा गया था—यह तीनों व्यक्ति उन १५ अपराधियों में थे, जिन्हें दण्ड मिला। यह प्रसिद्ध अभियोग 'अलीपुर कॉन्सप्रेसी केस' के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ यह भी उल्लेख करना समयोचित है, कि मुक़दमे के दौरान में दो क्रान्तिकारियों ने, जो कि जेल में बन्द थे, सरकारी गवाह नरेन्द्र गुसाईं को गोली से मार डाला। उन के सहकारियों ने जेल के अन्दर ही गुप्त रीति से पिस्तौलें पहुँचा दी थीं। गुसाईं के हत्यारे, इन दोनों व्यक्तियों पर, अभियोग चलाया गया और उन्हें फाँसी की सज़ा दी गई। परन्तु क्रान्तिकारियों ने अलीपुर षड़यन्त्र अभियोग के सरकारी वकील को १० फ़रवरी, १९०९ को कलकत्ते में गोली से मार डाला। और डिप्टी सुपरिण्टेण्डेण्ट पुलिस को, जो कि अलीपुर केस के अपील के सम्बन्ध में

कलकत्ता हाईकोर्ट में गया हुआ था, हाईकोर्ट से वापिस आते समय दरवाज़े में ही गोली का निशाना बनाया, जिसमें कि डिप्टी सुपरिण्टेण्डेण्ट साहब की जान गई।

मई, सन् १९०८ के प्रारम्भ में अलीपुर षड़यन्त्र के सम्बन्ध की धर-पकड़ में ३० या ४० प्रमुख व्यक्ति गिरफ़्तार किए गए, जिन में से १२ व्यक्ति क्रान्तिकारी आन्दोलन के प्रमुख नेता थे। परन्तु इन गिरफ़्तारियों के होने पर भी क्रान्तिकारी उद्दण्डताओं का बाज़ार पूर्ववत गर्म रहा।

क्रान्तिकारी काण्डों की बाढ़

१५ मई, सन् १९०८ को कलकत्ते के ग्रे स्ट्रीट नामक सड़क पर एक बम फेंका गया, जिससे कि ४ व्यक्ति घायल हुए; और जून से दिसम्बर तक कलकत्ते के आस-पास रेलवे गाड़ियों पर चार बार अन्य दुर्घटनाएँ हुईं, जिनमें कि बम फेंके गए। परन्तु यह गोले घातक प्रमाणित न हुए और परीक्षा होने पर यह मालूम हुआ, कि यह साधारण नारियल के बम थे। एक घटना में एक योरोपियन सज्जन पर आक्रमण किया गया जो कि सख़्त घायल हुए और उनके दो साथियों को सख़्त चोट पहुँची, दूसरे अवसर पर किसी को चोट न लगी। ऐसा मालूम होता है, कि ये गोले सरकारी वकील मिस्टर ह्यूम को मारने के अभिप्राय से फेंके गये थे, जो कि दोनों बार उसी रेल द्वारा सफ़र कर रहे थे और एक बार तो उसी डिब्बे में थे, जिस पर कि आक्रमण किया

गया था। १० फ़रवरी और ५ अप्रेल, १९०९ को भी कलकत्ते के आस-पास नारियल के बम-गोले फेंके गए, परन्तु कोई क्षति न हुई। क्रिमिनल प्रोसिज्योर कोड की धाराओं के अनुसार एक विशेष व्यक्ति के विरुद्ध अदालती कार्यवाही की गई और जब से उस व्यक्ति के मुचलके लिये गए इस प्रकार की उद्दण्डता शान्त हुई।

२ री जून, १९०८ को ढाका ज़िले के बारा नामक स्थान में एक भयङ्कर डकैती और हत्याकाण्ड हुआ। इस घटना की विशेषताएँ प्राय: प्रत्येक क्रान्तिकारी काण्ड में पाई जाती हैं और इन्हीं विशेषताओं से क्रान्तिकारी काण्ड पहचाने जा सकते हैं। लगभग ५० व्यक्तियों का एक गिरोह एक किश्ती द्वारा उस गाँव में आया। डाकू पूर्णतया रिवॉल्वरों और छुरों से सुसज्जित थे, चेहरों पर नक़ाब पड़ी हुई थी और उन्होंने डकैती में २५,०००) रु० नक़द और ८३७) रु० का ज़ेवर लूटा! लूट के बाद वे अपनी किश्ती पर चले गए, जो कि उस ज़िमींदार के मकान से क़रीब ४०० गज़ के फ़ासले पर नदी में खड़ी थी। गाँव के पुलिस चौकीदार ने क्रान्तिकारियों का मुक़ाबला किया, पर उसे डाकुओं की गोलियों का शिकार बनना पड़ा। परन्तु वे अपनी नाव पर मुशकिल से पहुँच ही पाए थे, कि पुलिस और गाँव वालों ने उनका फिर पीछा किया परन्तु क्रान्तिकारियों ने इन पर गोलियों की बौछार जारी रक्खी जिस का फल यह हुआ, कि इन में से ३ और मरे और कई बुरी तरह से घायल हुए। डाकू गिरफ़्तार न

हो सके और जिन तीन व्यक्तियों पर मुक़दमा चलाया गया उन पर दोष प्रमाणित न हो सका; क्योंकि उन की पूरी शनाख़्त न हो सकी थी।

इसी प्रकार की एक भीषण डकैती ज़िला फ़रीदपुर के नदिया नामक स्थान में ३० अक्टूबर को हुई। ३० या ४० व्यक्ति, जिन के पास बन्दूक़ें और अन्य अस्त्र-शस्त्र थे, एक बड़ी किश्ती द्वारा गाँव के घाट पर उतरे और वहाँ पहुँचते ही अन्य किश्तियों और उन पर बैठे हुए व्यक्तियों पर गोलियाँ दाग़नी शुरू कर दीं, स्टीमर के दफ़्तर को लूट लिया और भी तीन मकानों को लूटा, परन्तु सौभाग्यवश न तो उन को कुछ धन ही मिला और न ज़ेवर ही; अतः वापिस जाते समय उन्होंने बाज़ार में कई मकानों को फूँक दिया जिस से कि ६,४००) रु० की हानि हुई। यद्यपि आक्रमणकारियों की सूचना देने के लिये १०००) रु० पारितोषिक की घोषणा की गई, तो भी कोई सुदृढ़ प्रमाण ऐसे न मिल सके, कि अभियोग चलाया जा सकता, परन्तु क्रान्तिकारी जिन वस्तुओं को डकैती के बाद भूल कर छोड़ गए थे, उनमें एक प्रति उस पुस्तक की भी थी, जिसे कि 'ढाका-अनुशीलन-समिति' ने प्रकाशित किया था।

इस में ज़रा भी सन्देह नहीं कि बारा और नदिया—दोनों ही स्थानों की डकैती ढाका-समिति के ही कार्य थे। इस बात के हमारे पास प्रचुर प्रमाण विद्यमान हैं और इस के अतिरिक्त स्वयं एक क्रान्तिकारी ने भी यह स्वीकार किया है, कि यह

ढाका-समिति का ही कार्य था। यह व्यक्ति इन दोनों घटनाओं में स्वयं भी सम्मिलित था।

अगस्त के महीने में ३ व्यक्ति एक चुराई हुई नाव पर गिरफ़ार हुए। यह नाव ढाका ज़िले में चोरी गई थी। दो देशी ख़ञ्जर इस नाव में गुप्त रीति से रक्खे हुये पाये गए और उन तीन व्यक्तियों में से एक को बाद में बारीसाल-उप-षड़यन्त्र अभियोग में द्वीपान्तरवास का दण्ड मिला।

इस बात में ज़रा भी सन्देह नहीं, कि क्रान्तिकारियों ने यह नाव इस उद्देश्य से चुराई थी कि इससे बारा या नदिया जैसी किसी और डकैती में काम लिया जाए।

क्रान्तिकारी पुलिस के भेष में

१५ अगस्त, १९०८ और १६ सितम्बर, १९०८ को बिजीतपुर नामक गाँव, ज़िला मैमनसिंह में, और उससे १०० मील दूर एक विघाटी नामक गाँव, ज़िला हुगली में डकैतियाँ डाली गईं। दोनों स्थानों में पिस्तौल इत्यादि अस्त्रों से सुसज्जित नवयुवकों के एक गिरोह ने मकानों में सरकारी अफ़सरों के भेष में प्रवेश किया और यह बहाना किया कि उन्हें मकानों की तलाशियाँ लेनी हैं, पर घरों में घुसते ही लूट-मार शुरू कर दी। विघाटी वाले मामले में ४ व्यक्ति दण्डित हुए जिनमें से दो पर विजीतपुर वाले मामले पर भी पूरे प्रमाण होने के कारण अभियोग चलाया गया पर चूँकि एक मामले में उनको सज़ा हो चुकी थी, इसलिये दूसरे अभियोग को जारी रखना अनावश्यक समझा गया।

हत्याकाण्ड

सितम्बर और नवम्बर, सन् १९०८ के हत्याकाण्डों का उल्लेख किया ही जा चुका है, इनमें सरकारी गवाह नारायण-गोस्वामी और पुलिस इन्स्पैक्टर नन्दलाल बैनर्जी की, जिसने कि मिसेज़ तथा मिस केनेडी के हत्यारों को गिरफ़ार किया था, जान गई थी। नवम्बर के महीने में निश्चयात्मक रूप से एक, और सम्भवतः तीन, इसी प्रकार के हत्याकाण्ड और हुए। पहिले काण्ड में सुकुमार चक्रवर्ती को क्रान्तिकारियों ने मारा। यह व्यक्ति किसी समय 'ढाका-अनुशीलन-समिति' के नेता तुलिन विहारी दास के साथ एक लड़के को भगाने के जुर्म में गिरफ़ार हुआ था। गिरफ़ारी के बाद सुकुमार ने जो बयान दिया, उसके पश्चात वे ज़मानत पर रिहा कर दिये गए। परन्तु इसके बाद से वह लापता है। इस बात के लिए हमारे पास पर्याप्त प्रमाण हैं और क़त्ल करने वालों में से एक का बयान भी है, कि सुकुमार की हत्या इसलिए की गई थी, कि वह अदालत में बयान न देने पावे, हमें इस बात का भी विश्वास है, कि केशवदेव और आनन्दप्रसाद घोष नामक दो क्रान्तिकारी सदस्यों का क़त्ल, इसलिये किया गया, कि क्रान्तिकारियों को यह भय था कि कहीं वे समिति के विरुद्ध सरकार को बयान व सूचना न दे दें।

डकैतियाँ

पश्चिम बङ्गाल में रैता और मोरहल नामक स्थानों पर नवम्बर और दिसम्बर, १९०८ में भयङ्कर डकैतियाँ हुईं जिन

में कि डाकुओं ने बन्दूक़ों, पिस्तौलों तथा अन्य अस्त्र-शस्त्रों के साथ भाग लिया था। बाकरगञ्ज ज़िले के देहरघाटी नामक स्थान पर भी एक और डकैती पड़ी। एक क्रान्तिकारी, जो कि ज़ख्मी हो गया था, गिरफ़्तार किया गया और उसे मोरहल अभियोग में दण्ड मिला।

७ नवम्बर, १९०८ को बङ्गाल के छोटे लाट सर एण्डरियू-फ़्रेज़र पर गोली चलाने का प्रयत्न किया गया पर आक्रमणकारी पकड़ा गया और उसे दस वर्ष का कठोर कारावास दण्ड दिया गया।

इस प्रकार हमने १९०८ के अन्त तक का व्योरा समाप्त कर दिया है। इस का संक्षिप्त विवरण निम्नाङ्कित तालिका में दिया गया है और घटनास्थलों को नक़शे में दिखाया गया है।

नवीन शासन विधान की घोषणा

इस वर्ष २ नवम्बर को (मिण्टो मॉर्ले रिफ़ॉर्म) नवीन शासन-विधान की शाही घोषणा की गई जिसके अनुसार व्यवस्थापिका सभाओं (लेजिस्लेटिव कौंसिल) की वृद्धि की गई और जनसत्तात्मक शासन के सिद्धान्त को भी बढ़ाया गया। (अर्थात् चुनाव-अधिकार को विस्तार दिया गया) इन सुधारों की घोषणा भारत सचिव ने अगले महीने में की।

१९०६ से १९०८ तक के क्रान्तिकारी उपद्रवों की तालिका

हम इस तालिका को नीचे प्रकाशित करते हैं :—

१९०६

संख्या	तारीख़	ज़िला	गाँव और पुलिस थाना	घटना	लूट	हताहत	विवेचना
१	अगस्त	रंगपूर	महीपुर	असफल डकैती	...	...	...
२	सितम्बर	ढाका	शेख़रनगर	”	...	...	...

१९०७

संख्या	तारीख़	ज़िला	गाँव और पुलिस थाना	घटना	लूट	हताहत	विवेचना
१	१९०७	ढाका	निताईगञ्ज व नारायणगञ्ज	लूट-मार	८० रु०	एक व्यक्ति घायल	...
२	”	”	अरसुलिया	डकैती का प्रयत्न	...	...	...
३	२१ अप्रेल, १९०७ और जून, १९१२	मैमनसिंह	जमालपुर	बलवा और मार-पीट	...	एक घायल	बलवे में कई को सज़ा
४	अगस्त	बाँकुरा	हासाडाँगा	डकैती का प्रयत्न	...	...	...
५	अक्टूबर १९०७	फ़्रान्सीसी चन्द्रनगर	...	रेलगाड़ी पर आक्रमण	...	...	...

संख्या	तारीख़	ज़िला	गाँव व थाना	घटना	लूट	हताहत	विवेचना
६	६ दिसम्बर	मिदनापुर	नारायणगढ़	रेलगाड़ी पर आक्रमण	...	...	...
७	२३ दिसम्बर	फ़रीदपुर	ग्वालएडो	मि० ऐलन की हत्या की चेष्टा	...	एक घायल	...

१९०८

संख्या	तारीख़	ज़िला	गाँव व थाना	घटना	लूट	हताहत	विवेचना
१	३ अप्रेल	हावड़ा	श्री हरिनापाड़ा शिवपुर	डकैती	४०० रु०	...	...
२	११ अप्रेल	फ़्रान्सीसी चन्द्रनगर	...	बम द्वारा हत्या का प्रयत्न	...	...	...
३	३० अप्रेल	मुज़फ़्फ़रपुर (बिहार)	...	क़त्ल	...	२ स्त्रियाँ मरीं एक आदमी घायल	एक व्यक्ति को प्राण दण्ड

४	२ मई, और १२ फ़रवरी, १९१०	२४ परगना	अलीपुर	षड़यन्त्र केस	...	...	३ व्यक्तियों को ७ वर्ष का कठिन कारावास, ४ को आजन्म द्वीपान्तरवास, ३ को १० वर्ष, ४ को ७ वर्ष और ३ को ५ वर्ष का कठिन कारावास
५	३ मई, १९०८ व ७ अगस्त, १९१२	मिदनापुर	...	षड़यन्त्र केस	...	...	...
६	१५ मई	कलकत्ता	ग्रे स्ट्रीट	बम-विस्फोटन	...	...	...
७	२ जून	ढाका	वारा नवाबगञ्ज	डकैती व ख़ून	२५८३७ रु०	४ मरे कई घा० और १ डाकू मरा	
८	२१ जून	२४ परगना	कनकीनारा	भिन्न भिन्न नारियल-बम की घटनाएँ		...	...
	१२ अगस्त	”	श्यामनगर				
	२४ नवम्बर	”	बेलघरिया अगरपाड़ा				
	२१ दिसम्बर	”	सोदपुर खरदा				

संख्या	तारीख़	ज़िला	गाँव या थाना	घटना	लूट	हताहत	विवेचना
९	१४ अगस्त	ढाका	सतीरपाड़ा	किश्ती की चोरी	...	...	तीन व्यक्तियों को ४ वर्ष का कठिन दण्ड व ५० रु० जुर्माना
१०	१५ अगस्त	मैमनसिंह	विजितपुर	डकैती	१५०० रु०	...	१ को डेढ़ वर्ष और १को १ वर्ष की सज़ा
११	१ सितम्बर	२४ परगना	अलीपुर जेल	नारायण गुँसाई का कत्ल	...	एक मरा	२ को फाँसी लगी
१२	१६ सितम्बर	हुगली	विघाटी, भद्रेश्वर	डकैती	५३६ रु०	...	एक को ६ वर्ष, दो को पाँच वर्ष और एक को साढ़े तीन वर्ष का कठोर कारावास
१३	३० अक्टूबर	फ़रीदपुर	नरिया पलंग	डकैती और अग्निकाण्ड	६७० रु०	२ आदमी घायल	६४०० रु० का नुक़सान
१४	७ नवम्बर	कलकत्ता	ओवर टून हॉल	सर एण्ड्रू फ्रेज़र की हत्या की चेष्टा	...	...	१ को १० वर्ष का कठिन कारावास

१५	६ नवम्बर	कलकत्ता	सरपेण्टाइन लेन	पुलिस इन्सपेक्टर नन्दलाल बेनर्जी का क़त्ल	...	एक दारोग़ा मरा	
१६	१४ "	ढाका	रमना	सुकुमार चक्रवर्ती का क़त्ल	...	एक युवक मरा	
१७	नवम्बर	हावड़ा	—	केशवदेव की हत्या	...	एक मरा	
१८	"	ढाका	रमना	आनन्द घोष की हत्या	...	एक युवक मरा	
१९	२६ "	नदिया	रैता	डकैती	१६१५ रु०	...	
२०	२ दिसम्बर	हुगली	मोरहल थाना कृष्णनगर	"	१३०रु०	एक घायल	एक को ७ वर्ष का कठिन कारावास
२१	दिसम्बर	बाकरगञ्ज	डेहरघाटी	"	३०००रु०	...	...

१९०९ प्रतिबन्धक कार्य

११ अगस्त, १९०८ को सन् १९०८ का चौदहवाँ क्रिमिनल लॉ एमेण्डमेन्ट एक्ट पास किया गया। इस क़ानून के अनुसार यह नियम बनाया गया कि बाज़-बाज़ उपद्रवों के अभियोग में बहुत ही साधारण और संक्षिप्त अनुसन्धान के बाद मुक़दमा हाईकोर्ट के तीन जजों की विशेष-अदालत में बिना जूरी और बिना असेसर लोगों के ही तै हो सके। इसी क़ानून के अनुसार गवर्नर-जनरल-इन-काउन्सिल को अधिकार दिया गया कि वे जिन संस्थाओं को उचित समझें ग़ैर क़ानूनी क़रार दें। इस क़ानून के अनुसार जनवरी, सन् १९०९ में पूर्वीय बङ्गाल की निम्नलिखित संस्थाएँ ग़ैर-क़ानूनी घोषित की गईं:—

१—ढाका-अनुशीलन-समिति—ढाका
२—स्वदेश-बान्धव-समिति—बाक़रगञ्ज
३—वृति-समिति—फ़रीदपुर
४—सुहृद-समिति—मैमनसिंह
५—साधन-समिति—मैमनसिंह

नवम्बर, सन् १९०८ में ढाका-अनुशीलन-समिति के प्रधान पुलिनविहारी दास तथा आठ अन्य व्यक्तियों को रेगुलेशन ३, सन् १८१८ के अनुसार द्वीपान्तरवास का दण्ड दिया गया।

१९०९ की डकैतियाँ तथा हत्याकाण्ड

१० फ़रवरी, सन् १९०९ को, जैसा कि पहिले लिखा जा चुका है सरकारी वकील आसुतोष विश्वास को, जो कि सरकारी

गवाह नारायण गोस्वामी के मुक़दमे में पैरवी कर चुके थे, जब कि वे कलकत्ता-पुलिस अदालत की सुबरबन कचहरी से वापिस आ रहे थे, गोली से मार डाले गए। आक्रमणकारी को सिपाहियों ने घटनास्थल पर ही गिरफ़ार किया और दोषित प्रमाणित होने पर उसे फाँसी दी गई। ३ जनवरी, १९०९ को प्रियनाथ चटर्जी नामक एक युवक को उसी के घर में उसकी माँ की आँखों के सामने ही सशस्त्र क्रान्तिकारियों ने गोली से मार डाला। हत्या करने वाले प्रियनाथ के भाई गवेश चटर्जी को मारना चाहते थे, क्योंकि वह पुलिस की ओर से गवाही दे रहा था; परन्तु उसके भाई की हत्या भूल से हो गई। इस बात का हमारे पास पूरा प्रमाण है और स्वयं एक क्रान्तिकारी का बयान भी है कि इस हत्या-काण्ड का उत्तरदायित्व ढाका-समिति ही पर था।

१६ अगस्त को खुलना ज़िले में नगला नामक स्थान पर ८, ९ नक़ाबपोश सशस्त्र व्यक्तियों ने एक डकैती की और डरा-धमका कर चाभियाँ छीन कर १०७०) रु० के ज़ेवर व नक़दी लूट कर ले गए। इस घटना के सम्बन्ध में तलाशी लेने पर विद्रोही-साहित्य और विस्फोटक द्रव्यों के बनाने की रीति इत्यादि चीज़ें हाथ लगीं। कई व्यक्तियों को सजाएँ हुईं।

११ अक्तूबर, १९०९ को राजेन्द्रपुर रेलवे स्टेशन से ७ थैलों में २३०००) रु० भेजा जा रहा था। ढाका स्टेशन पर ७ या ८ 'भद्र-लोग' गाड़ी पर सवार हुए और उन तीन व्यक्तियों पर

हमला किया, जिन के सुपुर्द यह रुपया था। दो आदमियों पर गोली चलाई गई जिन में से एक मर गया। डाकुओं ने तब रुपए की थैलियों को चलती गाड़ी से फेंक दिया और गाड़ी से कूद पड़े। अनुसन्धान के पश्चात् आधा रुपया मिल गया और एक आदमी को दण्ड मिला। कम से कम तीन बयान ऐसे विद्यमान हैं जिन्हें कि बन्दियों ने स्वतन्त्र रूप से भिन्न भिन्न समय और भिन्न भिन्न स्थानों पर दिए, जिनसे यह स्पष्ट प्रगट होता है कि इस डकैती का उत्तरदायित्व भी क्रान्तिकारी संस्था पर ही है और एक व्यक्ति ने तो स्पष्ट ही बयान दिया है, कि डकैती का कुछ रुपया ढाका-अनुशीलन-समिति को और कुछ रुपया कलकत्ते की 'युगान्तर' पार्टी को दिया गया।

१० नवम्बर, १९०९ को ढाका ज़िले के राजनगर स्थान में एक मकान पर २५, ३० युवकों ने, जिन के पास बन्दूक़ें थीं, आक्रमण किया और २८०००) रु० की नक़दी तथा ज़ेवर लूटे। अगले दिन, अर्थात् ११ नवम्बर को, बीस-तीस युवक मय बम और बन्दूक़ों के मोहनपुर में चार दूकानों को लूटने लगे। यह गाँव टिप्परा ज़िले में है। इस डकैती में १६०००) रु० की नक़दी व ज़ेवरों की क्षति हुई। यह दोनों डकैतियाँ सोनारङ्ग नेशनल स्कूल में ही ठीक की गई थीं और इसका पूर्ण विवरण ढाका-समिति के पक्के सदस्यों ने बाद में दिया। ये तीनों काण्ड ढाका-समिति के थे, जो कि एक राष्ट्रीय विद्यालय की ओट में डकैतियाँ किया करता था।

इसी साल एक दूसरी डकैती, जो कि उल्लेखनीय है, नदिया ज़िले में खलदवाड़ी नामक स्थान पर हुई; परन्तु इस डकैती को करने वाला एक दूसरा ही गिरोह था। २८ अक्टूबर को १० या १२ युवक—जिनके पास बन्दूकें और पिस्तौलें थीं, और जिनके चेहरे ढके हुए थे और किसी किसी ने नक़ली दाढ़ी भी लगाई हुई थी—दो मकानों पर आक्रमण किया और १४८०) रु० के नक़दी और ज़ेवर उड़ा कर ले गए। पीछा करने पर ५ व्यक्ति रेलवे स्टेशन जाते समय गिरफ़्तार किए गए। उनमें से एक के घर पर ३५ रिवॉल्वर के कारतूस पाए गए। अभियोग के बाद ५ को दण्ड दिया गया। इनमें से एक उपेन्द्र देव नामक व्यक्ति के पास 'पोटेशियम साईनाईड' नामक भयङ्कर विष की गोलियाँ थीं, ताकि आवश्यकता पड़ने पर अपराधी तुरन्त आत्म-हत्या कर सके। एक अपराधी ने अपने बयान में इस बात को कहा कि इन गोलियों को उपेन्द्र को देने का यही तात्पर्य्य था कि इनसे क्रान्तिकारी आत्म-हत्या कर सकें।

१९०९ में और भी बहुत सी डकैतियाँ और लूटें हुईं परन्तु विस्तार-भय के कारण हम उन्हें नीचे की तालिका में देते हैं :—

१९०९

संख्या	तारीख़	ज़िला	गाँव व थाना	घटना	लूट	हताहत	विवेचना
१	१ जनवरी	टिप्परा	कमिल्ला	अस्त्र-शस्त्रों की चोरी		•	३ बन्दूकें चोरी गईं। १ व्यक्ति का मुचलका लिया गया
२	१० फ़रवरी	कलकत्ता	..	आसुतोष विश्वास का क़त्ल		१ मरा	दोषी को फाँसी
३	१० फ़रवरी ५ अप्रेल	२४ परगना	वेलघरिया अगर पाड़ा	नारियल के बम फेंके गए		२ घायल	...
४	२७ फ़रवरी	हुगली	मशुपुर हरीपाल	डकैती	५००)	...	१० या १२ युवकों ने डाका डाला
५	२३ अप्रेल	२४ परगना	नेत्रा थाना डयेमएड हारबर	...	२४००)	...	डाकू नक़ाबपोश थे तीन रिवाल्वर थे उन्होंनेचाबियाँ माँग कर बक्स खोला और यह कह कर कि रुपया केवलक़र्ज़ के तौर पर ले जाते हैं ताकि अङ्गरेज़ी राज्य उखाड़ सकें २४००) रु० ले गये

६	३ जून	फ़रीदपुर	फ़तेहजंगपुर	प्रियनाथ चटर्जी की हत्या	...	१ मरा	...
७	१६ अगस्त	खुलना	नगला-ताला	डकैती	१०७०)	...	१ को ७ वर्ष का कठोर कारावास
८	१६, ३० अगस्त	जैसौर	नङ्गला	षड्यन्त्र	...	...	४ को ७ वर्ष, ३ को ५ वर्ष और २ को ३ वर्ष का द्वीपान्तरवास
९	२४ सितम्बर	खुलना	होगल बनिया थाना वैताखाला	...	५०)	एक घायल	डाकू युवकोंके पास बन्दूकें और रिवॉल्वर थे
१०	१६ अक्टूबर	फ़रीदपुर	दरियापुर	डकैती	२६००)	...	,, ,, ,, इसके अतिरिक्त उनके पास हथौड़े और बिजली के टॉर्च और चेहरों पर नक़ाब थी

संख्या	तारीख़	ज़िला	गाँव व थाना	घटना	लूट	हताहत	विवेचना
११	११ अक्टूबर	ढाका	राजेन्द्रपुर	रेलगाड़ी पर डाका	२३०००) ११८६४) (११८६४) वसूल हो गया	१ मरा १ घायल	१ को आजन्म द्वीपान्तरवास,
१२	२८ "	नदिया	हलुदवाड़ी दौलतपुर	"	१४००)	..	५ को आठ, १ को ७, और एक को ५ वर्ष का कठोर कारावास
१३	१० नवम्बर	ढाका	राजनगर मालिकगञ्ज	डकैती और अग्नि-काण्ड	२७८२७)	...	...
१४	११ नवम्बर	टिप्परा	मोहनपुर थाना मतलब	डकैती और अग्निकाण्ड	१६४००)	एक घायल	अग्निकाण्ड में १४०००) का नुकसान
१५	२४ "	हिलटिपैरा	अगरतल्ला	सन्दिग्ध दशा में चहलकदमी	...	...	दो व्यक्तियों के मुचलके
१६	२७ दिसम्बर	जैसौर	विकारा-नवापाड़ा	डकैती	८१४)	...	८, ९ युवक, जिनके पास रिवाल्वर और छुरे थे डकैती में शामिल थे

सन् १९०९ के साल में, हमारे पास विश्वस्त सूचना है, कि कई और स्थानों में हत्याकाण्ड तथा डकैतियों का प्रबन्ध किया गया। परन्तु चूँकि यह प्रबन्ध वास्तव में कार्य रूप में परिणत नहीं हो सका, इसलिये उसका उल्लेख करना अनावश्यक है। यहाँ पर यह लिख देना अनुचित न होगा कि नवम्बर के महीने में जब कि प्रान्तीय लाट पूर्वीय बङ्गाल का दौरा करते हुए हिलटिपैरा ज़िले के अगरतल्ला नामक स्थान पर पहुँचे तो तीन नवयुवक साधुओं के भेष में सन्दिग्ध दशा में घूमते-फिरते पाए गए और अनुसन्धान करने पर उन्होंने झूठे नाम बताए। इनमें से दो व्यक्ति बाद में क्रान्तिकारी कार्यों के सम्बन्ध में सज़ा पा चुके हैं।

इसी साल दिसम्बर के महीने में सूबा बम्बई में नासिक के कलक्टर मिस्टर जैक्सन की हत्या हुई, जिसका उल्लेख पहिले किया जा चुका है।

१९१०—शमसुलआलम की हत्या

सन्, १९१० में पहिला क्रान्तिकारी काण्ड डिप्टी सुपरिण्टेण्डेण्ट शमसुलआलम की हत्या थी, जो कि २४ जनवरी को हाईकोर्ट में हुई, जिसका उल्लेख किया जा चुका है।

हावड़ा षड़यन्त्र केस

मार्च के महीने में हावड़ा षड़यन्त्र केस के सम्बन्ध में अदालती कार्यवाही जारी हुई, जो कि अप्रैल, १९११ तक चलती रही। कार्यवाही सन् १९०८ के क्रिमिनल लॉ एमेण्डमेण्ट ऐक्ट के

अनुसार विशेष अदालत के सामने हुई। ५० व्यक्तियों पर सम्राट् के विरुद्ध युद्ध करने और कलकत्ते के आस-पास डकैतियाँ डाल कर उस युद्ध में भाग लेने के लिये रुपये जमा करने का अभियोग लगाया गया। अभियोग में विघाटी, रैता, मोरहल, नेत्रा और हल्दवाड़ी की डकैतियों का उल्लेख किया गया। अदालत का यह फ़ैसला था, कि ये डकैतियाँ अवश्य हुईं और इनके करने वाले व्यक्ति 'भद्रलोग' अर्थात सुशिक्षित और इज्ज़तदार समुदाय के व्यक्ति थे, परन्तु षड़यन्त्र का अपराध केवल ६ व्यक्तियों पर ही प्रमाणित हो सका। इन ६ व्यक्तियों को हल्दवाड़ी केस में पहिले ही सज़ा हो चुकी थी। इस मुक़दमे के १२ महीने तक जारी रहने का और ५० व्यक्तियों पर अभियोग लगाए जाने का यह नतीजा निकला कि कलकत्ता और उसके आस-पास के ज़िलों में भद्र लोगों द्वारा डकैतियाँ बिल्कुल बन्द होगईं और फिर तब आरम्भ हुईं, जब कि जतिन्द्र मुकर्जी नामक एक विख्यात व्यक्ति पश्चिमीय बङ्गाल में सन् १९१४ में इस दल का नेता बना।

खुलना गैङ्ग

सन् १९१० के साल के पहिले भाग में निम्नलिखित डकैतियाँ पड़ीं :—

१९१०

संख्या	तारीख़	ज़िला	गाँव व थाना	घटना	लूट	हताहत	विवेचना
१	७ फ़रवरी	खुलना	सोलगन्टी थाना दमुरिया	डकैती	२००) रु०	...	...
२	११ ”	जैसौर	धूलग्राम थाना अभयनगर	डकैती	६१७५रु०	...	...
३	३० मार्च	नन्दनपुर खुलना	नन्दनपुर	डकैती	६५००)		...
४	५ जुलाई	जैसौर	महीसा थाना महमदपुर	डकैती	२२०४)		एक युवक को ६, एक को ५ और तीन को तीन वर्ष का कठोर कारावास

ये सारी डकैतियाँ कलकत्ता और ढाका के बीच खुलना और जैसौर के आस-पास युवकों ने की थीं, जिनके पास छुरे और पिस्तौल थे। अनुसन्धान के उपरान्त यह मालूम हुआ कि शिक्षित युवकों का एक दल खुलना ज़िले में डकैतियाँ करने के विचार से सङ्गठित हुआ है इनमें से १७ व्यक्तियों पर अदालत में जो मुक़दमा चला, वह 'खुलना गैङ्ग केस' के नाम से प्रसिद्ध है। प्रत्येक अभियुक्त ने अपना अपराध स्वीकार किया और नेक-चलनी की ज़मानत स्वयं देने पर उन्हें बिना दण्ड के मुक्त कर दिया गया। इसमें सन्देह नहीं कि यह सब व्यक्ति इन अपराधों के करने के लिये केवल क्रान्तिकारी विचारों से प्रभावित होकर उद्यत हुए थे।

ढाका षड्यन्त्र केस

सन्, १९०२ की जुलाई के महीने में ढाका शहर में कुछ व्यक्तियों के ऊपर सम्राट के विरुद्ध युद्ध करने और ढाका ज़िले में अराजकता फैलाने एवं उन उपद्रवों में भाग लेने का अभियोग चलाया गया। इन व्यक्तियों में प्रमुख पुलिनविहारी दास था, जिसे कि नवम्बर, १९०८ में द्वीपान्तरवास का दण्ड दिया जा चुका था; परन्तु सन् १९१० में उसे वापिस आने की इजाज़त मिल गई थी। ४४ व्यक्तियों पर मुक़दमा चलाया गया, १५ अपराधी सिद्ध हुए और उन्हें २ से ७ वर्ष तक का कारावास दण्ड मिला। सेशन्स जज ने अपने फ़ैसले में लिखा, और इस

फ़ैसले को हाईकोर्ट ने अपील में बहाल रक्खा, कि "ढाका-अनुशीलन-समिति के सदस्य धन इकट्ठा करने के अभिप्राय से डकैतियाँ डालते थे और उनके पास अस्त्र-शस्त्र जमा थे और अपने भेदों को गुप्त रखने के अभिप्राय से भी वे हत्याएँ करते थे। इन सब बातों से यह स्पष्ट प्रमाणित होता है कि यह षड़यन्त्र, जिसका उद्देश्य युद्ध जारी करना था, बहुत अरसा हुआ निष्क्रिया स्थिति से क्रियात्मक स्थिति में बदल चुकी थी और इसलिए गवर्नमेण्ट का यह कर्त्तव्य था कि इनके विरुद्ध कार्य किया जाए।"

ढाका-अनुशीलन-समिति के हेडकार्टस में जो तलाशियाँ ली गईं, तो बहुत सा साहित्य ऐसा मिला, जिसकी सहायता से उस संस्था के कार्यक्रम और सङ्गठन का बहुत अच्छा परिचय प्राप्त होता है। इसका विस्तृत विवरण उपयुक्त समय पर फिर दिया जाएगा।

पूर्वीय-बङ्गाल में अन्य उपद्रव

दुर्भाग्यवश इस अभियोग का नतीजा यह न हुआ; कि इस ज़िले में राजनैतिक उपद्रव कम हो सकते, इसका कारण यह था कि षड़यंत्रकारियों की संख्या और उनकी सहकारी सहयोगी-संस्थाएँ बहुत थीं और अभियोग का वह जाल, जो कि सरकार ने बिछाया था, इन सब व्यक्तियों और संस्थाओं को फाँसने को काफ़ी न था। जुलाई से दिसम्बर, सन् १९१० तक निम्नलिखित उपद्रव ढाका ज़िले में हुए :—

१९१०

संख्या	तारीख़	ज़िला	गाँव व थाना	घटना	लूट	हताहत	विवेचना
१	२१ जुलाई	मैमनसिंह	गोलकपुर	हथियारों की चोरी	...	...	...
२	५ सितम्बर	ढाका	मुन्शीगञ्ज	कई बम पाए गए	...	...	१ व्यक्ति को १० वर्ष का द्वीपान्तरवास
३	३० ”	”	हल्दियाहाट थाना लोहागञ्ज	डकैती और ख़ून	१५००)	एक मरा और कई घायल	...
४	७ नवम्बर	फ़रीदपुर	कलार गञ्ज थाना भद्रगञ्ज	डकैती	१२६६०)	...	...
५	३० ”	बाक़रगञ्ज	दादपुर-मेहन्दीगञ्ज	”	४९३६८)	५ व्यक्ति घायल	...

इनके अतिरिक्त एक और डकैती का प्रबन्ध किया गया जिसमें कि षड़न्त्रकारी लोग कलकत्ता, मैमनसिंह और सोनारङ्ग से आकर भाग लेने वाले थे, परन्तु सौभाग्यवश क्रान्तिकारियों का प्रबन्ध पूरा न हो सका और कुछ नुक़सान न हो पाया।

बारीसाल उप-षड़यन्त्र केस में दिये गये बयान में एक गवाह ने कहा, कि ये तीनों डकैतियाँ सोनारङ्ग नेशनल स्कूल के अध्यापक और विद्यार्थियों का ही कार्य था। (यह विद्यालय सन् १९११ में और भी प्रसिद्ध हुआ।) जो रुपया लूट में मिला उस में से कुछ धन ढाका षड़यन्त्र केस में अभियुक्तों की सहायता में ख़र्च किया गया।

सन्—१९१० का प्रेस-ऐक्ट

इस साल का पहिला क़ानून इण्डियन-प्रेस एक्ट था, जिसे कि गवर्नर जनरल ने ९ फ़रवरी को अपनी स्वीकृति देकर पास किया। भूमिका में विद्रोही समाचार-पत्रों की शैली का वर्णन किया जा चुका है। सन्, १९०८ के समाचार-पत्र-क़ानून के अनुसार यह नियम बनाया गया था कि वे यन्त्रालय, जिन में कि विद्रोही समाचार-पत्र छपें, ज़ब्त किए जा सकें। इस क़ानून के अनुसार 'युगान्तर' पत्र शीघ्र बन्द हो गया था। सन्, १९१० के क़ानून के अनुसार यह नियम बना कि सरकार जिस यन्त्रालय से चाहे ज़मानत माँग सके, इस क़ानून का फल यह हुआ

कि विद्रोही साहित्य खुल्लम खुल्ला छपना बन्द हो गया। अब गुप्त प्रेसों में छपने लगा।

सन्—१९११ की उद्दण्डताएँ

इस साल क्रान्तिकारियों ने १८ उपद्रव किए, जिनमें से १६ पूर्वीय-बङ्गाल में थे, यह इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि ढाका षड़यन्त्र केस (जो कि अप्रैल १९१२ तक चलता रहा) के चलाए जाने पर भी क्रान्तिकारी उपद्रवों की भी काफ़ी रोक-थाम न हो सकी। पूर्वीय-बङ्गाल के उपद्रव नीचे की तालिका में दिए जाते हैं :—

(कृपया अगले पृष्ठ पर देखिए)

१९११

संख्या	तारीख़	ज़िला	गाँव व थाना	घटना	लूट	हताहत	विवेचना
१	२१ जनवरी	ढाका	सोनारङ्ग	डाकिये पर हमला			एक को चार और १ को १ महीने का कठोर कारावास और २५) का जुर्माना
२	५, फ़रवरी	फ़रीदपुर	पण्डितचर	डकैती	५५००)	...	...
३	२०, ”	ढाका	गोदिया लोहागञ्ज	”	७४५७)	...	..
४	३१, मार्च	मैमनसिंह	सुआकेर मदारगञ्ज	”	१२००)	एक घायल	...
५	१०, अप्रैल	ढाका	राठभोग	मनमोहन देव का ख़ून	...	एक मरा	...
६	२२ ”	बाक़रगञ्ज	लखनकान्ति	डकैती	१०२००)	...	...
७	३० ”	मैमनसिंह	चरशासा	”	२१५०)	...	...

संख्या	तारीख़	ज़िला	गाँव व थाना	घटना	लूट	हताहत	विवेचना
८	...	टिप्परा	बढ़कान्ता	डकैती	२६०)	...	...
९	१९ जून	मैमनसिंह	...	राजकुमार की हत्या	...	सब इन्स-पैक्टर का कत्ल	...
१०	११ जुलाई	ढाका	सोनारङ्ग	हत्याकाण्ड	...	३ मरे	..
११	२७, ”	मैमनसिंह	सरचार थाना विजीतपुर	डकैती	...	...	१ को ५ वर्ष का कठोर कारावास
१२	५ दिसम्बर	ढाका	सिंगेर मानिक गञ्ज	...	८१७०)	...	...
१३	३ अक्टूबर	मैमनसिंह	कलियाचर थाना विजीतपुर	...	३१२५)	१ घायल	...
१४	६ नवम्बर	रङ्गपुर	बलियाग्राम	...	१२१८)	...	...
१५	१७ दिसम्बर	बाकरगञ्ज	•बारीसाल	मनमोहन घोष की हत्या	...	इन्स्पैक्टर मरा	...
१६	३१ दिसम्बर	नवाखाली	चौलपाली	डकैती	१६७७)	...	...

सोनारङ्ग नेशनल स्कूल

इन उपद्रवों में से सब से पहिला सोनारङ्ग के अध्यापकों और विद्यार्थियों का काम था, जिन्होंने एक डाकिये के थैले को छीन कर रजिस्टर्ड और मनिऑर्डर लूट लिए थे। १४ अध्यापक और विद्यार्थी गिरफ़ार किये गए, ७ को जुर्माना और कारावास का दण्ड मिला। ११ जुलाई को सोनारङ्ग में जो हत्याकाण्ड हुआ वह इस डाकिए वाले मामले का परिशिष्ट ही मालूम होता है। इस मामले में दीवान रसूल को गोली से मार डाला गया और उसके भाई और एक अन्य व्यक्ति को उनके घर में सख्त जख्म लगे जिनके कारण वे भी मर गये। ये सब सूचना देकर पुलिस की मदद करते थे और विशेष कर, दीवान रसूल ने डाकिये वाले मामले में पुलिस की मदद की थी।

इस धारणा के लिए समुचित प्रमाण है कि सोनारङ्ग-राष्ट्रीय विद्यालय के अध्यापक और छात्रों ने गोड़िया नामक स्थान की डकैती में भाग लिया था। यह कुविख्यात विद्यालय सन् १९०८ में स्थापित किया गया था और ढाका-षड़यन्त्र केस के समय इस में ६०, ७० विद्यार्थी पढ़ते थे। विद्यालय का शिक्षाक्रम सरकारी स्कूलों का सा था, जिन में कि इण्ट्रेन्स तक की पूरी, शिक्षा दी जाती थी। परन्तु विशेषता यह थी, कि शारीरिक व्यायाम और लाठी चलाना भी सिखाया जाता था और स्कूल में एक लोहार और बढ़ई की भी दूकान थी,

ताकि इन विषयों में व्यवहारिक शिक्षा भी दी जा सके। इस विद्यालय में क्या-क्या विषय पढ़ाए जाते थे या पाठ्यक्रम में कौन-कौन सी पुस्तकें थीं, इसकी कोई सूची प्रकाशित नहीं की गई थी और यह भी मालूम नहीं हो सका कि वास्तव में कौन सी पुस्तकें पढ़ाई जाती थीं; परन्तु अगस्त सन्, १९१० में, जबकि ढाका-षड़यन्त्र केस के सम्बन्ध में वहाँ तलाशी ली गई, तो ये पुस्तकें विद्यालय के पुस्तकालय में पाई गईं।

१—तिलक अभियोग का इतिहास और उनकी संक्षिप्त जीवनी।

२—छत्रपति शिवा जी—लेखक एस० सी० शास्त्री।

३—सिपाही विद्रोह का इतिहास।

हत्या-काण्ड

अन्य हत्याएँ, जिन का उल्लेख इस सूची में किया गया है, उनमें उल्लेखनीय ये हैं। राठभोग स्थान में ढाका केस के गवाह मनमोहन देव की हत्या। यही व्यक्ति मुन्शीगञ्ज बम केस में भी गवाह था। सब-इन्सपैक्टर राजकुमार की हत्या जिला मैमनसिंह में, जब कि वह अपने घर घूमता हुआ वापिस आ रहा था। बारीसाल में इन्सपैक्टर मनमोहन घोष की हत्या, जब कि वह शाही घोषणा दिवस की सन्ध्या को अपने घर वापिस जा रहा था। यह दारोगा कितने ही राजनैतिक अनुसन्धान में प्रमुख भाग ले चुका था और ढाका केस में भी गवाह की हैसियत से बयान दे चुका था।

यद्यपि इस साल के अधिकांश उपद्रव पूर्वीय बङ्गाल में हुए, परन्तु दो भीषण हत्याकाण्ड क्रान्तिकारियों ने कलकत्ता शहर में भी किए। २१ फ़रवरी, १९११ को हेड कॉन्सटेबिल सुरेशचन्द्र चक्रवर्ती, जो कि खुफ़िया पुलिस में काम कर रहा था, क्रान्तिकारियों की गोलियों का शिकार हुआ। और इस बात का हमें विश्वास है कि यह हत्या कलकत्ता-अनुशीलन-समिति के सदस्य ने की थी। २ मार्च को सन्ध्या के ज़रा पहिले, काऊली नामक एक अङ्गरेज़ की मोटरकार में एक १६ वर्ष के लड़के ने बम फेंका। सौभाग्यवश गोला फटने न पाया परन्तु यह एक भयङ्कर बम था और उसी ढङ्ग का था, जैसे गोले चन्द्रनगर में बनाए जाते थे। इस बात में कोई सन्देह नहीं कि इस गोले का वास्तविक निशाना मिस्टर काऊली नहीं, बल्कि कलकत्ते की खुफ़िया पुलिस के प्रमुख मि० डेनिहम थे।

सिडीशस मीटिङ्गस् ऐक्ट

इस साल सन्, १९११ का दसवाँ क़ानून अर्थात् विद्रोही-सभा-प्रतिबन्धक क़ानून पास किया गया। इस क़ानून के अनुसार एक सरकारी सूचना प्रकाशित होने पर सार्वजनिक सभाओं में रोक-थाम करने के लिए बहुत से विशेष अधिकार सरकार को दिए गए परन्तु हमें सूचना मिली है, कि इस क़ानून को बहुत कम काम में लाया गया है।

बङ्गाल-विच्छेद की इतिश्री

इस साल के अन्त में कोरोनेशन दरबार दिल्ली में हुआ और पूर्वीय और पश्चिमीय बङ्गाल पुनः एक संयुक्त प्रान्त में सम्मिलित कर दिए गए और इस प्रकार बङ्ग-भङ्ग की सार्वजनिक शिकायत का अन्त हुआ।

मद्रास प्रान्त के टिनावेली ज़िले में १७ जून, १९११ को मि० एस० नामक ज़िला कलक्टर का ख़ून हुआ।

१९१२—पूर्वीय बङ्गाल में क्रान्तिकारी उपद्रव

सन् १९१२ के साल में जो विशेष घटनाएँ हुईं, वे अगले साल के बारीसाल-षडयन्त्र केस से सम्बन्ध रखती हैं।

१७ अप्रेल को ढाका-अनुशीलन-समिति ने बाकरगञ्ज ज़िले के कुशंगल नामक स्थान पर डाका डाला और इसका उल्लेख बारीसाल केस में सरकार की तरफ़ से किया गया है। दूसरी डकैती दो दिन बाद कपूरिया में हुई और तीसरी डकैती एक महीने बाद बिरंगल में हुई। इन तीनों उपद्रवों का विस्तृत विवरण एक क्रान्तिकारी ने स्वयं दिया है। ये समस्त घटनाएँ निश्चित रूप से क्रान्तिकारी घटनाएँ थीं। इनमें से दो घटनाओं में डाकुओं ने चेहरों पर नक़ाब डाल रक्खी थी और उनके पास बन्दूक़ें थीं। इनमें से दो आक्रमणों में मकान वालों को चोट भी लगी थी। क्रान्तिकारियों का प्रमुख कार्य नए-नए अस्त्र-शस्त्र एकत्रित करना होता था और कुशंगल वाली घटना में उनका

उद्देश्य एक सरकारी बन्दूक़ को उड़ाना था, जैसा कि उन्होंने किया। ककूरिया में उनके हाथ बहुत थोड़ा रुपया लगा परन्तु विरंगल में उन्होंने ८०००) पर हाथ साफ़ कर दिया।

परन्तु पुलिस भी अनुसन्धान में बहुत पीछे न रही। सुलतानी गवाह रजनीदास का पहिला बयान सितम्बर, १९१२ में प्राप्त किया गया। इस काम में बारीसाल के एक ग़ैर-सरकारी सज्जन ने प्रशंसनीय सहायता की थी और इसके बाद कुशंगल-विरंगल घटनाओं के सम्बन्ध में गुप्त रीति से सूचनाएँ एकत्रित की गईं। उनके बहुत से काग़ज़ात हासिल किये गए, जिनसे कि यह स्पष्ट प्रगट होता है, कि इस दल का सङ्गठन बहुत ख़ूबी के साथ अर्द्ध-धार्मिक सिद्धान्तों पर किया गया था। इनके नियमों के अनुसार सदस्यों को प्रारम्भिक और अन्तिम शपथ लेनी पड़ती थीं और संस्था की दूर दूर वाली शाखाओं को क्या-क्या सूचनाएँ केन्द्रीय कार्यालय में देनी पड़ती थीं, इसका विवरण दिया गया था।

नवम्बर, १९१२ की घटनाओं के कारण षड़यन्त्र केस की तय्यारी पूरे दर्जे पर पहुँच गई। कमिल्ला के दारोग़ा के बेटे के पास एक पत्र पहुँचा जिसके आधार पर रात्रि के समय एक अँधेरे मकान में १२ व्यक्तियों को गिरफ़्तार किया गया, जिनके कपड़े पानी से भीगे थे। उन व्यक्तियों के पास वह सारा साज़ो-सामान था, जिनके साथ बङ्गाल के 'भद्र लोग' क्रान्तिकारी कार्य करते थे। अर्थात् दो रिवॉल्वर, एक १२ बोर की बन्दूक़, बहुत

से नक़ाब व एक काग़ज़ मिला, जिसमें कि कई व्यक्तियों के नाम और उनको दिये गए अस्त्रों की सूची थी। स्पष्ट था, कि यह सब प्रबन्ध डाका डालने के लिए किया गया था। इनमें से दस व्यक्तियों पर यह अपराध प्रमाणित हुआ कि वे डाका डालने को एकत्रित हुए थे। दो व्यक्ति हाईकोर्ट में अपील करने पर निर्दोष सिद्ध हुए और छोड़ दिए गए। इस बात का पर्याप्त प्रमाण उपस्थित है, कि ये सब व्यक्ति ढाका-अनुशीलन-समिति के सदस्य थे, जोकि ख़ास काम के लिये जमा हुए थे। और वह काग़ज़, जिसका ऊपर ज़िक्र किया जा चुका है, बहुत लाभकारी सिद्ध हुआ, क्योंकि उससे समिति के सदस्यों की सूची हाथ लग गई।

इससे भी अधिक एक महत्वपूर्ण घटना २८, नवम्बर को हुई। गिरेन्द्रमोहन दास नामक एक युवक के बक्स में क्रान्तिकारियों का शस्त्रागार पाया गया और कई ऐसे काग़ज़ात मिले जो कि बहुत महत्वपूर्ण थे। क्रान्तिकारियों ने यह सब सामान सम्भवतः गिरेन्द्र के मकान को अत्यन्त सुरक्षित समझ कर रक्खा था। उसका पिता ज्वायण्ट-मैजिस्ट्रेट था और इस उच्च सरकारी पद के कारण उसके घर पर सन्देह करना कठिन था, परन्तु ज्योंही उसके पिता को यह मालूम हुआ उसने गिरेन्द्र को मजबूर किया कि वह समस्त रहस्य प्रगट कर दे और क्रान्तिकारियों का सब सामान भी दे दे। इस सामान में बहुत सी बन्दूक़ और पिस्तौलों की कारतूस, बारूद, गोलियाँ, बन्दूक़ की टोपियाँ

इत्यादि पाए गए और शस्त्र-क़ानून की अवहेलना करने के लिये गिरेन्द्र को १८ मास का कठोर दण्ड मिला। इतना ही नहीं, बल्कि उसके बक्स में बहुत से चाँदी के ज़ेवरात पाए गए जो कि नगलबन्द की बड़ी डकैती में कुछ ही दिन पहिले चोरी गए थे। इस दूसरे अपराध के लिए उसको ५ वर्ष का कठिन दण्ड दिया गया। परन्तु इनसे भी जो अधिक महत्वपूर्ण चीजें मिलीं वे समिति के काग़ज़ात थे, जिनमें से एक समिति के आय-व्यय का ब्योरा था, दूसरा सदस्यों की सूची थी, तीसरा अन्य हिसाब-किताब था, जोकि बाकरगञ्ज ज़िले की डकैती के रुपयों का (अर्थात कुशंगल, कक्रूरिया और विरंगल का) हिसाब था। ढाका-समिति का सङ्गठन कितना वृहद् और विस्तृत था इसका अनुमान उसकी त्रैमासिक रिपोर्ट से और उसकी नवाखाली ज़िले की और अन्य आस-पास के ज़िलों की शाखाओं के विवरण से पता चलता है। ये भिन्न-भिन्न रिपोर्टें उन स्थानों के मेम्बरों द्वारा केन्द्रस्थान में भेजी गई थीं। ये सब काग़ज़ात बाद में अदालत के सामने पेश किए गए और इन्हीं की सहायता से बहुत सी महत्वपूर्ण और नई बातें, समिति के उद्देश्य और कार्यक्रम के सम्बन्ध में मालूम हुईं। अपने पिता के मजबूर करने पर स्वयं गिरेन्द्र,रजनीदास की तरह सरकारी गवाह बन गया। इस प्रकार से इस साल के अन्तिम दिनों में सरकार को इस संस्था के सङ्गठन और सदस्यों के सम्बन्ध में बहुत काफ़ी ज्ञान प्राप्त हो गया और वे इनके विरुद्ध तेज़ी के साथ काम करने में तत्पर हो गई।

इस वर्ष समिति ने अपने उद्देश्यों के समर्थन में दो क़त्ल और किए। पहिला क़त्ल तो अपने ही सदस्य शारदा चक्रवर्ती का था, जो कि समिति के विरुद्ध आचरण करता था और इसलिये समिति ने इसको प्राणदण्ड दिया। उसका सर काट कर केवल शरीर को एक तालाब में फेंक दिया गया ताकि उसको पहचानना भी कठिन हो जाय, परन्तु भिन्न-भिन्न उपायों द्वारा इस बात का पक्का प्रमाण मिल गया कि दण्डित व्यक्ति कौन था और समिति ने ही यह हत्या की थी।

२४ सितम्बर को रतीलाल राय नामक एक हेड कॉन्सटेबिल को ७ बजे शाम को ढाका शहर के एक अत्यन्त घनी आबादी वाले हिस्से में गोली से मार दिया गया। रतीलाल ने ढाका-षड़यन्त्र केस में बहुत मुस्तैदी से काम किया था और इन दिनों उसके सुपुर्द ढाका में बकलैण्ड बन्ध के निकट नदी के किनारे राजनैतिक सन्दिग्धों (Suspects) की निगरानी करने का कठिन काम दिया गया था। गोली मारने वाले रतीलाल को मारते ही खिसक गये और उनका पता ५०००) रु० के इनाम के विज्ञप्ति पर भी न मिला। इस दुर्घटना की सूचना कई तरीक़ों से मिली है और इसमें किञ्चित मात्र सन्देह नहीं, कि यह हत्या भी ढाका अनुशीलन-समिति ही ने की थी और इसका उद्देश्य केवल यही नहीं था, कि एक भयङ्कर विरोधी को मार दिया जाए, बल्कि यह भी था, कि कोई और पुलिस अधिकारी समिति के विरुद्ध कार्य करने का साहस न करे।

ढाका-अनुशीलन-समिति ने २ और डकैतियाँ इस साल में कीं, जिनमें कि इतना रुपया मिला, कि उनका उल्लेख करना आवश्यक है। पहिली डकैती ढाका ज़िले में पनाम नामक स्थान में जुलाई के महीने में की गई और २०००) की नक़दी और ज़ेवर लूटे गए। डाकुओं का आक्रमण फ़ौजी आक्रमण के रूप में किया गया था और उन्होंने इस स्थान के चारों तरफ़ के तार भी काट दिए थे और फिर अन्धाधुन्ध, जहाँ भी कोई व्यक्ति या रोशनी मिलती, गोलियों की बौछार आरम्भ कर दी जाती। दूसरी डकैती नङ्गलबन्द स्थान पर की गई थी, जिसका ब्योरा गिरेन्द्र-मोहन दास की तलाशी के सम्बन्ध में दिया जा चुका है। इसमें लगभग १३ व्यक्तियों ने भाग लिया और ४ सशस्त्र डाकुओं ने लगभग १००, २०० ग्रामीणों की भीड़ को बन्दूकों तथा पिस्तौलों की गोलियाँ छोड़-छोड़ कर क़ाबू में रक्खा और क़रीब १६०००) रु० लूट लिए। सम्भव है कि इस संख्या में अत्युक्ति हो।

कार्यक्षेत्र में केवल ढाका का दल ही अग्रगण्य नहीं था, बल्कि फ़रीदपुर के दक्षिण-पूर्व की तरफ़ मदारीपुर में भी एक ऐसा ही गिरोह नदियों के दोआबे में सङ्गठित हो गया था, जिसका सम्बन्ध ढाका-समिति से कुछ न था। इन नदियों से घिरे हुए स्थान में अङ्गरेज़ी पढ़े लिखे भद्र समुदाय के लोग बहुत हैं; परन्तु आने जाने का साधन साल के अधिक भाग में किश्तियों के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इन लोगों के उद्देश्य और कार्यशैली ढाका-समिति की तरह ही थी और इन्होंने भी

इस वर्ष में तीन बार गौरिल्ला काण्डों में भाग लिया (१) जनवरी के महीने में बेगुन तिवारी नामक स्थान में, (२) फ़रवरी में एनापुर में और (३) नवम्बर में कोला नामक स्थान में। इनका विचार यह मालूम होता है कि अपने घर के निकट ऐसे कार्य न किए जाएँ, इसलिये ये सब के सब उपद्रव इन्होंने पद्मा नदी के दूसरे पार किए थे। इनकी कार्यप्रणाली आतङ्कवादी थी और इन्होंने ११००० रु० लूटे थे। अस्त्र-शस्त्रों से सुसज्जित, चेहरों पर नक़ाब और हाथ में टॉर्चें लेकर यह दल बल सहित आक्रमण करते थे और पहिले से निश्चित स्थान पर पहुँच कर छतों पर चढ़ जाते और शोर व ग़ुल करते हुए बम के गोले फेंकते और गोलियाँ चला कर पड़ोसियों को भगाते और लूट मार के बाद एक लाइन में 'फ़ाल-इन' करते और बिगुल की आवाज़ पर कूच करते थे। कोलावाले घटना में एक व्यक्ति ने, जिसने भाग लिया था, और जिस घटना में कि पोस्ट ऑफ़िस पर आक्रमण किया गया था, बाद में यह बयान दिया था, कि डकैती का उद्देश्य यह था कि रुपया जमाकर के उस सदस्य की सहायता की जाए, जिस पर सरकार को सन्देह था और जिससे कि बेहद पूछा गया था कि उससे नेकचलनी की ज़मानत क्यों न माँग ली जाए?

यहाँ पर एक और डकैती का उल्लेख करना अनुचित न होगा, जिसका कि केन्द्र-स्थान बारीसाल में था और जिसके सदस्यों ने पश्चिमीय बङ्गाल के नदिया ज़िले को पार करके शिवपुर नामक स्थान में डकैती और ख़ून किया था और जिसके

कारण उनका अधःपतन हुआ था। यह डकैती प्रतापपुर में हुई थी, जो कि बारीसाल के निकट ही है। निहत्थे ग्रामीणों ने लगभग २५ सशस्त्र आक्रमणकारियों का बड़े साहस से मुक़ाबला किया और अपने रम्भों एवं अन्य औज़ारों द्वारा डाकुओं को मारने का प्रयत्न किया, जिससे दो डाकुओं को सख्त चोट लगी; दो ग्रामीण गोलियों से घायल हुए और ४ अन्य व्यक्तियों के भी चोट पहुँची। डकैती में ७,५००) का नुक़सान हुआ।

मिदनापुर में बम

इस वर्ष की अन्तिम घटना पश्चिमीय बङ्गाल में मिदनापुर बम केस की थी। इस अभियोग के सरकारी गवाह अब्दुररहमान को १३ दिसम्बर को जान से मारने का भयङ्कर प्रयत्न किया गया। जिस कमरे में अब्दुररहमान सोता था उसमें चन्द्रनगर का बना हुआ पिकरिक एसिड का एक अत्यन्त भयङ्कर बम क्रान्तिकारियों ने फेंका जिससे कि दीवार में एक बड़ा भारी सूराख़ हो गया; परन्तु घटना की रात्रि को इस कमरे में अब्दुररहमान सोया हुआ न था, बल्कि उसकी बेटी सोई थी परन्तु सौभाग्यवश उसके भी कोई चोट न लगी और निशाना बेकार गया।

इसी महीने दिल्ली में वॉयसरॉय लॉर्ड हार्डिञ्ज पर बम फेंक कर उनकी जान लेने की कोशिश की गई। इस घटना का उल्लेख हम पञ्जाब का विवरण लिखते हुये पुनः करेंगे।

इस वर्ष की घटनाओं की तालिका इस प्रकार है:—

१९१२

संख्या	तारीख़	ज़िला	गाँव वा थाना	घटना	लूट	हताहत	विवेचना
१	२३, जनवरी	ढाका	बेगुनतिवारी	डकैती	३४७०)	...	...
२	२१, फ़रवरी	”	एनापुर थाना घेवर	”	७५६३)	...	...
३	१७, अप्रेल	बाक़रगञ्ज	कुशंगल	”	...	...	...
४	१६, ”	”	ककुरिया थाना मेंहदीगञ्ज	”	६०)	...	...
५	२३, मई	”	विरंगल	”	८०८०)	...	...
६	जून	नोआखाली	फ़ेनी	शारदा चक्रवर्ती की हत्या	..	एक मरा	...
७	११, जुलाई	ढाका	पनाम, नरायनगञ्ज	डकैती	२०००)	एक घायल	...
८	१५, ”	बाक़रगञ्ज	प्रतापपुर	”	७५६५)	दो घायल	...

९	२४, सितम्बर	ढाका	थाना ग्वालनगर	रतीलाल राय की हत्या	...	हेड कॉन्स-टेबिल मरा	...
१०	२७, अक्टूबर	टिप्परा	थाना कमिला	डकैती की तय्यारी	...	...	१० आदमियों को ७ वर्ष का कठिन करावास
११	१४, नवम्बर	ढाका	नगलबन्द थाना नरायणगंज	डकैती	१६०००)	...	एक को ५ वर्ष का कठिन कारावास
१२	१८, "	"	कोला थाना श्रीनगर	"	६५)	...	...
१३	२८, "	"	थाना वारी	हथियारों की चोरी	...	...	१ को डेढ़ वर्ष का कठिन कारावास
१४	१३ दिसम्बर	मिदनापुर	मिदनापुर	बम द्वारा हत्या की चेष्टा	...	...	...

१९१३—पुलिस अफ़सरों की हत्या

सन्, १९१३ के साल में क्रान्तिकारियों ने अपना कार्यक्रम प्रबल वेग और उत्साह से जारी रक्खा और पुलिस के दो अफ़सरों की हत्याएँ की गईं। २९ सितम्बर को ३ बङ्गाली युवकों ने कलकत्ते में कॉलिज स्कॉयर पर झील के किनारे, जहाँ कि सन्ध्या समय नगर के प्रतिष्ठित पुरुष हवा खाने जाते हैं, हरीपद देव नामक हेड कॉन्सटेबिल को गोली से मार दिया। कॉन्स-टेबिल को भीड़ के बीच में ही गोली मारी गई और गोली चलाने वाले भीड़ में ही विलीन हो गए। न कोई गिरफ़ार किया जा सका और न किसी प्रकार की शहादत ही पेश की जा सकी। इस पुलिसमैन ने बड़ी सफलता के साथ क्रान्तिकारियों के गिरोह का पता लगा कर इनमें प्रवेश कर लिया था, परन्तु क्रान्तिकारी नव-आगन्तुक के रहस्य को ताड़ गए थे और इस लिये इन्होंने इसको मार देना ही निश्चित कर लिया था।

अगले ही रोज़ सन्ध्या समय प्रान्त के दूसरे भाग पर—अर्थात् मैमनसिंह नगर में—पुलिस-इन्सपैक्टर बङ्किमचन्द्र चौधरी के घर में पिकरिक एसिड का एक बम फेंका गया, जिससे कि इन्सपैक्टर की तुरन्त मृत्यु हो गई। इन्सपैक्टर साहब ने ढाका-षड़यन्त्र केस के समय में ढाका-समिति के विरुद्ध प्रशंसनीय कार्य किया था और इसमें सन्देह नहीं कि समिति ही उसकी मौत का कारण थी।

बम

मार्च के महीने में इण्डियन सिविल सर्विस के मिस्टर गॉर्डन को मार डालने का प्रयत्न किया गया। आसाम के सिल्हट शहर में गॉर्डन साहब का बग़ीचा मौलवी बाज़ार में था। वहाँ एक क्रान्तिकारी बम लेकर जा रहा था, जब कि गोला रास्ते ही में फट गया और हत्यारे की हत्या अपने हाथों ही हो गई। उसकी जेबों में दो भरे हुए रिवॉल्वर भी पाए गए; परन्तु उस को बहुत समय तक पहिचाना न जा सका। मिस्टर गॉर्डन से क्रान्तिकारी इस लिए रुष्ट थे, कि उन्होंने एक स्थानीय धार्मिक समुदाय की बुराइयों को दूर करने का प्रयत्न किया था।

इस साल केवल यही दो बम घटनाएँ न हुईं, जिन की चर्चा ऊपर की गई है, बल्कि दो बार पुलिस थानों पर, अर्थात् अप्रेल में राजीगञ्ज में और दिसम्बर में फ़ान्सीसी चन्द्रनगर के निकट भद्रेश्वर थाने पर भी बम फेंके गए। पिछले स्थान में जो बम फेंका गया था, वह अत्यन्त भयङ्कर पिकरिक एसिड का बम था और जिस कमरे में वह फेंका गया था, वहाँ दो पुलिस के अफ़सर काम कर रहे थे और उनका मारा जाना अवश्यम्भावी था; परन्तु उनकी तक़दीर से गोला फटा नहीं।

इन उपद्रवों का एक मात्र कारण क्रान्तिकारियों की रुधिर-पिपासा ही थी, क्योंकि जिन पुलिस अफ़सरों पर ये गोले फेंके गए थे, वे किसी प्रकार के खुफ़िया विभाग के काम पर तैनात नहीं थे।

दिसम्बर के महीने में मिदनापुर षड़यन्त्र केस के अब्दुर-रहमान पर फिर बम फेंका गया, जब कि वह एक धार्मिक जुलूस में चला जा रहा था परन्तु उसके सौभाग्य से गोला फिर भी न फटा और परीक्षा करने पर यह प्रमाणित हुआ कि वह भी पिकरिक एसिड का भयङ्कर बम था।

डकैती और अन्य उद्दण्डताएँ

क्रान्तिकारियों का खज़ाना इस साल कई सफल डकैतियों के कारण भरा रहा। ये सब डकैतियाँ 'भद्र लोगों' द्वारा ही की गई थीं और इन सब में बन्दूक़ों तथा पिस्तौलों आदि का प्रयोग किया गया था; इस लिये इन का सफल प्रतिकरण असम्भव था।

इस साल के अन्दर क्रान्तिकारियों ने ६१,०००) रु० लूटा। इन दिनों क्रान्तिकारियों का "अशान्त विभाग" (Voilence Deptt)—जिन शब्दों से उन व्यक्तियों का मतलब है, जो कि डकैती इत्यादि में भाग लेते थे—इस स्थिति पर पहुँच गया कि मनुष्य मात्र की जान लेना उनके लिये एक बिल्कुल साधारण सी बात हो गई। ढाका जिले में भराकैर नामक स्थान पर उन्होंने ग्रामीण जनता के एक गिरोह पर, जो उनकी जैजैकार और गोलों की आवाज़ सुनकर जमा हो गए थे, गोलियों की बौछार कर दी।

एक इसी प्रकार की डकैती निकटवर्ती मैमनसिंह ज़िले के धुलदिया नामक स्थान पर उसी रात को की गई और डाकुओं

की गोली से एक गाँववाला मरा और तीन घायल हुए। केदारपुर नामक स्थान में, जो इन दोनों ज़िलों के बीच में है, मकान मालिक के नौकर ने जब कि डाकुओं से पूछा कि वे कौन हैं और क्यों आए तो डाकुओं ने नौकर को गोली से मार डाला और भागते हुए जब उन्होंने गोलियाँ छोड़ीं तो उनसे ५ ग्रामीण घायल हुये। इस साल में जितनी डकैतियाँ हुईं, उन सब का विस्तृत उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि उनमें से प्रत्येक डकैती में वे सब विशेषताएँ थीं, जिनसे कि क्रान्तिकारी उपद्रव पहिचाने जा सकते हैं। निम्नाङ्कित तालिका में उन डकैतियों का वर्णन किया गया है, जो कि इस वर्ष में हुईं और जिनका उल्लेख अभी तक नहीं किया गया :--

१९१३

संख्या	तारीख़	ज़िला	गाँव व थाना	घटना	लूट	हताहत	विवेचना
१	४, फ़रवरी	ढाका	भाड़ाकैर-टङ्गी-बाड़ी	डकैती	३४००)	...	१ को दो वर्ष का कठोर कारावास
२	,,	मैमनसिंह	धुलदिया-कटियाडी	डकैती व ख़ून	९०४६)	१ मरा ३ घायल	...
३	२७, मार्च	सिलहट	मौलवी बाज़ार	हत्या का प्रयत्न	...	...	मारने वाला मरा
४	३, अप्रेल	फ़रीदपुर	गोपालपुर-मदारीपुर	डकैती	६९४५)	१ घायल	...
५	,,	बर्दवान	रानीगञ्ज	बम फेंका गया	...	...	...
६	२९, मई	फ़रीदपुर	कवाकुडी थाना मदारीपुर	डकैती	५१३०)	...	...
७	२८, जून	ढाका	कामरङ्गीचार थाना रूपगञ्ज	,,	२२५०)		...
८	१९, अगस्त	मैमनसिंह	केदारपुर-नगरपुर थाना	डकैती व ख़ून	१९८००)	१ मरा ५ घायल	...

९	२६, सितम्बर	कलकत्ता	कॉलिज स्कायर	हरिपद देव की खून	...	हेड कॉन्स्टेबिल मरा
१०	२०, "	मैमनसिंह	मैमनसिंह	बङ्किम चौधरी की हत्या	...	इन्सपेक्टर मरा
११	७, नवम्बर	२४ परगना	छत्रवारिया	डकैती	८३८)	...
१२	२४, "	मैमनसिंह	बराचर विजितपुर	"	४३१०)	...
१३	२, दिसम्बर	टिप्परा	खरमपुर थाना आजावारिया	"	६०००)	...
१४	६, दिसम्बर	मिदनापुर	मिदनापुर	बम से हत्या की चेष्टा	...	...
१५	१६, "	टिप्परा	थाना परिचमसिंह	डकैती	३५००)	१ घायल
१६	२७, "	हुगली	भद्रेश्वर	बम फेंका गया	...	...

बारीसाल-षड़यन्त्र केस और राजाबाज़ार बम केस

यह वर्ष अदालतों के लिए महत्वपूर्ण था। बारीसाल-षड़यन्त्र केस में ढाका-समिति के २६ सदस्यों पर अभियोग चलाया गया, जिनमें से १२ ने स्वयं सम्राट के विरुद्ध युद्ध करने का अपराध स्वीकार किया। दो वर्ष से लेकर १२ वर्ष तक की सज़ाएँ और द्वीपान्तर-वास दिया गया जिसका फल यह हुआ कि कुछ समय के लिये समिति बहुत हद तक निर्बल हो गई।

इस वर्ष की घटनाओं से यह प्रगट हुआ कि क्रान्तिकारी बड़ी संख्या में बम बना रहे थे। नवम्बर के महीने में कलकत्ते के बीच शहर में एक मकान की तलाशी ली गई जिससे कि यह भेद खुला। एक कमरा ऐसा मिला, जिसमें कि क्रान्तिकारी-साहित्य और सिग्रेट के डिब्बे भरे थे। इन सिग्रेट के टीन के डब्बों में बम तैयार किए जाते थे। उन आदमियों का, जो कि इस कमरे में पाए गए विस्फोटक क़ानून Explosive Act के विरुद्ध आचरण करने के लिए चालान किया गया और उन पर यह भी अभियोग लगाया गया कि उन्होंने उपद्रव करने के लिये षड़यन्त्र किया है और यद्यपि केवल अमृतलाल हाज़रा (जिसका उपनाम सशंक मोहन था) नामक व्यक्ति को ही पन्द्रह वर्ष के द्वीपान्तरवास का दण्ड मिला परन्तु हाईकोर्ट ने यह स्वीकार किया कि ये टीन के डब्बे इस लिए जमा किए गए थे, कि उन से बम बनाया जाए और इस तरह लोगों की जान ख़तरे में

डाली जाए। इस मुक़दमे से यह प्रगट हुआ कि क्रान्तिकारी किस गुप्त रीति से भयंकर प्रकार के बम, बिल्कुल साधारण सामान और मामूली औज़ारों की सहायता से तय्यार करते थे।

अन्य स्थानों की उद्दण्डताएँ

१७ मई को इसी साल लाहौर की एक सड़क पर एक बम फटा जिससे एक चपरासी की मौत हुई। इस बम को उस स्थान पर एक बङ्गाली ने रक्खा था। बिहार और उड़ीसा में भी इस साल के आरम्भ में एक अमानुषिक हत्या हुई थी जो कि एक राजनैतिक डकैती के सम्बन्ध में की गई थी।

१९१४ में पूर्वीय बङ्गाल के उपद्रव

इस वर्ष की क्रान्तिकारी घटनाएँ तीन भागों में विभाजित की जा सकती हैं अर्थात् पूर्वीय-बङ्गाल, दूसरी हुगली और २४ परगना के आस-पास और कलकत्ता शहर की :—

१९१४

पूर्वीय बङ्गाल की १९१४ की घटनाएँ

संख्या	तारीख़	ज़िला	गाँव व थाना	घटना	लूट	हताहत	विवेचना
१	जनवरी	मैमनसिंह	चरलिश्रारचर	डकैती की चेष्टा	...	...	...
२	८, मई	टिप्परा	गुसाँईपुर नबीनगर	डकैती	५५००)	१ घायल	...
३	१६, जून	चटगाँव	चटगाँव शहर	सतेन्द्रसेन की हत्या	...	१ मरा	...
४	१६, जुलाई	ढाका	ढाका शहर	रामदास की हत्या	...	१ मरा	...
५	२८, अगस्त	मैमनसिंह	वेताती थाना नेत्रकूना	डकैती और ख़ून	१७७००)	१ मरा- १ घायल	...
६	१, अक्टूबर २८, दिसम्बर	फ़रीदपुर	मदारीपुर	रुपया ठगा गया	३००)	...	...

७	१३, नवम्बर	मैमनसिंह	उक्साल कटि-याडी	डकैती	४८००)	...	...
८	१६, ,,	फ़रीदपुर	मदारीपुर	बम दुर्घटना	...	...	...
९	दिसम्बर	मैमनसिंह	अष्टी	डकैती की चेष्टा	...	...	...
१०	१८, दिसम्बर	टिप्परा	राधानगर थाना होमना	डकैती	४६००)	...	...
११	२३, दिसम्बर	मैमनसिंह	दरकपुर थाना फूलपूर	...	२३०००)	१ घायल	...
१२	२५, दिसम्बर	टिप्परा	मोचना थाना मकसूदपूर	डकैती की चेष्टा	...	...	...

क़त्ल

बङ्गाल सूबे के इस भाग में क्रान्तिकारियों का कार्यक्रम विशेषत: डाका डालने में ही परिमित था परन्तु एक घटना में उन्होंने यह भी प्रयत्न किया कि अपने दल के लिए धन एकत्रित करने के लिए रुपया ठग कर जमा किया जाए और दो बार बिना मतलब क़त्ल भी किए। एक तो चटगाँव में खुली सड़क पर ऐसे व्यक्ति को क़त्ल किया गया, जिसके विषय में उन्हें यह सन्देह था कि वह सरकारी जासूस विभाग का भेदिया है। इस व्यक्ति के साथ एक ऐसा आदमी उपस्थित था जिसने ढाका-षड़यन्त्र केस में गवाही दी थी।

दूसरा क़त्ल ढाका शहर में हुआ और यह भी एक उस भेदिए का था, जो कि डिप्टी सुपरिण्टेण्डेण्ट बसन्त चटर्जी के आदेशानुसार क्रान्तिकारियों के विरुद्ध कार्य कर रहा था। सन् १९१६ में शहर कलकत्ते में स्वयं सुपरिण्टेण्डेण्ट बसन्त चटर्जी का क्रान्तिकारियों ने दिन दहाड़े क़त्ल कर दिया।

कलकत्ते के आस-पास उपद्रव

निम्नाङ्कित तालिका में क्रान्तिकारियों के कलकत्ते के आस-पास किए गए उपद्रवों का विवरण दिया गया है :—

१९१४

संख्या	तारीख़	ज़िला	गाँव व थाना	घटना	लूट	हताहत	विवेचना
१	फ़रवरी	हुगली	वैघवटी	डकैती की चेष्टा	...	...	...
२	अगस्त	२४ परगना	बड़ानगर	,,	...		...
३	७, नवम्बर	,,	मामूराबाद थाना देगङ्गा	डकैती	१७००)	...	...
४	१, नवम्बर	,,	आलम बाज़ार	डकैती की चेष्टा	...	...	...
५	दिसम्बर	,,	अरियादा	डकैती	५१०)	...	...

ये सब की सब साधारण डकैतियाँ थीं और ७ नवम्बर वाली मामूराबाद की डकैती के अतिरिक्त, उनमें कोई उल्लेखनीय विशेषता नहीं थी। इस डकैती में दो माऊज़र पिस्तौलें काम में लाई गई थीं, जिन्हें कि क्रान्तिकारियों ने रोडा कम्पनी से उसी ढङ्ग की ४८ और पिस्तौलों और बहुत से कारतूसों के साथ २६ अगस्त, सन् १९१४ को चुराया था।

रोडा कम्पनी में माऊज़र पिस्तौलों की चोरी

बङ्गाल में क्रान्तिकारी आन्दोलन के विकास और वृद्धि के इतिहास में कलकत्ते के प्रसिद्ध बन्दूक़ बनाने वाले रोडा कम्पनी (Rodda & Co) के कारख़ाने में पिस्तौलों की चोरी सब से महत्वपूर्ण घटना है। २६ अगस्त, सन् १९१४ को बुधवार के दिन रोडा कम्पनी के उस क्लर्क ने, जिसके सुपुर्द यह काम था कि कस्टम के दफ़्तर से विलायत से आने वाले बन्दूक़, पिस्तौल आदि शस्त्रों की बिल्टी छुड़ाये, २०२ अस्त्र-शस्त्रों के बक्सों का चालान छुड़ाया, परन्तु बेन्सीटार्ट रो नामक कारख़ाने के गोदाम में केवल १९२ बक्स ही पहुँचाए। १० बक्स वह वहीं छोड़ आया था, ऐसा उसने गोदाम में कहा और उनको लेने के वास्ते वह दोबारा गया। तीन दिन तक उसकी इन्तजार की गई परन्तु न तो वह स्वयं आया और न १० बक्स ही मिले। इन १० बक्सों में ५० माऊज़र पिस्तौलें और ४६,००० माऊज़र की कारतूसें थीं। पिस्तौलें सब बड़े साईज़ की ३०० बोर की थीं और

हर एक पिस्तौल के ऊपर नम्बर पड़े थे। इनके नम्बर रोडा कम्पनी के काग़ज़ात में भी दर्ज थे। ये पिस्तौलें ऐसे ढङ्ग से बनी हुई थीं कि जिस ख़ाने में पिस्तौल रक्खी जाती थी उसको अगर पिस्तौल के पिछले भाग में जोड़ दिया जाए तो ये पिस्तौलें कन्धे में लगा कर बन्दूक़ की तरह भी चलाई जा सकती थीं। पुलिस के पास इस बात की विश्वस्त सूचना है कि ५० में से ४४ पिस्तौलें बङ्गाल के नौ भिन्न भिन्न क्रान्तिकारी दलों में तुरन्त बाँट दी गईं और इस बात में भी कोई सन्देह नहीं कि अगस्त, १९१४ के बाद ये पिस्तौलें ५४ भिन्न-भिन्न डकैती और क़त्ल की घटनाओं में इस्तेमाल की गईं। इस बात के कहने में बिल्कुल भी अत्युक्ति नहीं है, कि अगस्त, १९१४ के बाद बङ्गाल में शायद ही ऐसी कोई क्रान्तिकारी घटना हुई हो, जिसमें कि रोडा कम्पनी से चोरी गई पिस्तौलें काम में न लाई गई हों। परन्तु पुलिस ज़ोर-शोर के साथ इन पिस्तौलों को पुनः एकत्रित करने की चिन्ता में लग गई और अब तक बङ्गाल के विभिन्न भागों से ५० में से ३१ पिस्तौलें दोबारा हाथ लग गई हैं।

पुलिस अफ़सरों का क़त्ल और उसके प्रयत्न

इस वर्ष की क्रान्तिकारी घटनाओं में कलकत्ते में जो सब से पहली घटना हुई, वह कलकत्ता खुफ़िया पुलिस के इन्सपैक्टर नृपेन्द्र घोष का चीतपुर रोड पर क़त्ल होना है। घोष बाबू पिछले कई वर्षों से राजनैतिक घटनाओं के सम्बन्ध में

प्रशंसनाय अनुसन्धान का कार्य कर चुके थे और जिस समय वह ट्रामगाड़ी से चीतपुर सड़क के चौराहे पर उतर ही रहे थे, कि कई युवकों ने पिस्तौल से उन पर हमला किया। पास खड़े हुए पुलिस वालों ने इस घटना को अपनी आँखों देखा और एक युवक का, जो कि भाग रहा था, पीछा किया। उसके पास ५ फ़ायर करनेवाला रिवॉल्वर था और जिस समय वह गिरफ़ार किया गया उसके रिवॉल्वर के दो कारतूस चले हुए पाए गए। पीछा करने वाले व्यक्तियों में से एक युवक ने एक पर फ़ायर किया और वह मारा गया। दो बार इस पर हाईकोर्ट सेशन्स में मुक़दमा चला परन्तु दोनों बार जूरी के सदस्यों द्वारा बहुमत से उसे निर्दोष कहकर छोड़ दिया गया।

इस वर्ष दूसरी उल्लेखनीय घटना डिप्टी सुपरिण्टेण्डेण्ट बसन्त चटर्जी के ख़ून की चेष्टा २५ नवम्बर को की गई। जैसा कि कहा जा चुका है, डिप्टी सुपरिण्टेण्डेण्ट के घर में दो बार बम फेंके गए। एक घर के बाहर और एक घर के भीतर। डिप्टी सुपरिण्टेण्डेण्ट की जान बच गई, परन्तु एक हेड कॉन्स्टेबिल मरा और दो सिपाही और मिस्टर चटर्जी का एक रिश्तेदार घायल हुए। हमारे पास इस बात का सबूत है कि यह घटना भी ढाका-समिति का ही कार्य था और जो बम फेके गए थे वे चन्द्रनगर से लाए गए थे।

इस वर्ष कलकत्ते में एक ही घटना और हुई, जो कि उल्लेखनीय है और वह यह थी, कि कुछ अराजकों ने, जिन

की गिरफ़ारी का प्रयत्न ग्रीयरपार्क नामक स्थान में किया गया, हर प्रकार से प्रयत्न किया कि गिरफ़ारी न होने पावे परन्तु गिरफ़ारी पुलिस ने कर ही ली और पकड़े हुए व्यक्तियों में से एक वह था, जिस के सम्बन्ध में उस साल जून के चटगाँव हत्या-काण्ड के कारण पुलिस को सन्देह था।

भारत रक्षक क़ानून पास होने से पहिले की घटनाएँ

सन, १९१४ के अन्त के दिनों में और सन् १९१५ के आरम्भ के महीनों में भारतवर्ष के भिन्न भिन्न भागों में बहुत गम्भीर और महत्वपूर्ण घटनाएँ हुईं। पञ्जाब में सितम्बर के बाद से अमेरिका से बहुत बड़ी तादाद में विद्रोही सिक्ख वापस आने लगे। विभिन्न स्थानों में डकैतियाँ और ख़ून बड़ी तेजी के साथ आरम्भ हो गए और फ़रवरी, १९१५ में एक ज़बरदस्त फ़ौजी ग़दर का प्रबन्ध किया गया। परन्तु इस वृहद ग़दर का रहस्य ज़रा ही पहले खुल गया और उपद्रवों का समुचित प्रतिकरण कर दिया गया। इस बात में ज़रा भी सन्देह नहीं, कि पूर्वीय-बङ्गाल के क्रान्तिकारी इस बलवे के सम्बन्ध में पूर्णतया परिचित थे।

मार्च के महीने में डिफ़ेन्स ऑफ़ इण्डिया ऐक्ट अर्थात् भारत रक्षक क़ानून पास किया गया। जिसके नियमों के अनुसार भयङ्कर व्यक्तियों को गिरफ़ार और नज़रबन्द करने का अधिकार सरकार को दिया गया। विशेष अदालतों को अधिकार

दिया गया कि वे मुक़द्‌मे तै कर सकें और उनके फ़ैसलों की अपील नहीं हो सकती थी। इस वर्ष की शरद् ऋतु में बर्मा में भी भयङ्कर साज़िशें हुईं। बनारस में भी बङ्गालियों द्वारा एक और षड़यन्त्र रचा जा रहा था और मध्य-भारत में भी बङ्गालियों की देख-रेख में एक क्रान्तिकारी समुदाय इकट्ठा किया जा रहा था। इन सब घटनाओं का उल्लेख उपयुक्त स्थान पर किया जाएगा।

कलकत्ते में १९१५ की डकैतियाँ तथा लूट

१९१५ का साल कलकत्ते के लिए इस कारण उल्लेखनीय है; कि उसमें क्रान्तिकारियों ने बहुत बड़ी संख्या में उपद्रव किए। इनका विवरण क्रमानुसार नीचे दिया जाता है :—

१९१५

संख्या	तारीख़	ज़िला	गाँव व थाना	घटना	लूट	हताहत	विवेचना
१	१२, फ़रवरी	कलकत्ता	गार्डनरीच	डकैती	१८०००)	...	एकआदमी को ७ वर्ष का कठोर कारावास
२	२२, "	"	बेलियागच्छा	डकैती और ख़ून	२२०००)	टैक्सी ड्राइवर मारा गया १ आदमी मरा	...
३	२४, "	"	पथरियाघाट स्ट्रीट	...	...	निरोद हल्दार का क़त्ल	
४	२८, "	कॉर्नवालिस स्ट्रीट	...	क़त्ल	...	इन्सपैक्टर एस मुकर्जी मारे गए और उनका अर्दली घायल हुआ।	...
५	जून	"	...	मारवाड़ी को लूटने का प्रयत्न	...	...	...
६	२१, अक्टूबर	कलकत्ता	मस्जिदबाड़ी स्ट्रीट	क़त्ल	...	सबइन्सपैक्टर गिरेंद्र बैनर्जी मारा गया और सबइन्सपैक्टर उपेन्द्र चटर्जी घायल हुआ	...

संख्या	तारीख़	ज़िला	गाँव वा थाना	घटना	लूट	हताहत	विवेचना
७	१७, नवम्बर	कलकत्ता	कॉर्नवालिस स्ट्रीट	डकैती	८००)	...	...
८	३०, ”	”	सरपेण्टाइनलेन	क़त्ल	...	एक कान्सटेबिल और एक अन्य व्यक्ति मरा	...
९	२, दिसम्बर	”	कॉर्पोरेशन स्ट्रीट	डकैती	२५०००)	...	एकको १३, एक को दो और एक को एक वर्ष की कठोर सज़ा
१०	१४, ”	”	सेठबागान लेन	”	६१००)	...	...
११	२७, ”	”	चौरनपत्तीरोड	”	७५०)	१ घायल हुआ	...

किराए की मोटर द्वारा डकैती और हत्या

राजनैतिक-क्रान्तिकारी डाकेज़नी और हत्याकाण्डों में इस वर्ष एक नई विशेषता आरम्भ हुई और वह विशेषता यह थी, कि क्रान्तिकारी कि.राए की मोटरें करके उन की सहायता से हत्या और डाके डालते थे। इस प्रकार के हत्याकाण्ड का प्रारम्भ सब से पहिले १२ फ़रवरी, १९१५ को गार्डनरीच वाली डकैती से हुआ। डाकू लोग दो प्रमुख नेता जतिन्द्र मुकुर्जी और दीपन गङ्गुली के आदेशानुसार कार्य करते थे। डकैती का प्रबन्ध पेश्तर से ही बहुत प्रवीणता के साथ किया गया था और यह तै किया गया था, कि जिस वक्त बर्ड कम्पनी का चपरासी चार्टड बैङ्क ऑफ़ इण्डिया के कलकत्ते के दफ़्र से २०,०००) रु० का साप्ताहिक थैला लेकर निकले और उसको लेकर गार्डनरीच कम्पनी के कारखाने में जाए, जो कि हुगली नदी के किनारे पर है, तो रास्ते में उससे रुपया लूट लिया जाए। डाकुओं ने सफलतापूर्वक १८०००) रु० चपरासी से लूट लिया और लेजाकर कलकत्ते में उस व्यक्ति के हवाले किया, जिसे कि उन्होंने "अर्थ सचिव" अर्थात् फ़ाइनैन्शियल मिन्स्टिर की उपाधि दे रक्खी थी।

गार्डनरीच डकैती के एक सप्ताह के अन्दर ही दूसरी भीषण डकैती बेलिया घाट नामक स्थान में कलकत्ते में हुई जहाँ कि डाकू ने जतीन्द्र मुकुर्जी के आदेशानुसार एक सौदागर के ख़ज़ाञ्ची से २०००) रु० के नोट और नक़दी छीन ली। इस घटना

में भी क्रान्तिकारियों ने मोटर का प्रयोग किया था। इस घटना के थोड़े ही समय बाद एक मोटर ड्राइवर का मृतक शरीर पाया गया। सम्भवतः ड्राइवर को इसलिए गोली से मार कर फेंक दिया गया, कि उसने आज्ञा पालन में आनाकानी की होगी।

दो रोज़ बाद निरोद हल्दार का क़त्ल पथरिया घाट स्ट्रीट में हुआ। इस बात का पक्का प्रमाण विद्यमान है, कि यह हत्या इसलिए की गई थी, कि हल्दार ने एक दिन एक ऐसे कमरे में जाकर, जिसमें कि जतीन्द्र मुकुर्जी और अन्य कई क्रान्तिकारी बैठे थे, जतीन्द्र मुकुर्जी को पहिचान लिया और उसको नाम लेकर बुलाया।

चार दिन बाद कलकत्ते में कॉर्नवालिस स्ट्रीट में इन्सपैक्टर सुरेशचन्द्र मुकुर्जी का ख़ून किया गया। इन्सपैक्टर साहब कलकत्ता विश्वविद्यालय के एक जलसे के सम्बन्ध में अपने एक अर्दली के साथ प्रबन्ध आदि का निरीक्षण कर रहे थे, क्योंकि वहाँ जलसे में वॉयसराय आने वाले थे। अचानक उन्होंने सड़क पर एक भागे हुए क्रान्तिकारी को जाते हुए पहिचान कर उसे गिरफ़्तार करने आगे बढ़े ही थे, कि उस अराजक ने और उसके चार साथियों ने गोलियाँ चला दीं जिससे उनके तो प्राण गए और अर्दली के गहरा जख्म आया। इसमें सन्देह नहीं कि इस अवसर की हत्या का प्रबन्ध भी जतीन्द्र मुकुर्जी ने ही किया था।

जतीन्द्र मुकुर्जी

इस स्थान पर यह उचित मालूम होता है कि जतीन्द्र मुकुर्जी के जीवन के इतिहास के अगले परिच्छेद पर भी कुछ प्रकाश

डाला जाए। मार्च के अन्त में यह सूचना मिली कि जतीन्द्र बालेश्वर चला गया है। इस स्थान में पश्चिम से बहती हुई महानदी बङ्गाल की खाड़ी में मिलती है। सितम्बर के महीने में उन क्रान्तिकारी घटनाओं के सम्बन्ध में, जिनका विस्तृत उल्लेख "जर्मन षड्यन्त्र" शीर्षक में किया जायगा, कलकत्ते के जासूसी पुलिस विभाग के कुछ अफ़सर इस उद्देश्य से बालेश्वर पहुँचे, कि वहाँ जाकर उस कारखाने के दफ़्रों की तलाशी लें जो कि "यूनिवर्सल एम्पोरियम" के नाम से तिजारत किया करता था। उस कारखाने में एक गिरफ़ारी हुई थी जिसके फल-स्वरूप निकटवर्त्ती मयूरगञ्ज रियासत के पहाड़ों की तलाशी ली गई थी और आखिर में जङ्गल के एक टुकड़े में ५ बङ्गाली पाए गए थे। उन्होंने एक ग्रामीण को गोली से मार दिया था और अपने ऊपर आक्रमण करने वाले दल पर, जिस दल का अध्यक्ष बालेश्वर का कलक्टर था, गोलियाँ चला कर एक आदमी को घायल किया था। इस लड़ाई का नतीजा यह हुआ कि एक प्रसिद्ध क्रान्तिकारी, जिस का नाम चित्तप्रिया चौधुरी था और जिसको २८ फ़र्वरी को कॉर्नवालिस स्ट्रीट में गिरफ़ार करने की चेष्टा में पुलिस सब-इन्सपैक्टर की जान गई थी, गोली से मारा गया और जतीन्द्र मुकुर्जी और उसका एक सहकारी क्रान्तिकारी गोलियों से जख्मी हुए। कुछ दिनों बाद जतीन्द्र मुकुर्जी का उसके जख्मों के कारण प्राणान्त हो गया। इसी लड़ाई में दो और युवक गिरफ़ार किए गए।

कलकत्ते में क्रान्तिकारी कार्यक्रम और भी केन्द्रित हो गया

२१ अक्टूबर से लेकर साल के आख़ीर तक कोई भी पक्ष ऐसा न जाता था, जिसमें कि क्रान्तिकारियों ने कोई न कोई उपद्रव न किया हो। अगर दो दिन क़त्ल होते थे तो दो रोज़ मोटरों द्वारा डकैतियाँ होती थीं। २१ अक्टूबर का क़त्ल एक नवयुवक ने किया था, जिसको कि यह आदेश मिला था, कि इन्सपैक्टर सतीशचन्द्र बैनर्जी की हत्या की जाए। १०½ बजे रात को इन्सपैक्टर तीन सब-इन्सपैक्टरों के साथ मस्जिदवाड़ी स्ट्रीट नामक सड़क के एक मकान के नीचे के मञ्ज़िल में बैठे थे कि अचानक एक नवयुवक आया और पुलिस अफ़सरों पर गोलियों की बौछार शुरू कर दी। युवक के साथ दो तीन व्यक्ति और आए और इन्होंने भी पिस्तौलें चलाना शुरू कर दिया। चारों अफ़सर सेहन की तरफ़ दौड़ गए और ज़ीने से चढ़ कर भाग निकले, परन्तु आक्रमणकारियों ने वहाँ भी उनका पीछा किया; नतीजा यह हुआ कि एक सब-इन्सपैक्टर मारा गया और दूसरे के पैरों और हाथों में गोलियों के जख्म आए लेकिन इन्सपैक्टर सतीश बैनर्जी बच गया।

दूसरा क़त्ल ३० नवम्बर को हुआ, जब कि एक सिपाही सरपेण्टाइन लेन के ७७ नम्बर के मकान पर पहरा दे रहा था। इस मकान की पिछली ही रात कुछ क्रान्तिकारियों के सम्बन्ध

में तलाशी ली गई थी। सिपाही पर दो युवकों ने पिस्तौलों से हमला किया और उसको गोली से मार दिया। भागते हुए उन्होंने एक रसोइए को भी गोली से मार दिया। इस प्रकार क्रान्तिकारियों ने दो जाने लीं। घटनास्थल पर ख़ाली माऊज़र के कारतूस पाए गए।

कलकत्ते की यह चारों डकैतियाँ साल के अन्तिम दिनों में ५ सप्ताह के भीतर हुई और इनके करने वाले ५, ६ बङ्गाली युवक थे जिनके पास पिस्तौलें थीं। प्रत्येक घटना रात के दस बजे से पहिले-पहिले हुई।

२७ दिसम्बर को चावलपट्टी सड़क पर जो डाका डाला गया उसमें क्रान्तिकारियों ने अत्यन्त दुस्साहस का परिचय दिया। घुड़दौड़ के मैदान से दो घुड़दौड़ के टिकट बेचने वाले अपने घर वापिस चले आ रहे थे, जब कि दो बङ्गाली युवकों ने, जिनके पास माऊज़र पिस्तौलें थीं उनके घर में प्रवेश किया और घुड़दौड़ियों से उनके रुपये की थैली माँगी। थैली में ७५०) रु० थे। आपस में झगड़ा शुरु हुआ और एक घुड़दौड़ी के पेट में गोली लगी और युवक रूपये की थैली लेकर भाग निकले।

कलकत्ते के क्रान्तिकारी शहर के बाहर भी डकैतियाँ डालने लगे

इस वर्ष कलकत्ते के क्रान्तिकारी दूर-दूर के ज़िलों में भी उपद्रव करने लगे जिनमें से कुछ का उल्लेख नीचे दी हुई तालिका में किया जाता है :—

संख्या	तारीख़	ज़िला	गाँव व थाना	घटना	लूट	हताहत	विवेचना
१	६, अप्रेल	२४ परगना	अरियादा थाना वड़ानगर	डकैती	५००) रु०		
२	३, "	नदिया	गाँव प्रागपुर थाना दौलतपुर	"	२७००) रु०	...	एक डाकू मरा ३ को १७ वर्ष और एक को ८ वर्ष का द्वीपान्तर वास
३	२, अगस्त	२४ परगना	अगरपाड़ा	"	...	...	एक को ५ वर्ष का कठोर कारावास
४	२५ "	"	"	मुरारी मित्र की हत्या	...	१ मरा	...
५	३०, सितम्बर	नदिया	शिवपुर	डकैती व ख़ून	२०७००) रु०	एक सिपाही तथा तीन अन्य मरे और ११ घायल	८ आदमियों को १० वर्ष का द्वीपान्तरवास

६ अप्रैल को जो डकैती अरियादा में हुई थी और २री अगस्त को जो अगरपाड़ा में हुई थी (दोनों २४ परगना ज़िले में) इन डकैतियों को करने वाले लोग उस समिति के थे, जिसका नेता विपिन गङ्गोली था। अगरपाड़ा की डकैती में डाकुओं ने एक बिल-कलक्टर पर हमला किया जो कि प्रत्येक सोमवार को अपने मालिक के लिए रुपया लाता था। चपरासी ने शोर कर दिया और लोगों ने डाकुओं का पीछा किया जिससे विपिन गङ्गोली मय पिस्तौल के पकड़ लिया गया।

पुलिस की तहक़ीक़ात के दौरान में कुछ बङ्गाली युवकों ने उस व्यक्ति को गोली से मार डाला, जो कि पुलिस को अनुसन्धान में बहुत अधिक सहायता दे रहा था। आक्रमण-कारियों ने कई गोलियाँ चलाईं और पुलिस के सहायक को उसी के घर के दरवाज़े पर मार गिराया। घटना के बाद कई ख़ाली माऊज़र के कारतूस वहाँ पर पाए गए। लोगों ने उनका पीछा किया परन्तु वे सफल न हुए, प्रत्युत क्रान्तिकारियों ने भागते समय गोली से एक और पुलिस के सिपाही को घायल कर दिया।

परन्तु सब से अधिक उल्लेखनीय डकैतियाँ, जो कि मुफ़स्सिल जिलों में हुईं, परन्तु जिनका प्रबन्ध कलकत्ते से किया गया था, वे थीं; जो कि नदिया जिले में प्रागपुर और शिवपुर नामक स्थानों में कलकत्ते से लगभग १०० मील दूरी पर हुई थीं। इन डकैतियों की कतिपय विशेषताएँ उल्लेखनीय हैं।

प्रागपुर की डकैती में माऊज़र पिस्तौलें, बहुत सा कारतूस और लोहे के बक्सों को तोड़ने के औज़ार कलकत्ते से भेजे गए थे और डकैती का पूरा ख़ाका और उसके सम्बन्धी सब प्रबन्ध कलकत्ते में ही तै किये गए थे। डकैती के ख़त्म होने के बाद किस तरह से कलकत्ते वापिस होंगे, इस विषय में जो आदेश दिए गए थे, वे पूरे न हो सके। वापिसी सफ़र किश्ती द्वारा किए जाने का आदेश दिया गया था; परन्तु जब कि डाकू लोग नदी के किनारे पर थे, एक पुलिस सब-इन्सपैक्टर की आधीनता में ग्राम-निवासियों के एक गिरोह ने उन पर हमला कर दिया। इस कारण डाकुओं के प्रबन्ध में बदइन्तज़ामी हो गई और उनकी गोली से उन्हीं का एक आदमी मर गया। उन्होंने तुरन्त अपनी किश्ती आप ही डुबो दी और मृतक शरीर को नदी में फेंक कर आप भाग निकले।

शिवपुर की डकैती करने वाला एक दूसरा ही गिरोह था, जो कि १९१२ में बारीसाल छोड़ कर कलकत्ते में आ बसा था। इस डकैती में झलङ्गी नदी के किनारे रेलवे स्टेशन से ९ मील दूर रहने वाले एक धनी साहूकार को लूटा गया था। उसके मकान को २० से अधिक डाकुओं ने, जिनके पास बिजली के लैम्प और माऊज़र व अन्य प्रकार की पिस्तौलें भी थीं, घेर लिया। इस घटना में गाँव वालों ने नदी के दोनों किनारों से डाकुओं का पीछा किया। डाकुओं ने भागते समय एक सिपाही को गोली से मार डाला। परन्तु २० में से ९ डाकू

गिरफ़ार कर लिए गए, उन पर अभियोग चलाया गया और उन्हें द्वीपान्तर-वास का दण्ड दिया गया। जिसके कारण इस दल की बड़ी क्षति हुई।

पूर्वीय बङ्गाल में आतङ्कवादी काण्ड

प्रागपुर और शिवपुर की क़िस्म की डकैतियाँ पूर्वीय बङ्गाल में भी जारी हो गईं। इस इलाक़े की बनावट ऐसी है कि ख़ुशकी स्थान पर जलमार्ग द्वारा अधिक सफ़र किया जा सकता है। १४ अगस्त को हरीपुर के एक धनी ज़मीदार को डाकुओं ने गाँव वालों के देखते-देखते लूट लिया और डाकुओं ने, जिनके पास कई माऊज़र पिस्तौलें और रिवॉल्वर थे, ग्रामीणों पर आतङ्क जमा लिया। १८०००) रु० की नक़दी व ज़ेवरात लूट कर वे किश्ती द्वारा भाग निकले। ज़मींदार के दरबान को गोली से मार दिया और ३ ग्रामीण सख़्त जख़्मी हुए।

७ सितम्बर को मैमनसिंह ज़िले में क्रान्तिकारियों ने चन्द्रकोण के बाज़ार को लूटा और ५ दूकानों में से २१,०००) रु० नक़दी तथा आभूषणों के रूप में उड़ा ले गए और गाँव वालों के ऊपर गोली-वर्षा करके ५ को सख़्त घायल कर दिया। इस डकैती में भी क्रान्तिकारियों ने आक्रमण के समय और कूच करते समय किश्ती द्वारा ही सफ़र किया।

पूर्वीय बङ्गाल में २९, दिसम्बर को एक और भीषण डकैती हुई, जिसमें कि टिप्परा ज़िले के करतोला ग्राम में क्रान्तिकारियों

ने एक धनी काश्तकार की दूकान में डाका डाल कर १५०००) रु० का माल लूटा और २ व्यक्तियों को गोली से मार दिया। डाकुओं के पास माऊज़र पिस्तौलें थीं और उन्होंने पिस्तौलों से मुसलमानों की एक बड़ी भीड़ को, जो कि घटनास्थल में जमा हो गई थी, डरा कर भगा दिया।

सन् १९१५ में पूर्वीय बङ्गाल में जो-जो आतङ्कवादी उपद्रव हुए, जिनमें कि ऊपर की तीन घटनाएँ भी सम्मिलित हैं, उनका सम्पूर्ण विवरण इस प्रकार है :—

१९१५—पूर्वीय बङ्गाल

संख्या	तारीख़	ज़िला	गाँव व थाना	घटना	लूट	हताहत	विवेचना
१	१, जनवरी	ढाका	विक्रमपुर	असफल डकैती	...	...	७ आदमियों से मुचलके लिये गये।
२	जनवरी	मैमनसिंह	गाँव सतीना कोला थाना किशोरगञ्ज	"	...	...	...
३	२०, "	फ़रीदपुर	कलमधा थाना भङ्गा	"	...	...	...
४	२२, "	टिप्परा	गाँव भगमारा थाना लखीमपुर	डकैती	४१७०) रुपया	...	...
५	१५, फ़रवरी	फ़रीदपुर	मदारीपुर	रुपए ऐंठने का असफल प्रयत्न	...	...	...
६	३ मार्च	टिप्परा	शहर कमिल्ला	हेडमास्टर का क़त्ल	...	१ मरा ३ घायल	...
७	११, अप्रेल	"	बल्दा	डकैती	४०००) रुपया	दो घायल	...
८	२५, मई	"	ओरैल थाना सरेल	"	४२५०) रुपया	...	..

संख्या	तारीख़	ज़िला	गाँव व थाना	घटना	लूट	हताहत	विवेचना
९	५, जून,	बाक़रगञ्ज	ग़ाज़ीपुरा	”	१५०००) रु०		...
१०	३०, जून १०, जुलाई }	फ़रीदपुर ...	गाँव बजीतपुर थाना राजेर	बम और चोरी	...		...
११	१४, अगस्त	टिप्परा	हरीपुर थाना नसीर नगर	डकैती और ख़ून	१८०००) रु०	एक मरा ३ घायल	...
१२	७, सितम्बर	मैमनसिंह	चन्द्रकोना नलितवाड़ी	डकैती	२१०००) रु०	६ घायल १ मरा	...
१३	२६, नवम्बर	”	रिसालपुर थाना गफ़रगाँव	डकैती और ख़ून	४६०) रु०	१ मरा	...
१४	१९, दिसम्बर	”	शशेरडिग्गी थाना वजीतपुर	धीरेन्द्र विस्वास का क़त्ल	...	”	...
१५	२२, ”	”	गाँवकालियाछपरा थाना काटयाडी	डकैती	८५०) रु०	”	...
१६	२९, ”	टिप्परा	करतला थाना चन्दीना	डकैती व ख़ून	१५०००) रु०	दो मरे।	...

निर्धारित डकैती

जो डकैती १ ली जनवरी को विक्रमपुर में होने वाली थी उसकी योजना कलकत्ते के लीडर विपिन गङ्गोली ने की थी। ढाका शहर में कलकत्ते से सन्दिग्ध-युवकों के आने पर पुलिस को सन्देह हो गया था और उन्होंने उनको ढूँढ़-ढूँढ़ कर उन पर नज़र रक्खी। उनके पास बहुत सी ऐसी बस्तुएँ मिलीं, जो कि साधारणतया उन डकैतियों में पाई जाती हैं, जिनके डालने वाले बङ्गाली भद्र लोग होते हैं। ७ युवकों से एक मैजिस्ट्रेट की आज्ञानुसार नेकचलनी की ज़मानत ली गई।

कलमरिद्ध की २२ जनवरी की डकैती में क्रान्तिकारियों को इस लिए सफलता न मिली कि वे लोहे के बक्स को तोड़ न सके जिसमें धन सुरक्षित था, डाकुओं की संख्या लगभग १ दर्जन थी और उनके पास कई पिस्तौलें थीं। आख़िरकार जब गाँव वाले घटनास्थल पर पहुँचे तो डाकू लोग माऊज़र के ख़ाली कारतूस के डिब्बे छोड़ कर भाग गए।

२२ जनवरी को बाग्मारा नामक स्थान पर एक डकैती हुई, जिसमें कि ४०००) रु० लूटा गया। डाकुओं के पास माऊज़र पिस्तौलें थीं और उन्होंने गाँव वालों की भीड़ को गोली चला कर डराया और रुपया लूट कर भाग गए।

१५ फ़रवरी को क्रान्तिकारियों ने देवेन्द्र चक्रवर्ती नामक व्यक्ति को, इसलिए मजबूर किया, कि वह उनको २०००) रु० दे

और उनके गिरोह में मिल जाए। परन्तु वे सफल न हुए, जिसका नतीजा यह हुआ कि कई आदमी गिरफ़ार हुए, जिनमें से दो से नेकचलनी की ज़मानत ली गई।

उल्लेखनीय हत्याएँ

इस साल पूर्वीय बङ्गाल में तीन और हत्याकाण्ड हुए जिनका उल्लेख करना आवश्यक है। ३ मार्च को कमिल्ला ज़िला स्कूल के हेडमास्टर, बाबू शरतकुमार बसू को, जब कि वे अपने नौकर के साथ टहल रहे थे, गोली से मार डाला गया और नौकर के पेट में भी गोली लगी। एक मुसलमान की छाती में, जिसने आक्रमणकारियों का पीछा किया, दो गोलियाँ लगीं और अचानक एक औरत के भी गोली लगी। घटनास्थल पर ५ ख़ाली कारतूस पाए गए। बाद में हेडमास्टर का नौकर भी मर गया।

हेडमास्टर साहब की हत्या का कारण यह था कि पहले तो १९०८ में उन्होंने बङ्गाल के राजनैतिक दलों का विरोध किया था और उनसे उनकी शत्रुता हो गई थी और दूसरे इस क़त्ल से थोड़े ही दिन पहले उन्होंने ज़िला कलक्टर के पास स्कूल के दो विद्यार्थियों की इस बात की रिपोर्ट की थी कि वे विद्रोही पर्चे बाँटा करते हैं। इसमें किञ्चित मात्र भी सन्देह नहीं कि हेडमास्टर की हत्या का कारण राजनैतिक विरोध ही था।

१९ अक्टूबर को एक अत्यन्त हृदयहीन हत्या मैमनसिंह

शहर में हुई। पुलिस के डिप्टी सुपरिण्टेण्डेण्ट जतीन्द्र मोहन घोष अपने घर के दरवाज़े पर अपने छोटे से बच्चे को गोद में लिए हुए खिला रहे थे कि अचानक चार पाँच युवक आये और उन्होंने सुपरिण्टेण्डेण्ट साहब के ऊपर गोलियाँ दाग़नी शुरू कर दीं जिसका फल यह हुआ कि केवल मिस्टर घोष ही नहीं, बल्कि उनका बच्चा भी क्रान्तिकारियों की गोलियों का शिकार बना। घटनास्थल पर छुटे हुए कारतूस के डिब्बे पाए गए। हमें इस बात का विश्वास है कि इस हत्याकाण्ड का कारण यह था कि सर्वसाधारण में यह समाचार फैल गया था कि डिप्टी साहब मैमनसिंह में इस लिए पधारे हैं कि वहाँ पर भी एक षड़यन्त्र केस का अभियोग चलाया जाए।

१९ दिसम्बर को मैमनसिंह ज़िले में शशेरडिग्गी स्थान पर धीरेन्द्र विस्वास की हत्या हुई। विस्वास पहिले क्रान्तिकारियों के विजीतपुर गैङ्ग का सदस्य रह चुका था परन्तु उसका जीवन इस लिये खटके में था क्योंकि आजकल वह पुलिस में भेदिया का काम कर रहा था। १९१६ के साल के प्रारम्भ में शशी चक्रवर्ती की हत्या भी इन्हीं कारणों से की गई थी।

ढाका में हथियार पाए गए

१८ नवम्बर को एक क्रान्तिकारी के सूचना देने पर ढाका शहर में कई मकानों की तलाशी ली गई जिनमें कि बारीसाल स्थिति ढाका-समिति के नेता अनुकूल चक्रवर्ती और कई अन्य

क्रान्तिकारी पाए गए और उन पर क्रिमिनल प्रोसिज्योर की दफ़ा १०९ के अनुसार कार्रवाई की गई। एक दूसरे मकान में रोडा कम्पनी के खोए हुए बक्सों वाली एक माऊज़र पिस्तौल, एक रिवॉल्वर और बहुत सा कारतूस व बारूद इत्यादि पाया गया।

उत्तरीय बङ्गाल में आतङ्क

यद्यपि १९१५ का उल्लेख बहुत वृहद् और विस्तारपूर्ण हो गया है तथापि ३ और आतङ्कवादी घटनाओं का उल्लेख करना हमारे लिये अत्यन्त आवश्यक है। ये घटनाएँ उत्तरीय-बङ्गाल में हुईं। यह बात स्मरण रखिये कि बङ्गाल का यह भाग अभी तक विप्लववाद की विषैली वायु से बचा हुआ था।

२३ जनवरी, १९१५ को २०, २५ व्यक्तियों के एक गिरोह ने रङ्गपुर ज़िले के क्रूल नामक स्थान पर धावा मारा और गृहस्वामी के अनुमान के अनुसार ५०,००० रुपया तथा ज़ेवरात लूटे। डाकुओं के पास निसन्देह माऊज़र पिस्तौलें थीं क्योंकि उनके जाने के बाद घटनास्थल पर छूटे हुए माऊज़र कारतूस पाये गये। आतङ्कवादियों ने चेहरों पर नक़ाब लगा रक्खे थे इसलिये उनका पहिचानना असम्भव था।

११ फ़रवरी को दो युवक, जो खुलना और फ़रीदपुर के निवासी थे, इस डकैती से सम्बन्ध रखने के सन्देह में कलकत्ते में गिरफ़्तार हुए।

१६ फ़रवरी को बङ्गाल पुलिस विभाग के डिप्टी इन्सपैक्टर

जनरल तथा रङ्गपुर ज़िले के सुपरिण्टेण्डेण्ट-पुलिस और उसी ज़िले के सहकारी सुपरिण्टेण्डेण्ट पुलिस रायसाहब नन्दकुमार बसू इस डकैती के अनुसन्धान के कार्य में लगे हुए थे। अचानक ४ बङ्गाली युवकों ने आकर पूछा की रायसाहब कहाँ हैं और उनमें से दो रायसाहब के मकान के अन्दर घुस गये और ज्योंही रायसाहब सामने दिखाई पड़े उन्होंने उनके ऊपर तीन चार गोलियाँ दाग़ दीं। परन्तु सौभाग्यवश गोली उनके न लगी और वह दूसरे कमरे से निकल भागे। परन्तु उनका नौकर जो कि पास ही खड़ा हुआ था, क्रान्तिकारियों की गोलियों से जख़्मी हुआ और उसके पैरों में गहरे घाव हो गए और उनके अर्दली के, जो कि पास ही खड़ा था और जिसने कि क्रान्तिकारियों को भागने से रोकने का प्रयत्न किया था, दो गोलियाँ लगीं जिससे कि वह मर गया। चार ख़ाली माऊज़र के कारतूस घटना-स्थल पर पाए गए। इस बात में कोई सन्देह नहीं मालूम होता कि रायसाहब को मारने का प्रयत्न करने का क्रान्तिकारियों का यह कारण था, कि सर्वसाधारण में यह विश्वास था कि कुरुल की डकैती के सम्बन्ध में जो सख़्त कार्यवाहियाँ की गई थीं, उनके उत्तरदायी रायसाहब ही थे।

चार दिन के बाद राजशाही ज़िले में नेटौर नगर के धरेल नामक स्थान में ३०,४० बङ्गाली युवकों ने डकैती डाली। डाकुओं के मुँह पर लाल नक़ाब लगे हुए थे और इस डकैती में उन्होंने एक साहूकार के घर से २५,००० रु० की नक़दी तथा जेवर लूटे थे।

उन्होंने एक दरवान को गोली से मारा और २ आदमियों को सख्त घायल किया। कुछ हथियार, जो कि इस घटना में प्रयोग किए गए थे, रोडा कम्पनी की माऊज़र पिस्तौलों में से थे क्योंकि घटनास्थल पर माऊज़र में चले हुए कारतूस पाए गए थे।

इस बात का हमें विश्वास है कि नैटोर शहर में एक उस क्रान्तिकारी का घर था, जिस के पास रोडा कम्पनी के यहाँ से चुराई हुई बहुत सी माऊज़र पिस्तौलें आदि सामान रक्खा गया था और हमारे पास इस बात की भी सूचना पहुँची है कि इस डकैती का प्रबन्ध कलकत्ते में ढाका-अनुशीलन-समिति के सदस्यों ने किया था।

जैसा कि १९१४ के उल्लेख के अन्त में वर्णन किया गया था, सन् १९१५ के प्रारम्भिक समय में, पञ्जाब की राजनैतिक स्थिति में भयङ्कर परिवर्तन हो गया था इसी वर्ष एक और षड़यन्त्र चल रहा था जिसमें कि बङ्गाली क्रान्तिकारी आस-पास के समुद्र के किनारों या अन्य प्रदेशों से जर्मनी से आने वाले अस्त्र-शस्त्रागार को जहाज़ द्वारा उतारने के लिये, उधेड़-बुन में लगे हुए थे। इस घटना का विस्तार पूर्वक वर्णन एक विशेष अध्याय में किया जायेगा।

सन् १९१६

कलकत्ता और आस-पास की डकैतियाँ

इस वर्ष पश्चिमीय बङ्गाल की पार्टी के कुलीन मुकुर्जी अतुल-घोष और उनके सहकारियों ने अपना कार्यक्रम कलकत्ते शहर

में केन्द्रित किया। १७ जनवरी को उन्होंने एक कामयाब डकैती हावड़ा में डाली जिसमें ६,०००) का माल ले गये, और इसी महीने हावड़ा में दो जगह और डाका डालने का प्रयत्न किया परन्तु इसमें वे कामयाब न हुए।

पूर्वीय बङ्गाल के ज़िलों की क्रान्तिकारी पार्टी ने जनवरी और फ़रवरी में, कलकत्ते में कालीतल्ला और अपर चीतपुर रोड में डाके डाले, परन्तु सफलता न हुई।

२२ फ़रवरी को बड़ानगर दल के कुछ सदस्यों ने हावड़ा जिले में जनई नामक स्थान पर डाका मारा, परन्तु इन्हें भी सफलता न हुई। यह पार्टी भी क्रान्तिकारियों के समुदाय का एक भाग थी। इन्होंने ३ मार्च को हावड़ा ज़िले के दफ़रपुर नामक स्थान पर एक आदमी के घर पर डाका डाला जिसमें माऊज़र पिस्तौलें इस्तेमाल कीं और २,०००) रु० लूट ले गये। परन्तु इस गैङ्ग का यह आख़िरी ही काम था, क्योंकि ३ मार्च को, रात्रिके समय, पुलिस ने सन्दिग्ध व्यक्तियों के घरों पर धावा मारा और बारीसाल और बड़ानगर के सदस्यों को गिरफ़ार कर लिया और उनको बाद में भारत-रक्षा क़ानून के अनुसार नज़र-बन्द कर दिया गया।

इस वर्ष कलकत्ता या उसके आस-पास एक डकैती के अतिरिक्त और कोई डकैती न पड़ी। यह आख़िरी डकैती २६ जून को गोपीराय लेन नामक सड़क पर एक मकान में हुई और इसमें ११,५००) रु० डाकुओं ने लूटा। जिस आदमी

के घर में यह डकैती पड़ी उसको एक निम्नाङ्कित पत्र बङ्गला भाषा में मिला जिस पर क्रान्तिकारियों की मोहर (पैरा ९९ देखो) छपी हुई थी। पत्र की तिथि १४ आषाढ़ अर्थात् २८ जून थी और इस पत्र द्वारा क्रान्तिकारियों ने मकान मालिक को ९८९१) रु० की रसीद लिख दी थी और धन्यवाद देते हुए यह प्रतिज्ञा की थी कि यह रुपया सूद समेत उचित समय पर वापिस किया जाएगा। पत्र इस प्रकार था :—

"पत्र सं० २२५०

बन्देमातरम्

संयुक्त भारतीय स्वतन्त्र राज्य
का बङ्गाल ब्राञ्च
Bengal Branch of Independent
Kingdom of United India

सज्जनो !

अत्यन्त नम्रता और विनय पूर्वक निवेदन किया जाता है कि हमारे अर्थविभाग (कलकत्ता फ़ाइनेन्स डिपार्टमेण्ट) के ६ अवैतनिक अफ़सरों ने ९८९१) रू० एक आना ५ पाई का क़र्ज़ा आप से लिया है और उस रुपये को उन्होंने हमारे ऑफ़िस में आप के नाम पर क़र्ज़ के तौर पर खाते में जमा कर दिया है, ताकि हमारा महान् उद्देश्य सफल हो सके। इस क़र्ज़े का इन्दराज ५) रु० सैकड़ा प्रतिवर्ष के हिसाब से हमने अपनी कैशबुक में चढ़ा लिया है। ईश्वर के अनुग्रह से यदि हम सफल हुए तो

आप को पूरी रक़म मय सूद के उपयुक्त समय आने पर वापिस कर दी जाएगी। आपने जैसा अच्छा सलूक हमारे अफ़सरों के साथ किया, वैसे ही सुव्यवहार की आशा हमें आप जैसे महान पुरुष से थी। हमें विश्वास है कि हमारे कर्मचारियों ने भी यथासम्भव आपके साथ अच्छा व्यवहार किया होगा।

हमने उन्हें आदेश किया था कि, वे रेहन रक्खे हुए किसी भी ज़ेवर को न छूएँ और उन्होंने ऐसा ही किया, परन्तु आपका रुपया जमा करते समय गिनते वक्त हमें एक लॉकेट और एक तावीज़ मिली है हमने अपने गुप्तचरों द्वारा अनुसन्धान किया और हमें यह सूचना मिली है कि यह दो गहने भी आपके पास रेहन किये हुए रक्खे थे। १३ ता० आषाढ़ की रात्रि को सभा में, इनके विषय में भी विचार हुआ और यह निश्चय हुआ कि, यह दोनों चीज़ें आपको वापिस की जाएँ, अतः आपको सूचना दी जाती है कि, यह दोनों चीज़ें आपके पास दो सप्ताह के पूर्व पहुँच जाएँगी। हम आपको आगाह करते हैं कि, यदि आपने इस सब की सूचना स्वार्थी पुलिस अफ़सरों को दी तो वे इन सब चीज़ों को हड़प कर जाएँगे।

सज्जनो! यदि आपने हमारे विरुद्ध कोई भी कार्यवाही वचन, कर्म, एवं किसी अन्य रीति से की तथा किसी भी व्यक्ति को सन्देह वश पुलिस के सुपुर्द किया, तो हम ऊपर लिखी प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिए वाधित न होंगे और हम आपके

परिवार में से किसी भी व्यक्ति को आपकी अनन्त धन राशि को उपभोग करने के लिये, भी जीवित न छोड़ेंगे। यह शायद आपको मालूम न होगा कि, पुलिस के सब कर्मचारी हमारे धार्मिक कार्य का कैसा विरोध करते हैं, परन्तु हमारी संयुक्त भारत की गवर्नमेण्ट ने, उनको समय समय पर उपयुक्त दण्ड दिया है और विदेशी ब्रिटिश गवर्नमेण्ट ने हर तरह से इन लोगों को बचाने की कोशिश की, परन्तु उन्हें बचा न सकी। इसलिए हम आपको पुनः चेतावनी देते हैं कि, आप हमें इस बात के लिये मजबूर न करें, कि हम अपने देश-वासियों के रक्त से मातृभूमि को रञ्जित करें।

आप जैसा बुद्धिमान आदमी कदाचित यह समझ सकता है, कि देश को विदेशी राज्य से मुक्त करने के लिये, यह आवश्यक है कि हमारे देशवासी आत्म-त्याग, उदारता और सहृदयता का परिचय दें। यदि हमारे देश के धनी लोग, हमारे भारी बोझ का ख्याल करते हुए, स्वयं माहवारी, त्रैमासिक, और अर्द्ध वार्षिक चन्दा सहायता रूप में हमें देते, ताकि हम भारतवर्ष में सनातन धर्म का राज्य पुनः स्थापित कर सकें, तो हमको इस तरह से आपको कष्ट देने की आवश्यकता न पड़ती। यदि आप हमारे प्रस्ताव को स्वीकार न करेंगे तो हमें इसी प्रकार से धन एकत्रित करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।

सज्जनो! हमने प्रतिज्ञा की है कि मातृ-मन्त्र की दीक्षा लेकर, क्षत्रियों की नई शक्ति के साथ, हम देश को विदेशियों के शासन

से मुक्त करेंगे, क्या इस महायज्ञ में धन देकर आप हमारी सहायता न करेंगे ?

जापान की उन्नति और शक्ति का एक मात्र कारण उस देश के धनियों का आत्म-बलिदान और उदारता है। आओ, सब मिल कर ईश्वर से प्रार्थना करें कि, वह इस महान कार्य की सफलता के लिये हमारे देशवासियों को शक्तिशाली हृदय और सुबुद्धि प्रदान करें।"

कलकत्ता (हस्ताक्षर) जे. बलमन्ता
१४ आषाढ़ संयुक्त भारत का स्वतन्त्र राज्य की
१३२३ वि० बङ्गाल शाखा का अर्थ सचिव

यह कार्य पश्चिमीय बङ्गाल पार्टी का था जिसके प्रमुख नेता अतुल घोष और पुलिन मुकुर्जी थे। इस सम्बन्ध में, पुलिन मुकुर्जी के अतिरिक्त दो और व्यक्ति, जुलाई और अगस्त में गिरफ़ार हुए और उन्हें नज़रबन्द कर दिया गया।

पुलिस ने जो कार्यवाही अतुल घोष को इस डकैती के सम्बन्ध में गिरफ़ार करने के लिए की, उसके फल-स्वरूप हावड़ा जिले में ४ अगस्त को एक और घटना हुई जो इस प्रकार है: पुलिस को यह सूचना मिली कि अतुल घोष ने डोमपाड़ा लेन सलकिया के एक मकान में अपने दल के कुछ लोगों को छिपा कर रक्खा हुआ है, उस मकान पर हमला किया गया और उस में एक युवक जिस पर, पहले ही एक्सप्लोज़िव ऐक्ट (Explosive Act) के अनुसार टी० एन० टी० रखने के

अभियोग में मुक़दमा चला हुआ था परन्तु वह भागा हुआ था, गिरफ़ार हुआ। एक दूसरा व्यक्ति भी जिसने जङ्गल की तरफ़ भागते हुए, रोडा कम्पनी के एक माऊज़र पिस्तौल से हेड कान्सटेबिल के ऊपर गोली चलाने का प्रयत्न किया, गिरफ़ार किया गया।

कुछ ही दिन बाद एक मृतक शरीर, रेलगाड़ी में, एक ट्रङ्क में बन्द पाया गया और यह विश्वास किया जाता था कि मृतक व्यक्ति अतुल घोष का एक सम्बन्धी था जिसे इसलिये मारा गया था, क्योंकि, क्रान्तिकारियों को यह विश्वास था कि वह अतुल के सम्बन्ध में पुलिस को सूचना देता था।

कलकत्ते में क़त्ल और हत्याकाण्ड के असफल प्रयत्न

सन् १९१६ में कलकत्ते में हत्याकाण्ड का सिलसिला १६ जनवरी को अरम्भ हुआ और इस घटना में मेडिकल कॉलिज के सामने कॉलेज स्कॉयर में दिन के १० बजे सब-इन्सपैक्टर मधु-सूदन भट्टाचार्य का ख़ून किया गया। उस समय सड़क पर बहुत से लोग चल रहे थे। दो क्रान्तिकारियों ने, जिन में से एक के पास माऊज़र पिस्तौल और दूसरे के पास वेम्बली रिवॉल्वर था; दारोग़ा साहब को मार डाला और भागते समय उन लोगों की तरफ़ भी गोलियाँ छोड़ीं जो उनका पीछा कर रहे थे। घटनास्थल पर ३ माऊज़र के कारतूस और एक ४५० बोर रिवॉल्वर का भरा कारतूस पाया गया। अनुसन्धान करने पर ५ व्यक्ति गिरफ़ार

किये गये और वे सब के सब डिफ़ेन्स ऑफ़ इण्डिया ऐक्ट के अनुसार नज़रबन्द हैं। गिरफ़्तार किये गये व्यक्तियों में से एक, जिसके पास माऊज़र पिस्तौल निकली थी, कलकत्ते में बारीसाल गैङ्ग का नेता था। यह गैङ्ग १९१२ में कलकत्ता चला आया था। उन भिन्न-भिन्न व्यक्तियों के बयानात, जिनका सम्बन्ध इस हत्याकाण्ड से था, इस बात में बिल्कुल भी सन्देह का स्थान नहीं छोड़ते थे कि इस हत्या का उत्तरदायित्व किस दल के ऊपर था।

जून के महीने में ढाका-अनुशीलन-समिति के सदस्य कलकत्ते में हत्याकाण्ड के प्रस्ताव के सम्बन्ध में विचार कर रहे थे। यह बात हमारे सन्तोष के लिये प्रमाणित की जा चुकी है कि ३ व्यक्तियों को जून के आरम्भ में सब-इन्सपैक्टर जुगेन्द्र गुप्त की हत्या करने को तैनात किया गया था। कारण यह था कि इस दारोग़ा ने समिति के सदस्यों के सम्बन्ध में बहुत कुछ समाचार एकत्रित कर लिये थे। दो बार तो षड़यन्त्रियों ने यह प्रयत्न किया कि उसको रास्ते से ही गुम कर दिया जाए। षड़यन्त्रियों के पास रिवॉल्वर और माऊज़र पिस्तौल थे, परन्तु दोनों बार षड़यन्त्रियों को निराश होना पड़ा, क्योंकि उनका शिकार सामने न आया। ३० जून को इन व्यक्तियों ने, जिन्हें सब-इन्सपैक्टर को मारने के लिए तैनात किया गया था, कुछ और षड़यन्त्रियों के साथ डिप्टी सुपरिन्टेण्डेण्ट बसन्त चटर्जी को सूर्यास्त से पहिले भवानीपुर के आस-पास मार डाला (१७० पैरा देखिये) यह

हत्या बहुत होशियारी से की गई थी और इसके प्रबन्ध में क्रान्तिकारियों को पूरी सफलता मिली परन्तु इसका फल यह हुआ कि तलाशियाँ दूर-दूर तक की गईं और बहुत सी ऐसी बहुमूल्य बातें पता लगीं जिनके कारण ढाका-अनुशीलन-समिति का कार्य कलकत्ते में समाप्त हो गया।

इस घटना के सम्बन्ध में जो सूचना मिली, उसका समर्थन उन बहुत से बयानों से होता है, जिनको कि इस घटना में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों ने दिया था। इससे यह मालूम होता है कि ५ आदमी, जिनमें से दो के पास माऊज़र पिस्तौलें और २ के पास रिवॉल्वर थे और जिनका नेता वॉयलेन्स डिपार्टमेण्ट का अध्यक्ष था, घटना स्थल पर पहुँचे और उन्होंने तीन सङ्गठनकर्त्ताओं के आदेशानुसार आक्रमण आरम्भ किया। समिति के नियमों के अनुसार सङ्गठनकर्त्ता वास्तविक हत्याकाण्ड के पूर्व ही वापिस हो गये ताकि यदि गिरफ़ारियाँ शुरू होवें, तो सङ्गठनकर्त्ता बचे रहें क्योंकि उनके पकड़े जाने से समिति को कोई नुक़सान न पहुँचे। परन्तु इस घटना के कुछ महीने बाद ही यह सङ्गठनकर्त्ता भी पकड़े गये, जिनमें से दो आजकल राजबन्दी हैं। तीसरा व्यक्ति, दिसम्बर १९१६ में छूट कर भाग गया था; परन्तु जनवरी १९१८ में पुनः गिरफ़ार किया गया। वे लोग भी, जिन्होंने कि हत्या की थी, गिरफ़ार किये गये और चारों आजकल राजबन्दी हैं। पाँचवाँ व्यक्ति हिरासत से भाग गया परन्तु उसे फिर गिरफ़ार किया गया।

भारत-रक्षक क़ानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई

भारत रक्षक क़ानून के अनुसार और १८१८ के रेग्युलेशन ३ के अनुसार गवर्नमेण्ट ने कलकत्ते में राजनैतिक उपद्रवकारियों की ज़ोर-शोर के साथ गिरफ़्तारी और नज़रबन्दी आरम्भ की, जिसका फल यह हुआ कि इस साल कलकत्ते में और कोई उपद्रव न हुआ।

पूर्वीय बङ्गाल में उद्दण्डता

इस वर्ष पूर्वीय बङ्गाल में बहुत सी सफल और असफल डकैतियाँ पड़ीं, जिनका क्रमानुसार व्योरा नीचे दिया जाता है :—

१९१६

संख्या	तारीख़	ज़िला	गाँव व थाना	घटना	लूट	हताहत	विवेचना
१	१५, जनवरी	मैमनसिंह	सुलतानपुर	डकैती व हत्या	७५ रु०	एक मरा	...
२	१६, ”	”	वजीतपुर	शशी चक्रवर्ती की हत्या	...	एक मरा	...
३	६, मार्च	टप्परा	गयडोरा थाना मुरादनगर	डकैती	१४६६० रु०	एक घायल	एक युवक को चार वर्ष का कठोर कारावास
४	३०, अप्रेल	”	नाथगढ़ थाना नबीनगर	”	१७५०० रु०	...	...
५	६, जून	फ़रीदपुर	धनकाटी थाना गोज़ेरहाट	”	४३००० रु०	...	...
६	२, सितम्बर	टिप्परा	शाहापदवा थाना चन्दीना	”	३३७० रु०	...	...
७	११, ”	”	गाँव ललितेश्वर थाना देवीद्वार	डकैती व हत्या	५३० रु०	५ ग्रामीण मरे और ५ घायल एक डाकू मरा	...

८	सितम्बर	टप्परा	चाँदपुर	डकैती का प्रयत्न	...	...	...
९	”	फ़रीदपुर	भङ्गा थाना पलङ्ग	”	...	...	...
१०	३०, सितम्बर	ढाका	रामदियाँनाली थाना घेवर	डकैती	६५५ रु० (बाद में वापिस मिलगया)	...	७ को ७ वर्ष का कठिन कारावास
११	१७, अक्टूबर	मैमनसिंह	सहिलदेव थाना वरहट्टा	” व ख़ून	८०००० रु०	एक मरा ६ घायल	...
१२	७, नवम्बर	”	परेल	”	३०००रु०	एक मरा ३ घायल	...

सब से पहिली उल्लेखनीय डकैती मैमनसिंह ज़िले में सुलतानपुर में हुई जिसमें २० युवकों ने भाग लिया, जिन के पास कई पिस्तौलें और एक १२ बोर की बन्दूक़ थी। इन्होंने एक हिन्दू के मकान पर हमला किया और एक व्यक्ति को जान से मार दिया। इस बात के विश्वास करने के लिये पर्याप्त प्रमाण है कि इस घटना का सङ्गठनकर्ता, यही नहीं कि एक साधारण क्रान्तिकारी हो, बल्कि मैमनसिंह ज़िले के एक प्रभावशाली घराने का व्यक्ति था जिस ने १९०९ में राजेन्द्रपुर में चलती रेलगाड़ी में डाका डालने में भाग लिया था।

दूसरा उल्लेखनीय डाका गन्दौड़ा नामक स्थान में पड़ा जिस में कि डाकुओं ने अपने एक सहकारी क्रान्तिकारी के ससुर के घर में डाका डाल कर १४००० रु० लूट लिया था। डाकुओं के पास माऊज़र की कई पिस्तौलें थीं। उन में से एक गिरफ़्तार किया गया और उसे आर्मस ऐक्ट की अवहेलना करने और तार काटने के लिये दण्ड दिया गया।

टिप्परा ज़िले के नाथघर की डकैती, केवल इसलिये ही उल्लेखनीय नहीं है कि उस में १७,५००रु० लूटा गया, बल्कि इस लिये भी उल्लेखनीय है कि इस में पुलिस वालों के हाथ एक नोट बुक लगी, जिस में कि, लूट के रुपये का हिसाब लिखा था। ६ नवयुवक-क्रान्तिकारियों ने इस घटना में सम्मिलित होना स्वीकार किया। जून ९ की डकैती, जो कि धनकटि में पड़ी, विशेष कर इस बात के लिये उल्लेखनीय है, कि डाकुओं के हाथ

जो रुपया लगा, वह हुण्डी की रूप में था। उन्होंने ४३०००रु० की हुण्डियाँ लूटीं लेकिन उस के इस्तेमाल में कुछ रुपया भी न आ सका।

टिप्परा ज़िले की ललितेश्वर की डकैती एक बहुत ही भीषण घटना थी। इस में ५ मरे और ५ घायल हुए और डाकुओं में से जो मरा वह प्रबोध भट्टाचार्य था, जिसे जुलाई १९१६ में डिफ़ेन्स ऑफ़ इण्डिया ऐक्ट के अनुसार नज़रबन्द किया गया था परन्तु वह भाग निकला था।

सितम्बर के महीने में पलङ्ग नामक स्थान में ज़िला फ़रीदपुर में डकैती के लिये पूरा प्रबन्ध और प्रयत्न किया गया परन्तु यह असफल रही। इस का निश्चय कलकत्ता में किया गया था और वहीं से अस्त्र-शस्त्र इत्यादि इसके लिये भेजे गये थे; परन्तु इस में उन्हें सफलता न मिली। बाद में कलकत्ते के सङ्गठन-कर्ताओं ने मैमनसिंह ज़िले में सहिलदेव नामक स्थान में डाका डाल कर ८०,००० रु० लूटा और एक बूढ़े मुसलमान को गोली से मार डाला। इस डकैती में कई माउज़र पिस्तौलों का प्रयोग किया गया, जिन्हें कलकत्ते से पलङ्ग में डाका डालने के लिये भेजा गया था।

३० सितम्बर को ढाका ज़िले में रामदियाँनाली नामक स्थान पर फ़रीदपुर के विद्यार्थियों ने डाका डाला, ये विद्यार्थी इशान स्कूल में शिक्षा पाते थे और इनका अध्यापक निवारण पाल ढाका-अनुशीलन-समिति का सदस्य था। इस घटना में भाग

लेने वाले ७ व्यक्तियों को दण्ड दिया गया जिनमें से ५ इशीन विद्यालय के विद्यार्थी थे। पिछली ३ डकैतियाँ, जिनका ज़िक्र किया गया है, किश्तियों द्वारा की गई थीं और डाकुओं ने गाँव में जल मार्ग से ही प्रवेश किया था।

इस साल की आख़िरी डकैती, जो कि मैमनसिंह ज़िले में धरेल नामक स्थान में हुई थी; २५,३० युवकों द्वारा की गई थी जिनके पास एक माऊज़र पिस्तौल और एक १२ बोर की बन्दूक़ थी। जब इन्होंने मकान में आक्रमण किया तो मकान मालिक के लड़के को गोली से मार डाला। इस बात का विश्वस्त प्रमाण है कि यह डाका भी पश्चिमीय बङ्गाल के दलों ने डाला था और उन्हें बहुत निराशा हुई थी कि उनके हाथ बहुत थोड़ा रुपया लगा।

इस वर्ष एक डकैती क्रान्तिकारियों ने पबना ज़िले में डाली। २७ फ़रवरी, १९१६ को १४,१५ युवक, जिनके पास पिस्तौलें और छुरे थे, सारन ज़िले में कादिमपुर में दो मकानों पर चढ़ गये। घटना के उपरान्त जो सूचना मिली है उससे यह स्पष्ट है कि यह डाकू कलकत्ता गैङ्ग के थे।

पाँच और क़त्ल

इस वर्ष ५ हत्याएँ और हुईं, दो तो पुलिस के भेदियों की, एक उस हेडमास्टर की, जिससे कि क्रान्तिकारी चिढ़े हुए थे और दो ढाका शहर में सिपाहियों की, जो कि उन क्रान्तिकारियों की

खोज में लगे हुए थे, जो कि लापता थे परन्तु जिनके विषय में सन्देह था कि वे इस शहर में छिपे हैं। एक सिपाही के ५ गोली और दूसरे के ८ गोलियाँ लगीं। उस समय दोनों के दोनों निःशस्त्र थे।

१९१७ की क्रान्तिकारी घटनाएँ

५ जनवरी, १९१७ को ज्ञान भूमिक नामक व्यक्ति को मारने के लिये एक षड़यन्त्र रचा गया जो कि सफल होते होते बचा। ज्ञान भूमिक क्रान्तिकारियों से बहुत मिला जुला करता था और लोग समझते थे कि वह पुलिस वालों को ख़बर देता है। अमृत सरकार ने, जिस जेल में वह बन्द था, वहाँ से यह ख़बर भेजी थी कि उसकी गिरफ़ारी का कारण ज्ञान ही था।

क्रान्तकारियों ने कलकत्ते के निर्जन भाग में एक मकान किराए पर लिया और वहाँ वे उसे बहका कर, मारने के वास्ते ले गये परन्तु उसे सन्देह हो गया और ज्योंही वह मकान में पहुँचा, उसने यह बहाना किया कि, मुझे प्यास लगी है, एक ग्लास लेमनेड का पीकर अभी वापिस आता हूँ। ज्ञान वहाँ से खिसक आया और ओरियण्टल सेमिनरी नामक विद्यालय में पहुँच कर, हेडमास्टर के कमरे में छिप गया। चन्द्रकुमार ने उसका पीछा रिवॉल्वर लिये हुए वहाँ भी किया परन्तु ज्ञान ने टेलिफ़ून पर जाकर पुलिस को सूचना दे दी। जिससे चन्द्रकुमार वहाँ से भाग गया। यह सारी घटना दोनों व्यक्तियों ने स्वतन्त्ररूप से वर्णन की है और स्कूल वाली घटना भी साबित हो चुकी है।

जनवरी १९१७ में सिराजगञ्ज नामक स्थान पर क्रान्तिकारियों ने रेवती नाग नामक अपने सहकारी को गोली से मार डाला परन्तु इस हत्याकाण्ड का कारण उसकी बदचलनी थी।

१५ अप्रेल, १९१७ को क्रान्तिकारी ढङ्ग की एक डकैती राजशाही ज़िले में जामनगर नामक स्थान में, दो धनी भाइयों के घर पर पड़ी। डाकुओं की संख्या २० के लगभग थी, उनके चेहरों पर नक़ाब और पीठ पर फ़ौजी थैला था तथा वे अस्त्र-शस्त्रों से सुसज्जित थे। बहुत अधिक धन और बड़ी संख्या में सोने के गहने लूटे गये, डाकुओं ने तार पहले ही काट दिये थे। ताकि सूचना न दी जा सके। इस घटना से ५ महीने पहले, अर्थात् २२ नवम्बर १९१६ को, जब कि राजशाही ज़िले में मास्टर पाड़ा नामक स्थान पर एक क्रान्तिकारी के घर में तलाशी हुई थी तो वहाँ पर एक मकान और उसके अहाते का एक बड़ा विस्तृत नक़शा पाया गया था। जब कि जामनगर में डकैती हुई तो मालूम हुआ कि जिस मकान में डकैती हुई थी उसी का नक़शा मास्टरपाड़ा की तलाशी में ५ महीने पहिले पाया गया था। स्पष्ट प्रकट है कि इस डकैती का प्रबन्ध भी महीनों पहिले से किया गया था। जुलाई, १९१७ में पीछा करने के बाद, दो युवक ढाका स्टेशन पर पकड़े गये। एक युवक रेल से उतरा और उसने दूसरे को एक पार्सल दिया, पार्सल में वे सोने के गहने थे, जो कि जामनगर की डकैती में लूटे गये थे। जिस व्यक्ति ने,

पार्सल दिया था उसके पास रोडा कम्पनी की चुराई हुई एक माऊज़र पिस्तौल और कई कारतूस थे, उसने पिस्तौल चलाना चाहा परन्तु कारतूस ख़ाली गया।

१९१७ में चार और डकैतियाँ हुईं जिनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:—

(१) २५ फ़रवरी १९१७ को ढाका ज़िले में पाईकर्छर नामक स्थान में हुई। १२,०००) रु० लूटा गया। डाकू अँङ्गरेज़ी बोल रहे थे, उन के चेहरों पर नक़ाब पड़ी थी और उनके पास छुरे और रिवॉल्वर थे। घटनास्थल पर एक माऊज़र का कारतूस भी पाया गया।

(२) २० जून, १९१७ को रङ्गपुर ज़िले में रखालबुर्ज नामक स्थान पर हुई, जिस में २९, ४००) रु० की नक़दी और १,६८६ रु० का गहना लूटा गया। एक ८० बर्ष के बूढ़े को पलङ्ग से घसीटा गया और उस की उङ्गलियाँ कुल्हाड़ी से काटी गईं तथा उसे छुरों से मारा गया, जिस का नतीजा यह हुआ कि वह मर गया। उसके लड़के को भी, जिसने भाले से डाकुओं का मुक़ाबला किया था, डाकुओं ने मार डाला। डाकू सब नक़ाबपोश थे। घटनास्थल पर ९ माऊज़र की चली हुई कारतूसें पाई गइ।

(३) २७ अक्टूबर, १९१७ को ढाका ज़िले में अब्दुल्लापुर में डकैती हुई, जिस में कि २४,८५० रु० के गहने और ८,००० रु० नक़द लूटा गया। डाकुओं की संख्या २५ या ३० थी और चेहरे ढके हुए थे। जाने से पहिले एक बिगुल की आवाज़ हुई और

तब डाकुओं ने कूच किया। यहाँ भी तार काट दिये गये थे और ९ माऊज़र के कारतूस घटनास्थल पर पाये गये।

(४) चौथी डकैती ३, नवम्बर १९१७ को टिप्परा ज़िले में मझियारा नामक स्थान पर हुई। दो घरों पर डाका पड़ा और ३३,०००) रु० की नक़दी और गहने लूटे गये। डाकुओं की संख्या लगभग १५ थी, चेहरों पर नक़ाब लगे थे और पीठ पर फ़ौजी थैले थे। मकान मालिकों में से एक की टाँगों पर गोली लगी और दूसरे को बाँध दिया गया। इन की चाबियाँ छीन ली गईं और इन के घरों को लूटा गया। एक भरी हुई माऊज़र कारतूस, दो चली हुईं और एक मिस-फ़ायर कारतूस घटनास्थल पर मिली।

आरमीनियन स्ट्रीट की डकैती

१९१७ में एक और डकैती हुई, जिसका विशेषरूप से उल्लेख करना आवश्यक है। यह डाका कलकत्ते के बड़ेबाज़ार में आरमीनियन स्ट्रीट के ३२ नम्बर की दूकान पर एक सर्राफ़ के यहाँ पड़ा था। ७ मई का दिन था और घटना का समय ९ बजे रात का था। दो बङ्गाली युवकों ने दूकान में प्रवेश किया और ख़रीदने के लिये ज़ेवर माँगें। इतने ही में ४ बङ्गाली नवयुवकों ने दूकान में प्रवेश किया और अन्धाधुन्ध पिस्तौल चलाना शुरू कर दिया। दूकान के मालिक, दो भाई सख़्त घायल होकर गिर गए और उनकी

जानें गईं। दूकान के असिस्टेण्ट और नौकर के भी गोलियाँ लगीं और वे घायल हुए। उस समय दूकान में दो औरतें भी थीं जिन में से एक बाहर भाग गई और एक बेञ्च के नीचे छिप गई और एक मुसलमान था वह भी भाग गया। डाकू लोग ५,४५९) रु० के गहने लेकर दूकान के पास रोकी हुई अपनी मोटर पर चढ़कर भाग निकले। परन्तु एक डाकू के पेट में सख़्त चोट आई और उसको उसके साथियों ने उठा कर मोटर में रक्खा। उसके साथी उसे एक निर्जन स्थान में ले गये और वहाँ उसे गोली से मार डाला। मृतक व्यक्ति की जब पहिचान की गई तो मालूम हुआ कि उसका नाम सुरेन्द्र कुशियारी है; जिसको कि पुलिस वाले पहले से ही जानते थे क्योंकि उसका नाम कुछ ऐसे काग़ज़ात में मिला था, जो कि क्रान्तिकारियों के मकानो में पाए गए थे। यह क्रान्तिकारी और सुरेन्द्र दौलतपुर कॉलेज खुलना में साथ-साथ पढ़ते थे और एक अध्यापक के साथ इन्होंने मैट्रोपोलिटन कॉलेज कलकत्ते में पढ़ना शुरू कर दिया था। इनमें से कुछ गिरफ़्तार किये गए और उन्होंने घटना का पूरी तौर पर वर्णन किया। उन्होंने अपने बयान में कहा कि उनके दो सहकारी डाकू, जिनके उन्होंने नाम बताये, इस घटना में घायल हुए। एक के हाथ में गोली लगी और एक के पीठ में। यह दोनों भी गिरफ़्तार कर लिए गए हैं। इनमें से एक तो अभी हाल में ही गिरफ़्तार हुआ है जब कि हमारी कमिटी बैठी हुई थी और उसके घाव के निशान बाक़ी हैं, जिनका ऊपर वर्णन किया जा चुका है।

१९१७ की घटनाओं की तालिका

१९१७ की घटनाओं के विवरण से यह स्पष्ट प्रगट होता है, कि यद्यपि इस वर्ष में डकैतियों की संख्या कम थी, परन्तु इनमें दो विशेषताएँ थीं। पहिली तो यह, कि प्रत्येक डकैती के साथ क्रान्तिकारियों ने बर्बरतापूर्ण निर्दयता का व्यवहार किया और दूसरी यह, कि जिन मकानों पर डाका डाला गया, उनको इस तरह से छाँटा गया था कि वे अधिक से अधिक धनी हों। इस वर्ष की क्रमवद्ध तालिका इस प्रकार है :—

१९१७

संख्या	तारीख़	ज़िला	गाँव व थाना	घटना	लूट	हताहत	विवेचना
१	५, जनवरी	कलकत्ता	गरणहत्ता	ज्ञानभूमिक की हत्या का प्रयत्न	...	..	...
२	जनवरी	पबना	सिराजगञ्ज	रेवतीनाग का क़त्ल	..	१ मरा	...
३	२४, फ़रवरी	ढाका	पाइकर्छर थाना नृसिंह डी	डकैती	१२,०००) रु०	.	...
४	१५, अप्रेल	राजशाही	जामनगर थाना वजीत पाड़ा	...	२६,५६७) रु०	...	२ युवकों को एक और दो का और दो को चार और पाँच का ४११ आई. पी.सी. के अनुसार कठोर दण्ड

संख्या	तारीख़	ज़िला	गाँव व थाना	घटना	लूट	हताहत	विवेचना
५	७, मई	कलकत्ता	आरमीनियन स्ट्रीट	डकैती व ख़ून	५,४५६) रु०	दो मरे २ घायल एक डाकू भी मरा	...
६	२०, जून	रङ्गपुर	राखालबुर्ज गोबिन्द गञ्ज	,,	३१,०८६) रु०	दो मरे	...
७	२३, जुलाई	ढाका	ढाका	हत्या की चेष्टा	...	...	एक को ८ वर्ष का कठिन कारावास
८	२७, अक्टूबर	,,	अबदुल्लापुर तङ्गीवाड़ी	डकैती	२४,८३०) रु०	...	...
९	३, नवम्बर	टिप्परा	मझियारा थाना रसूलाबाद	,,	३३,०००) रु०	...	...

सारांश

क्रान्तिकारियों के अस्त्र-शस्त्रों की आमद

सन् १९०६ से लेकर सन् १९१७ तक की आतङ्कवाद की कहानी पूरी हो चुकी। इस पूरे बयान को पाठकों के सन्मुख इसलिए पेश किया गया ताकि वे पूरी तौर से समझ सकें, कि आतङ्कवाद का वृक्ष कितना विस्तृत हो चुका है और उसकी वास्तविक दशा क्या है। भिन्न-भिन्न घटनाओं का, अन्य दृष्टिकोण से विचार करने पर कई प्रश्न उत्पन्न होते हैं परन्तु उनको अभी तक हमने इस विवरण के पढ़ने वालों के सन्मुख पेश नहीं किया। उपयुक्त समय आने पर उन पर भी विचार किया जाएगा। परन्तु पूर्व इसके, कि इस मामले के विवरणात्मक पहलू को हम छोड़ें, यह आवश्यक है, कि हम इस बात पर विचार करें कि किस हद तक क्रान्तिकारियों को उनके उद्देश्य की पूर्ति में असफलता इस बात से हुई, कि उनको अस्त्र-शस्त्र पर्याप्त संख्या में और उपयुक्त ढङ्ग से मिलने में कठिनाई होती थी। १९१४ के अगस्त से पूर्व उनके अस्त्र-शस्त्रों की आमद का प्रमुख मार्ग चन्द्रनगर का फ्रान्सीसी राज्य था; परन्तु अगस्त सन् १९१४ के बाद, अर्थात् मैसर्स रोडा एण्ड कम्पनी के कारख़ाने में चोरी होने के बाद, उनके पास ५० माऊज़र पिस्तौलें और ४६,००० कारतूस हो गये, सिवाय उन थोड़ी सी बन्दूक़ों और पिस्तौलों के, जो कि इधर उधर चोरी से या लाइसेन्स वग़ैरह की जालसाजी से तबादला करके उनके हाथ लगे हों।

चन्द्रनगर

जहाँ तक चन्द्रनगर का सम्बन्ध है, सन् १९०७ में एक विशेष अफ़सर को, इस लिए नियुक्त किया गया, कि वह वहाँ जाकर अनुसन्धान करे। उसकी रिपोर्ट निम्नाङ्कित है। "१९०६ के साल में चन्द्रनगर के निवासियों ने केवल २ बन्दूक़ और ६ रिवॉल्वर विदेशों से मँगाये थे, परन्तु १९०७ के पूर्वाद्ध में फ्रान्स की सरकारी हथियारों की फ़ैक्टरी, जो कि सेण्ट इटियन (St Etiene) में है, में से ३४ रजिस्टरी पार्सल आये जिनमें कि ऐसा विश्वास किया जाता है, कि रिवॉल्वर थे। इनमें से २२ पार्सल किशोरी मोहन शामपुरी नामक एक व्यक्ति के पते पर आये, जिसमें से १६ पार्सलों को उसने छुड़ा लिया। बाक़ी ६ पार्सलों को न छुड़ा सकने का कारण यह मालूम होता है, कि फ्रान्सीसी चन्द्रनगर में इन दिनों अस्राइन अर्थात आर्मस ऐक्ट के पास होने की चर्चा हो रही थी और इसलिये वे ६ पार्सल भेजने वालों के पास वापिस कर दिये गये। बाद में इसी प्रकार के पार्सलों का एक दूसरा बण्डल फिर किशोरी मोहन के नाम पर आया। स्पेशल अफ़सर ने ३४ में से १९ पार्सलों को खोल कर देखा और उनमें उसे रिवॉल्वर मिले। इन दिनों किशोरी मोहन चन्द्रनगर में एक वकील का मुहर्रिर था... ......किशोरी मोहन को १९०७ में एडमिनिसट्रेटर ने समन किया और पूछा कि उसने इतने सारे रिवॉल्वर क्यों मँगाये और

उनका उसने क्या किया। पहले तो उसने इस विषय में अपने आप को सर्वथा अनभिज्ञ प्रगट किया और कहा कि पार्सलों में घड़ियाँ थीं परन्तु जब उसके सामने कलक्टर ने कहा कि उसमें पिस्तौलें थीं, तो उसने यह स्वीकार किया कि उसने १५ पिस्तौलें अपने मित्रों के लिये मँगाई थीं। उसने उन मित्रों के नाम न बताये। इस विषय में जब हमने अधिक अनुसन्धान किया तो मालूम हुआ कि ४ रिवॉल्वर उसने बनविहारी मण्डल के द्वारा मानिक तल्ला बाग़ के वारिन्द्रघोष और अविनाश भट्टाचार्य को बेच दिये थे। मण्डल इन सब का एक पारस्परिक मित्र था और यह लोग चन्द्रनगर बार बार आया करते थे"। इसी विषय की हमारे पास और भी कई सूचनाएँ हैं परन्तु इतना ही लिखना काफ़ी है। १९०७ में पाण्डीचरी के गवर्नर ने अपनी कौन्सिल के सन्मुख आर्मस-बिल नामक अस्त्र आईन विचारार्थ पेश किया और इस को स्वीकार करने की सिफ़ारिश करते हुए एक मेमोरेण्डम लिखा जिसके प्रारम्भिक वाक्य इस प्रकार थे :—

"सज्जनों! गत लेजिस्लेटिव चुनाव के समय में जो शोकजनक दुर्घटनाएँ हुई हैं और योरोपियनों के विरुद्ध जो आन्दोलन अङ्गरेज़ी राज्य में हम लोगों के चारों तरफ़ हो रहा है और इसी प्रकार के आन्दोलन के पूर्व चिन्ह चन्द्रनगर में भी दिखाई पड़ रहे हैं, हम को वाध्य करते हैं कि हम वर्तमान समय में अपने राज्य में ऐसे नियम बनायें, जिन से कि अस्त्र-शस्त्रों

की आमद, उन को रखना, विक्रय करना, और उनको ले जाने में उपयुक्त प्रतिबन्ध लगाया जाए—यह क़ानून, यद्यपि कौन्सिल में पास हो गया, परन्तु फ्रान्स की गवर्नमेण्ट ने इसको अस्वीकार कर दिया। १९०९ में चन्द्रनगर में एक स्थानिक नियम पास किया गया जिसके अनुसार यह क़ायदा बना कि जिन जिन व्यक्तियों के पास बन्दूक़, पिस्तौल और रिवॉल्वर इत्यादि हैं, वे उन्हें अधिकारियों के सन्मुख पेश करके लाइसेन्स हासिल करें। परन्तु इस नियम द्वारा बङ्गाल में कहाँ तक चन्द्रनगर के मार्ग से, अस्त्र-शस्त्र आना कठिन हुआ, यह बात कहना कठिन है। यह बात कितने ही बयानों से मालूम हुई कि चद्रनगर से हथियार आते रहे। उन अस्त्र-शस्त्रों को जो कि पुलिस के हाथ लग गये और जिन्हें कि हमको दिखाया गया है, उनके निरीक्षण से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि यद्यपि क्रान्तिकारियों ने अच्छी संख्या में अस्त्र-शस्त्र इधर-उधर से भी जमा किये परन्तु उनके पास सब से ज्यादा संख्या में हथियार रोडा कम्पनी के यहाँ चोरी करने से ही हाथ लगे। जो पिस्तौलें उनके पास थीं उनमें यद्यपि बहुत कुछ अच्छी भी थीं परन्तु उनमें सदा यही दिक़्क़त रहती थी कि उनमें एक दूसरे के कारतूस नहीं लग सकते थे। सच तो यह है कि बहुत सारी घटनाओं में पिस्तौल एक ढङ्ग की और कारतूस दूसरे ढङ्ग का होता था, नतीजा यह होता था कि बार-बार मिस-फ़ायर हो जाते थे।

अस्त्र-शस्त्र की आमद के विषय में हमारा फ़ैसला

आतङ्कवादियों के पास अगर उनके समस्त अस्त्र-शस्त्रागार का विचार किया जाए तो यह कहना होगा कि इतने थोड़े हथियार थे कि वे उनको केवल इधर-उधर के क्रान्तिकारी घटनाओं में ही प्रयोग कर सकते थे। हम इस विवरण में यह बताएँगे, कि इन हथियारों को उन्हें स्थान-स्थान पर आवश्यकतानुसार भेजना पड़ता था। बाज़-बाज़ दशाओं में तो शस्त्र विभाजन के कारण भिन्न-भिन्न दलों में बेहद ईर्षा होती थी और कभी कभी तो एक दल दूसरे दल के हथियारों के लिये चोरी तक भी कर बैठते थे। अगर कहीं क्रान्तिकारियों के पास काफ़ी तादाद में हथियार होते और प्रत्येक गैङ्ग के पास समुचित मात्रा में स्वतन्त्र रूप से अपने हथियार होते तो हमारा विचार है कि षड़यन्त्रों का रूप अत्यन्त भयङ्कर और गम्भीर हो जाता और यदि भारतवर्ष के किसी और भाग में बलवा होता, जैसा कि फ़रवरी १९१५ के लिये निश्चय किया गया था, तो बङ्गाल में अत्यन्त भयङ्कर और चिन्ताजनक परिस्थिति उत्पन्न हो जाती।

पाँचवाँ अध्याय

बङ्गाल में क्रन्तिकारी संस्थाओं का सङ्गठन और उनका पारस्परिक सम्बन्ध

ढाका-अनुशीलन-समिति द्वारा निर्धारित प्रतिज्ञाएँ

इस विवरण के दूसरे अध्याय में, १९०६ में क्रान्तिकारी संस्थाओं के शिलारोपण का उल्लेख किया जा चुका है। अब यह आवश्यक है कि इन संस्थाओं के सङ्गठन और पारस्परिक सम्बन्ध के विषय में विचार किया जाए, केवल यही नहीं कि उनकी दशा प्रारम्भ में कैसी थी, परन्तु यह कि बाद के १० वर्षों में उनकी क्या दशा हो गई। १९०८ की नवम्बर में ढाका में अनुशीलन-समिति के भवन "भूतरे बाड़ी" की अर्थात् भूतिया भवन की तलाशी ली गई जिसमें कि नीचे लिखे काग़ज़ात मिले। पुलिनविहारी दास द्वारा लिखा हुआ और उसी के हस्ताक्षर से निकला हुआ एक विज्ञप्ति पत्र, तारीख़ नदारद। "इस बात का ध्यान करते हुए कि धीरे धीरे अनुशीलन-समिति की शाखाओं की संख्या बढ़ती जा रही है, अब यह आवश्यक हो गया है कि स्थान, समय और कार्य के विभाजन के लिये और सुचारु सुप्रबन्ध तथा निरीक्षण के लिये सूबा

बङ्गाल को विभिन्न भागों में बाट दिया जाए। सूबा कमिश्नरियों में, कमिश्नरी ज़िलों में, और ज़िले परगनों में और इस प्रकार अनुशीलन-समिति की शाखाएँ कमिश्नरियों, ज़िलों और परगनों में हों और उपयुक्त व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार उचित कार्य सौंपा जाए ताकि भिन्न भिन्न महकमे और समिति की भिन्न भिन्न शाखाएँ एकता के सूत्र में बँध कर उचित नियन्त्रण में ख़ूबी के साथ काम कर सकें। इस लिये हम देशवासियों से इस स्कीम के सम्बन्ध में याचना करते हैं कि वे अपने विचार और प्रस्ताव हमारे पास भेजें और साथ ही साथ कृपा करके मुझे इस विषय में अपनी राय बताएँ कि किस स्थान पर केन्द्र समिति का कार्यालय रखना उचित है और कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनके सुपुर्द यह काम किया जाए (२) चार प्रकार की प्रतिज्ञाएँ। (अ) आद्य प्रतिज्ञा अर्थात प्रारम्भिक प्रतिज्ञायें। (आ) अन्तिम प्रतिज्ञा (ई) प्रथम विशेष प्रतिज्ञा (क) द्वितीय विशेष प्रतिज्ञा। इन प्रतिज्ञाओं के अनुसार बहुत से प्रशंसनीय नियमों के पालने का आदेश दिया गया है, परन्तु इनसे यह प्रगट होता है कि दीक्षित व्यक्ति को किस प्रकार धीरे-धीरे कठोर बन्धन में जकड़ा जाता था। निम्नाङ्कित उद्धृत किए हुए नियमों से इस बात का पूरा परिचय मिलेगा।

(अ) आद्य प्रतिज्ञा "(१) (क) मैं समिति से कभी भी सम्बन्ध विच्छेद न करूँगा ....(५) (क) मैं सर्वदा समिति के नियमों के आधीन रहूँगा। (ख) मैं अधिकारियों की आज्ञा

का पालन सर्वदा बिना उज्र के किया करूँगा। (ग) मैं लीडर से कभी कोई बात न छिपाऊँगा और सत्य के अतिरिक्त उनसे कभी कोई बात न कहूँगा"

(आ) "(१) मैं समिति के अतिरिक्त,बातों का रहस्य कभी किसी को न बताऊँगा और इसके मामलों में मैं कभी अनावश्यक तौर पर वाद विवाद न करूँगा...(ई) (३) मैं परिचालक अर्थात् नेता को सूचना दिए बिना एक स्थान से दूसरे स्थान कभी न जाऊँगा और जहाँ भी जाऊँगा परिचालक को अपना स्थान और अपनी दशा का पूरा पता देता रहूँगा। यदि मुझे कभी किसी स्थान पर समिति के विरुद्ध किसी षड़यन्त्र की सूचना मिलेगी तो उसका समाचार मैं तुरन्त परिचालक को दूँगा और उनके आदेशानुसार इसका प्रतिकार करने का प्रयत्न करूँगा। (४) परिचालक की आज्ञा के अनुसार चाहे मैं किसी समय,किसी स्थान और किसी दशा में भी क्यों न हूँ, मैं तुरन्त वापिस आऊँगा......(६) मुझको यह स्वतन्त्रता न होगी कि जिस विषय की शिक्षा मुझे समिति में मिले और जिसके सम्बन्ध में मुझ से प्रतिज्ञा ली गई हो,उस विषय को मैं किसी और को सिखा सकूँ, सिवाय उन व्यक्तियों के, जिन्होंने कि इन विषयों के सम्बन्ध में समिति में प्रतिज्ञा की हो।

(इ) प्रथम विशेष प्रतिज्ञा

ॐ वन्देमातरम्

मैं निम्नलिखित प्रतिज्ञा सर्वशक्तिमान ईश्वर, माता, पिता, गुरु और नेता की शपथ खाकर करता हूँ:—

(१) मैं इस समुदाय को जब कि, इसका उद्देश्य सफल न हो जाए कभी छोड़ कर अलग न होऊँगा। अब मेरे लिए किसी प्रकार का मोह या माया, न माता-पिता, न भाई-बन्धु; और न घर-द्वार का प्रेम रहेगा और मैं बिना किसी प्रकार का बहाना किए सदा उस आज्ञा का पालन करूँगा, जो कि मेरा नेता मुझे समय समय पर देगा। मैं प्रत्येक कार्य को गम्भीरता और धैर्य्य पूर्वक करूँगा और उच्छृङ्खलता और वितण्डावाद को छोड़ दूँगा। × × × ×

(३) यदि मैं इस प्रतिज्ञा का पालन न करूँ तो ब्राह्मणों, प्रत्येक देश-भक्तों, और माता-पिता का शाप मुझे भस्म कर के मिट्टी में मिला दे।

(ई) द्वितीय विशेष प्रतिज्ञा

ओ३म् वन्दे मातरम्

(१) मैं परमेश्वर, अग्नि, माता, गुरु और नेता को साक्षी करके सौगन्ध खाता हूँ, कि मैं सदा इस समुदाय का कार्य समिति की उन्नति करने के लिये करूँगा; चाहे इसमें मेरा जीवन और सर्वस्व ही क्यों न चला जाए। मैं प्रत्येक आज्ञा का पालन करूँगा और उनके विरुद्ध कार्य करूँगा जो कि समिति के विरुद्ध कार्य करते हैं और अपनी शक्ति भर समिति के विरोधियों की क्षति करने का प्रयत्न करूँगा।

(२) मैं क़सम खाता हूँ कि मैं समिति के आन्तरिक रहस्यों को कभी किसी को न बताऊँगा और उन्हें कभी अपने मित्रों या

रिश्तेदारों को अनावश्यक तौर पर न बताऊँगा और स्वयं समिति के सदस्यों से भी अनावश्यक तौर पर इनके विषय में कुछ न पूछूँगा।

(३) अगर मैं इस प्रतिज्ञा को भङ्ग करूँ या इसके विरुद्ध आचरण करूँ तो ब्राह्मणों का, माता का और प्रत्येक देश के देश-भक्तों का श्राप मुझे तुरन्त नष्ट कर दे।

यह प्रतिज्ञा किस प्रकार ली जाती थी उसका वर्णन बारीसाल षड़यन्त्र केस के गवाह प्रियनाथ आचार्य ने, जिस की शहादत को अदालत ने स्वीकार किया था, इस प्रकार की है :—

"दुर्गा पूजा की छुट्टी से पूर्व महालया दिवस को रमेश, मैं और ढाका-समिति के कई अन्य व्यक्तियों का दीक्षा-संस्कार रमण सिद्धेश्वरी कालीवाड़ी (काली के मन्दिर) में पुलिन बिहारी दास ने किया। सब मिला कर लगभग १२ व्यक्ति थे। पहिले हम ने आद्य और अन्त की प्रतिज्ञाएँ लीं। दीक्षा-संस्कार में कोई पुरोहित नहीं थे और प्रतिज्ञा ८ बजे प्रातःकाल काली देवी की मूर्त्ति के सामने ली गई। पुलिन बिहारी दास ने देवी के सामने यज्ञ और अन्य प्रकार की पूजा की। प्रतिज्ञा-पत्र छपे हुए थे और उन्हें हम में से प्रत्येक व्यक्ति ने पढ़ा और पढ़ने के बाद उनको स्वीकार करने की अनुमति दी। जिस समय विशेष-प्रतिज्ञा पढ़ी गई तो हर एक ने बायाँ घुटना टेक कर और सिर पर भगवद्गीता रख कर और हाथ में तलवार लेकर काली देवी का अभिवादन किया। इस आसन को "प्रत्यालिरह" आसन कहा

जाता है और इसमें यह सङ्केत किया जाता है कि सिंह अपने शिकार पर आक्रमण की तय्यारी कर रहा है।" १९१४ में कमिल्ला में एक लड़के ने अपने दीक्षा-संस्कार का विवरण इस प्रकार दिया :—

"× × इस साल काली पूजा के दिन पूर्ण नामक व्यक्ति ने मुझे मेरे घर से बुलाया और उसके आदेशानुसार मैंने और नीचे लिखे व्यक्तियों ने दिन भर व्रत रक्खा। × × × रात्रि के समय पूर्ण हम चारों को श्मशान घाट ले गया। वहाँ उसने काली देवी की मूर्ति मँगा कर रक्खी थी और उनके चरणों पर दो रिवॉल्वर रक्खे थे। उसके आदेशानुसार हमने मूर्ति का स्पर्श किया और इस बात की प्रतिज्ञा ली, कि सदा समिति के लिए वफ़ादार बने रहेंगे।

इस समय हम में से हरएक को समिति का नया नाम दिया गया × × × ×"

इस प्रकार का दीक्षा-संस्कार, ऐसा मालूम होता है, कि सन् १९१६ के आरम्भ तक जारी रहा। क्योंकि १४ फ़रवरी, १९१६ का लिखा हुआ प्रतिज्ञा-पत्र मिला है, ऐसा कहा जाता है कि दीक्षा-संस्कार की यह विधि बाद में भी प्रचलित रही और सम्भव है कि अब भी प्रचलित हो, परन्तु लिखित प्रमाण इसके बाद के समय का अभी तक और कोई नहीं मिला है।

सदस्यों के नियम

सन् १९०८ नवम्बर को जो तलाशी ली गई उसमें सदस्यों के लिए २ प्रकार की नियमावली मिली। उनको पढ़ने से यह

मालूम होगा कि दीक्षा लिए हुए सदस्यों से किस प्रकार के सामाजिक जीवन व्यतीत करने की आशा की जाती थी। एक नियमावली तो सदस्य के व्यक्तिगत जीवन के सम्बन्ध में थी। पहिले नियम के अनुसार प्रत्येक सदस्य को हर एक प्रतिज्ञा को करना पड़ता था। और आठवें नियम के अनुसार यह आदेश दिया गया था, कि प्रत्येक सदस्य जितना धन और ज़ेवर प्राप्त कर सके, उस सब को समिति के ख़ज़ाने में जमा कर दे। दूसरे प्रकार की नियमावली संस्था के आन्तरिक प्रबन्ध के सम्बन्ध में थी; परन्तु दोनों प्रकार के नियम कहीं कहीं पर एक दूसरे के विरोधी थे।

एक दूसरा लेख जो कि मिला था, उसका शीर्षक "सम्पादक गनेर कर्त्तब्य" अर्थात् सेक्रेटरियों का कर्त्तव्य था। इस लेख के पढ़ने से विशेष बात, जिसकी ओर ध्यान जाता है, यह थी; कि ऐसी आशा की जाती थी कि सदस्यों का अधिक भाग लड़कों का ही हो। छठे नियम के अनुसार सदस्य बनने की इच्छा रखने वाले व्यक्तियों के संरक्षक का नाम पूछा गया था; और उसके स्कूल और क्लास का नाम भी पूछा गया था। सातवें नियम के अनुसार यह आदेश दिया गया था कि प्रत्येक सदस्य के वर्त्तमान साल के स्कूल और क्लास का नाम लिखा जाए। २३ वाँ और २४ वाँ नियम १२ वर्ष से कम उम्र वाले सदस्यों के प्रवेश करने के लिए थे। २१ वें और २२ वें नियमों के भिन्न भिन्न प्रकार के सदस्यों में (अर्थात् उनमें, जिन्होंने केवल शुरु की प्रतिज्ञाएँ

ली हैं और उन व्यक्तियों जिन्होंने सम्पूर्ण प्रतिज्ञा लेकर दीक्षा प्राप्त कर ली है) लाठी शिक्षा में क्या क्या विशेषता होनी चाहिए, यह लिखा गया था। लाठी चलाने के सम्पूर्ण काम को केवल उन व्यक्तियों को सिखाया जाता था, जो कि सम्पूर्ण प्रतिज्ञा लेकर दीक्षा प्राप्त कर चुके थे। इस सम्बन्ध में यह बतलाना भी अनुचित न होगा, कि तलाशी लेने पर लाठी चलाने के विषय पर कई पुस्तकें पाई गईं। बाज़ बाज़ लाठी के खेल, जिनका वर्णन किया गया था, वास्तव में तलवार के खेल थे और किसी किसी पुस्तक में "खड्ग प्रशंसा" पर बड़ी लच्छेदार, परन्तु निर्दयी भाषा में लेख लिखे गए थे।

एक और लेख, जो कि उसी स्थान पर पाया गया था, उसका शीर्षक "परिदर्शक" अर्थात् (Visitor) था। इस लेख के अनुसार संस्था के निरीक्षकों के नियम दिए गए थे। इसके आरम्भ में यह आदेश लिखा था कि इसे ध्यान पूर्वक ५ बार पढ़ो। इस आदेश-पत्र में यह बतलाया गया है, कि जिस किसी स्थान में नई समिति का सङ्गठन करना हो, वहाँ के निवासियों को यह बात समझानी आवश्यक है कि बिना प्रतिज्ञा लिए किसी संस्था को स्थापित करने का तात्पर्य्य केवल यह है, कि एक अनियमित एवं अनियन्त्रित संस्था की स्थापना की जाए और जब तक कि सख़्त नियम न बनाए जाएँ कोई सुदृढ़ संस्था या फ़ौजी सङ्गठन कभी सफल नहीं हो सकता और साथ ही साथ यह बताया जाए, कि नेता की आज्ञा को बिना हील-

हुज्जत के मानना ही सर्व-प्रथम नियम है। इस आदेश-पत्र में इस बात की आवश्यकता पर भी ज़ोर दिया गया है, कि जहाँ तक हो सके संस्था की शाखाओं की संख्या बढ़ाई जाए, क्योंकि जितनी अधिक शाखाएँ होंगी उतनी अधिक संख्या में सदस्य एकत्रित हो सकेंगे। अन्त में उन कारणों का उल्लेख किया गया है कि मुसलमानों को सदस्य बनाना किस लिये उचित नहीं है। मिस्टर जस्टिस मुकर्जी ने अपने फ़ैसले में लिखा है कि "इस लेख से यह स्पष्ट प्रगट है, कि इस बात का नियमित प्रयत्न किए जाने का आदेश दिया गया था कि देश भर में एक सिरे से दूसरे सिरे तक समिति की शाखाओं का जाल बिछा दिया जाए।"

कुछ फ़ॉर्म निरीक्षकों को नियत करने के परवाने थे और कुछ फ़ॉर्म ग्राम सम्बन्धी जानकारी के पाए गए थे, जिनमें कि ग्रामों की जन-संख्या, आर्थिक स्थिति और उनकी भौगोलिक विशेषता का विवरण माँगा गया था। उसी समय इस स्थान पर बहुत सा विद्रोही साहित्य और सैनिक विषयों की पुस्तकें भी मिलीं थीं।

रूसी क्रान्तिकारी पद्धति का अध्ययन

२ नवम्बर, १९०९ को, जब कि कलकत्ते में १५ नम्बर वाले जोड़ा बगान स्ट्रीट के मकान पर नङ्गला-डकैती के सम्बन्ध में तलाशी ली गई तो अन्य वस्तुओं के अतिरिक्त, निम्नाङ्कित दो हस्तलिपियाँ भी प्राप्त हुईं, जिनका शीर्षक था जनरल प्रिन्सिपलूस

अर्थात "साधारण सिद्धान्त" और दूसरा 'रूसी क्रान्तिकारी पद्धत्ति की विवेचना' इन दोनों लेखों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार था :—

रूसी क्रान्तिकारी आन्दोलन के इतिहास से यह स्पष्ट प्रगट है कि जो लोग सर्वसाधारण को क्रान्ति के मार्ग पर अग्रसर करते हैं, उन्हें नीचे लिखे हुए सिद्धान्तों पर अमल करना आवश्यक है :—

(१) देश भर के प्रत्येक क्रान्तिकारी अङ्ग का ऐसे ढङ्ग से सङ्गठन किया जाए, कि प्रत्येक अङ्ग अपनी शक्ति उस ओर केन्द्रित करे, जिस में कि वह स्वाभाविक महत्व रखता हो।

(२) भिन्न भिन्न विभागों का अथवा शाखाओं का पूरा पूरा विभाजन अर्थात एक व्यक्ति, जो कि एक विभाग में काम करता हो यह भी न जानने पाए, कि दूसरे विभाग में क्या हो रहा है और किसी भी दशा में एक शक्ति दो विभागों का अध्यक्ष न बनाया जाए।

(३) प्रत्येक विभाग में—और विशेष कर आतङ्कवादी और सैनिक विभाग में—अत्यन्त कठोर नियन्त्रण, और केवल इतना ही नहीं, बल्कि सदस्यों को सम्पूर्ण आत्म-बलिदान करना सिखाया जाय।

(४) रहस्यपूर्ण बातों को पूरी तौर पर गुप्त रक्खा जाए। अर्थात् प्रत्येक सदस्य केवल इतना ही जाने—और केवल वही बात जाने—जिसे कि उसको जानने का अधिकार है। और इन विषयों

पर अपने केवल उन सहकारियों से वार्त्तालाप और चर्चा करे, जो कि इस बात के अधिकारी हों।

(५) प्रवीणता पूर्वक षड़यन्त्री साधनों का प्रयोग करे अर्थात आवश्यकतानुसार 'पैरोल' और 'साइफ़र' इत्यादि चिन्हों द्वारा पत्रव्यवहार करे इत्यादि इत्यादि।

(६) कार्यक्रम का विकास नियमित रूप से करे अर्थात् इस बात में अनुचित शीघ्रता न करे, कि संस्था एक दम भिन्न भिन्न कार्यों में सफलता प्राप्त कर ले। उदाहरणार्थ (क) पहिले शिक्षित समुदाय में प्रारम्भिक सङ्गठन का केन्द्र स्थापित करे। (ख) फिर इस केन्द्र द्वारा सर्वसाधारण जनता में क्रान्तिकारी विचारों को फैलाए; (ग) तत्पश्चात् विशेष रीति अर्थात् आतङ्कवादी और सैनिक सङ्गठन करे; (घ) सार्वजनिक अन्दोलन करे और अन्त में (ङ) रिबिलियन अर्थात् सार्वदेशिक विद्रोह करे।

इन पाँचों बातों की इसके बाद क्रमानुसार विस्तृत विवेचना की गई है।

दूसरे शीर्षक अर्थात् "विभाग विभाजन" (Division of branches) में यह बतलाया गया है, कि क्रान्तिकारी दल के दो कार्य हैं, एक साधारण और दूसरा विशेष। साधारण कार्य में सङ्गठन, प्रचार और अन्दोलन शामिल हैं। विशेष कार्य में ७ प्रकार का कार्यक्रम है, जिनमें से प्रत्येक की विस्तृत समालोचना की गई है। इन ७ में से दूसरा कार्य फ़ौजी बतलाया गया है, जिसमें कि रसायन, विज्ञान और अन्य विस्फोटक पदार्थों का ज्ञान, जिन

का सम्बन्ध बलवे से हो, बताया गया है। तीसरा कार्यक्रम अर्थ-सम्बन्धी अर्थात् "फाइनैन्शियल" बतलाया गया और इसके अनुसार यह आदेश किया गया है कि आतङ्कवादी विभाग धनी लोगों से टैक्स वसूल करे। सातवाँ, अर्थात आतङ्कवादी विभाग का यह भी एक कार्य बतलाया गया कि ऐसे छोटे-छोटे विभागों का सङ्गठन किया जाए, जो कि तेज़ी से एक स्थान से दूसरी स्थान पर जाकर आर्थिक विभाग की सहायता कर सके।

तीसरे शीर्षक नियंत्रण (Discipline) में यह बतलाया गया कि "यदि कोई फ़ौजी या आतङ्कवादी समुदाय का सदस्य संयोजक की आज्ञा का पालन करने से इनकार करे तो उसे मृत्यु-दण्ड की भी सज़ा दी जानी उचित है"

इस लेख में फिर इस समुदाय के सङ्गठन का ख़ाका खींचा गया है। यह सङ्गठन दो प्रकार के किए जाएँ, अर्थात केन्द्रीय सङ्गठन और स्थानिक सङ्गठन। स्थानिक सङ्गठन का विस्तृत बिवरण निम्नाङ्कित शीर्षकों में दिया गया है। "प्रान्तीय सङ्गठन" (Provincial Organization) "ज़िला कमेटी" "नगर कमेटी" "ग्राम्य सङ्गठन" (Rural Organization) और "सदस्य"।

दूसरे लेख में, जिसका शीर्षक "रूसी क्रान्तिकारियों की पद्धति" है, यह बतलाया गया है, कि भारतीय पाठकों को यह मालूम होना चाहिए कि रूस में ५० वर्ष पहिले से क्रान्तिकारी आन्दोलन का क्रम जारी है।

इसके बाद रूसी क्रान्तिकारियों के आतङ्कवादी विभागों के

कार्यक्रम का वर्णन है। ध्यान देने योग्य यह बात बतलाई गई है, कि हत्याएँ की जाएँ और "डकैतियाँ" डाली जाएँ।

इसी प्रकार का लेख मद्रास में भी इञ्जीनियरिङ्ग वर्क्स में पाया गया है।

ज़िलों का सङ्गठन

२७ फ़रवरी, १९१३ को ढाका-अनुशीलन-समिति के सदस्य रमेश आचार्य्य के पास दो लेख पकड़े गए। सम्भवत: ये लेख कुछ समय से उसके पास थे। इनका शीर्षक "ज़िला सङ्गठन स्कीम" और "सदस्यों की नियमावली" था। इन लेखों में "जनरल प्रिन्सिपल्स" अर्थात् 'विशेष सिद्धान्त' शीर्षक लेख की, जहाँ तक कि इन दो विषयों का सम्बन्ध था, विस्तृत व्याख्या थी।

ज़िला सङ्गठन स्कीम सम्बन्धी ३५ पैरे और सदस्यों की नियमावली सम्बन्धी १६ पैरे थे। ख़ास ख़ास पैरों को हम नीचे उद्धृत करते हैं और वे पैरे, जिनका सम्बन्ध विद्यार्थियों में प्रचार का था, वहाँ उद्धृत किए जाएँगे, जहाँ कि उस विषय की चर्चा की जायगी।

"ज़िला सङ्गठन"

(१) मातहत सभा का सम्पूर्ण कार्य सञ्चालक की आज्ञानुसार चलाया जायेगा। सञ्चालक का कर्तव्य है, कि कार्यक्षेत्र में पदार्पण करने से पूर्व सङ्गठन स्कीम को ५ बार ध्यान से पढ़े।

(२) मातहत सभा के सञ्चालक का यह कर्तव्य होगा, कि ज़िले को सरकारी विभाग की भाँति कई भागों में विभाजित करे और प्रत्येक विभाग का सञ्चालक एक बुद्धिमान और दिलेर व्यक्ति को बनाए ।

(२५) अगर किसी ज़िले में किसी अन्य दल के पास अस्त्र-शस्त्र हों, और यह बात मालूम हो, कि इन शस्त्रों से देश की हानि है तो हेड क्वार्टर्स की आज्ञा प्राप्त करने के बाद, प्रत्येक सम्भव तरीक़े से इन अस्त्रों को अपने क़ाबू में कर लिया जाए । यह कार्य अत्यन्त सावधानी से किया जाना चाहिए, ताकि उन्हें इसका बिल्कुल ज्ञान न होने पाए ।

(२६) डिस्ट्रिक्ट ऑरगेनाइज़र (अर्थात् ज़िले के संयोजक) का यह कर्त्तव्य होगा, कि जब तक उसको मुख्य संयोजक या अवसर-प्राप्त संयोजक का हस्त-लिखित लेख न मिले; तब तक वह किसी को अस्त्र-शस्त्र न दे ।

(३१) × × × जब तक उच्च अधिकारी से आज्ञा न मिले तब तक कोई संयोजक किसी दूसरे स्थान में पत्र न भेजे ।

(३४) × × × वे व्यक्ति, जिनके पास अस्त्र-शस्त्र या गुप्त काग़ज़ात हों, वे किसी "आतङ्कवादी कार्य" या "सङ्गठन कार्य" तथा किसी "साधारण उपद्रव" में भाग न लें । कहने का तात्पर्य्य यह है कि उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि वे कोई ऐसा कार्य न करें या ऐसे स्थान पर न जाएँ, जहाँ कि जोखिम हो ।

(३५) ज़िला संयोजक का यह कर्त्तव्य होगा, कि नीचे लिखे

शीर्षकों के अनुसार वह प्रत्येक तीन माह में एक बार केन्द्रीय कार्यालय में अपने ज़िले की समिति का विवरण भेजे।

जैसा कि कहा जा चुका है, ३५ वें पैरे के १६ वें शीर्षक में जिन बातों का विवरण माँगा गया था उनमें से विशेष उल्लेखनीय बातें यह हैं, कि सदस्यों और ज़िले के अन्य निवासियों के विषय में ज्ञातव्य बातें बताई जाएँ। शिक्षालयों के विषय में सूचना दी जाए। प्रदेश की भौगोलिक विशेषताओं का, और सड़कों इत्यादि का विवरण दिया जाए तथा आय-व्यय का लेखा भेजा जाए। त्रैमासिक विवरण की एक प्रति पाई गई और अन्य बहुत से काग़ज़ात भी मिले, जिनमें उपरोक्त सूचनाएँ एकत्रित करके तालिका रूप में प्रकट की गई थीं। इनका वृहद उल्लेख यथा समय किया जाएगा।

सदस्यों की नियमावली शीर्षक पर्चे में, जो कि रमेश आचार्य की तलाशी के समय मिला था, २२ पैराग्राफ़ हैं। इनमें से कुछ नीचे उद्धृत किए जाते हैं :—

(१४) पूर्व इसके, कि संस्था सम्बन्धी कोई पत्र-व्यवहार किसी स्थान से किया जाए, सदस्य का यह कर्त्तव्य होगा, कि वह इस पत्र को अपनी संस्था के अध्यक्ष के पास दे और अध्यक्ष इसे निर्दिष्ट स्थान पर भिजवाने का प्रबन्ध करेगा।

(१७) प्रत्येक सदस्य यह स्मरण रक्खेगा, कि यह संस्था एक फ़ौजी संस्था है और इसके नियमोपनियम के भङ्ग करने पर अपराध की गम्भीरता के अनुसार दण्ड दिया जाएगा।

(१८) प्रत्येक सदस्य को अपने मन में यह निश्चित रूप से जान लेना चाहिए, कि वह राज्य-क्रान्ति, जिसको करने की चेष्टा में वह लगा हुआ है, केवल इसलिये की जा रही है, कि धर्म्म और न्याय का शासन स्थापित हो, न कि इसलिये, कि वे अय्याशी करने लगें। प्रत्येक सदस्य का यह कर्त्तव्य है, कि वह ध्यान रक्खे कि इस उच्च उद्देश्य से वह विचलित न होने पाए।

१४ वें नियम के सम्बन्ध में यह बतलाना अनुचित न होगा कि बहुत से व्यक्ति लीडरों के "पोस्ट बक्सों" का काम किया करते थे और कई दफ़ा "पोस्ट बक्स" व्यक्ति (अर्थात् वे व्यक्ति जिनके नाम पर क्रान्तिकारियों के पत्र आते थे) स्वयं यह न जानते थे, कि वास्तव में यह पत्र किनका है, वे इन पत्रों को केवल दूसरे व्यक्ति के हवाले कर दिया करते थे जो कि स्वयं कभी कभी दूसरों के "पोस्ट बक्स" होते थे।

सन् १९१६ में समिति की नियमावली की दूसरी प्रति, माऊज़र कारतूस, छापेख़ाने का टाईप और विद्रोही-साहित्य के साथ ज़मीन में गड़ी पाई गई। ये नियम संक्षिप्त हैं और काग़ज़ों के अन्त में सदस्य की स्वीकृति के समय किए जाने वाले हस्ताक्षरों के लिए स्थान है।

अन्तिम नियम में उन व्यक्तियों के लिए प्राणदण्ड की सज़ा लिखी है, जो समिति के विरुद्ध दग़ाबाज़ी का आचरण करें।

अमूल्य सरकार का पर्चा

सितम्बर सन् १९१६ में पवना ज़िले में अमूल्य सरकार नामक एक व्यक्ति के मकान पर एक ऐसा पर्चा मिला, जिसमें क्रान्तिकारी सङ्गठन की चर्चा की गई थी। यह पर्चा अत्यन्त विस्तार पूर्वक लिखा हुआ था और लिखने की शैली बहुत भद्दी थी। यह कहना मुशकिल है, कि यह किसी संस्था का ऑफ़िशल कार्य्यक्रम था। इस पर्चे में बहुत सी बातें अत्यन्त अनावश्यक विस्तार के साथ की गईं थीं और बहुत सी बातें तो साधारण दिनचर्य्या के सम्बन्ध में थीं, परन्तु कुछ बातें वास्तव में शिक्षाप्रद हैं। अमूल्य सरकार एक संयोजक था, जिसका सम्बन्ध उत्तरीय बङ्गाल से था और संयोजक की स्थिति में उसका नाम ढाका अनुशीलन-समिति के काग़ज़ों में पाया गया था जो काग़ज़ सन् १९१३ की तलाशी में राजा बाज़ार में कलकत्ते में मिले थे।

लेखक ने अपनी संस्था के कार्यक्षेत्र का विवरण करते हुए इस प्रकार लिखा है :--

"राजनैतिक स्वाधीनता तब तक सम्भव नहीं है, जब तक देश से स्वार्थी विदेशियों को न निकाल दिया जाए। और वे तब तक नहीं निकाले जा सकते, जब तक कि सङ्गठित सरकार को अस्त्र शस्त्रों की सहायता से राष्ट्रीय ग़दर द्वारा उलट न दिया जाए। राष्ट्रीय ग़दर के लिये धन और आदमियों की आवश्यकता है। सारांश यह, कि संस्था का यह कर्त्तव्य है, कि अस्त्र-

शस्त्र और धन-जन का संग्रह करे और इन सब को भावी राष्ट्रीय धार्मिक संग्राम के लिए सुदृढ़ शृङ्खला में सङ्गठित करे। इसलिये सब से मुख्य वस्तु, जिस की ओर संस्था को ध्यान देना चाहिये, वह सङ्गठन है।"

"लीडर", उसका कर्त्तव्य और उसका उत्तरदायित्व नामक शीर्षक में यह लिखा गया है, कि यह संयोजक का कर्त्तव्य है, कि वह स्थानिक संस्थाओं से और बाहिरी संस्थाओं से सम्बन्ध रक्खे और पत्र व्यवहार करे।"

रिक्रूटमेण्ट के नियमोपनियम में इस बात पर ज़ोर दिया गया है, कि सदस्यों की दीक्षा धीरे-धीरे करनी चाहिए। इस स्कीम के लिखने वाले की तारीफ़ में इतना अवश्य लिखना पड़ेगा, कि वह डकैती करने वालों के पक्ष में नहीं था, जैसा कि "फ़ाइनैन्स" सम्बन्धी १० वें ११ वें नियमों से, जो कि नीचे उद्धृत हैं, स्पष्ट प्रगट होगा।

(१०) "आतङ्कवादी रीति से धन एकत्रित करने का कठोर निषेध है।

(११) आमदनी का मुख्य श्रोत सार्वजनिक चन्दा और लीग के सदस्यों का चन्दा होगा।"

परन्तु दूसरी तरफ़ इन उपनियमों को पढ़ने से यह मालूम होगा, कि इसका लेखक चाहता है, कि विवरण में यह उल्लेख किया जाए कि "कितने गिरजे हैं, कहाँ-कहाँ पर हैं, और कितने व्यक्ति और कब उनमें उपस्थित होते हैं" यह स्पष्ट है

कि इस सूचना मँगाने का एक मात्र उद्देश्य हत्याकाण्ड ही हो सकता है।

इस पर्चे के अधिक भाग में उस साहित्य के पाठ्यक्रम का उल्लेख है, जिसे पढ़ना आवश्यक है। यह पाठ्यक्रम इस सिद्धान्त पर बना है, कि सदस्य को प्रारम्भ में साधारण विषयों का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और अन्त में उस को विद्रोही-साहित्य का ज्ञान देना चाहिए।

अन्य कागज़ात

सन्, १९१७ में विहार और उड़ीसा में "इस्टेबलिशमेण्ट" नामक एक पर्चा मिला, जिसमें कि उन व्यक्तियों के सम्बन्ध में आदेश किया गया था, जिनके सुपुर्द नये स्थान में कार्य व्यवस्था करने का भार सौंपा गया था। यह बताया गया था, कि उसको चाहिए कि किसी स्कूल या कॉलेज के विद्यार्थी को लेकर सङ्गठन आरम्भ करे और तब इस सङ्गठन को उन लड़कों के द्वारा सारे ज़िले और कमिश्नरी में फैलाया जाए और उनकी शाखाएँ गाँव गाँव में खोली जाएँ।

सन्, १९१८ में सङ्गठन स्कीम की एक प्रति हरिहर मुकर्जी के मकान में मिली और साथ ही साथ एक रिवॉल्वर और सब से आख़री विद्रोही पर्चे की २२१ प्रतियाँ मिलीं। इस विद्रोही पर्चे में मि० माण्टेग्यु की भारत यात्रा का भी ज़िक्र था। इस स्कीम के अनुसार ज़िले का संयोजक विद्यार्थियों की शिक्षा के प्रबन्ध

के लिए उत्तरदायी बनाया गया था। विद्यार्थियों को दो विभाग में बाँटा गया था। (१) "आत्म बलिदान" करने वाले और (२) "हार्दिक सहानुभूति" रखने वाले। उनकी शिक्षा की तीन श्रेणियाँ नियत की गईं (अर्थात् "प्रारम्भिक" "मध्यमा," और "उच्चत्तम") प्रत्येक केन्द्र और उपकेन्द्र में ४ आत्म-त्यागी वकील सन्देशा भेजने के लिए नियुक्त करने की योजना थी। स्कीम में कलकत्ते का पूरी तौर पर वर्णन था। सदस्यों से आशा की जाती थी कि कलकत्ते के ११ विद्यालयों में प्रवेश करें और शहर में भी कार-बार आरम्भ करें। कलकत्ते शहर को इस कार्य के लिये १४ विभागों में बाँटा गया और इन विभागों की सीमाओं का विस्तृत रूप से वर्णन किया गया।

उपरोक्त पर्चे से उस सङ्गठन का कुछ अन्दाज़ा मालूम होता है, जिसका विचार नेताओं के मस्तिष्क में समय समय पर रहा। अगला प्रश्न यह है, कि हम इस बात का पता लगाएँ, कि इस कार्यक्रम पर किस हद तक वास्तव में काम किया गया।

सन, १९१२ के नवम्बर महीने में ढाका शहर में गिरेन्द्र मोहन नामक एक लड़के के बक्स में कुछ काग़ज़ात मिले, इस लड़के का पिता एक अत्यन्त उच्च और प्रशंसनीय आचार-विचार वाला सज्जन था और इसमें सन्देह नहीं, कि यह उसके ही प्रयत्न का फल था, कि यह काग़ज़ात मिल सके। ये काग़ज़ात लड़के के पास, केवल इसलिये रक्खे गये थे, कि उसके मकान पर सन्देह नहीं हो सकता था। सबसे पहला काग़ज़ वह काटरली रिपोर्ट

थी, जो कि ज़िला सङ्गठन स्कीम के ३५ वें नियम के अनुसार प्रत्येक ज़िले के संयोजक को भेजनी पड़ती थी। इस विवरण में दुर्गापुर, फेनी, अमीराबाद, (वास्तव में नवाबपुर) विलोनिया और सर्वातोली, पाँच ग्रामों का उल्लेख था। वे स्थान टिप्परा-हिल की स्वतन्त्र रियासत में चिटगाँव और नवाखाली ज़िलों में हैं।

इस रिपोर्ट में स्थानिक निवासियों और विशेषताओं का उल्लेख है और विशेष कर स्कूलों और उनके अध्यापकों का विद्यार्थियों के साथ कैसा वर्ताव रहता है, उसका ज़िक्र है। अन्त में सङ्गठन पर विवेचना नामक शीर्षक में १३ नामों की एक सूची है और इस जगह से यह काग़ज़ फटा हुआ है। अन्त में एक तालिका बनी है जिसमें कि "सङ्गठन" और "आतङ्क" शीर्षक में कुछ नाम दर्ज हैं। "आतङ्क" (Voilence) शीर्षक में चार उपशीर्षक है अर्थात् (१) अस्त्र-शस्त्रों का प्रयोग और उनकी मरम्मत (२) कर्मकाण्ड (३) जाली रुपये व नोट बनाना (४) फ़ार्मिङ्ग (अर्थात् खलिहान रखना)। "फ़ार्मिङ्ग" अर्थात खलिहान रखने का क्या तात्पर्य्य था, यह समझाना आवश्यक है। बहुत सी समितियों के पास प्रान्त के कुछ ऐसे भाग थे, जो कि बिल्कुल निर्जन और बीहड़ थे, इन को वे लोग खलिहान अथवा फ़ॉर्म (farm) कहा करते थे और यहाँ वे गोली चलाने का अभ्यास किया करते थे। उस विवरण में, जिस का उल्लेख हम कर रहे हैं, विलोनिया के फ़ॉर्म का ज़िक्र है, जो कि स्वतन्त्र टिप्परा में स्थित

है और जो उन पाँच स्थानों में से एक है जिस का विस्तार पूर्वक विवरण उस रिपोर्ट में किया गया है।

उसी स्थान में एक और भी लेख मिला जिस में कि ७ नाम, मय उनके ग्राम्य-पतों के और १४ नाम मय-पतों के "टाऊन स्कूल" शीर्षक में दर्ज थे।

दूसरे काग़ज़ में अगहन, १३१८ वि० स० अर्थात् नवम्बर, सन् १९११ से १२ वीं, आश्विन, सम्वत् १३१९ वि० स० तक (१८, सितम्बर सन १९१२ तक) के आय-व्यय का लेखा था। आमद की तरफ़ ४००) रु० की रक़म सोना विक्रय से दिखाई गई थी, जो कि स्पष्ट है कि डकैती का ज़ेवर था और ख़र्च में कई रक़म "कर्मकाण्ड" और क़ानूनी बचाव के लिए और "रुपया" बनाने के नाम दर्ज किए गए थे। एक नोट में यह बताया गया था, कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं, जो कि वसूल न हो सकीं और इन में एक अँगूठी, एक घड़ी और कुछ पुराने सिक्के के रुपये थे।

और भी बहुत सारे काग़ज़ात मिले, कुछ तो तलाशियों के मौक़े पर और कुछ गिरफ़्तार व्यक्तियों के पास, परन्तु त्रैमासिक विवरण की कोई प्रति हाथ न लगी। लूट का माल किस तरह से ख़र्च किया गया, बहुत से नाम तथा पते और कहाँ कहाँ पर और किस-किस के पास अस्त्र-शस्त्र रक्खे गये थे, इन बातों को ज़ाहिर करने वाले बहुत से काग़ज़ात मिले। ऐसे भी पत्र मिले जिन्हें क्रान्तिकारियों ने एक दूसरे को लिखा था।

पुस्तकें

हम ने क्रान्तिकारियों के कार्य का विवरण कर दिया, अब हम संक्षेप में उन के उद्देशों का उल्लेख करते हैं। पाठक यह न भूले होंगे, कि १९०५ में 'भवानी-मन्दिर' नामक एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी, जिसमें क्रान्तिकारियों के आदर्श और उद्देशों का वर्णन था। यह पुस्तक कई प्रकार से उल्लेखनीय है। इसमें धार्मिक और राजनैतिक पहलू का भारतीय राष्ट्रवाद के दृष्टिकोण से प्रतिपादन किया गया था। इसमें कालीमाई की प्रशंसा और पूजा, 'शक्ति' और 'भवानी' नाम से (जो कि उसके कई विशेषणों में से दो हैं) की गई थी, साथ ही साथ इस बात का भी प्रचार किया गया था, कि राजनैतिक स्वतन्त्रता का आवश्यक और एक-मात्र साधन, शक्ति और बल का प्रयोग ही है। जापान की सफलता का कारण यह बतलाया गया, कि वह शक्ति थी जिसका श्रोत धर्म था, इसलिये भारतीयों के लिये भी यह आवश्यक है कि वे शक्ति की उपासना करें, अर्थात् उस भवानी के उपासक बनें, जोकि सब शक्तियों की माता और जन्म देने वाली है और शक्ति की वास्तविक उपासना ही सफलता का मूल-मन्त्र है। 'भवानी मन्दिर' पुस्तक में कहा गया था कि भवानी के नाम पर एक मन्दिर बनाया जाए "जो कि वर्तमान शहरों की गन्द और छूत से दूर स्थान पर हो, वह स्थान ऐसा हो, जहाँ किसी आदमी ने क़दम न रक्खा हो, जहाँ

का वायुमण्डल स्वच्छ हो, जिसमें शान्ति और शक्ति पूर्ण रूप से विद्यमान हो। राजनैतिक वैरागियों का एक नया मज़हब क़ायम किया जाए, परन्तु यह आवश्यक न हो कि प्रत्येक सदस्य साधु बने। अधिकतर सदस्य ब्रह्मचारी हों, वे गृह-आश्रम में तब प्रवेश करें, जब निर्धारित मनोरथ सफल हो जाए" यह निर्धारित उद्देश क्या था, यह साफ़ साफ़ नहीं लिखा गया परन्तु स्पष्ट है कि यह उद्देश था, कि भारत को पराधीनता की ज़ञ्जीरों से मुक्त किया जाए। इस नये मज़हब के नियमों में धार्मिक, सामाजिक और राजनैतिक विचारों का समावेश किया गया था, जिसका उल्लेख कर दिया गया है। साधारण भाषा में इसका यह उद्देश था, कि राजनैतिक संन्यासियों का एक नया सङ्गठन किया जाए, जो कि क्रान्तिकारी कार्य की आधार-शिला रक्खें। यह बात ध्यान देने योग्य है, कि इस वक़्त तक कहीं भी आतङ्कवाद या उपद्रव का ज़िक्र नहीं किया गया है। जहाँ तक इस किताब में संन्यासियों का ज़िक्र है, इस बात में कोई सन्देह नहीं, कि यह विचार बङ्किमचन्द्र चटर्जी के 'आनन्द-मठ' में से लिया गया है। यह पुस्तक एक उपन्यासिक किताब है जिसमें १७७४ के उस बलवे का ज़िक्र है, जिसमें कि हथियार-बन्द सन्यासियों ने ईस्ट-इण्डिया कम्पनी का मुक़ाबला कुछ समय तक सफलता पूर्वक किया था, परन्तु बाद में वे दबा दिए गए थे।

बङ्गाल की क्रान्तिकारी सभाओं ने, 'भवानी-मन्दिर' में प्रतिपादित सिद्धान्तों और नियमों के साथ रूसी क्रान्तिकारी

आतङ्कवाद को भी मिला दिया। 'भवानी-मन्दिर' में तो धार्मिक पहलू पर ही ज़ोर दिया गया है, परन्तु रूसी नियमोपनियम बिल्कुल व्यवहारिक हैं। १९०८ के बाद बनी हुई समिति और सभाओं ने धीरे-धीरे भवानी मन्दिर नामक किताब के धार्मिक विचारों को छोड़ना आरम्भ कर दिया। सिवाय उन कर्मों और प्रतिज्ञाओं के, जिनके साथ वे दीक्षा देते थे। साथ ही उन्होंने आतङ्कवादी पहलू पर ज़्यादा ज़ोर दिया, जिसके अनुसार वे डकैती और हत्या किया करते थे।

इस आन्दोलन के क्रमपूर्ण विकास का एक मात्र फल यह होना चाहिए कि अराजकतावादी लोग, सैनिक विषयों की शिक्षा प्राप्त करें और इस उद्देश से अक्टूबर, १९०७ में "वर्त्तमान रण-नीति" नामक पुस्तक प्रकाशित की गई। इसका लेखक अविनाश चन्द्र भट्टाचार्य नामक वह क्रान्तिकारी था, जो कि मानिकतल्ला दल का सदस्य था और जिसे मानिकतल्ला षड़यन्त्र केस में ७ वर्ष का कठोर कारावास दण्ड दिया गया था। इस पुस्तक में इस सिद्धान्त का समर्थन किया गया था, कि भारतीय राष्ट्रीयता के भवन के निर्माण के हेतु युद्ध करना नितान्त आवश्यक है और अङ्गरेज़ों को बुरा-भला कहने के बाद बहुत से सैनिक मामलों पर विचार किया गया है। अङ्गरेज़ों के विषय में यह विचार प्रगट किया गया है कि उन्होंने भारतीयों से अस्त्र-शस्त्र इसलिए छीन लिए हैं, ताकि वह उन पर अधिक सफलता पूर्वक अत्याचार कर सकें।

इस पुस्तक के साथ ही साथ एक और पुस्तक है, जिसमें कि बम बनाने की विधि का उल्लेख है और जिसका कि अध्ययन क्रान्तिकारी किया करते थे। इन पुस्तकों की प्रतियाँ कलकत्ते में (मानिकतल्ला गार्डन की तलाशी में) और बम्बई प्रान्त में (नासिक में सावरकर के मकान की तलाशी में) और लाहौर में (भाई परमानन्द के मकान में) मिलीं, भिन्न-भिन्न तलाशियों में बहुत सी मजेदार किताबें मिलीं और वह पुस्तक-सूची, जो कि कलकत्ते के क्रिमिनल म्यूजियम के कैटलॉग में दी गई है, वास्तव में एक रोचक वस्तु है। इस सूची में दी हुई कुछ उल्लेखनीय पुस्तकों के नाम हम नीचे देते हैं:—

(१) नायट्रो ऐक्सप्लोसिव्ज़ लेखक सेनफ़र्ड (Nitro Explosives by Sanford)" नाइट्रेट-जन्य विस्फोटक द्रव्य"

(२) सोर्ड्समैन लेखक एलफ्रेड हटन (Swordsman by Alfred Hutton) अर्थात् "तलवार चलाने की विधि"

(३) ए हैण्ड बुक ऑफ़ मॉडर्न ऐक्सप्लोसिव्ज़ (A Hand book of Modern Explosives by Eisslr) "आधुनिक विस्फोटक द्रव्यों की संक्षिप्त पुस्तक-लेखक ईस्लर"

(४) मॉडर्न वेपन्स व मॉडर्न वार (Modern Weapon and Modern War) अर्थात् 'आधुनिक अस्त्र-शस्त्र व आधुनिक युद्ध-लेखक जे०एस० ब्लॉक' (J. S.Bloch)

(५) मुक्ति कौन पथे (बङ्गला पुस्तक) अर्थात् "स्वतन्त्रता का मार्ग कौन है?"

(६) फ़ील्ड एक्सरसाइज़ेज़ अर्थात् 'मैदानी शिक्षा' (Field Exercises)

(७) राइफ़ल एक्सरसाईज़ेज़ (Rifle Exercises) 'बन्दूक़ी शिक्षा'

(८) मेनुअल ऑफ मिलिटरी इन्जीनियरिङ्ग (Manual of Military Engineering) अर्थात् फ़ौजी-इञ्जीनियरिङ्ग गुटका

(९) इन्फ़ैण्ट्री ट्रेनिङ्ग (Infantry Training) अर्थात् "पैदल सैना की शिक्षा"

(१०) कैवेलरी ड्रिल (Cavalary Drill) अर्थात् घुड़सवार पलटन की ड्रिल

(११) मैशीनगन ट्रेनिङ्ग (Machinegun Training) अर्थात् मशीनगन चलाने की शिक्षा

(१२) क्विक ट्रेनिङ्ग फ़ॉर वार (Quick Training for War) "युद्ध की सुगम शिक्षा" इत्यादि इत्यादि और कई फ़ौजी पुस्तकें।

अब हम इस क्रान्तिकारी आन्दोलन का ख़ुलासा वृत्तान्त, जो कि "बङ्गाल में क्रान्तिकारी आन्दोलन का आरम्भ" शीर्षक अध्याय में किया गया है, पुनः आरम्भ करते हैं। हमने उस विवरण को इसलिए बीच में छोड़ दिया था, ताकि हम क्रान्तिकारी उपद्रवों का सूक्ष्म परिचय और उन संस्थाओं के आन्तरिक सङ्गठन का कुछ उल्लेख कर सकें। हम ने यह उचित समझा कि पाठक इन मामलों को, इस विषय में आगे जाने से पहिले, पूरी तौर से

समझ लें। अभी तक हम ने क्रान्तिकारियों की सङ्गठन की स्कीम पर और उन विचारों पर, जिनका कि वह प्रचार करते थे तथा उन उपद्रवों पर ही, जिनको कि उन्होंने किया था, इस रिपोर्ट में प्रकाश डाला है परन्तु उन संस्थाओं का ज़िक्र नहीं किया है जिनके साथ उनका सम्बन्ध था। बङ्गाल प्रान्त में इस प्रकार की संस्थाओं की भरमार थी, जिनके सदस्य अलग अलग थे; परन्तु जिनका एक दूसरे से सम्बन्ध, उनके नेताओं के द्वारा था। यह कहना तो इस अंश में अवश्य सत्य है कि षड़यन्त्र केवल एक नहीं था, क्योंकि एक दल के व्यक्ति क़ानूनी तौर पर दूसरे दल के व्यक्तियों के कार्य्य के लिये उत्तरदायी न थे और इसी कारण से १९१० में चलाया हुआ हावड़ा षड्यन्त्र केस सफल न हो सका। इसके अतिरिक्त हम यहाँ तक भी कहने के लिए तैयार हैं कि विशेष विशेष उद्दण्डताओं के उत्तरदाई केवल वही दल थे, जिन्होंने कि उन्हें किया था क्योंकि इस बात का प्रमाण मौजूद है कि प्रत्येक उपद्रव का समर्थन अन्य प्रत्येक दल नहीं किया करता था। परन्तु इस बात में कोई सन्देह नहीं कि आन्दोलन एक ही था, जिसने कि आतङ्कवाद और क्रान्तिकारी उपद्रव के कार्य्यक्रम का प्रचार किया था और उस आन्दोलन के अनुगामी भिन्न-भिन्न दल अधिकतर एक दूसरे की सहायता और सहयोग के साथ कार्य्य किया करते थे। हमने लोगों को यह भी कहते सुना है कि हाल के उपद्रव, युवकों के तितर-बितर छोटे-छोटे दलों का काम था, जिन्होंने कि उद्दण्डकारी

जीवन को ही अपना लिया था। यह सम्भव है कि इस गम्भीर मामले का ऐसा साधारण पहलू ही उन आदमियों को दीखता हो, जो कि केवल समाचार-पत्रों में प्रति दिन इन उपद्रवों का उल्लेख पढ़ते हों परन्तु जब हम गिरिफ़ार व्यक्तियों के बयानों को पढ़ते हैं और उन पर ग़ौर करते हैं तो हम को इस समस्या का दूसरा ही पहलू दृष्टिगोचर होता है। यह बयान बनावटी नहीं हैं क्योंकि बयान देने वालों को भली प्रकार मालूम था कि इनके समर्थन के लिये लिखित प्रमाण पेश किये जाएँगे।

यह सत्य है, कि भिन्न-भिन्न दलों के बीच में ज़ाब्ते के तौर पर कोई सम्बन्ध नहीं था और यह बात भी स्पष्ट है कि पुलिस की निगरानी के कारण विस्तृत लेख या पत्र-व्यवहार न तो सम्भव ही था और न तो आवश्यक ही। (यद्यपि हाल के समय की, हमने कई बड़ी-बड़ी स्कीमों की ओर ध्यान भी दिला दिया है) और जिनसे मालूम होता है कि इतनी निगरानी होने पर भी क्रान्तिकारी अपना कार्य्य निधड़क, परन्तु गुप्त रूप से करते ही जाते थे। उदाहरणार्थ, अधिक हाल के समय की फेहरिस्तें और नोट, जो कि कभी कभी बहुत लम्बे-चौड़े और विस्तार पूर्वक 'साइफ़र' नामक साङ्केतिक भाषा में लिखे जाते थे और डकैती इत्यादि के सम्बन्ध में अस्त्र-शस्त्रों का प्रबन्ध यदि कभी लिख कर किया जाता था तो बहुत ही घुमाने शब्दों में किया जाता था। प्रत्येक संस्था का अपना ज़िले का संयोजक प्रत्येक ज़िले में होता था और यदि एक संयोजक गिरफ़्तार

किया जाता था तो दूसरे की नियुक्ति की जाती थी। एक दल दूसरे दल के साथ अपने परिचालक अर्थात् लीडर के द्वारा पत्र-व्यवहार करता था और यदि दलों की शक्ति बहुत क्षीण हो जाती थी तो उनके पारस्परिक समिश्रण के विषय में विचार किया जाता था।

सन् १९१४ व सन् १९१५ के ज़माने में, जिन दिनों कि पञ्जाब में ग़दर की सम्भावना और बङ्गाल में जर्मनी के जहाज़ों द्वारा अस्त्र-शस्त्र के आने की सम्भावना थी, भिन्न-भिन्न दलों में अत्यन्त आश्चर्यजनक पारस्परिक सहयोग प्रदर्शित हुआ। इस समय, अगस्त १९१४ में, रोडा कम्पनी में माऊज़र पिस्तौलों और कारतूसों की जो चोरी हुई थी, इन सामानों को बाँटने में भिन्न-भिन्न दलों के पारस्परिक सहयोग का एक प्रत्यक्ष और पक्का प्रमाण है। यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जो पिस्तौलें चुराई गई थीं उन सब के ऊपर नम्बर पड़े हुए थे और इसलिए वह पहचानी जा सकती थीं। इसके अतिरिक्त यह पिस्तौलें इस तरह से बनी हुई थीं कि गोली चलाने पर छुटा हुआ कारतूस स्वयं आप से आप बाहर निकल कर ज़मीन पर गिर जाता था इसलिए जितनी बार गोलियाँ चलती थीं उतने कारतूस बाहर निकल आते थे चाहे छूटे हुए कारतूस मिले हों, या न मिले हों, यह दूसरी बात है, इसके अतिरिक्त जहाँ तक कि हमको मालूम है रोडा कम्पनी के पिस्तौलों के अतिरिक्त, केवल एक ही माऊज़र पिस्तौल और थी।

यह एक पिस्तौल उनके हाथ कैसे लगी, यह हमको मालूम है और इसे भी उनसे छीन लिया गया इसलिये कि रोडा कम्पनी से ५० पिस्तौलें चोरी गई थीं। जहाँ पर भी माऊज़र के कारतूस पाये गए वहाँ उन्हीं पिस्तौलों में से एक प्रयोग की गई होगी, ऐसा अनुमान करना नितान्त स्वाभाविक है। यह पिस्तौलें कहाँ कहाँ बाँटी गई थीं और किन किन स्थानों पर इनका प्रयोग किया गया था और कहाँ कहाँ से यह वापिस ली गईं इनका उल्लेख साथ दी हुई तालिका और नकशों में है।*

जिन जिन व्यक्तियों के पास यह माऊज़र पिस्तौलें पाई गईं उनका भी उल्लेख करना आवश्यक है। मदारीपुर दल के सदस्यों के पास, पश्चिमीय बङ्गाल पार्टी के नेता जितेन्द्र मुकुर्जी के पास, पश्चिम-बङ्गाल के उस उपदल के सदस्यों के पास, जिनका नेता सतीश चक्रवर्ती था, चन्द्रनगर दल के पास, विपिन गङ्गोली के दल के पास, मैमनसिंह, बारीसाल, उत्तरीय बङ्गाल और ढाका के दलों के पास ये पिस्तौलें पाई गईं। विभिन्न दलों में इन अस्त्रों का परिवर्त्तन होता था, यह बात भिन्न-भिन्न प्रमाणों से सिद्ध होती है—

आया कि उपरोक्त मामले सच्चे बयान किए गए हैं, इस विषय में केवल यही कहा जा सकता है कि क्या भिन्न-भिन्न

---

* हमें खेद है व्यय बढ़ जाने के कारण ये नक़शे हम नहीं दे रहे हैं।

—प्रकाशक

साक्षी, एक ही बात की गवाही, बनावटी रूप से दे सकते थे ? इससे सिद्ध होता है कि इन घटनाओं का वर्णन सच्चा किया गया है।

जिन जिन व्यक्तियों की संरक्षकता में अस्त्रागार सौंपा गया था, उनके नाम शून्य-सङ्केत सूचियों में लिखे हुए थे, यह सूचियाँ भिन्न-भिन्न स्थानों की तलाशियों में बरामद हुईं। उदाहरणार्थ, जब कि ८ अक्टूबर सन् १९१६ को ३९ पथरियाघाट स्ट्रीट नामक मकान की तलाशी ली गई, तो एक सूची शून्य-सङ्केत लेख में पाई गई जिसमें कि यह लिखा था कि अमुक अस्त्र-शस्त्र कमिल्ला में थे, और राजशाही में माऊज़र पिस्तौल थी। जुलाई, सन १९१६ में कमिल्ला में डिस्ट्रिक्ट ऑरगेनाइज़र के मकान की तलाशी ली जा चुकी थी और उसकी शून्य-सङ्केत-सूची में उन व्यक्तियों की नामावली थी, जिनके पास उसने अपनी बारी में अस्त्र-शस्त्र सपुर्द किए थे। पिछली सूची से यह बात प्रगट होती थी कि कमिल्ला ज़िला संयोजक की संरक्षकता में उनसे कहीं अधिक अस्त्र-शस्त्र रक्खे हुए थे, जितने कि पथरियाघाट स्ट्रीट में पाई गई सूची से प्रगट होता था। यह सम्भव है कि हथियारों की संख्या में फ़र्क़ का कारण, यह होगा कि यह दोनों सूचियाँ एक ही तारीख़ की संख्या के सम्बन्ध में नहीं होंगी, या कमिल्ला ब्राञ्च में हथियार केवल पथरियाघाट से ही नहीं, बल्कि और भी कई स्थानों से आए होंगे। वह माऊज़र, जिसका ज़िक्र पथरियाघाट वाली फ़ेहरिस्त में यह है, कि

राजशाही में है, उसे जून सन् १९१६ में पुलिस के डिप्टी सुपरिण्टेण्डेण्ट के ख़ून के लिए भेजा गया था। इसके साथ साथ एक और भी हथियार राजशाही में पकड़ा गया था—इन हथियारों का ज़िक्र उन व्यक्तियों में से एक ने किया था, जो कि हिरासत में थे और मज़ेदार बात यह कि उसने उसका नाम भी बता दिया था, जिसके पास वे उपरोक्त उद्देश्य से रक्खे गये थे। उपरोक्त घटना उदाहरण के रूप में पर्याप्त है। यदि आवश्यकता हो तो इस प्रकार के अन्य बहुत से दृष्टान्त दिए जा सकते हैं।

सन् १९१५ में भिन्न-भिन्न दलों में पारस्परिक सहयोग के साथ कार्य किया जाता था, इस बात का प्रमाण बालेश्वर की घटना है जिस में कि जतीन मुकर्जी, जो कि पश्चिमीय बङ्गाल का नेता था और चितप्रिय राय चौधरी, जो कि मदारीपुर का था, जान से मारे गये थे और उन के साथ दो और व्यक्ति मदारीपुर के थे, जिन्हें फाँसी दी गई थी। इस घटना में पश्चिमीय बङ्गाल और मदारीपुर के दलों ने सहयोग किया था। कॉरपोरेशन स्ट्रीट की डकैती में भी एक व्यक्ति पश्चिमीय-बङ्गाल के दल का और दूसरा मैमनसिंह वाले दल का था और इन दोनों अभियुक्तों को, मुक़दमे के बाद साथ साथ सज़ा दी गई थी। इसी तरह से मेसर्स रोडा कम्पनी की दूकान में से चोरी करने के अपराध में भी जिन लोगों को सज़ा दी गई थी उन में से कुछ तो पश्चिमीय-बङ्गाल पार्टी के थे और कुछ लोग ढाका पार्टी के थे। वे काग़ज़ात, जो कि जर्मन षड़यन्त्र के सम्बन्ध में पकड़े गए थे और जिसका विस्तृत उल्लेख बाद में

किया जाएगा, उन में एक नोट-बुक मिली, जिसमें एक फ़ेहरिस्त बहुत से सदस्यों के नामों की थी और यह व्यक्ति भिन्न-भिन्न दलों के सदस्य थे। यह नोट-बुक सिङ्गापुर में अवनिनाथ मुकुर्जी नामक व्यक्ति के पास उसकी तलाशी में पाई गई थी।

भिन्न-भिन्न दलों में पारस्परिक सहयोग और सहकारिता के साथ कार्य किया जाता था, इस बात का प्रमाण इन दलों द्वारा प्रयोग किए हुए बम के गोलों की परीक्षा से भी मिलता है।

जिन जिन दुर्घटनाओं का उल्लेख किया जा चुका है उनमें तीन प्रकार के बम के गोले प्रयोग किए गए थे। पहिली क़िस्म वह थी, जो सन् १९०८ के गोल बम के गोलों की थी। इस प्रकार के गोले अलीपुर कॉन्सपरेसी में प्रयोग किये गये थे। मानिकतल्ला में जब तलाशियाँ ली गईं तो वहाँ कई साँचे ऐसे मिले और कई पीतल के गोले मिले, जिनमें कि बम बनाए जाते थे। विस्फोटक द्रव्य पिकरिक एसिड (Picric acid) इस्तेमाल किया जाता था। इस बात में सन्देह नहीं कि मिसेज़ और मिस कनेडी की हत्या में इसी प्रकार के बम का प्रयोग किया गया था। इस बात का उल्लेख किया ही जा चुका है कि इन तलाशियों में साइक्लोस्टाइल मशीन द्वारा छपी हुई बम बनाने की मैनुअल की एक प्रति भी पाई गई थी। मार्च, सन् १९०९ में बम्बई प्रान्त स्थित नासिक नगर में गणेश सावरकर के मकान पर इसी बम-मैनुअल की एक टाईप द्वारा छपी हुई प्रति छिपी हुई पाई गई थी। सन् १९१० में हैदराबाद दक्खिन में और सन् १९११ में बम्बई

प्रान्त के सितारा शहर में, इस पुस्तक की एक प्रति पाई गई थी। दूसरी बात यह थी कि जगह जगह एक ही ढङ्ग के और मामूली नुक़सान पहुँचाने वाले नारियल के बम रेलगाड़ियों पर फेंके गए थे जिनका कि उल्लेख किया जा चुका है। तीसरे ढङ्ग के बम, जिनका रिवाज बङ्गाल और अन्य प्रान्तों में सब जगह हो गया था और जिनके आरम्भ होने के बाद गोलाकार बम फिर प्रयोग नहीं किए गए। यह नए ढङ्ग का बम 'सिलिन्डर' अर्थात् लम्बी शीशी के ढङ्ग का था। इस नमूने के बम को हमने स्वयं निरीक्षण किया है और इन शीशियों में भयङ्कर विस्फोटक द्रव्य जूट, नीडल्स और लोहे के टुकड़े थे और बाहिरी हिस्से में बड़ी बड़ी सुइयाँ थीं, जो कि देखने में कील की मुटाई के जितनी थीं और इन सब को बारीक तार से बाँधा गया था। इन का उद्देश्य घाव करना था। इन बमों में भी पिकरिक एसिड का ही प्रयोग किया गया था और जो मसाले इनके बनाने में इस्तेमाल किए गए थे वे सब आसानी से मिल सकते थे और यह सब चीज़ें नवम्बर, सन् १९१३ में राजाबाज़ार वाली तलाशी में पाई गई थीं। जो मुक़दमा चलाया गया उसके दौरान में यह बात मालूम हुई कि इस नमूने के बम कलकत्ता, लाहौर, दिल्ली, सिल्हट, मैमनसिंह और मिदनापुर में इस्तेमाल किए गए थे और इसी ढङ्ग के दो गोले कलकत्ते के नज़दीक खरदा नामक स्थान में शेख़समीर के उद्यान-भवन में, १० अप्रैल, सन् १९१६ को और ४ अप्रैल, सन् १९१७ को, मलिक लेन कलकत्ते में गोपाल

वंश के मकान में ४ बम और सोनारकण्डा नामक स्थान में, जो कि नारायनगञ्ज ढाका में है १० जुलाई, सन् १९१७ को एक बम मिला।

यह सब के सब बम के गोले चन्द्रनगर में बनाए गए थे। इस बात के प्रमाण में हमारे पास पाँच व्यक्तियों के बयान हैं और कोई कारण नहीं, कि इन बयानों पर विश्वास न किया जाए।

भिन्न-भिन्न सङ्गठनों का विस्तार

ऐसा न समझना चाहिए कि ये भिन्न-भिन्न संस्थाएँ बहुत छोटी थीं। ढाका-अनुशीलन-समिति, पश्चिमीय-बङ्गाल का दल और उत्तरीय-बङ्गाल की पार्टी काफ़ी विस्तृत थीं; यहाँ तक, कि स्थान-स्थान पर इन का विस्तार एक दूसरे के स्थान में हो जाता था। इन सब संस्थाओं में इन दिनों ढाका-समिति सब से ज्यादह बृहद् और बलशाली थी। और केवल यही एक संस्था, यदि और संस्थाएँ न होतीं, तो इतनी काफ़ी थी कि इसे सार्वजनिक भय का कारण कहना, अत्युक्ति न होगा। प्रारम्भ में उस को ढाका में पुलिनविहारी दास ने प्रगट रूप में, केवल इस उद्देश्य से स्थापित किया था, कि शारीरिक और धार्मिक शिक्षा का प्रचार किया जा सके। इस संस्था ने उस जोश और मानसिक कड़वाहट से फ़ायदा उठाया, जो कि आजकल स्वदेशी-आन्दोलन के कारण लोगों में फैली हुई थी और उस सत्-उत्साह से भी अनुचित लाभ उठाया जिस का परिचय नेशनल वालण्टियरस, अग्निकाण्ड, बाढ़ और अन्य दुर्घटनाओं के समय पर दिया करते थे;

और जो कि सर्वथा प्रशंसनीय थी, यदि उस का दुर-उपयोग न किया जाता। यह संस्था स्कूलों में फैली हुई थी। ढाका नेशनल-स्कूल में पुलिनविहारी दास और भूपेशचन्द्र राय दोनों अध्यापक थे और यह विद्यालय इस संस्था के ट्रेनिङ्ग केन्द्रों में मुख्य था। पुलिन दास के द्वीपान्तरवास के बाद, माखनलाल सेन ढाका समिति का नेता बना और उसने सोनारङ्ग नेशनल स्कूल स्थापित किया और इस संस्था ने विद्यार्थियों की मनोवृत्ति पर अत्यन्त निन्दनीय प्रभाव डाला, जिसके फल-स्वरूप वे कई घटनाएँ हुईं, जिनका उल्लेख क्रान्तिकारी काण्डों के विवरण के पैरों में किया गया है। बारीसाल उप-षड़यन्त्र केस में हाईकोर्ट ने इस बात को प्रमाणित स्वीकार किया कि बहुत सारी डकैतियाँ, जिनका उल्लेख इस अभियोग में किया गया था, सोनारङ्ग स्कूल द्वारा ही की गई थीं।

समिति के जीवन के पहिले दो वर्षों में यह संस्था खुल्लम-खुल्ला फूलती-फलती रही। परन्तु सन् १९०८ के अन्त में क्रिमिनल-लॉ-एमन्डमेण्ट एक्ट के अनुसार इसे ग़ैर-क़ानूनी संस्था क़रार दिया गया और पुलिनविहारी दास व अन्य व्यक्तियों को द्वीपान्तरवास का दण्ड दिया गया। इसके बाद इस संस्था ने अपना केन्द्र कार्यालय कलकत्ते में स्थापित किया और वहाँ इसे एक सुयोग्य नेता माखनलाल सेन के व्यक्तित्व में प्राप्त हो गया। बाद के वर्षों में यह संस्था समस्त बङ्गाल प्रान्त में फैल गई और इसने अपना कार्य-क्रम अन्य प्रान्तों में भी आरम्भ कर दिया। इस संस्था का सङ्गठन मैमनसिंह और ढाका में अत्यन्त

सुव्यवस्थित और सुदृढ़ था और यह अपना कार्य-क्रम दीनाजपुर से लेकर (जो कि उत्तर-पश्चिमीय बङ्गाल में है) चटगाँव तक (जो कि दक्खिन-पूर्व के कोने में है) और कूचविहार से लेकर (जो कि प्रान्त के उत्तर-पूर्व में है) मिदनापुर तक (जो कि पश्चिमोत्तर में है) था। कहने का मतलब यह कि इस समिति की शाखाओं के सदस्य प्रान्त भर में ही नहीं, बल्कि बङ्गाल प्रान्त के बाहर आसाम, बिहार, पञ्जाब, संयुक्त-प्रान्त, मध्य-प्रदेश और पूना तक में फैले हुए थे।

अब हम कुछ उदाहरण पेश करेंगे, जिनसे यह प्रगट होगा कि क्रान्तिकारी किस प्रकार पारस्परिक सहयोग से कार्य करते थे और इस लिए हम उन बातों का कुछ सूक्ष्म उल्लेख करेंगे, जो कि अभियोगों के अनुसन्धान में हमें मालूम हुई। सिवाय इसके, कि हम षड़यन्त्रकारियों की आदतों का बयान करें, हम को यह भी बयान करना ज़रूरी है, कि हम उनके उस कार्य-क्रम का भी बयान करें जिससे कि हम को यह पता चलता था कि वे क्रान्तिकारी हैं। हम को नामों तथा विस्तार का उल्लेख स्थान स्थान पर इसलिए गुप्त रखना पड़ा है, ताकि हम अपने भेदियों के व्यक्तित्व को सुरक्षित रख सकें।

विस्तार और शाखाएँ

अक्तूबर के महीने में एक क्रान्तिकारी ने, जिसने कि अपना अपराध स्वीकार कर लिया था, यह बतलाया कि

नम्बर ३९ पथरिया-घाट स्ट्रीट नामक मकान में क्रान्तिकारियों का अड्डा था। जब इस मकान की तलाशी ली गई तो बहुत सारे काग़ज़ात मिले, जिनमें कि एक सूची शून्य-सङ्केत (Cipher Code) में थी, जिसमें कि बहुत से व्यक्तियों के नाम और पते, बङ्गाल के सात ज़िलों के और कई अन्य प्रान्तों के थे। किन-किन स्थानों पर अस्त्र-शस्त्र और बमों का संग्रहालय था, इसका उल्लेख भी किया गया था। बङ्गाल के सब स्थानों की, जिनके पते दिए गए थे, तलाशी ली गई और इन तालाशियों का जो नतीजा निकला उसका हमने निरीक्षण किया है। सिवाय एक दो मौक़ों के, हर हालत में जाँच का परिणाम महत्वपूर्ण प्रमाणित हुआ। हम केवल एक उदाहरण का उल्लेख करते हैं।

फ़रीदपुर में नीचे लिखे पते का उल्लेख था :—

"एन० एन० चटर्जी,
हेमन्त कुमार मुकर्जी प्लीडर"

हेमन्त चटर्जी का चचा था और उसके साथ वह रहा करता था।

दूसरा पता इस प्रकार था :—

"प्रबोधेन्दू मोहनराय, ३२ सोनारपुरा
बनारस"

इस व्यक्ति के नाम, पञ्जाब स्थित बिजनौर नगर से लिखा हुआ एक पत्र पकड़ा गया। यह पता लगाया गया कि पत्र का लेखक पञ्जाब स्थित रोहानी नामक स्थान का निवासी प्रभू दयाल

मेहता था। जब इस आदमी को गिरफ़ार किया गया तो उसके पास एक किताब निकली जिसमें कि पञ्जाब के ९ पते दर्ज थे और एक सन्दिग्ध पत्र भी मिला, जो कि १२ दिसम्बर, सन् १९१६ को जबलपुर का लिखा हुआ था। इस पत्र में जबलपुर के एक विद्यार्थी का नाम लिखा था और कहा गया था कि प्रभू उससे पत्र-व्यवहार करे। नतीजा यह हुआ कि जबलपुर में अनुसन्धान किया गया और पुलिस को यह सिद्ध हुआ कि वहाँ ढाका-समिति की एक शाखा थी, जिसके प्रमुख सदस्यों में एक का नाम सैलेन्द्रनाथ घोष था। उसको गिरफ़ार किया गया और उसके पत्र डाक में रोके गए।

इनमें से एक पत्र उसको विनायकराव कपिल ने कलकत्ते से लिखा था। पत्र के पीछे शून्य सङ्केत में * * * * * कलकत्ता का नाम था। * * * * को गिरफ़ार किया गया और उसके पास भी ३९ नम्बर पथरियाघाट स्ट्रीट के समान एक शून्य-सङ्केत लेख पाया गया जिसमें कि और नामों के अतिरिक्त, फ़रीदपुर के एन० एन० चटर्जी का नाम भी लिखा हुआ था। इस व्यक्ति के नाम से ही यह कहानी हमने आरम्भ की थी। इस प्रकार नम्बर ३९ पथरिया घाट स्ट्रीट वाली सूची में दिए हुए एक बनारस के पते की खोज हमें करनी पड़ी। बनारस के बाद पञ्जाब का हमें पता मिला, पञ्जाब के बाद मध्य-भारत स्थित जबलपुर का पता मिला और जबलपुर से फिर कलकत्ते का

पता मिला। कलकत्ते के इस नए पते पर एक नई फ़ेहरिस्त मिली, जिसमें कि फ़रीदपुर के एक व्यक्ति का नाम मिला। और यही नाम स्वतन्त्र रूप से ३९ पथरियाघाट की सूची में भी मिला; परन्तु जो जो बातें हमको दरयाफ़ करने पर मिलीं वे केवल इस अनुसन्धान माला के उल्लेख से ख़त्म नहीं होतीं। * *

* * * *

अन्य नाम, जो कि इस फ़ेहरिस्त में पाए गए थे उनमें एक व्यक्ति पूर्णचन्द्र भट्टाचार्य था, जो कि बेहरामपुर में, अन्नाकली तोल नामक स्थान पर जीवन ठाकुरता का "पोस्ट बॉक्स" था। जीवन का दूसरा नाम लेंगरू और तीसरा नाम थीवोट था और वह उन व्यक्तियों में से एक था जिनके पास क्रान्तिकारियों के अस्त्र-शस्त्रों का भण्डार जमा था और जिनका कि नाम नम्बर ३९ पथरियाघाट की सूची में दर्ज था। इस शून्य-सङ्केत लेखों में इस व्यक्ति को "थिब" शब्द से सम्बोधन किया गया था।

* * * की तालाशी में जो काग़ज़ात मिले और उनके आधार पर जो पत्र डाकख़ाने में रोके गए तथा जिन व्यक्तियों का उल्लेख उन पत्रों में था; जब उन की निगरानी की गई तो १३ मार्च, सन् १९१७ को पुलिस ने इन्दू भूषण चक्रवर्ती (जिस का उपनाम श्रीकान्त था) को गिरफ़ार किया। उसका निवासस्थान कलकत्ते में धर्म हट्टा स्ट्रीट के नम्बर ८१-३ संख्या वाला मकान था। जब उस मकान की तलाशी ली गई, तो ३ प्रसिद्ध क्रान्तिकारी

गिरफ़ार किए गए, जिन में से एक जीवन ठाकुरता था, जिस के उपनाम "लेंगरू" और थीवोट भी थे, जैसा कि हम ऊपर उल्लेख कर चुके हैं। यह व्यक्ति राजशाही में शस्त्रागार का भण्डारी था। इन गिरफ़ारियों के अतिरिक्त और भी शून्य-सङ्केत लेख पाए गए। ज़ब्त शुदा किताबों के नाम पाए गए और चटगाँव के नक़शे में, जिस में कि कुतुर्बदिया और महेशखाल नामक स्थानों में स्थित इण्टर्न्मेंण्ट-केम्प अर्थात् नज़रबन्दी के जेलख़ानों का उल्लेख किया गया था। और भी बहुत सारे काग़ज़ात पाए गए। इस जाँच का नतीजा यह हुआ कि और जगह अनुसन्धान आरम्भ किया गया। सत्य तो यह है कि एक अनुसन्धान ख़त्म न होने पाता था कि दूसरा अनुसन्धान आरम्भ हो जाता था। परन्तु हम ने एक ही शाखा और एक ही प्रगति का अभी तक उल्लेख किया है।

अब हम एक दूसरा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। सन् १९१६ में एक क्रान्तिकारी काण्ड के सम्बन्ध में जाँच पड़ताल करने पर एक व्यक्ति की गिरफ़ारी हुई, जिसने कि अपने बयान में कहा कि कई क्रान्तिकारी एक कॉलेज के बोर्डिङ्ग-हाऊस में मिला करते थे। उस ने उस कमरे का भी उल्लेख किया, जिस में वे मिलते थे। जब उसकी तलाशी ली गई तो वहाँ कुछ ऐसे पत्र मिले जिन को उस समय समझा ही नहीं जा सका।

कुछ महीनों पश्चात् पश्चिमीय-बङ्गाल पार्टी के एक व्यक्ति की गिरफ़ारी हुई, इस पर यह सन्देह किया जाता था कि वह

अपने मकान में जर्मन-षड़यन्त्र के फ़रार क्रान्तिकारियों को गुप्त आश्रय देता था। उसकी जेब में एक पत्र मिला जिसमें कि कार-बार का साधारण और सूक्ष्म विवरण था और चन्द्रनगर के किसी स्थान का उल्लेख था और एक क्रान्तिकारी (ए) के पिता का नाम था जो कि वहाँ रहा करता था।

इससे लगभग पाँच वर्ष पूर्व एक उस तारीख़ की घटना के सम्बन्ध में गिरफ़्तार क्रान्तिकारी ने अपने बयान में कहा कि एक व्यक्ति, जो कि क्रान्तिकारी था और चन्द्रनगर में रहता था, उसका नाम (ए) था। उपरोक्त पत्र के अनुसार सन् १९१६ में एक (ए) नामक व्यक्ति के निवासस्थान की तलाशी ली गई और वहाँ पर माऊज़र की पिस्तौलें और काग़ज़ात मिले और कुछ पत्र इत्यादि भी मिले, जिनका नतीजा यह हुआ, कि वे पत्र जो पहिले समझे न जा सके थे, उनका रहस्य खुल गया। जब ये पत्र और अन्य काग़ज़ात साथ-साथ रक्खे गए तो भी कई माऊज़र की पिस्तौलें मिलीं और अन्य पत्रों पर बहुत से कारतूस बरामद हुए।

इसके अलावा जो काग़ज़ात मिले उनसे पुलिस को एक वह नाम प्राप्त हुआ जिसके आधार पर पुलिस आरमीनियन स्ट्रीट डकैती में अपने सहकारियों द्वारा क़त्ल किए हुए एक व्यक्ति को पहिचान सकी (पैरा ८३ देखिए) और इस प्रकार उस आश्चर्यजनक घटना का रहस्य पुलिस ढूँढ सकी (पैरा १७० देखिए) इन्हीं पतों के अनुसार चलने पर एक कॉलेज के एक प्रोफ़ेसर के कमरों की तलाशी ली गई। इस तलाशी का

प्रभावशाली प्रतिवाद किया गया और एक व्यक्ति एक मुसलमान जहाज़ के स्टोकर का भेष बना कर अमेरिका भाग गया, परन्तु जहाज़ में उसकी ड्यूटियाँ ऐसी थीं कि इस भेष को वह बहुत समय तक क़ायम न रख सका। एक घड़ी ऐसी मिली जिसके आधार पर एक ऐसे व्यक्ति की गिरफ़्तारी हुई जिसने कि आरमीनियन-स्ट्रीट डकैती में भाग लिया था। गिरफ़्तारी के समय उसके पास एक भरा हुआ रिवॉल्वर पाया गया जिसे चलाने का उसने प्रयत्न किया। उसके पास और भी कुछ काग़ज़ात मिले।

ऊपर एक साधारण जाँच का संक्षिप्त विवरण मात्र दिया गया है; परन्तु सम्पूर्ण अनुसन्धान की लड़ी अत्यन्त वृहद् तथा विस्तृत है और यह कहना अत्युक्ति न होगा, कि वह अनन्त है। हमने इसे शुरू से उल्लेख नहीं किया और अभी तक हम इसके अन्त तक भी नहीं पहुँच सके। हमने उसके प्रासङ्गिक अंशों को भी छोड़ दिया है, यद्यपि हमने उसका निरीक्षण बहुत अधिक विस्तार पूर्वक किया है। परन्तु इसका उल्लेख हमें सूक्ष्म में ही करना पड़ा है। और हमने इसी प्रकार के और भी कई अनुसन्धान किए। हमारी धारणा है कि जो वर्णन हमने किया है उससे उदाहरण का अभिप्राय सिद्ध होता है।

क्रान्तिकारी पर्चे

अब हम दूसरे विषय को आरम्भ करते हैं, अर्थात् अब हम क्रान्तकारी साहित्य के रिसालों का उल्लेख करेंगे। बहुत सी

दशाओं में, जिनमें से कुछ का उल्लेख हम पिछले विवरण में कर चुके हैं, इस प्रकार के पर्चे क्रान्तकारियों की गिरफ़ारियों के समय की हुई तलाशियों के अवसर पर पाए गए। साथ-साथ उनके सङ्गठन सम्बन्धी काग़ज़ात और अस्त्र-शस्त्र, जिनमें कि रोडा कम्पनी की चुराई गईं माऊज़र पिस्तौलें पाई गईं। इसके अतिरिक्त बहुत से बयान देने वालों ने भी अपने बयानों में इन पर्चों के वितरण का ज़िक्र किया है। हमने इनको प्रकाशित इसलिए नहीं किया, क्योंकि हमारा ख़्याल है कि इस बात में कोई वास्तविक सन्देह नहीं हो सकता कि इन पर्चों द्वारा भिन्न-भिन्न संस्थाएँ अपना प्रचार करती थीं और इन संस्थाओं के सदस्य क्रान्तिकारी काण्डों में भाग लेते थे जिनमें से बहुत से इस वक्त़ हिरासत में हैं। अदालतों ने इस विद्रोही साहित्य और क्रान्तिकारी उद्दण्डदाताओं के सम्बन्ध को पूरी तरह स्वीकार किया है। इन पर्चों में ख़ूँख़्वार मनोवृत्ति का प्रचार किया गया है और इनके द्वारा योरोपियनों और उनके सहायकों का विरोध किया गया है। इन पर्चों में से आख़िरी पर्चा दिसम्बर, सन् १९१७ में बाँटा गया था। इसमें मि० माण्टेग्यू की भारत-यात्रा का ज़िक्र है और इसलिये यह विशेष महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे प्रगट होता है कि इस समय तक क्रान्तिकारी कट्टरता पूर्वक विच्छेद की नीति के पक्षपाती हैं। इस पर्चे के आख़िरी तीन पैरे इस प्रकार हैं :—

"अब हमें क्या करना चाहिए। हमारा कर्त्तव्य स्पष्ट है, हमें मि० मान्टेग्यू के आने या जाने से कोई सम्बन्ध नहीं है।

वह भारत में शान्ति पूर्वक आए हैं हमें कुछ पर्वाह नहीं, वह शान्ति पूर्वक भारत से वापिस जा सकते हैं।

परन्तु सब से प्रथम और आख़िरी बात यह है कि आतङ्क फैलाओ। इस अधार्मिक राज्य का सञ्चालन असम्भव कर दो। गुप्त यमराज के दूतों की अप्रगट छाया के अनुसार छिपकर विदेशी नौकरशाही के ऊपर मृत्यु की वर्षा करो। अपने उन भाइयों का स्मरण करो, जो कि कारावासों में सड़ रहे हैं और दलदलों में जान दे रहे हैं! अपने उन भाइयों की याद करो जो कि मौत के घाट उतर गए हैं या पागल हो गए हैं। याद रक्खो, कार्य करो और निगरानी रक्खो!

भाइयो! हम परमात्मा और देश के नाम पर सब जवान और बूढ़े, धनी और निर्धन, हिन्दू और मुसल्मान, बौद्ध और ईसाई अर्थात्—हर एक से याचना करते हैं कि भारतवर्ष की स्वाधीनता के इस युद्ध में सम्मिलित होकर अपने धन और रुधिर को बहावें। सुनो! माता पुकारती है और मार्ग प्रदर्शित करती है—**नन्य पन्थ विद्यतेऽन्य** (केवल यही एक मार्ग है और दूसरा नहीं है)

—इन्डियन रेवोल्यूशनरी—कमिटी की
कार्य-कारिणी के आदेशानुसार"।

एक पर्चे के सम्बन्ध में कुछ ज्ञातव्य बातें

चूँकि यह आवश्यक है कि इस समय जब कि हम इस विषय पर विचार कर रहे हैं, हम यह बताना उचित समझते हैं,

कि इस क्रान्तिकारी पर्चे के छापने में किस का सम्बन्ध था और जो कुछ हमारे पास सबूत हैं उन्हें भी हम पेश करते हैं। पाठक जब इस विज्ञप्ति-पत्र को ग़ौर से देखेंगे तो उन्हें विदित होगा कि यह विज्ञप्ति-पत्र साधारण क्रान्तिकारी पर्चा नहीं, बल्कि यह एक घोषणा के तौर पर प्रकाशित किया गया है और इस घोषणा को "भारतवर्षीय रेवॉल्यूश्नरी कमिटी की एक्ज़िक्यूटिव समिति के हुक्म" (By order of the Executive Indian Revolutionary Committee) से प्रकाशित किया गया है। जनवरी १९०८ में कुन्तल चक्रवर्त्ती नामक व्यक्ति गिरफ़्तार किया गया और उसके पास, अलावा कुछ कारतूस और पिस्तौलों के, इस घोषणा-पत्र की कुछ प्रतियाँ भी मिलीं। उसी दिन सन्ध्या समय एक और व्यक्ति गिरफ़्तार किया गया और उसके पास, अलावा कुछ काग़ज़ात के, एक रिवॉल्वर और एक पत्र मिला जिसका लेखक कुन्तल था और जिसमें इसकी छपाई के सम्बन्ध में लिखा था। यद्यपि इस पत्र में किसी के हस्ताक्षर नहीं थे परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि इसका लेखक कुन्तल ही था, क्योंकि इसमें कुछ दवाइयों के इस्तेमाल के विषय में लिखा गया था और वे ही दवाइयाँ इस व्यक्ति के पास तलाशी में मिली थीं। जिस वाक्य का हमने ज़िक्र किया है वह वाक्य पत्र में इस प्रकार था—"क्योंकि आपने बहुत विलम्ब किया इस वास्ते मुझको मजबूर होकर यह काग़ज़ छपवाने पड़े। मुझको सब ने यह कहा कि अगर यह

घोषणा-पत्र प्रकाशित हो तो उचित है कि मि० माण्टेग्यू के कलकत्ता आने से पेश्तर यह छाप दिया जाए। मैंने हरिन्द्र दास और गुन्ती से मशवरा किया और स्वयं हरिन्द्र दास ने सारा ख़र्चा अपने आप उठाया।"

इस पत्र का उल्लेख हमने इस विवरण के २१वें पन्ने में किया है। और इसी पर्चे में इस बात पर खेद प्रगट किया गया है कि सारे के सारे क्रान्तिकारी अब पुलिस द्वारा गिरफ़ार कर लिए गए हैं और जो जो व्यक्ति गिरफ़ार किया जाता है वह ऐसी ऐसी भेद की बातें प्रगट कर देता है कि और गिरफ्तारियाँ होती हैं। इस बात से हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि इस घोषणा-पत्र का प्रकाशित करने वाला वह व्यक्ति था, जिसके सहकारी पुलिस द्वारा गिरफ़ार कर लिए गए थे, और वे सब क्रान्तिकारी थे। केवल हरिन्द्र दास और गुन्ती पुलिस द्वारा गिरफ़तार नहीं किए जा सके थे परन्तु उनके लिए वारण्ट निकले हुए थे, हरिन्द्र के लिए क़त्ल और डकैती और गुन्ती के लिये इस वास्ते, कि वह उस जर्मन षड्यन्त्र का नेता था, जिसका विशेष उल्लेख विस्तार पूर्वक सातवें अध्याय में किया गया है। परन्तु मामला यहीं समाप्त नहीं होता।

चार व्यक्तियों के बयानों में कुन्तल चक्रवर्ती का नाम इस बात के लिए लिया गया था, कि उसने जुलाई सन् १९१६ में (पैरा ७७ देखिए) गोपीमोहन राय लेन में कलकत्ते में डकैती डाली थी। पाठकों को इस बात का स्मरण होगा, कि उस डकैती के बाद

मकान मालिक के पास एक ऐसा पत्र पहुँचा जिस में रसीद लिखी गई थी और ऊपर एक मुहर छपी हुई थी। मुहर के ऊपर "युनाइटेड इण्डिया" (United India) अङ्गरेज़ी में छपा हुआ था। और संस्कृत में, "जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसि" अर्थात् जननी और जन्म-भूमि स्वर्ग से भी अधिक वाञ्छनीय हैं, छपा हुआ था।

वह मुहर जो कि इस पत्र पर छपी हुई थी चन्द्रनगर नामक फ़ान्सीसी शहर में एक उस मकान पर पाई गई थी जिसका पता बहुत सारे सङ्केतों द्वारा लगाया गया था। उस मुहर को हमने स्वयं देखा है और उसका नमूना हम नीचे प्रकाशित करते हैं *

उसी बक्स में, जिसमें कि यह मुहर पाई गई थी, दो पत्र भी थे जिनमें कि कुन्तल चक्रवर्ती का ज़िक्र किया गया था। क्योंकि मुहर ज़ब्त कर ली गई थी इस वास्ते उसे घोषणा पत्र पर नहीं लगाया गया था। पाठकों को इस पर्चे के देखने से यह विदित होगा कि इसका प्रकाशक "इण्डियन रेवोल्यूशनरी कमिटी" अर्थात् "भारत वर्षीय क्रान्तिकारी दल" ही था और इस घोषणा-पत्र पर कोई मुहर नहीं छापी गई थी, परन्तु ऐसा नतीजा निकालना अनुचित न होगा। विशेष कर उन चार बयानों के बाद, जिनका हम ज़िक्र कर चुके हैं, कि कुन्तल चक्रवर्ती, जो कि इस पत्र का लेखक और प्रकाशक था, उसका सम्बन्ध उस डकैती से इस

* इस सील का नमूना भी हम नहीं दे रहे हैं

—प्रकाशक

मुहर से और उस मकान से था— जिसमें कि चन्द्रनगर में माऊज़र पिस्तौलें इत्यादि पाई गई थीं। इस मकान से और भी बहुत सारे ताल्लुक़ातों का पता लगता है। इस के अलावा सब से ख़ास बात तो यह है कि इस विज्ञप्ति-पत्र का लेखक बहुत सारे उन क्रान्तिकारियों का सहकारी था, जोकि गिरफ़्तार किए जा चुके थे और उन व्यक्तियों से भी उसका सम्बन्ध था जिनके नाम वारण्ट निकले हुए थे।

छठाँ अध्याय

बङ्गाल के स्कूलों और कॉलिजों में क्रान्तकारी दल द्वारा युवकों की भर्ती

बङ्गाल के स्कूल व कॉलिजों पर क्रान्तिकारी प्रभाव की पहुँच

इस बात का हमारे पास बहुत पर्याप्त प्रमाण है कि क्रान्तिकारी व्यक्ति इस बात पर पूरा भरोसा रखते थे, कि बङ्गाल के स्कूल, और कुछ हद तक, उसके कॉलिज क्रान्तिकारी युवकों की भर्ती के लिए अत्यन्त उपयुक्त क्षेत्र हैं। यह स्कूल प्रान्त भर में, एक ओर से दूसरे छोर तक फैले हुए हैं, कहीं-कहीं तो शहरों में हैं और कहीं-कहीं—विशेष कर पूर्वीय-बङ्गाल—में दूर-दराज़ गाँवों तक में भी हैं। इसी कारण से यह क्रान्तिकारियों के आक्रमण के स्वाभाविक क्षेत्र हैं, और जैसा कि सार्वजनिक शिक्षा-विभाग के डाइरेक्टर की रिपोर्ट से स्पष्ट प्रगट है, उनपर वर्षों से क्रान्तिकारियों ने बड़ी सफलता पूर्वक आक्रमण किया है। डाइरेक्टर ने अपने विवरण में समय समय पर इस बात का उल्लेख किया है कि

विद्रोही साहित्य का प्रचार इन संस्थाओं में किया जाता है, और भिन्न-भिन्न षड़यन्त्रों में अमुक व्यक्तियों में से बहुत से विद्यार्थी ही होते हैं और उनके माता पिता व संरक्षक इस विषय में एक दम उदासीन हैं। परन्तु डाइरेक्टर के विवरण के अत्यन्त शिक्षाप्रद वाक्य सम्भवतः बहुत हैं, जो कि निम्नाङ्कित हैं—"इन स्कूलों की संख्या बहुत तीव्रता के साथ बढ़ती जा रही है, और इनके लिए माँग अधिक ही अधिक है। इनकी माँग को लॉटरी के टिकटों की माँग से मुशाबहत दी जा सकती है जिनका कि इनाम, सरकारी नौकरियाँ या आजीविका प्राप्ति कहा जा सकता है। मध्य श्रेणी के "भद्रलोग" समुदाय के लिए सिवाय इनके और लक्ष्य हो ही क्या सकता है और वे व्यक्ति, जो कि लघुतर सामाजिक श्रेणी के हैं और अपनी आर्थिक व सामाजिक उन्नति किया चाहते हैं, वे भी इसी लक्ष्य की ओर निहारते हैं। बङ्गाल की मध्य श्रेणी के व्यक्ति अधिकतर निर्धन होते हैं, और जीवन-क्षेत्र की बढ़ती हुई स्पर्धा, और आजीविकाओं की आर्थिक आय की घटती के कारण—मध्यश्रेणी के समुदाय का जीवन, दिन प्रतिदिन कठिन और जीवन संग्राम कठोर होता जा रहा है, जीवन की आवश्यक सामग्री मँहगी, और आराम व आसाइश का ध्यान ऊँचा होता जा रहा है—नतीजा यह है कि शिक्षा के स्टैण्डर्ड को भी ऊँचा करना पड़ा है, और यह आवश्यक है कि स्कूल जीवन का प्रभाव बालक पर अच्छा पड़े और शिक्षा का पाठ्यक्रम अधिक अच्छा

और व्यापक बनाया जाए—यह आवश्यकता, ज्यों-ज्यों भारतवर्ष में जीवन अधिक असरल बनता जा रहा है, त्यों-त्यों अधिक बढ़ती जा रही है। ज्यों-ज्यों शिक्षा में उन्नति की जा रही है, त्यों त्यों शिक्षा अधिक मँहगी भी हो रही है और जनता बढ़ते हुए शुल्क का भी विरोध कर रही है × × परन्तु परिस्थिति की सब से अधिक बुराई तो यह है कि सेकेण्डरी स्कूल के बेचारे अध्यापकों को बहुत थोड़ा वेतन मिलता है और उनकी उन्नति का भविष्य एक दम अन्धकारमय होता है × × × यह बहुत सहज है कि बेचारे माता पिता को बुरा भला कह दें, कि वे अपने लड़कों की वास्तविक भलाई का कुछ ध्यान नहीं रखते, परन्तु हमें यह न भूलना चाहिए कि वे ही क्या करें, उन्हें भी तो केवल यही फ़िक्र पड़ी रहती है कि लड़का येन-केन-प्रकारेण: एण्ट्रेन्स की परीक्षा शीघ्र से शीघ्र समय में दे डाले, और यदि इसमें सफलता मिल जाती है तो वे सर्वथा सन्तुष्ट हो जाते हैं। यह बिलकुल स्वाभाविक ही है, परन्तु बङ्गाल का भविष्य बहुत हद तक इस बात पर निर्भर है कि इसके सेकेण्डरी स्कूलों में किस प्रकार की शिक्षा का प्रचार होता है, न कि केवल इस बात में कि इसके स्कूलों से कलकत्ता विश्वविद्यालय की ऐण्ट्रेंस परीक्षा में सैकड़ा पीछे कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। इन स्कूलों की वर्त्तमान दशा वास्तव में ऐसी है कि यह बङ्गाल प्रान्त की उन्नति के मार्ग में रोड़ा अटकाती है, और साथ ही साथ सार्वजनिक अशान्ति की अग्नि में घृताहुति का कार्य करती है। साधारणतया यह प्रथा-

प्रचलित है कि राजविद्रोह और आतङ्कवादी दुर्घटनाओं के प्रारम्भिक कारणों का वर्णन करते हुए यह कहा जाए, कि इनकी वास्तविक जन्मभूमि कलकत्ते व ढाका शहर की गन्दी गलियाँ हैं, जिनमें कि क्रान्तिकारी षड़यन्त्रों के जन्मदाता अपने भोले शिकारों को विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों में ढूँढ़ते हैं। यह बात वस्तुतः सत्य है, परन्तु कट्टरवादिता और अशान्ति का वास्तविक बीजारोपण तो हाई स्कूलों के उन अन्धेरे और बे हवादार कमरों में होता है, जिनमें कि थोड़ी थोड़ी तनख्वाह पाने वाले असन्तुष्ट अध्यापक, विद्यार्थियों को, आत्मा का विनष्ट करने वाले घुटाई के सिद्धान्त पर, रटा रटा कर परीक्षा में पास कराते हैं।" †

आक्रमण के साधन समाचार-पत्र व साहित्य

हम यह बात देख चुके हैं कि बङ्गाल के पहले क्रान्तिकारियों ने "इस बात को भली प्रकार समझ कर, कि वर्त्तमान काल का बालक ही भविष्य का नागरिक व पिता होगा, इस सिद्धान्त को अपना लक्ष्य बनाया कि बङ्गाली 'राष्ट्र' की पूर्ण स्वतन्त्रता के लिए शीघ्र आवेश और जोश में आजाने वाले, युवकों के अनुचित उत्साह से पूरा लाभ उठाया जाय।"*

---

† सन् १६१५-१६ की बङ्गाल के पब्लिक इन्सट्रक्शन के डाइरेक्टर की वार्षिक रिपोर्ट का नोट

(*मिस्टर जस्टिस कॉर्नडफ़ के अलीपुर कॉन्सपिरेसी केस का फ़ैसला देखो)

यह बात स्पष्ट है कि उन्हें रङ्गरूट भरती करने में इस बात से बहुत सहायता मिली होगी, कि बदक़िस्मती से स्कूल के विद्यार्थी पिकेटिङ्ग अर्थात् धरना देने के कार्य में लगाए जाते थे, और एक तरफ़ तो बॉयकॉट अर्थात् बहिष्कार के ख़ुमार का प्रभाव था, और दूसरी ओर **युगान्तर** जैसे सम्वादपत्रों के धुँआधार लेख थे, तो इसमें आश्चर्य ही क्या है कि बहुत से नवयुवक और अपरिपक्व बुद्धि वालों के मस्तिष्क में ऐसी भावना उत्पन्न होती हो, जैसी कि अलीपुर केस के नीचे दिए हुए उद्धरण से प्रगट होती है।

"मिरासी, ७ सितम्बर, १९०७

महाशय,

आपके विज्ञापनों और निर्भीक लेखों से, मैं तो यह निष्कर्ष, निकालता हूँ कि केवल उन्हें ही 'युगान्तर' पढ़ना चाहिए, जिनके हृदयों में फ़िरङ्गी सरकार को उलट देने की उत्कट इच्छा विद्यमान है। मैं केवल एक स्कूल का विद्यार्थी हूँ और एक पहाड़ी प्रदेश में रहता हूँ, और मैं फ़िरङ्गी सरकार के अत्याचारों से अपरिचित हूँ और अनभिज्ञता के कारण, बहस में हार जाता हूँ। इस लिए मुझे "युगान्तर" अख़बार की आवश्यकता है क्योंकि यह बहुत हद तक ज़ुल्मों की कहानी सुनाता है, और फ़िरङ्गियों को निकाल भगाने की प्रबल इच्छा का प्रचार करता है। मेरी आर्थिक स्थिति अत्यन्त शोचनीय है— मुझे दिन में एक बार भी भरपेट भोजन नहीं मिलता, परन्तु मेरी

यह प्रबल हार्दिक इच्छा है कि मैं समाचार पत्र पढ़ा करूँ—इस लिए मैं भिखारी रूप में आपके समक्ष उपस्थित होता हूँ—आह ! मेरी ऐसी करुणाजनक हार्दिक आशा की बेल पर तुषाराघात न कीजिएगा। जब मेरे पास धन होगा—तो मैं धन देकर क़ीमत चुका दूँगा। मैं आशा करता हूँ कि आप मुझे ग्राहक बनाकर अनुग्रहीत करेंगे। इसके अतिरिक्त एक नमूने की प्रति अवश्य भेजदें।

निवेदक—

श्री देवेन्द्र चन्द्र भट्टाचार्य,

डाकख़ाना—मच्छीहाड़ी, मिरासी—सिल्हट।"

इसके अतिरिक्त वह शिक्षा जो कि समाचार पत्र दिया करते थे—उसका अधिक स्पष्टीकरण और समर्थनात्मक प्रति पादन उन भिन्न-भिन्न रिसालों, ट्रेक्टों और पर्चों द्वारा किया जाता था, जिनमें ऐसे-ऐसे लेख होते थे, जिनका कुछ भाग इस रिपोर्ट में हम अन्य स्थान पर उद्धृत कर चुके हैं। वह ऐसे वाक्य होते थे, जिनमें कि जातिगत द्वेष का अत्यन्त घृणित विष कूट-कूट कर भरा होता था।

इस प्रकार का साहित्य हुआ करता था जिसकी कि वर्षों से बङ्गाल के अङ्गरेजी स्कूल व कॉलिजों में खपत थी।

स्कूल व कॉलिजों में रिक्रूटिङ्ग के लिए सङ्गठन

परन्तु उन पर आक्रमण और भी सीधी, और खुल्लमखुल्ला तरीक़ों से किया जाता था। बारीसाल षड्यन्त्र केस के मुख्य

अभियुक्त, रमेश चन्द्र आचार्जी के पास, तलाशी में, ज़िला सङ्गठन स्कीम की एक प्रति मिली, जिसमें कि निम्नाङ्कित बात दर्ज थी :—

"ज़िला संयोजक का कर्तव्य होगा कि पहले वह अपने केन्द्र के मिडिल इङ्गलिश स्कूल व कॉलिजों की संख्या से परिचित हो। उसका कर्तव्य होगा कि वह कम से कम प्रत्येक श्रेणी में एक विद्यार्थी पर प्रभाव डाले, और हम विद्यार्थी द्वारा समस्त क्लास में विचारों का प्रचार करें। वह उच्च कक्षा के विद्यार्थी के साथ, स्कूल या कॉलिज के अध्यापक या प्रोफ़ेसर द्वारा संसर्ग स्थापित करे।

यह उच्च श्रेणी का विद्यार्थी अन्य क्लासों पर भिन्न-भिन्न क्लासों के मॉनीटरों द्वारा सम्बन्ध स्थापित करे × × × ×

यदि ज़िला संयोजक किसी व्यक्ति को किसी स्कूल में या कहीं और नौकरी दिलाना चाहे तो उसका कर्त्तव्य होगा कि वह इसकी सूचना पहले हेडक्वार्टर अर्थात् केन्द्रीय कार्यालय को देवे, और उस व्यक्ति के विषय में निम्नलिखित ज्ञातव्य बातें लिखे :—

ज़ात, आयु, योग्यता; उस स्थान पर उसे क्या वेतन दिया जायगा ; और यदि उसे विद्यार्थी बनाकर स्कूल में प्रवेश कराया गया तो उसकी क्या फ़ीस देनी होगी, उस स्थान के सम्बन्ध में सूचना, जिस व्यक्ति की आधीनता में वह कार्य करेगा, क्या वह हमारा आदमी है; यदि वह उस स्थान पर नियुक्त किया गया तो क्या हमारे काम में कोई विशेष सहायता व सहूलियत होगी ?

केन्द्र के नेता का यह कर्त्तव्य होगा कि वह "विचार" का प्रचार हाई स्कूल व कॉलिज के विद्यार्थियों में अधिक करे, क्योंकि अविवाहित युवक ही कार्य-शक्ति और आत्मबलिदान के करने के लिए वास्तव में योग्य हैं।

जब किसी युवक को भर्ती किया जाय तो उसके सम्बन्ध में निम्नलिखित सूचना केन्द्र के हेडक्वार्टर में पहुँचनी आवश्यक है × × × जब तक कि केन्द्र हेडक्वार्टर्स से कोई अनुशासन प्राप्त न हो, तब तक ज़िला संयोजक का यह कर्त्तव्य होगा कि उसकी शिक्षा का सब आवश्यक प्रबन्ध करे।"

संयोजना स्कीम में इस बात का विधान था, कि ज़िला संयोजक की सहायता के लिए उसे "सहकारी" दिए जाएँ और वह त्रैमासिक विवरण पत्रिका रवाना किया करे।

कार्य-प्रणाली का उदाहरण

जब कि ढाका में गिरेन्द्र मोहन दास का बक्स खोला गया, (गिरेन्द्र बारीसाल उप-षड़यन्त्र-केस का सरकारी गवाह था) तो उसमें कुछ प्रतियाँ त्रैमासिक विवरण की मिलीं, और यह पिछले षड़यन्त्र अभियोग में 'एक्ज़िबिट' के तौर पर पेश किए गए। उनमें निम्नाङ्कित वाक्य पाए गए—

"दुर्गापुर—यह स्थान चटगाँव ज़िले के परगना निज़ामपुर में स्थित है, यह कहना अत्युक्ति नहीं होगी, कि इस परगने भर में केवल यही स्थान है जहाँ कि सुसभ्य लोग निवास करते हैं—मैं

इसी स्थान में रहा करता हूँ—यह आशा की जाती है कि यहाँ कुछ काम किया जा सके—यहाँ शिक्षित व्यक्तियों की बहुत कमी है, गाँव भर में केवल दो तीन ही सुशिक्षित व्यक्ति होंगे। परन्तु लोकल हाई इङ्गलिश स्कूल के यहाँ होने के कारण यह कमी अब दूर हो रही है × × × स्कूल के अध्यापकों का अधिक भाग धार्मिक विचारों वाला है, फलतः अधिकतर विद्यार्थी भी धार्मिक विचारों वाले हैं। यह "भाव" अभी तक उनमें नहीं पाया जाता। परन्तु हेड मास्टर और हेमेन्द्र मुखुती के विचार ऐसे ही हैं। दोनों महाशय हमारे कार्य में सहायक हैं, विषेशतः पिछले व्यक्ति। दो और अध्यापक भी इसका पूरा हाल जानते हैं, परन्तु वे सहायक नहीं हैं और बात बात पर बाल की खाल निकालते हैं और सदा अधिक जिज्ञासा करने की इच्छा प्रगट करते हैं। उनकी जिज्ञासा-पूर्ण मनोवृति से लाभ नहीं, हानि होती है। विद्यार्थियों में से दूसरी श्रेणी का एक विद्यार्थी हमारा पक्का सदस्य बन गया है × × × प्रति रविवार के दिन, एक सभा होती है—यह सभा बोर्डिङ्ग में मेरे कमरे में होती है। गीता, विवेकानन्द के ग्रन्थ और कथामृत का पाठ होता है और धार्मिक सङ्गीतों का कीर्तन भी होता है × × × यह आवश्यक है कि धार्मिक उत्साह और देशभक्ति साथ साथ फूले फले, परन्तु देश-भक्ति की किरण नाम मात्र के लिए भी प्रदर्शित नहीं होती। हेमेन्द्र बाबू इन विषयों पर थोड़ी थोड़ी अपनी क्लास में चर्चा करते हैं परन्तु जो कुछ वह कहते हैं उसे बहुत थोड़े विद्यार्थी समझ

पाते हैं × × × इनमें से अधिक तो ऐसे हैं जिनके हृदय में दृढ़ प्रतिज्ञता का भाव तक नहीं है।"

फेनी—यह स्थान दुर्गापुर से २० मील के फ़ासले पर है—यद्यपि यह एक छोटा सा ही क़स्बा है, परन्तु यहाँ बहुत से शिक्षित व्यक्ति रहते हैं। यहाँ एक ऊँचे दर्जे का अङ्गरेज़ी स्कूल भी है। यहाँ की परिस्थिति असाधरण तौर पर लाभदायक है। यहाँ कार्य प्रति दिन अधिक आशाजनक होता जा रहा है। मेरे आने के बाद से पाँच व्यक्ति हो चुके हैं × × × × यह बहुत अच्छा होता, यदि यहाँ एक अध्यापक की नियुक्ति कर दी जाती। मैंने एक अध्यापक की माँग पेश की थी परन्तु आपने स्वीकार नहीं किया। जब सुरेन बाबू यहाँ थे, तो उन्होंने भी एक अध्यापक की माँग पेश की थी। यह निसन्देह बहुत ही अच्छा होता, यदि आप एक अध्यापक की यहाँ नियुक्ति कर देते। युवकों का साहस बहुत बढ़ जाता। वर्तमान समय में सारा भार "पहली श्रेणी" के प्रथम विद्यार्थी पर ही है। सब से मुख्य विचारणीय बात तो यह है कि जब वह परीक्षा पास करके चला जायगा तो क्या प्रबन्ध किया जायगा × × × सब के सब सदस्य कर्तव्यशील हैं—अभी तक स्थानिक पुरुषों की ओर से किसी प्रकार कार्य में बाधा नहीं डाली गई है।

अमीराबाद—इस स्थान के विषय में यह रिपोर्ट किया जा चुका है कि यहाँ एक व्यक्ति भी इस लायक़ नहीं कि वह निगहबानी कर सके। इस लिए यह उचित होगा, कि स्थानिक मिडिल इङ्गलिश

स्कूल में एक सेकेण्ड मास्टर की नियुक्ति की जाए। यदि एण्ट्रेंस फ़ेल हो, तो इतनी योग्यता पर्याप्त होगी। यदि पूजा के अनध्याय के उपरान्त आप किसी ऐसे व्यक्ति को दे सकेंगे तो मैं उसकी नियुक्ति कर दूँगा।"

दो अन्य स्थानों की भी रिपोर्टें विद्यमान हैं। इन में से एक स्थान के विषय में लिखा गया है कि "दो, और एक लड़के वहाँ हासिल कर लिए गए हैं।" दूसरे स्थान में एक एण्ट्रेंस स्कूल है, जहाँ कि "हमारे श्रीमान सतीश चक्रवर्ती पहली कक्षा में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।"

उपरोक्त उद्धृत वाक्यों से, स्कूलों में ढाका-समिति द्वारा भर्ती करने के तरीक़ों का दिग्दर्शन होता है। इन तरीक़ों का और अधिक नमूना नीचे दी गई घटनाओं से प्रगट होगा। हमने यह बात बता दी है कि वह "कार्टरली रिपोर्ट" जिनमें से उद्धृत वाक्य लिए गए थे, गिरेन्द्रमोहन दास के पास पाई गई थी। यह व्यक्ति बारीसाल उप षड़यन्त्र अभियोग का सरकारी गवाह था। इस अभियोग में इस सरकारी गवाह ने, जो कि केवल २० वर्ष की आयुवाला एक अत्यन्त होनहार युवक था, और जोकि एक अत्यन्त प्रतिष्ठित सरकारी कर्मचारी का पुत्र था, अपने बयान में इस प्रकार कहा—वह जब कि ढाका कॉलिजियेट स्कूल में पढ़ता था, तब ही से ढाका-अनुशीलन-समिति का सदस्य बन गया था, उसकी भर्ती निम्नलिखित रीति से की गई थी :—

एक उसके सहपाठी ने उसे कुछ व्यक्तियों से नदी के किनारे, परिचय कराया। वह उसके बाद उनसे एक बाग़ीचे में मिलने जाया करता था और उन्होंने उसे क्रान्तिकारी साहित्य पढ़ने के लिए दिया था। उसने कहा कि उद्यान में वार्तालाप, धार्मिक और राजनीतिक विषयों पर हुआ करता था। राजनीतिक विषयों पर यह चर्चा हुआ करती थी कि देश में राज्यक्रान्ति की जाएगी, और देश से अङ्गरेज़ निकाले जाएँगे, और भारतवर्ष स्वतन्त्रता प्राप्त करेगा × × × फिर मैं स्वामी-बाग़ में काली के मन्दिर में गया। हम काली के मन्दिर के बराम्दे में बैठ गए। मन्दिर का दर्वाज़ा बन्द था, परन्तु क्योंकि दर्वाज़ा लोहे के सीख़चों का बना था, इसलिए हम मूर्ति के दर्शन कर सकते थे। प्रतूल गँगूली ने अपनी जेब से दो काग़ज़ के टुकड़े निकाले। उसने इन काग़ज़ों को मुझे देकर पढ़ने के लिए कहा। उनमें से एक तो प्रतिज्ञाएँ थीं और यह प्रतिज्ञाएँ छपी हुई थीं। मैंने मूर्ति की तरफ़ मुँह करके प्रतिज्ञाओं को ज़ोर-ज़ोर से पढ़ कर सौगन्ध खाई। मुझे स्मरण है कि पहली शपथ यह थी कि मैं समिति से कभी सम्बन्ध विच्छेद नहीं करूँगा।"

गवाह ने यह भी कहा कि पहले वह अपने बयान इसलिए न दे सका था, कि उसे भय था कि उसे गोली से मार दिया जाएगा।

एक्ज़िबिट २१५—जो कि इसी अभियोग में पेश की गई, वह एक पत्र था जिसे कि मैजिस्ट्रेट की आज्ञानुसार डाक में ही

गुम किया गया था। इसके कुछ वाक्य इस प्रकार थे—"विजयी होकर, अगले बुधवार के रोज़ तुम स्टेशन पर खड़े रहना और अपने हाथ में विवेकानन्द की किताब लिए रहना जिस तरह से मैं लिखूँ उसी तरह काम करना। स्कूल और कॉलिज शीघ्र ही बन्द होने वाले हैं तुम ऐसा प्रबन्ध करना कि वे विद्यार्थी, जिनके पास बारीसाल, ढाका और अन्य स्थानों से पत्र आए हैं वे छुट्टियों में घर न जाएँ और स्वयं तुम किसी क़िस्म की छुट्टी में भी और कहीं न जाना × × ×

जब स्कूल और कॉलिज बन्द हों तुम उसको रख लेना जो कि तुम्हारे और तुम्हारे दोस्तों के निवासस्थान में आया करता है, देखो इस बात का ख़्याल रखना कि तुम बिल्कुल भय प्रकट न करना, भय से काम नहीं चल सकता, अगर भगवान के कार्य में एक आदमी पर ख़तरा भी आ जाए तो परमेश्वर स्वयं उसकी रक्षा करेगा।" भवदीय,

—माखन नाग

एग्ज़िबिट काग़ज़ सबूत नं० १५, जो कि इसी मुक़दमें में पेश किया गया और जो कि उसी व्यक्ति के नाम पर लिखा गया था, इस प्रकार है :—

"मुझको इस बात की सूचना दो कि क्या 'भोला कॉलिज' के लिये बाबू कृष्णलाल उपयुक्त होंगे ? यहाँ बालिका विद्यालय के लिए कोई उपयुक्त व्यक्ति नहीं है।"

कृष्णलाल शाह नामक व्यक्ति, जिसका कि इसमें ज़िक्र है,

बाद में एक चुराए हुए रिवॉल्वर के लिए गिरफ़ार किया गया और उसके पास महत्वपूर्ण क्रान्तिकारी पत्र-व्यवहार और शून्य सङ्केत लेख (Cipher Correspondence) पकड़े गए।

इसी मुक़दमे में एक दूसरे सरकारी गवाह ने नीचे लिखे अनुसार बयान दिया—"पुलिन ने हम दोनों से यह कहा कि हम पढ़ना जारी रख कर अपने देश का कुछ लाभ नहीं कर सकते और हमारे लिए यह बेहतर है, कि हम सोनारङ्ग स्कूल में नौकरी करलें और वहाँ रह कर ही समिति का कार्य करें।" इसके बाद गवाह ने अपने बयान में यह कहा कि मैं स्कूल में किस तरह अध्यापक बना और किस तरह पर स्कूल के सब अध्यापक और कुछ विद्यार्थी ढाका-समिति के सदस्य थे, और किस प्रकार इस स्कूल का एक दल कलकत्ते की एक दूसरी पार्टी के साथ काम करने के बाद एक सशस्त्र डकैती में क़रीब ९००) रु०, कपड़े और एक बच्चे की सोने की चूड़ियाँ लूट कर ले आए।

"यह सब सामान स्कूल के बोर्डिङ्ग-हॉऊस में लाकर रक्खा गया। कुछ रुपया बोर्डिङ्ग-हॉऊस के ख़र्चे के लिए रक्खा गया और बाक़ी रुपया ढाका भेज दिया गया। एक दूसरी डकैती भी इस स्कूल द्वारा की गई, जिसमें कि बहुत से सोने और चाँदी के ज़ेवरात लूटे गए, परन्तु इस स्कूल के विद्यार्थी बहुत कच्ची उम्र के थे और इस प्रकार की शिक्षा से लाभ उठाने योग्य न थे। इस लिये उसने अपनी नौकरी छोड़ दी और प्राइवेट ट्यूशन

करने लगा, परन्तु उसने अपना सम्बन्ध ढाका-समिति के साथ बराबर रक्खा, बाद में वह एक इङ्गलिश हाई स्कूल में अध्यापक हो गया। यह स्कूल एक प्रमुख ज़िले में था और वह स्कूल में पढ़ाने के साथ साथ समिति का ज़िला-संयोजक (District organiser) भी बन गया, परन्तु जब उसके मकान की पुलिस ने तलाशी ली तो उसको इस अध्यापक पद से हाथ धोना पड़ा। उसने यह बयान किया कि भिन्न-भिन्न डकैतियों में जो माल लूट कर लाया जाता था उस रुपये को "सङ्गठन के ख़र्चे में, हथियारों के ख़रीदने में और मुक़दमें की पैरवी में ख़र्च किया जाता था।"

यह दोनों सरकारी गवाह उच्च शिक्षा प्राप्त थे और इनके पिता स्वयं ऊँची हैसियत के व्यक्ति थे। उनके बयानों पर उस जज ने विश्वास किया। अन्य बयानों की तरह, जिनका हमने ज़िक्र किया है, इस बयान से भी प्रगट होता है कि शिक्षा देने के बहाने किस प्रकार लड़कों को बिगाड़ा जाता था। जब वह एक बार समिति के मेम्बर बन जाते थे तो उन भीषण प्रतिज्ञाओं के कारण, जो उन्हें लेनी पड़ती थीं वे समिति को नहीं छोड़ सकते थे। सब से पहिली प्रतिज्ञा जो उन्हें करनी पड़ती थी वह यह थी कि उनका समिति से अटूट सम्बन्ध होगा। इस प्रकार की प्रतिज्ञा किशोरावस्था के युवकों तक को लेनी पड़ती थी।

नतीजे

हमने बहुत से बयानों को पढ़ लिया जो कि इस बात के लिए काफ़ी सबूत हैं कि इस सुसङ्गठित आक्रमण द्वारा किन

तरीक़ों से लड़कों को बिगाड़ा जाता था और इनके क्या नतीजे निकलते थे।

गत वर्ष इसी क़िस्म के कागज़ों में से एक अत्यन्त मनोरञ्जक लेख एक नज़रबन्द शिक्षित व्यक्ति ने लिखा था जो कि आज कल अपने ही गाँव में (Defence Act) के अनुसार बन्दी था। हमने उससे आज्ञा प्राप्त कर ली है कि उसका निम्न लिखित वाक्य प्रकाशित करें—

"प्रारम्भ से ही मुझे गुप्त आन्दोलन की सफलता में कोई विश्वास न था। मैं इस बात को भली प्रकार जानता हूँ कि 'अनारकिज़्म' अर्थात् अराजकता से कोई भी अच्छा फल नहीं निकलता। परन्तु मुझसे यह पूछा जा सकता है कि मैं इस आन्दोलन में क्यों शामिल हुआ, कारण यह था कि 'एक्स' के साथ मेरा बहुत अरसे से दोस्ताना था, मैं उससे प्रेम और बन्धुत्व इस वास्ते रखता था कि उसने मेरी विद्यार्थी जीवन के कठिन समय में बार बार सहायता की थी और इसी लिए मैंने उसकी याचना पर उसकी सहायता करना अपना कर्तव्य समझा।

× × ×

जहाँ तक कि नवयुवक विद्यार्थियों को गुप्त संस्था का सदस्य बनाने का कार्य था उस का कार्यक्रम इस प्रकार था। नवजवान भावुक व्यक्तियों के लिए 'लिबर्टी' अर्थात् स्वतन्त्रता शब्द में एक विशेष चमत्कार है। नवयुवकों के मस्तिष्क पर

मैज़िनी, गैरीबाल्डी, वाशिङ्गटन इत्यादि के जीवन चरित्र पढ़ने से विशेष असर पैदा होता है। चलते-पुर्ज़े आदमी इस बात का सङ्केत करते हैं कि एक वृहद् संस्था कार्य कर रही है और नव-युवकों को इस बात का उपदेश देते हैं कि देश सेवा का सब से अच्छा मार्ग यह है कि उस संस्था के सदस्य बनें। नए रङ्गरूटों को बिल्कुल अन्धकार में रक्खा जाता है, कि वह काम जिसे वह करना चाहते हैं, कितना वृहद् और गम्भीर है। उन्हें केवल जाल में फँसा कर लालच का चकमा दिया जाता है। पहले-पहले उन्हें पत्र भेजने के काम पर और अन्य मामूली कामों पर; जैसे एक जगह से दूसरी जगह समाचार भेजना आदि पर लगाया जाता है। फिर वे धीरे-धीरे वास्तविक कार्य की तरफ़ आकर्षित किए जाते हैं और जब कि एक दफ़ा वे पूर्ण रूप से इस में दत्तता प्राप्त कर लेते हैं तब उनके लिए यह असम्भव होता है कि वे गुप्त संस्था से अपना सम्बन्ध विच्छेद करें। मुझे अपने व्यक्तिगत अनुभव से इस बात का ज्ञान है कि भाई भाई पर विश्वास नहीं करता। विद्यार्थी अपने अध्यापकों को डरपोक समझते हैं और अपने माता पिता को पुराने ख़्याल का बताते हैं। इस के अलावा और भी बहुत से तरीक़े फुसलाने के हैं। मामूली मामूली घटनाएँ, जैसे किसी योरोपियन द्वारा किसी हिन्दुस्तानी की बेइज़्ज़ती, जिस का कि उल्लेख अख़बारों में छपा हो, ऐसी साधारण घटनाओं को बढ़ा बढ़ा कर नव विकसित बुद्धि वाले युवकों पर प्रभाव डाला जाता है।"

९ वर्ष हुए उस जज ने, जिसने कि बङ्गाल कॉन्सपिरेसी केस, का मामला सुना था इस प्रकार लिखा "जो लोग इस षड़यन्त्र के करने वाले थे उन्होंने अपने कार्य को बहुत अच्छी तरह से किया। वे इस बात को अच्छी प्रकार जानते थे कि उनका सब से अच्छा अवसर केवल इसी बात में था कि देश के नवयुवकों के ऊपर क़ब्ज़ा किया जाए और उनके दिलों पर धर्म और सेवा के उच्च विचारों के नाम पर अपील की जाए और इस उद्देश्य से उन्होंने अपने धार्मिक ग्रन्थों की शिक्षाओं पर भीषण बलात्कार किया और यह ज़ाहिर किया कि अङ्गरेज़ी राज्य में उनकी माँ बहनों की इज्ज़त सुरक्षित नहीं है × × × × × × इस प्रकार के षड़यन्त्र से इस बात का भय नहीं है, कि वह कामयाब हो जायगा, बल्कि भय इस बात का है कि वह फलता-फूलता है। जहाँ एक दफ़ा विष का सञ्चार शरीर में हुआ नहीं, तो यह कहना असम्भव है कि वह कहाँ फूट निकले और इसके कैसे भयङ्कर परिणाम हो सकते हैं।"

हमारे पास इस भविष्यवाणी के सिद्ध करने के लिए बहुत से प्रमाण हैं। इस षड़यन्त्र के फलने-फूलने के निस्सन्देह अत्यन्त दुःखजनक परिणाम हुए। हम सोनारङ्ग नेशनल स्कूल के भीषण कारनामों का अधिक उल्लेख न करेंगे। वह तो वास्तव में एक शिक्षा की संस्था नहीं थी, प्रत्युत वह संस्था लूटने और क़त्ल करने के वास्ते सङ्गठित की गई थी और न यह हमारे वास्ते आवश्यक है, कि हम मदारीपुर इङ्गलिश हाई स्कूल की

कहानी का बयान करें। इस स्कूल के दो भूतपूर्व विद्यार्थियों को फाँसी लग चुकी है। एक ने क़त्ल किया था और बाद में उसको, जब कि वह पुलिस वालों पर आक्रमण कर रहा था, गोली से मार डाला गया और विद्यार्थियों को क़ैद हुई और अन्य कई को क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अनुसार नेक चलनी की ज़मानत देनी पड़ी।

परन्तु इन उदाहरणों को पराकाष्ठात्मक ही समझना चाहिये जो कि उन स्थानों में हुआ करते थे, जिनमें कि ढाका-अनुशीलन-समिति की शाखाओं का प्रभाव था। हमने दो हेडमास्टरों के मारे जाने का उल्लेख भी कर दिया है। यह अपना कर्त्तव्य पालन कर रहे थे (पैरा ७४ और ८१ देखो) और नीचे लिखे प्रमाण से यह बात सिद्ध होती है कि कितना विस्तृत इस आन्दोलन का जाल फैला हुआ था जिसके द्वारा कम उम्र और प्रभाव पड़ने लायक़ युवकों पर असर डाला जाता था।

सब से हाल के प्रयत्न

पाठकों को स्मरण होगा कि राजा बाज़ार बम केस में अमृत-लाल हाज़रा को १५ वर्ष का द्वीपान्तर-वास का दण्ड मिला था (पैरा ६१ देखिये) जब कि कलकत्ते में उसके मकान की तलाशी ली गई तो १६ आदमियों के नामों की सूची शून्य-सङ्केत अङ्क में पाई गई। इन नामों में एक नाम अमूल्यनाथ सरकार का भी था। इस व्यक्ति के सम्बन्ध में और भी सूचनाएँ प्राप्त हुईं और 'डिफ़ेन्स ऑफ़ इण्डिया ऐक्ट' के अनुसार पबना ज़िले

में उसके मकान की तलाशी ली गई। यह ज़िला पुराने पूर्वीय-बङ्गाल के दक्खिन पश्चिमीय सरहद पर है। यह तलाशी सितम्बर, सन् १९१६ में हुई। तलाशी में एक मनोरञ्जक पुस्तक हाथ लगी, जिसमें कि "इण्डियन लिबरेटिङ्ग लीग" (Indian Liberating League) अर्थात भारतवर्ष को स्वतन्त्र करनेवाली संस्था के सङ्गठन का ब्योरा लिखा हुआ था, ताकि "लालची और स्वार्थी विदेशियों को देश से निकाला जा सके। स्थापित सरकार को उलटे बिना विदेशी लोग भारतवर्ष से बाहर नहीं निकाले जा सकते। और राष्ट्रीय विप्लव केवल अस्त्र-शस्त्रों द्वारा ही हो सकता है" सङ्गठन के भिन्न-भिन्न तरीक़ों को, जिसका कि इस पुस्तक में ज़िक्र है, उनमें "रङ्गरूट भर्ती करने के भिन्न-भिन्न स्थान और तरीक़े" बताए गए हैं। उपरोक्त शीर्षक में इस पुस्तक में नीचे लिखे अनुसार बातें बताई गई हैं।

"**१ला तरीक़ा**—सार्वजनिक भाषणों द्वारा, प्रकाशित पुस्तकों और लेखों द्वारा, और व्यक्तिगत शिक्षा द्वारा।

२रा स्थान—स्कूल और कॉलिज, सार्वजनिक मनोरञ्जन के स्थान, थियेटर इत्यादि, और ऐसे धार्मिक अवसरों पर, जहाँ कि सम्बन्धी आदि एकत्रित हों, और सार्वजनिक सेवा के अवसर पर।

रिक्रूटों की श्रेणियाँ × × उनकी सामाजिक स्थिति के अनुसार

१ली श्रेणी—परिपक्व अवस्था से पूर्व नवयुवक।

२री श्रेणी—अविवाहित युवक।

३री श्रेणी—विवाहित नवयुवक।

४थी श्रेणी—अवस्था प्राप्त और संसारी पुरुष।

तदुपरान्त श्रेणियाँ और उनके योग्यतानुसार कार्य

१ली श्रेणी—वे लड़के, जो कि शिक्षा प्राप्त कर रहे हों।

२री श्रेणी—वे युवक, जो कि सर्वस्व, स्वयं प्राण तक भी निछावर करने के लिए प्रस्तुत हों।

३री श्रेणी—वे व्यक्ति, जो कि केवल आर्थिक सहायता ही दे सकें।

४थी श्रेणी—वे व्यक्ति, जो कि केवल वास्तविक सहानुभूति रखते हों।

प्रत्येक स्थान में श्रेणी विभाजन इसी प्रकार होना चाहिए।

पुस्तक में आगे निम्न प्रकार आदेश किया गया है।

"रङ्गरूट भर्ती करने के भिन्न भिन्न तरीके"

१—कॉलिजों के प्रोफ़ेसर और स्कूल मास्टरों द्वारा, ड्रिल और जमनॉस्टिक अध्यापकों द्वारा,

× × ×

× × ×

× × ×

× × ×

५—विद्यार्थियों के प्राइवेट और सार्वजनिक बोर्डिङ्गों में।

६—प्रशंसनीय विद्यार्थियों द्वारा और किशोर युवकों के सहवास में उनके साथ कनिष्ठ भ्राता के समान व्यवहार द्वारा, और यथा अवसर आर्थिक सहायता द्वारा। पिछले वर्ष, जबकि जोगेन्द्र भट्टाचार्य नामक एक व्यक्ति, जो कि ढाका-अनुशीलन-समिति का सदस्य था, बिहार प्रान्त के भागलपुर ज़िले में गिरफ़ार किया गया तो उसके काग़ज़ात में एक ऐसा लेख मिला जिसमें कि एक ऐसी स्कीम दर्ज थी जिसके द्वारा विद्यार्थियों के सङ्गठन द्वारा तमाम इलाक़े को बिगाड़ा जा सकता था।

सारांश

हमने इस अध्याय में उन प्रमाणों का केवल प्रमुख भाग ही उद्धृत किया है, जिन से कि हम को यह बात सिद्ध हुई है कि क्रान्तिकारी संस्थाओं ने स्कूलों और कॉलिजों से रङ्गरूट भर्ती करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। विस्तृत आयोजन और सुप्रवीण कार्य-क्रम द्वारा उन्हें इतनी अधिक सफलता प्राप्त हो गई है कि यदि सरकारी और ग़ैर सरकारी प्रयत्न पूरे सहयोग के साथ न किया गया, तो बङ्गाल का भविष्य अत्यन्त अन्धकारमय होगा।

सातवाँ अध्याय

जर्मन षड़यन्त्र

भारतीय क्रान्ति में जर्मनी की दिलचस्पी

अक्तूबर १९११ में बर्नहार्डी की "जर्मनी और आगामी युद्ध" नामक पुस्तक छपी, इसमें ग्रन्थकार ने जर्मनी की इस इच्छा का सङ्केत किया कि बङ्गाल की हिन्दू जनता में तो पक्के विप्लववादी और राष्ट्रीय विचार फैले ही हुए हैं, यदि यह हिन्दू, मुसलमानों से मिल जाएँ, तो इन दोनों जातियों के ऐक्य से ऐसी भयानक स्थिति पैदा हो सकती है जिससे कि इङ्गलिस्तान की जो धाक संसार में है, उस पर पानी फिर जाए।

६ मार्च, १९१४ को जर्मनी की राजधानी से निकलने वाले 'बर्लिन तेगेब्लैट' नामक समाचार-पत्र में 'इङ्गलिस्तान का भारतीय कष्ट' नामक एक लेख निकला, जिसमें कि बड़ा ही अन्धकारमय चित्र खींचा गया और यह बताया गया कि भारत में गुप्त सभाओं की भरमार है और उनको विदेशों से सहायता मिल रही है। यह भी कहा गया, कि कैलिफ़ोर्निया (अमेरिका) में विशेष तौर से हिन्दुस्तान को अस्त्र, शस्त्र, बम, बारूद पहुँचाने का सङ्गठित उद्योग हो रहा है।

हरदयाल की साज़िश और जर्मन-दूत

२२ नवम्बर, १९१७ को सेनफ्रान्सिस्को में एक अभियोग आरम्भ हुआ। सरकारी बयान से यह पता चलता है कि पञ्जाब युनिवर्सिटी के एक भूतपूर्व विद्यार्थी ने, जिसका नाम हरदयाल था, १९११ से पूर्व ही अमेरिका, जर्मन दूतों और योरोप में हिन्दुस्तानी क्रान्तिकारियों से एक साज़िश की और इसी मुहिम के अनुसार कैलिफ़ोर्निया में 'ग़दर' नामक विप्लववादी दल स्थापित किया और सारे कैलिफ़ोर्निया, औरेगन और वाशिङ्गटन में इस जर्मनी सिद्धान्त का प्रचार किया, कि जर्मनी इङ्गलैण्ड पर धावा करेगा।

जर्मनी द्वारा भारतीय राष्ट्रवादियों का उपयोग

सितम्बर, १९१४ में ज़ूरिच की अन्तर्राष्ट्रीय भारत-हितकारी सभा के प्रधान चम्पकरामन पिल्ले नामक एक तामिल नवयुवक ने ज़ूरिच के जर्मन कौंसिल के पास इस बात की प्रार्थना की कि उसे जर्मनी में अङ्गरेज़ों के विरुद्ध साहित्य छापने की आज्ञा दी जाए। अक्टूबर, १९१४ में वह ज़ूरिच से बर्लिन गया और वहाँ के जर्मन पर-राष्ट्र कार्य्यालय (फ़ॉरेन ऑफ़िस) के मातहत कार्य्य करने लगा, वहाँ उसने जर्मन जनरल स्टाफ़ से मिली हुई "भारतीय-राष्ट्रीय-पार्टी" स्थापित की। इसके सभासदों में **ग़दर दल** का संस्थापक हरदयाल, तारकनाथ दास, बरकत उल्ला, चन्द्रकुमार चक्रवर्ती और हिरम्भलाल गुप्त भी थे। (सेन-फ्रान्सिस्को अमेरिका के अभियोग में आख़िरी दो व्यक्ति अभियुक्त

थे) ऐसा मालूम होता है कि पहिले पहल जर्मनी ने भारतीय पार्टी के लोगों को विशेष तौर पर अङ्गरेजों के विरुद्ध काम पर ही लगाया, और इन लेखों को उसने हर एक देश में, जहाँ कहीं भी हानि होने की सम्भावना थी, बँटवाया। बाद में इन लोगों को और भी काम दिये गए, बरकत उल्ला को यह काम सुपुर्द हुआ कि वह जर्मन द्वारा पकड़े गए अङ्गरेज़ी फ़ौजों के हिन्दुस्तानी सिपाहियों को फ़ुसलाए। एक समय पिल्ले को बर्लिन ऑफ़िस कोड सुपुर्द किया गया जिसे कि उसने एम्सटर्डम (हालैण्ड) जाकर उस आदमी के हवाले किया, जो कि अमेरिका द्वारा बैङ्कॉक (श्याम) पहुँच कर वहाँ एक छापाख़ाना खोलने जा रहा था। ऐसा विचार था कि बर्मा श्याम के सरहद से युद्ध समाचारों को मँगाकर गुप्त रीति से इन्हें छाप कर फैलाया जाए। कुछ काल तक हिरम्भलाल गुप्त अमेरिका में जर्मनी का भारतीय दूत था और वहाँ उसने बोहेम नामक जर्मन अफ़सर से ठीक-ठाक कर लिया था, कि मैं श्याम पहुँचकर लोगों को बर्मा पर चढ़ाई करने के लिये तैयार करूगा, बोहेम के सम्बन्ध में यथा समय बहुत कुछ लिखा जाएगा, गुप्ता के चले जाने पर चक्रवर्ती अमेरिका बर्लिन ऑफ़िस का नीचे दिए हुए पत्र द्वारा जर्मन दूत बना दिया गया :—

बर्लिन, फ़रवरी ४, १९१६

सेवा में जर्मन राजदूत विभाग, वाशिङ्गटन

भविष्य में सम्पूर्ण भारत सम्बन्धी विषयों पर उस कमिटी का पूर्ण अधिकार होगा, जिसे कि डॉक्टर चक्रवर्ती सङ्गठित

करेंगे। इसलिए आगे के वास्ते वीरेन्द्र सरकार और हिरम्भलाल गुप्त वहाँ की 'भारतीय-स्वतन्त्रता-समिति' के प्रतिनिधि नहीं रहेंगे। गुप्ता को हाल में जापान से निर्वासित किया गया है।

(हस्ताक्षर) ज़िमरमन

भारत के विरुद्ध जर्मनी की चेष्टाएँ

जर्मन जनरल स्टाफ़ ने भारत पर आक्रमण करने के लिए पक्के इरादे कर रक्खे थे। इस अध्याय में हम उन मन्सूबों का वर्णन न करेंगे, जोकि भारत की मुसलमानी अशान्ति पर निर्भर थी, विशेष कर उत्तर पश्चिमी सूबों की तरफ़ से हमला करने को थीं। लेकिन जो और षड़यन्त्र थे, यानी वह, जो सेनफ्रान्सिसको के ग़दर दल की सहायता और बङ्गाल विप्लववादियों के सहयोग पर निर्भर थे। उनके केन्द्रस्थल बैङ्कॉक और बटेविया (जावा) थे। बैङ्कॉक का मनसूबा तो विशेष कर अमेरिका के लौटे हुए ग़दर पार्टी के सिक्खों पर निर्भर था और बटेविया का बङ्गालियों पर। ये दोनों स्कीमें जर्मन के सङ्घाई (चीन) स्थित कौन्सिल जनरल की निगरानी में चल रही थीं और स्वयं वह वाशिङ्गटन (अमेरिका) के जर्मन राजदूत विभाग की आज्ञानुसार काम कर रहा था, उनका ही बयान करेंगे।

बङ्गाल में जर्मन साज़िशें

अगस्त, १९१५ में फ्रॉन्सीसी पुलिस ने सूचना दी कि योरोप में रहने वाले विप्लववादी हिन्दुस्तानियों की यह धारणा थी, कि

कुछ ही समय बाद भारत भर में विद्रोहानल भड़क उठेगा और उसमें जर्मनी भारतीयों की सहायता करेगा। नीचे दिये हुए हाल से पता चलेगा कि इस धारणा की क्या बुनियाद थी।

नवम्बर, १९१४ में पिङ्गले नामक एक मरहठा और सत्येन्द्र सेन नामक एक बङ्गाली एस० एस० सलेमिस नामक जहाज़ द्वारा अमेरिका से कलकत्ते पहुँचे। पिङ्गले उत्तरीय भारत की ओर बलवा सङ्गठित करने चला गया।

सत्येन्द्र नं० १५९ बहूबाज़ार में ही ठहरा रहा। १९१५ के अन्त में पुलिस ने रिपोर्ट दी कि 'श्रमजीवी समव्यय' नामक स्वदेशी की दूकान के रामचन्द्र मजूमदार और अमरेन्द्र चटर्जी नामक हिस्सेदार बड़ी तादाद में हथियार रखने के लिए जतीन्द्र मुकुर्जी, अतुल घोष और नरेन्द्र भट्टाचार्य के साथ साज़िश कर रहे हैं। १९१५ के आरम्भ में बङ्गाल के कुछ क्रान्तिकारियों ने मिलकर यह निश्चय कर दिया कि भारत में वृहद् विद्रोह करने की अपनी आकांक्षा को जर्मन की सहायता से कार्य्य में परिणत किया जाय। इस लिए दूसरी जगह के क्रान्तिकारियों और श्याम वालों से शृङ्खला में बँधकर जर्मनी से सम्बन्ध किया जाए और धन डकैतियों द्वारा एकत्रित किया जाए। इसलिए १२ जनवरी और २२ फ़रवरी को गार्डनरीच, और बेलियाघाट में डकैतियाँ डाली गईं और ४० हज़ार रुपया जमा किया गया।

बैङ्कॉक के षड़यन्त्रियों से सलाह-मश्वरा करने और उनसे मिलने के लिए भोलानाथ चटर्जी को बैङ्कॉक भेज दिया गया।

मार्च के आरम्भ योरप से जितेन्द्रलाल लाहिड़ी बम्बई पहुँचा और बङ्गाली विप्लववादियों के लिए जर्मनी से सहायता का वचन लाया और यह सन्देशा पहुँचाया कि एक दूत इस काम के लिए बटेविया रवाना कर दिया जाए। तदुपरान्त एक सभा की गई और नरेन्द्र भट्टाचार्य को जर्मनों से परामर्श करने के लिए बटेविया भेज दिया गया। वह अप्रैल में रवाना हो गया और उसने अपना बनावटी नाम सी० मार्टिन रख लिया। उसी महीने षड़यन्त्रियों ने अविन मुकुर्जी व एक और बङ्गाली को जापान भेज दिया। उधर गार्डनरीच और बेलियाघाट की डकैतियों के कारण पुलिस की ज़ोर-शोर से अनुसन्धान जारी थी; सो उनका मुखिया बालासोर के जङ्गलों में छिप गया। इसी महीने में एस०, एस०, मेवेरिक नामक जहाज़ सैनपीडरो कैलिफ़ोर्नियो (अमेरिका) से रवाना हो गया*

जब 'मार्टिन' बटेविया पहुँचा तो जर्मन कौंसिल थ्योडर हैलफ़ेरिक से उसका परिचय करा दिया। हैलफ़ेरिक ने उससे कहा कि अस्त्र-शस्त्रों का जहाज़ हिन्दुस्तानियों को राज्यक्रान्ति करने में सहायता देने के लिए करांँची के लिए रवाना होगया। 'मार्टिन' ने इस बात पर ज़ोर दिया, कि जहाज बङ्गाल आना चाहिए और शङ्घाई-स्थित जर्मन कौन्सिल जनरल के परामर्श से भी यही निश्चय हुआ कि जहाज़ बङ्गाल ही पहुँचे। बस फिर क्या था 'मार्टिन'

*मेवेरिक के बारे में और हाल आगे लिखा जायगा।

तो इस प्रबन्ध के लिए लौट आया, कि सुन्दर बन में रायमङ्गल स्थान पर मेवेरिक का शस्त्रागार उतारा जाए।

शस्त्रागार में ३० हज़ार बन्दूकें और एक करोड़ २० लाख गोली कारतूस के राउण्ड थे और दो लाख रुपया नक़द था। बलवे से पहिले 'मार्टिन' ने हेरी एण्ड सन्स नामक कलकत्ते के एक झूठे कारख़ाने को, जो कि वास्तव में क्रान्तिकारियों का एक प्रसिद्ध अड्डा था, तार दे दिया था कि 'व्यापार सहायक रहा।' जून में 'मार्टिन' के नाम "हरी कम्पनी" ने तार दिया कि 'रुपया भेजो' इस पर बटेविया से हैलफ़ेरिक ने हेरी कम्पनी, कलकत्ते को बार बार रुपया भेजना शुरू कर दिया। जून, जुलाई और अगस्त में ४३ हज़ार रुपया भेजा गया। क्रान्तिकारियों के पास केवल ३३ हज़ार ही पहुँच पाया था, कि सरकारी अफ़सरों ने सूँघ लिया कि मामला क्या है।

जून के मध्य में 'मार्टिन' हिन्दुस्तान पहुँच गया। षड़यन्त्री लोग अर्थात जतीन्द्र मुकुर्जी, जदूगोपाल मुकुर्जी, नरेन्द्र भट्टाचार्य (मार्टिन) भोलानाथ चटर्जी और अतुल घोष मेवेरिक के शस्त्रागार को वसूल करने और सर्वोयुक्त रीति से प्रयोग करने की उधेड़-बुन में लग गये। उन्होंने निश्चय किया कि हथियारों को तीन भागों में विभक्त करें और उन्हें इस प्रकार बाँट दें:—

(१) हटिया में, पूर्वीय बङ्गाल के काम के लिए बारीसाल दल के पास।

(२) कलकत्ते में।

(३) बालासोर में।

उनका ख़याल था कि संख्या में भी उनके लोग पूर्वी बङ्गाल की फ़ौजों का मुक़ाबला करने के लिए यथेष्ट बलवान थे, परन्तु उनको अन्य प्रान्तों से आ जाने वाली फ़ौजों का भय था। इस विचार से निश्चय किया कि बङ्गाल की तीनों मुख्य रेलवे कम्पनी के ख़ास ख़ास पुलों को तोड़ कर यह समस्या भी हल कर दी जाय। मद्रास वाली रेलवे लाइन के पुल को बालासोर में जतिन्द्र विनष्ट करे, भोलानाथ चटर्जी को बङ्गाल-नागपुर रेलवे को तहस-नहस करने के लिये चक्रधरपुर भेजा जावे और ईस्ट इण्डियन रेलवे के पुल को उड़ाने के लिए सतीश चक्रवर्ती अजय स्थान में निर्दिष्ट किया गया। नरेन्द्र चौधरी और फणिन्द्र चक्रवर्ती को हुक्म मिला कि वे हटिया पहुँच कर फ़ौज इकट्ठी करें। पहिले पूर्वीय बङ्गाल के ज़िलों को स्वाधीन करें और फिर कलकत्ते पर चढ़ाई बोल दें। नरेन्द्र भट्टाचार्य और विपिन गङ्गोली की आधीनता में कलकत्ते वाला दल पहिले तो कलकत्ते के आस-पास के शस्त्रागारों पर अधिकार करे और तब फ़ोर्ट-विलियम हस्तगत करके कलकत्ते शहर पर मुहासरा करदें, जर्मन अफ़सर लोग, जो कि मेवेरिक जहाज़ में आवें, पूर्वीय बङ्गाल में ठहरें और सेना भरती करें तथा उन्हें युद्ध-कला सिखलावें।

इधर यह जोड़-तोड़ जारी थी, उधर जदूगोपाल मुकुर्जी ने मेवेरिक के शस्त्रागार को उतारने का ठीक-ठाक कर लिया। उसने रायमङ्गल के निकट के एक ज़मीनदार से सामान उतारने वाले

आदमियों के बाबत बात-चीत पक्की करली। मेवेरिक रात के समय पहुँचेगा और उसमें सीधी लाईन में रोशनी लटकी होगी, यही उसकी पहिचान के लिए चिन्ह था। ऐसी आशा की जाती थी, कि पहिली जुलाई, १९१५ तक प्रथम बार हथियार बाँट दिये जाएँगे।

इसमें सन्देह नहीं, कि अतुल घोष के आदेशानुसार कुछ आदमी नाव द्वारा रायमङ्गल के आस-पास पहुँच गए थे। जिससे कि वे जहाज़ ख़ाली करने में हाथ बटा सकें। वे लोग दस दिन वहाँ ठहरे रहे, जून का अन्त हो गया, न तो मेवेरिक ही पहुँचा और न बटेविया ही से कुछ सूचना मिली कि विलम्ब का क्या कारण है। जब कि षड़यन्त्री मेवेरिक की बाट जोह रहे थे, आत्माराम नामक एक पञ्जाबी षड़यन्त्री से बैङ्कॉक से एक बङ्गाली ३ जुलाई को यह सन्देशा लाया कि श्याम का जर्मन कौंसिल नाव द्वारा एक लाख रुपया और ५ हज़ार बन्दूक़ें राय-मङ्गल के लिए भेज रहा है। षड़यन्त्री समझे, कि यह अनुपयुक्त मदद मेवेरिक वाले माल के बदले भेजी जा रही है। उन्होंने समाचार लाने वाले बङ्गाली को तुरन्त बटेविया होते हुए बैङ्कॉक रवाना कर दिया और हैलफ़ेरिक को कहला दिया कि पहले वाले इरादे को न बदलें और भिन्न-भिन्न शस्त्र-कोश बङ्गाल की खाड़ी में हटिया (सन द्वीप) में, बालासोर में, और काठियावाड़ के गोकर्णी स्थान पर भेजें। जुलाई में गवर्नमेण्ट को हथियारों के रायमङ्गल पहुँचने के इरादे का पता चल गया और उसने यथोचित

प्रबन्ध कर लिया। समाचार मिलने पर पुलिस ने ७ अगस्त को हेरी कम्पनी के मकानों की तलाशी ली और कुछ लोग पकड़े गए। १३ अगस्त को बम्बई से एक षड़यन्त्री ने हैलफ़ेरिक को तार द्वारा सूचना देदी और १५ अगस्त को नरेन्द्र भट्टाचार्य (मार्टिन) और एक और व्यक्ति उससे परामर्श करने के लिए रवाना हो गए। ४ सितम्बर को हेरी कम्पनी की बालासोर वाली शाख़ युनिवर्सल ऐम्पोरियम और २० मील दूर कपटी पद नामक स्थान में एक दूसरे क्रान्तिकारियों के अड्डे की तलाशी ली गई। पिछले स्थान में सुन्दरबन का एक नक़शा मिला और उसके साथ ही मेवेरिक के सम्बन्ध में पेनाङ्ग के एक समाचार-पत्र का कटिङ्ग भी था। अन्त में ५ बङ्गालियों का एक गिरोह घेर लिया गया और जो मुढभेड़ हुई, उसमें षड़यन्त्रियों का मुखिया जतीन्द्र मुकुर्जी और इन्सपैक्टर सुरेशचन्द्र मुकुर्जी को मारने वाला चित्तप्रिय राय चौधरी मारे गए। इस वर्ष षड़यन्त्रियों को मार्टिन से और कुछ समाचार न मिल पाया, अन्त में दो आदमी गोआ पहुँचे कि वहाँ से बटेविया में मार्टिन को तार दें। २७, दिसम्बर १९१५ को गोआ से मार्टिन के पास निम्न लिखित तार भेजा गया "क्या हाल चाल है कुछ समाचार नहीं मिला, बड़ी फ़िक्र है। बी चैटरटन" इस तार के कारण गोआ में अनुसन्धान की गई और दो बङ्गाली पकड़े गए, जिसमें एक भोलानाथ चटर्जी प्रमाणित हुआ। उसने पूना जेल में २७ जनवरी, १९१६ को आत्म-हत्या कर डाली।

जर्मनी द्वारा भेजे हुए जहाज़

अब हम मेवेरिक और हैनरी एस० नामक जहाजों की कहानी संक्षिप्त में बयान करेंगे। वे दोनों, पूर्वी सागरों के लिए अमेरिका से जर्मन षड़यन्त्रों के सम्बन्ध में रवाना हुए। इस बयान के बाद हम बाक़ी और जर्मन मन्सूबों का वर्णन करेंगे।

मेवेरिक एक पुराना तेल के टैंक वाला स्टीमर था, जिसे कि सेनफ्रान्सिस्को की एफ़० जेब्सन नामक एक जर्मन कम्पनी ने उसके मालिक स्टैण्डर्ड तेल कम्पनी से ख़रीदा था—यह सेनपेडरो, केलिफ़ोर्निया से बिना माल के २२ अप्रैल,१९१५को रवाना हुआ। इसमें २५ अफ़सर इत्यादि थे और पाँच, कहा गया, कि परशिया के रहने वाले हैं। जिन्हों ने हस्ताक्षर किए कि वे नौकर हैं। असल में यह सब के सब हिन्दुस्तानी ही थे और उन्हें सेनफ्रान्सिस्को की जर्मन कौन्सिल के बौनब्रिकन और हरदयाल के बाद ग़दर पार्टी के नेता रामचन्द्र ने बैठाया था। इनमें से एक का नाम हरीसिंह था। यह पञ्जाबी था और इसके पास सन्दूक़ों में ग़दर का माल था। मेवेरिक पहले कैलिफ़ोर्निया के निचले भाग में सेन जॉर्जडिलकेओ नामक बन्दरगाह में पहुँचा और वहाँ से जावा में अञ्जेर नगर के लिए टिकट कटाया। तब वह मेक्सिको के पश्चिम में ६०० मील दूर सोकोरो द्वीप के लिए रवाना हुआ। वहाँ,उसे एनी लॉर्सेन नामक एक छोटे जहाज से मिल कर उन अस्त्र-शस्त्रों को लादना था, जिन्हें कि उस जहाज

में सैनडिगों में न्यूयार्क के टाशर नामक एक जर्मन ने ख़रीद कर रख दिया था। मेवेरिक के स्वामी को यह हुक्म था कि बन्दूक़ों को एक ख़ाली तेल की टङ्की में भर दिया जाए, और फिर उसमें तेल। कारतूस इत्यादि को दूसरी टङ्की में रक्खा जाए और कोई असाधारण भयानक समस्या उठ खड़ी हो तो जहाज़ को ही डुबो दे। परन्तु यह एनीलॉर्सेन से मिला ही नहीं और जब कि मेवेरिक कई सप्ताहों तक बाट देख चुका तो वह होनोलूलू होता हुआ जावा के लिए रवाना हो गया। जावा में उसकी उच्च अफ़सरों ने तलाशी ली, पर ख़ाली पाया। अन्त में जून १९१५ के आख़ीर तक एनीलॉर्सेनवाशिङ्गटन के होकोमा स्थान पर पहुँचा और वहाँ उसके शस्त्र भण्डार को अमेरिकन सरकार ने ज़ब्त कर लिया। वाशिङ्गटन के जर्मन दूत काउण्ट बर्न्स ट्रौफ़ ने कहा कि यह जर्मनी का माल है, परन्तु अमेरिकन सरकार ने एक न सुनी। हफ़लरिक ने मेवेरिक पर सवार लोगों की बटेविया में रक्षा की और अन्त में उन्हें उसी जहाज़ पर अमेरिका लौटा दिया। वहाँ हरीसिंह को उतार दिया और "मार्टिन" को सवार करा दिया। इस तरह से मार्टिन अमेरिका भाग गया, जब कि वह वहाँ पहुँचा तो अमेरिका सरकार ने उसे धर दबाया, सहायक बेड़े का दूसरा जहाज़ भी पकड़ा गया, जो कि हिन्दी-जर्मन षड्यन्त्र के सम्बन्ध में रवाना हुआ हेनर्स एस० नाम का था। इसने शङ्घाई के लिए मनीला फ़िलिपाइन द्वीप का टिकट कटा लिया। इस पर अस्त्र-शस्त्र भरा था, परन्तु पूर्व इसके, कि स्टीमर चल

पाता कस्टम-अफ़सरों ने पता चला लिया कि क्या मामला है। उन्होंने झट "हेनरी" को खाली करा लिया। तब वह शङ्घाई के बदले पान्टियानख के लिए रवाना हो गया परन्तु बाद में उसके मोटर की कल बिगड़ गई और उसने सलीबीस द्वीप के एक बन्दर में लङ्गर डाल दिया—इस स्टीमर पर दो जर्मन, अमेरिकन थे इनका नाम वेहड़ और बोहम था। ऐसा मालूम होता है कि इनका इरादा यह था, कि पहिले बङ्गाल पहुँचें और कुछ शस्त्र-कोष वहाँ उतार दें और उन्हें एक सुरङ्ग में छिपा रक्खें, जो कि बरमा और श्याम की सरहद पर पकोह स्थान में बनाई गई थी, और बोहम हिन्दुस्तानियों को बरमा पर आक्रमण करने के लिए तय्यार करे। बोहम सलीबीस से बटेविया पहुँच गया। जब कि वह बटेविया से चला आ रहा था, सिङ्गापुर में पकड़ा गया। शिकागो से हेरम्ब लाल गुप्त की आज्ञानुसार वह मनीला में हेनरी एस० पर सवार हो गया था और उसको मनीला के जर्मन कौंसलर का यह हुक्म था, कि पाँच सौ रिवॉल्वर तो बैङ्कॉक में उतार दे और बाक़ी ५००० चटगाँव पहुँचवा दे। शस्त्रों में रिवॉल्वरें मय राइफ़ल के थीं। इस लिए सम्भवतः वे माउज़र पिस्तौलें होंगी, जो कि दोनों हिस्से जोड़ देने से ही बन्दूक़ का काम देने लगती हैं।

इस बात का सबूत है, कि जब मेवेरिक वाला मामला असफल रहा तो शङ्घाई के कौंसिल-जरनल ने दो और जहाज़ों को बङ्गाल की खाड़ी के लिए रवाना करने की ठानी, एक तो राय-

मङ्गल के लिए और दूसरा बालासोर के लिए। पहिले में दो लाख रुप्यै तथा बीस हज़ार बन्दूकें, अस्सी लाख कारतूसें और दो हज़ार पिस्तौलें मय गोली बारूद थीं, दूसरे जहाज़ में दस हज़ार राइफ़लें १० लाख भरी हुई कारतूसें जाने का निश्चय था परन्तु बटेविया के जर्मन काऊँसिल को "मार्टिन" ने यह चेतावनी दे दी, कि राय-मङ्गल में अब जहाज़ भेजना उचित नहीं, बल्कि हटिया में भेजना ठीक होगा। इसलिए हलफेरिक से इस स्थान-परिवर्तन पर परामर्श किया गया और नीचे दी हुई तरकीब निश्चित ठहरी:—दिसम्बर के अन्त में जहाज़ शङ्घाई से सीधा हटिया आवे, बालासोर में आने वाला जहाज़, वह जर्मन जहाज़ हो, जो कि ख़ाली एक डच बन्दर में पड़ा रहे और समुद्र में ही अपना शस्त्र-भण्डार भरे, एक तीसरा जहाज़, (जो कि जर्मनी का जङ्गी जहाज़ था) अण्डमन (काला पानी) पहुँचे, अस्त्र-शस्त्र समुद्र ही में भरे और पोर्ट ब्लेयर पर धावा बोल दे। वहाँ से अराजकों को और उन क़ैदियों को भी ले ले, जो कि सिङ्गापुर फ़ौज में ग़दर करने के लिए क़ैद थे और उन के ख़याल में काला-पानी में ही रक्खे गए थे और तब रङ्गून पर हमला करदे। बङ्गाली षड़यन्त्रियों को सहायता देने के लिए हलफेरिक के साथ एक चीनी था, जिसके पास ६६ हज़ार गिन्नियाँ और एक चिट्ठी पिनाङ्ग में एक बङ्गाली के लिए थी, अगर वह न मिले, तो कलकत्ते के दो पते थे, जिसमें से किसी एक के हवाले करदे; पर वह संदेशा पहुँचाने ही न पाया, क्योंकि मय गिन्नियों के वह सिङ्गापुर

में पकड़ा गया। वह बङ्गाली, जो कि मार्टिन के साथ बटेविया भेजा गया था, शङ्घाई जर्मन काउन्सिल से परामर्श करने और हटिया जाने वाले जहाज़ से लौट जाने के लिए भेज दिया गया। वह मुश्किल से शङ्घाई पहुँच पाया था, कि पकड़ लिया गया। चूँकि इधर जतीन मुकुरजी मर चुका था, कलकत्ते के षड़यन्त्री भी चन्द्रनगर विश्राम करने चल दिए। उधर बङ्गाली दूत शङ्घाई में पकड़ा गया और जर्मनों की बङ्गाल की खाड़ी में हथियार भेजने की अख़िरी चाल भी निष्फल हो गई। व्हेडवोहम और हिरम्ब लाल गुप्त पर शिकागो में हिन्दुस्तानी-जर्मन षड़यन्त्रों में भाग लेने के लिए सरकारी मुक़दमा चला। यह सैनफ्रान्सिस्को का मुक़दमा नवम्बर १९१७ में आरम्भ हुआ और इन्हीं षड़यन्त्रों के सम्बन्ध में बहुत से लोगों को दण्ड मिला, परन्तु इनका ख़ुलासा हाल अभी यहाँ नहीं पहुँच पाया है।

शङ्घाई में धर-पकड़

अक्टूबर १९१५ में शङ्घाई म्यूनिस्पैलिटी की पुलीस ने दो चीनियों को पकड़ा, जिनके पास स्वयम् घूमने वाली १२९ पिस्तौलें और बीस हज़ार आठ सौ तीस कारतूम के राउन्ड्स थे, जिन्हें कि वे तख़्ते के बीच में रख कर नील-सेन नामक जर्मन की आज्ञानुसार ले जा रहे थे। इनको उन्हें श्रमजीवी सम्व्यय कलकत्ता के अमरेन्द्र चटर्जी को देना था। अमरेन्द्र उन षड़यन्त्रियों में से था, जो कि चन्द्रनगर भाग गए थे। नीलसेन

का ठिकाना, यानी ३२ नं० याङ्ग्ट सीपृ रोड, जिसका पता इन चीनियों के मुक़दमे में चला, अवनी मुकुरजी की नोट-बुक में भी मिला। अवनी वह आदमी था, जिसका ज़िक्र पैरा १११ में किया जा चुका है—अर्थात् वह, जो कि जापान दूत बनाकर भेजा गया था; और जो कि लौटते हुए सिङ्गापुर में पकड़ा गया था। इस बात का भी यथेष्ट प्रमाण है, कि एक ऐसा ही षड़यन्त्र रास बिहारी बोस ने भी रचा था, जो कि उन दिनों नील-सेन के मकान में ही रहा करता था। क्योंकि वे पिस्तौलें, जिन्हें रास बिहारी बोस भारत में भेजना चाहता था, उस चीनी के यहाँ मिलीं, जो कि १०८ नम्बर चावटङ्ग रोड वाली माई डिसपैन्सरी में काम करता था। यह दूसरा पता था, जैसा कि अवनी की नोट-बुक से मालूम होता है। उसी मकान में अविनाश राय नामक एक और क्रान्तिकारी भी रहा करता था। उसका भी शङ्घाई के दल तथा जर्मन कोशिशों में हाथ था और इसने अवनी से कहा था कि चन्द्रनगर में मनीलाल राय से कह देना कि सारा काम ठीक चल रहा है और अब मेरे हिन्दुस्तान पहुँचाने की तर्कीब करे। अवनी की नोट-बुक में मनीलाल राय और कलकत्ता, ढाका, कमिल्ला और चन्द्रनगर के कितने ही छटे हुए क्रान्तिकारियों के पते दर्ज थे और पते के साथ ही साथ अमरसिंह इञ्जीनियर पकोह (श्याम) का भी नाम दर्ज था। यह वही स्थान था, जहाँ कि सुरङ्ग में हेनरी एस० के हथियारों में से कुछ को छिपाने का विचार था। माण्डले में

अमरसिंह को प्राण-दण्ड की आज्ञा हुई और उसे टिकटिकी पर लटका दिया गया।

जर्मन षड्यन्त्र की निस्सारता

जर्मनों के हथियार भेजने की इस साज़िश से पता चलता है, कि क्रान्तिकारी तो बहुत ही ज़्यादा पुर-जोश थे, किन्तु वे जर्मन लोग, जो उनके पल्ले पड़े और जो उनके आन्दोलन से लाभ उठाना चाहते थे, उनके कार्य-क्रम से नितान्त अनभिज्ञ थे।

पहिला भाग समाप्त

(शेष रिपोर्ट के लिए दूसरा भाग देखिए)